GEO IAS

It's about quality

करेन्ट अफेयर्स मैगजीन

नवम्बर-2023

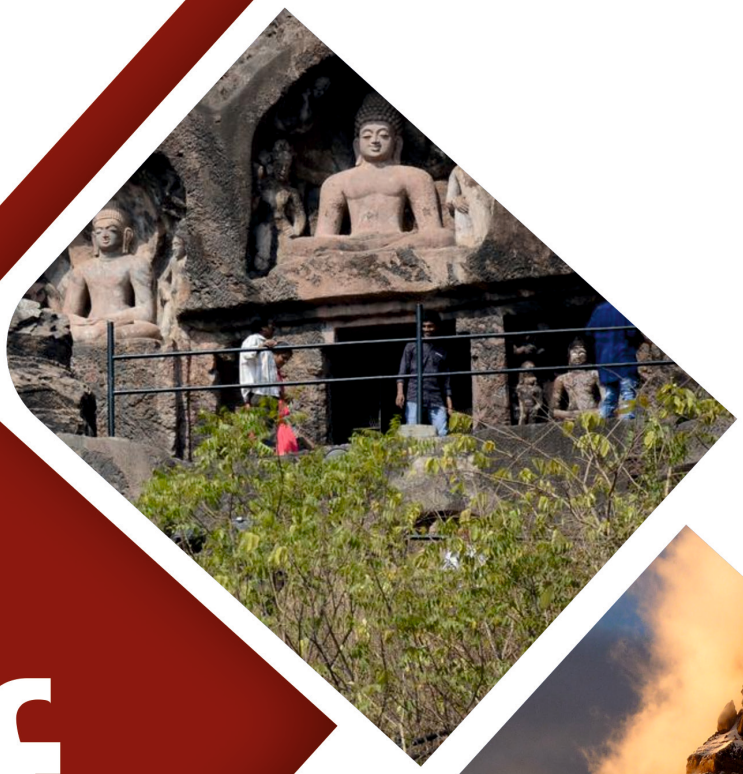

Our Courses

1. CGPSC Mains Classes
2. UPSC Prelims 3 Months Booster Classes
3. 3 Years UPSC Civil Services Foundation + Advance Courses
4. UPSC Prelims Test Series (35 Offline+ 192 Online
5. Live + Recorded Lectures On GEO IAS Mobile App

GEO IAS
It's about quality

INDIA'S BEST MENTORSHIP PLATFORM FOR CIVIL SERVICES EXAMS

WHY ARE WE BEST?

- Personal Mentorship
- Free Study Material
- 24x7 Doubt Sessions
- Assistance from Bureaucrats
- Daily Newspapers & Editorial Analysis
- India's Best Offline & Online Classes
- Video Recording Backup
- Unlimited Test Series

JOIN US TODAY!!

Stay Connected For Instant Updates

Call For Online/ Offline Batches

+91 9477560002/01

Subscribe To GEO IAS

GEO IAS

Download GEO IAS Mobile App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

नवम्बर - 2023

करेंट अफेयर मैगज़ीन

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
कला एवं संस्कृति	**1-7**
बोजन्नाकोंडा	
हक्की पिक्की जनजाति	
सरस्वती सम्मान	
पुरी मंदिर रत्न भंडार	
एडक्कल गुफाएँ	
सोमेश्वर शिलालेख	
भीमाशंकर मंदिर	
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सूची में धोर्डो	
धार्मिक ग्रंथों का कॉपीराइट	
राजनीति और शासन	**8-18**
UAPA एक्ट	
बिहार जाति सर्वेक्षण	
सेंसरशिप	
गर्भपात अधिकार	
मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार	
चुनावी बांड योजना	
समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला	
SC ने कहा, 'शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं'	
लोकसभा में सांसद कैसे सवाल पूछते हैं	
नौकरशाही का राजनीतिकरण	
पर्यावरण और पारिस्थितिकी	**19-31**
अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल (ICRI)	
माउंट कुन	
कृषि पर आपदाओं के प्रभाव का वैश्विक आकलन	
व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट	
बफ़-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर	
केंद्र ने रबी फसलों के लिए MSP बढ़ाया	
लघु हिमयुग (LIA)	
सिएना गैलेक्सी एटलस (SGA)	
इंजन रहित हवाई जहाज उड़ना	
अमेज़न वर्षावनों में सूखा	

सिक्किम में जल विद्युत परियोजनाओं पर बाढ़ का असर
निर्माण धूल
सूक्ष्म शैवाल

अर्थव्यवस्था **32-42**

RBI की यथास्थिति
सफेद वस्तुओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना
MPC की बैठक
विलफुल डिफॉल्टर
स्टॉक विभाजन
स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स
उदारता प्लस 'मानदंड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)
कर कटौती
महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी

विज्ञान और तकनीक **43-57**

वाणिज्यिक स्पाइवेयर
मैट्रिक्स-मलेरिया वैक्सीन
भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता (Geospatial Intelligence)
फ़ोनोटैक्सिस
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला
रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICD)
मिस्ट्रल
डीपफेक तकनीक
रक्तसंबंध
दिल्ली में पराली जलाने के लिए बायो-डीकंपोजर
डेंगू
नया विकासवादी कानून
सफेद फास्फोरस
लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना
लसीका फाइलेरिया

सामाजिक मुद्दे **58-64**

भारत की जेलों में मौतें
बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM)
भारत का मधुमेह संकट
सूचना आयोगों में 3.21 लाख लंबित अपीलें
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध **65-77**

ऑकस (AUKUS)
इज़राइल का आयरन डोम और योम किप्पुर युद्ध
योम किप्पुर युद्ध का महत्व:
भारत और तंजानिया द्विपक्षीय संबंध
म्यांमार सीमा पर स्मार्ट बाड़ लगाना
एशियाई खेल
श्रीलंका और बांग्लादेश RCEP सदस्यता की तलाश में

केन्या के नेतृत्व वाला सुरक्षा मिशन
भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा
2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी
मध्य पूर्व संकट में भारत की भूमिका
मॉन्ट्रो कन्वेंशन
भारत और कनाडा द्वारा वियना कन्वेंशन का आह्वान

सरकारी योजना **78-83**

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS)
भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) योजना
आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन प्रणाली
श्रेष्ठ योजना
ज्ञान सहायक योजना
भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव
एकल बालिका के लिए CBSE मेरिट छात्रवृत्ति योजना
नोबेल शांति पुरस्कार 2023

विविध **84-93**

ड्रोन (संशोधन) नियम, 2023
ट्राई OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं कर सकता
लखपति दीदी
मेरा युवा भारत
2023 में वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता
आपातकालीन खरीद
साल में दो बार बोर्ड परीक्षा
PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023
भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)
चाणक्य रक्षा संवाद

योजना नवम्बर 2023 **94-100**

1. रेल अवसंरचना
2. सड़क अवसंरचना
3. अंतरिक्ष अवसंरचना
4. यूनिटी मॉल

कुरुक्षेत्र नवम्बर 2023 **101-105**

1. समावेशी विकास के लिए एकीकृत सौर ग्राम योजना
2. फसल अवशेष प्रबंधन: चुनौतियाँ और अवसर
3. हरित गांवों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना
4. स्वच्छ और हरित पहल के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

1 कला एवं संस्कृति

बोजन्नाकोंडा

खबरों में क्यों?

सदियों पुराने बोजन्नाकोंडा में न केवल देश भर से बल्कि भूटान, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया और म्यांमार जैसे देशों से भी पर्यटकों के आने की संभावना है, जहां आज भी बौद्ध धर्म का पालन किया जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार ने हाल ही में बोज्जन्नाकोंडा में भूनिर्माण और पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 7.30 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के नियंत्रण में है।
- राज्य सरकार ने अपनी ओर से ध्यान केंद्र और भूदृश्य विकसित करने के लिए बौद्ध विरासत स्थल के निकट ढाई एकड़ की भूमि आवंटित की है।

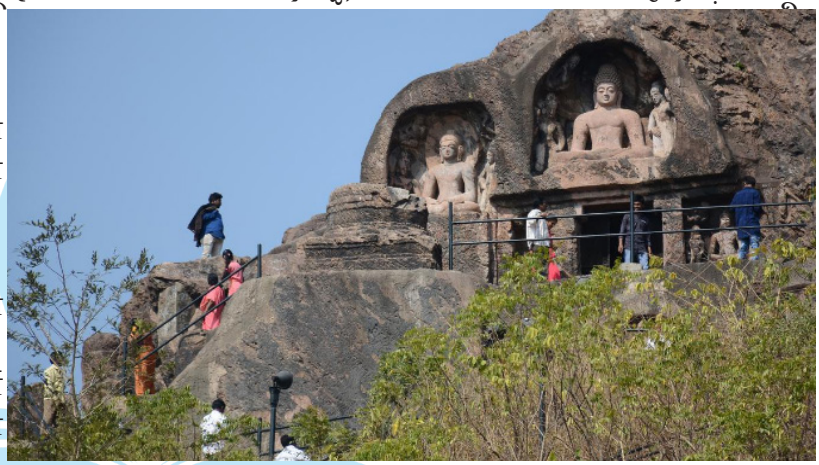

विवरण

- बोज्जन्नाकोंडा, जिसे लिंगलाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित एक प्राचीन बौद्ध स्थल है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- बोजन्नाकोंडा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में अनाकापल्ले शहर के पास स्थित है।
- यह स्थल चौथी और पांचवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, जो भारत में गुप्त साम्राज्य के काल से मेल खाता है।
- इस समय के दौरान, बौद्ध धर्म भारत में एक प्रमुख धर्म था, और कई बौद्ध मठ परिसरों, स्तूपों और विहारों का निर्माण किया गया था।

स्थापत्य विशेषताएँ

- बोजन्नाकोंडा अपनी चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है।
- इस स्थल में दो प्रमुख पहाड़ियाँ, बोजन्नाकोंडा और लिंगलाकोंडा शामिल हैं, जो कई चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और स्तूपों से युक्त हैं।
- ये गुफाएँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार या मठवासी कक्ष के रूप में काम करती थीं।
- इन गुफाओं की वास्तुकला उस युग की शिल्प कौशल का प्रमाण है। गुफाओं के जटिल नक्काशीदार अग्रभाग और प्रवेश द्वार उल्लेखनीय हैं, जो उस समय के कलात्मक और स्थापत्य कौशल को प्रदर्शित करते हैं।

बौद्ध विरासत

- ऐसा माना जाता है कि बोजन्नाकोंडा अपने उत्कर्ष के दौरान बौद्ध शिक्षा और मठवासी गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था।
- यह स्थल भगवान बुद्ध को समर्पित है और बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न मूर्तियों और शिलालेखों से सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि यहां रहने वाले बौद्ध भिक्षु ध्यान का अभ्यास करते थे और बौद्ध शिक्षाओं का प्रसार करते थे।

स्तूप

- बोजन्नाकोंडा का एक मुख्य आकर्षण कई स्तूपों की उपस्थिति है, जो रॉक-कट और संरचनात्मक दोनों हैं।
- ये स्तूप महत्वपूर्ण बौद्ध स्मारक हैं जिनका उपयोग ध्यान और पूजा के लिए किया जाता है। वे अक्सर जटिल नक्काशी और शिलालेखों से सुशोभित होते हैं जो ऐतिहासिक और धार्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

शिलालेख

- यहाँ ब्राह्मी लिपि में कई शिलालेख हैं, जो बोजन्नाकोंडा के इतिहास और कालक्रम के अध्ययन में सहायक रहे हैं।
- इन शिलालेखों में दाताओं के नामों का उल्लेख है और साइट के संरक्षकों और लाभार्थियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की गई है।

गिरावट और पुन: खोज

- भारत के कई बौद्ध स्थलों की तरह, संभवतः सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों और अन्य धर्मों के उद्भव के कारण बोजन्नाकोंडा में भी समय के साथ बौद्ध प्रभाव में गिरावट देखी गई।

- बोजन्नाकोंडा 20वीं सदी के मध्य में अपनी पुन: खोज तक आधुनिक दुनिया से छिपा रहा। पुरातत्व उत्खनन और अनुसंधान प्रयासों ने इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने में मदद की है।

हक्की पिक्की जनजाति

खबरों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक में हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के 114 आदिवासी लोगों को उस जमीन का मालिकाना हक मिल गया जिस पर वे लगभग एक सदी से खेती कर रहे थे। कन्नड़ में हक्की का अर्थ है 'पक्षी' और पिक्की का अर्थ है 'पकड़ने वाला'।

महत्वपूर्ण बिंदु

- **परिचय:**
  - हक्की पिक्की एक अर्द्ध-घुमंतू जनजाति है जो परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ती है और उनका शिकार करती है तथा पश्चिम एवं दक्षिण भारत के वन क्षेत्रों में निवास करती है।
  - यह कर्नाटक की एक अनुसूचित जनजाति है और ऐतिहासिक दृष्टि से राणा प्रताप सिंह के साथ इनका पैतृक संबंध माना जाता है।
- **उत्पत्ति:**
  - हक्की पिक्की जनजाति की उत्पत्ति का स्थान गुजरात और राजस्थान माना जाता है जो आंध्र प्रदेश से होते हुए दक्षिण भारत तक पहुँच गए।
  - इस जनजाति को चार कुलों में बाँटा गया है और कर्नाटक में इनकी आबादी 11,892 है।

- इस जनजाति के गुजराथीओ (Gujrathioa), कालीवाला (Kaliwala), मेवाड़ा (Mewara) और पनवारा (Panwara) चार वंश हैं।
- **समाज:**
  - इस जनजाति के बीच शादी की सामान्य उम्र महिलाओं के लिये 18 वर्ष और पुरुषों के लिये 22 वर्ष है तथा अंतरावंशीय विवाह को प्राथमिकता दी जाती है।
- यह समाज मातृसत्तात्मक है और मोनोगैमी आदर्श है।
  - कर्नाटक में हक्की पिक्की हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं और सभी हिंदू त्योहार मनाते हैं।
  - हक्की पिक्की के बीच शिक्षा का स्तर अभी भी कम है।
- **आजीविका:**
  - हक्की पिक्की अपनी आजीविका के लिये मुख्य रूप से वनों के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
  - सख्त वन्यजीव संरक्षण कानूनों के कारण इस जनजाति को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिस कारण शिकार करने के अपने व्यवसाय को छोड़कर उन्होंने स्थानीय मंदिरों में लगने वाले मेलों में हर्बल तेल, मसाले और प्लास्टिक के फूल बेचना शुरू कर दिया।
- **अफ्रीका में प्रवास:**
  - हाल के वर्षों में हक्की पिक्की जनजाति के सदस्य अपने उत्पादों को बेचने हेतु अफ्रीकी देशों की यात्रा करते रहे हैं क्योंकि इस महाद्वीप में आयुर्वेदिक उत्पादों की भारी मांग है।
  - अफ्रीकी देशों के बाज़ारों में बेहतर अवसर उपलब्ध होने के कारण कच्चे संसाधनों जैसे- हिबिस्कस पाउडर, तेल निष्कर्षण, आँवला, आयुर्वेदिक पौधों आदि में निवेश से उच्च रिटर्न प्राप्त होने की संभावना है।

भाषा:

- द्रविड़ भाषाओं से घिरे होने और दक्षिणी भारत में रहने के बावजूद, समुदाय इंडो-आर्यन भाषा बोलता है।
- उनकी मातृभाषा को विद्वानों द्वारा 'वागरी' नाम दिया गया था।
- यूनेस्को ने 'वागरी' को लुप्तप्राय भाषाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है।

सरस्वती सम्मान

खबरों में क्यों?

तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके संस्मरणों की पुस्तक "सूर्य वंशम" के लिए 2022 में 'सरस्वती सम्मान' से सम्मानित किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची VIII में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या पद्य साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम हिंदू ज्ञान की देवी, सरस्वती के नाम पर रखा गया है।

- इसकी स्थापना 1991 में K.K. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार में ₹15 लाख का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है।
- सरस्वती सम्मान 2022 हाल ही में एक तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके संस्मरणों की पुस्तक सूर्या वामसम के लिए प्रदान किया गया।
- "सूर्य वंशम" संस्मरणों का एक दो-खंड का काम है जो न केवल एक मासूम बच्चे के एक प्रसिद्ध लेखक बनने की यात्रा का पता लगाता है, बल्कि सात दशकों के दौरान सामाजिक परिवर्तनों को भी दर्शाता है, जैसा कि पुरस्कार उद्धरण में कहा गया है।
- इस पुरस्कार के लिए चयन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अर्जन कुमार सीकरी के नेतृत्व वाली चयन परिषद (चयन समिति) द्वारा किया गया था।

- 1942 में जन्मी शिवशंकरी का साहित्यिक करियर पांच दशकों से अधिक का है, इस दौरान उन्होंने 36 उपन्यास, 48 नॉवेलेट, 150 लघु कथाएँ, पाँच यात्रा वृतांत, निबंधों के सात संग्रह और तीन जीवनियाँ लिखी हैं।
- उनके कई कार्यों का विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी, जापानी और यूक्रेनी में भी अनुवाद किया गया है।

शिवशंकरी काम करते हैं

- भारतीय साहित्य में शिवशंकरी के सबसे महान योगदानों में से एक उनका चार-खंड का काम, 'निट इंडिया थ्रू लिटरेचर' है, जिसमें 18 भाषाओं में साहित्यिक दिग्गजों के दृष्टिकोण को दिखाया गया है, जैसा कि उनकी कहानियों और साक्षात्कारों के माध्यम से व्यक्त किया गया है।
- उनके 08 उपन्यासों को प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्देशित फिल्मों में भी रूपांतरित किया गया है, और उन्होंने अपने लेखन के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें उनके उपन्यास 'कुट्टी' के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय 'सर्वश्रेष्ठ मेगा सीरियल' पुरस्कार भी शामिल हैं, जो बालिका श्रम के मुद्दे की पड़ताल करता है।
- अपनी साहित्यिक उपलब्धियों के अलावा, शिवशंकरी को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोवा विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय लेखक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुक कार्यक्रम सहित कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उनके कार्यों को उनकी 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में US लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अभिलेखागार के लिए उनकी अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया गया है।

पुरी मंदिर रत्न भंडार

खबरों में क्यों?

तीन दशकों से नहीं खुले पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार (खजाना कक्ष) को खोलने की मांग की जा रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) (12वीं शताब्दी के मंदिर के संरक्षक) द्वारा कक्ष की मरम्मत/संरक्षण के लिए मांग पत्र दिए जाने के बाद रत्न भंडार को खोलने की मांग को बल मिला।
- ऐसी आशंका है कि इसकी दीवारों में दरारें उभर आई हैं जिससे वहां रखे कीमती आभूषण खतरे में पड़ सकते हैं।

पुरी मंदिर रत्न भंडार क्या है?

- सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दिए गए सहोदर देवताओं - भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के बहुमूल्य आभूषण, 12वीं शताब्दी के मंदिर के रत्न भंडार में संग्रहीत हैं।

यह मंदिर के भीतर स्थित है और इसमें दो कक्ष हैं:

- बहारा भंडार (बाहरी कक्ष): इसे 'सुना बेशा' (सुनहरी पोशाक), 'वार्षिक रथ यात्रा' के दौरान एक प्रमुख अनुष्ठान, और पूरे वर्ष प्रमुख त्योहारों के दौरान देवताओं के लिए आभूषण लाने के लिए नियमित रूप से खोला जाता है।
- भीतर भंडार (आंतरिक कक्ष): यह पिछले 38 वर्षों से नहीं खुला है।
- इसमें 12,831 भरी (एक भरी 11.66 ग्राम के बराबर) सोने के आभूषण थे जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए थे और 22,153 भारी चांदी के बर्तन थे।

रत्न भंडार आखिरी बार कब खोला गया था?

- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अंतिम सूची 13 मई से 23 जुलाई 1978 के बीच बनाई गई थी।

- हालाँकि इसे 14 जुलाई 1985 को फिर से खोला गया, लेकिन इन्वेंट्री अपडेट नहीं की गई थी।
- खजाना खोलने के लिए ओडिशा सरकार की अनुमति आवश्यक है।

जगन्नाथ पुरी मंदिर

- अधिकांश मुख्य मंदिर स्थल प्राचीन कलिंग - आधुनिक पुरी जिले में स्थित हैं, जिनमें भुवनेश्वर या प्राचीन त्रिभुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क शामिल हैं।
- इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोडगंगा राजवंश के अनंतवर्मन ने करवाया था। हालाँकि, माना जाता है कि मंदिर के भीतर के देवता बहुत पुराने हैं।
- इसके बाद, 1230 में, राजा अनंगभीम III ने अपना राज्य देवता को समर्पित कर दिया और खुद को भगवान का 'सहायक' घोषित कर दिया।

1. मुगल, मराठा और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे उड़ीसा पर विजय प्राप्त करने वाले सभी लोगों ने मंदिर पर नियंत्रण हासिल करने का प्रयास किया। उन्हें लगा कि इससे उनका शासन स्थानीय लोगों को स्वीकार्य हो जायेगा।

वास्तुशिल्प विशेषताएं

- इन्हें तीन क्रमों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, रेखा देउला, पिधा देउला और खाखरा देउला।
- ओडिशा के मंदिर नागर आदेश के भीतर एक विशिष्ट उपशैली का गठन करते हैं।
- देउल (शिखर): यह लगभग शीर्ष तक लंबवत है जब यह अचानक तेजी से अंदर की ओर मुड़ता है।
- जगमोहन (मंडप): वह हॉल जो लगभग चौकोर है
- सबसे अधिक दोहराया जाने वाला रूप घोड़े की नाल का आकार है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसकी शुरुआत चैत्य-गृहों की बड़ी खिड़कियों से होती है।
- डिब्बे और आले आम तौर पर चौकोर होते हैं, मंदिरों के बाहरी हिस्से पर भव्य नक्काशी की जाती है, उनके अंदरूनी हिस्से आम तौर पर काफी नंगे होते हैं। ओडिशा के मंदिरों में आमतौर पर चारदीवारी होती है।

एडक्कल गुफाएँ

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केरल पर्यटन ने वायनाड में एडक्कल गुफाओं के आसपास नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए 2.9 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ये गुफाएँ राजसी अंबुकुथी पहाड़ियों में समुद्र तल से 3,900 फीट ऊपर स्थित हैं।
- एडक्कल नाम का अर्थ ही "बीच में एक पत्थर" है।
- अद्वितीय, जटिल पत्थर की नक्काशी नवपाषाण और मध्यपाषाण युग की है।
- गुफाएँ दो प्राकृतिक संरचनाएँ हैं जिनके बारे में माना जाता है कि इनका निर्माण एक विशाल चट्टान के बड़े विभाजन से हुआ है।
- इनमें नवपाषाण युग के सचित्र लेखन को कम से कम 6,000 ईसा पूर्व का माना जाता है।

विशेषताएँ:

- गुफाओं में प्रतीकों और अक्षरों के अलावा मानव और जानवरों की आकृतियाँ भी हैं।
- गुफाओं के अंदर सचित्र चित्र और नक्काशी हैं जो इस क्षेत्र में प्राचीन मानव बस्तियों की उपस्थिति का संकेत देते हैं।
- अपने नाम के बावजूद, एडक्कल गुफाएं वास्तव में गुफाएं नहीं हैं। वे एक प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रय का हिस्सा हैं जो प्राकृतिक रूप से तब बना था जब एक विशाल शिलाखंड दो बड़े शिलाखंडों के बीच फंस गया था।
- मानव आकृतियाँ, जानवर, उपकरण, वाहन, दिन-प्रतिदिन की घटनाएँ और विभिन्न भाषाओं में लिपियाँ यहाँ पाई गई हैं।
- उत्कीर्णन की विविधता से पता चलता है कि एडक्कल गुफाएं इतिहास में विभिन्न बिंदुओं पर कई बार बसाई गई थीं।
- इन पहाड़ियों में खोजे गए मुनियारा या प्राचीन दफन स्थलों से प्राचीन मिट्टी के बर्तनों और मिट्टी के बर्तनों का एक समृद्ध संग्रह प्राप्त हुआ है।

सोमेश्वर शिलालेख

खबरों में क्यों?

हाल ही में, पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के मंगलुरु के पास सोमेश्वर में एक हालिया पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान अलुपा राजवंश से जुड़ा एक दुर्लभ शिलालेख खोजा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- शिलालेख अलुपस राजवंश का पहला रिकॉर्ड था जिसमें राजा कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु की घोषणा की गई थी, जिसमें सिरी पंथ से संबंधित शब्दों का भी उल्लेख है, जैसे सिरी, दल्या और चतरा।

- शिलालेख में दिखाई गई मानव आकृतियाँ स्वयं कुलशेखर अलुपेंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- कुलशेखर अलुपेंद्र के सम्मान में भवन के निर्माण के लिए एक केशव जिम्मेदार है।
- इसके शीर्ष पर दो पैनल हैं और दोनों पैनलों के बीच में पहली पंक्ति उत्कीर्ण है।
- पैनल के नीचे लिखा बाकी शिलालेख कन्नड़ लिपि में है और 12वीं शताब्दी के पात्रों की भाषा अलुपेंद्र प्रथम की मृत्यु की घोषणा करती है।
- शिलालेख में पाया गया कीर्ति स्तंभ या स्तंभ कर्नाटक के कुलशेखरा में एक चर्च के परिसर में पाए गए मूल स्तंभ की प्रतिकृति है।
- तुलुवा इतिहास और संस्कृति के अध्ययन में यह महत्वपूर्ण था।

शिलालेख में कुलशेखर अलुपेंद्र का चित्रण:

- पहली आकृति में, वह त्रिभंगा (त्रि-मुड़ी हुई मुद्रा) में खड़ा है और उसके दाहिने हाथ में तलवार है जबकि बायां हाथ गुरानी (ढाल) पर टिका हुआ है।
- एक स्तंभ से विभाजित इस पैनल के बाई ओर, राजा को एक टीले पर बैठे हुए मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें उनकी दोनों हथेलियाँ उनके पैरों के केंद्र पर ध्यान मुद्रा में हैं।

कुलशेखर अलुपेंद्र कौन थे?

- कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम दक्षिण केनरा के अलुपास का एक प्रसिद्ध शासक था।
- उन्होंने कर्नाटक के मंगलुरु में कुलशेखर नामक एक नया शहर स्थापित किया।
- उन्होंने मंदिर प्रशासन के लिए सख्त नियम और कानून बनाए, जिनका पालन आज भी इस क्षेत्र के सभी मंदिरों में किया जाता है।
- वह तुलु भाषा और संस्कृति को शाही संरक्षण देने वाला पहला शासक था।
- उन्होंने मंगलुरु और बरकुरु दोनों राजधानियों से शासन किया।
- पाए गए अभिलेखों के अनुसार, उन्होंने 1156-1215 ई तक तुलुनाडु पर शासन किया।

सोम पंथ की उत्पत्ति:

- सोमा पंथ की स्थापना 11वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के सोमा शर्मा ने की थी और यह पूरे देश में फैल गया।
- सोमेश्वर में सोमेश्वर मंदिर कुलशेखर अलुपेंद्र के समय में सोम के सम्मान में बनाया गया था और नव दुर्गाओं से सुसज्जित था।
- मंदिर में बैठी हुई मुद्रा में स्वतंत्र नवदुर्गा की मूर्तियां मिलती हैं।
- अलुपेंद्र प्रथम ने 1156-1215 ई. तक तुलुनाडु पर शासन किया, जैसा कि उसके अन्य अभिलेखों से ज्ञात होता है।
- यद्यपि वर्तमान शिलालेख अदिनांकित है, फिर भी पुरालेख के आधार पर यह 12वीं शताब्दी का बताया जा सकता है।

भीमाशंकर मंदिर

समाचार में क्यों

भीमाशंकर मंदिर में, हाल ही में उस समय तनाव बढ़ गया जब दो धार्मिक नेताओं, जिन्हें पुजारी कहा जाता है, के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि पूजा का नेतृत्व कौन करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह भगवान को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है
- स्थान: यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्रि पहाड़ियों में स्थित है।
- इसे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक माना जाता है।
- हाल के दिनों में, भीमाशंकर को "वन्यजीव अभयारण्य" घोषित किए जाने के बाद से इसका काफी महत्व बढ़ गया है। यह अभयारण्य पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है।
- भीमाशंकर भीमा नदी का उद्गम स्थल है।

इतिहास:

- इसका निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। यह विश्वकर्मा मूर्तिकारों के कौशल का प्रमाण है।
- शिखर जैसी संरचनाएं 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के राजनेता नाना फड़नवीस द्वारा जोड़ी गईं।
- ऐसा माना जाता है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने दान के माध्यम से यहां पूजा की सुविधा प्रदान की थी।

वास्तुकला:

- यह वास्तुकला की नागर शैली में पुरानी और नई संरचनाओं का मिश्रण है।
- मंदिर में विशाल दरबार स्थान, दीवारों पर जटिल नक्काशी और विशाल खंभे हैं।
- मंदिर के गर्भगृह का निर्माण निचले स्तर पर किया गया है जिसके अंदर पवित्र ज्योतिर्लिंग मौजूद है।
- स्वयंभू, या स्वयंभू शिव लिंग, गर्भगृह के फर्श के ठीक बीच में है।
- मंदिर के विशाल स्तंभ और चौखट दिव्य आकृतियों और पवित्र प्रतीकों की उत्कृष्ट पौराणिक नक्काशी से भरे हुए हैं।
- मंदिर में भगवान शनि का एक प्राचीन मंदिर भी है जिसे भक्तों द्वारा बहुत शुभ माना जाता है।
- शिव के वाहन नंदी, पूजनीय बैल की मूर्ति मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही मौजूद है।

ज्योतिर्लिंग क्या हैं?

- ज्योतिर्लिंग एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा ज्योतिर्लिंगम के रूप में की जाती है।
- वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं।
- भारत में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर इष्टदेव का नाम लेते हैं। प्रत्येक को भगवान शिव का एक अलग स्वरूप माना जाता है।

भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं:

- सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गिर, गुजरात में
- मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में
- महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश में
- ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा, मध्य प्रदेश में
- बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर, झारखंड में
- भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में
- रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, रामेश्वमरम, तमिलनाडु में
- नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका, गुजरात में
- काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में
- त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, महाराष्ट्र में
- केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में
- घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सूची में धोर्डो

खबरों में क्यों?

गुजरात के धोर्डो ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में जगह बनाई।

महत्वपूर्ण बिंदु

- UNWTO एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो जिम्मेदार पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करती है।
- इन गांवों को इस आधार पर चुना गया है कि पर्यटक जो देखने आ रहे हैं उसे बर्बाद किए बिना वे आगंतुकों की संख्या कैसे बढ़ा रहे हैं।
- यह सम्मान उन ग्रामीण स्थलों को मान्यता देता है जो समुदाय-आधारित मूल्यों और उत्पादों को संरक्षित और बढ़ावा देते हुए, विकास और नौकरियों और आय के नए अवसरों के चालक के रूप में पर्यटन को अपना रहे हैं।
- यह पहल गांवों को उनके सभी पहलुओं - आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय - में नवाचार और स्थिरता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए भी मान्यता देती है।
- यह सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप पर्यटन के विकास पर ध्यान केंद्रित करने को भी मान्यता देता है।
- सूची में दुनिया भर के कुल 32 गांवों को शामिल किया गया है।
- इसमें कोई रैंकिंग नहीं है - इसके बजाय, गंतव्यों को देश के अनुसार वर्णानुक्रम में सूचीबद्ध किया गया है।
- प्रत्येक देश को विचार के लिए अधिकतम तीन गाँव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी - और केवल स्पेन अपने सभी तीन गाँवों को योग्य बनाने में सफल रहा।
- इसे "सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव" पहल कहा जाता है, जबकि स्थायी पर्यटन को लागू करना, और उत्सर्जन और बर्बादी को कम करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है:
- ग्रामीण जनसंख्या ह्रास का मुकाबला करें,

- लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना,
- नवप्रवर्तन,
- बुनियादी ढांचा और निवेश,
- क्षेत्रीय आय और विकास असमानता को कम करना।

धार्मिक ग्रंथों का कॉपीराइट

खबरों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट के कॉपीराइट कार्यों के इंटरनेट पर पुनरुत्पादन में बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया है, जो भारतीय धार्मिक दर्शन और अध्यात्मवाद, विशेष रूप से क्लासिक वैष्णव ग्रंथों पर किताबें और टिप्पणियां प्रकाशित करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- एक आदेश में, अदालत ने ट्रस्ट को श्रीमद्भगवद गीता पर कॉपीराइट किए गए कार्यों को पुन: प्रस्तुत करने वालों के खिलाफ टेकडाउन आदेशों के साथ तकनीकी कंपनियों Google और मेटा से संपर्क करने की अनुमति दी।

ट्रस्ट के बारे में:

- भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना 1970 में भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद (श्रील प्रभुपाद) द्वारा की गई थी।
- उन्होंने गौड़ीय वैष्णव धार्मिक संगठन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) की भी स्थापना की, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से जाना जाता है।

क्या धार्मिक ग्रंथ कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हैं?

- धार्मिक ग्रंथ सार्वजनिक डोमेन में हैं, और कॉपीराइट कानून में, सार्वजनिक डोमेन में रचनात्मक कार्यों पर कोई विशेष बौद्धिक संपदा अधिकार लागू नहीं होता है।
- ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, या बाइबिल का किंग जेम्स संस्करण (KJV), बाइबिल के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अनुवादों में से एक, कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं हैं।
- हालाँकि, बाइबल के कई आधुनिक अनुवाद कॉपीराइट-सुरक्षित हैं क्योंकि वे अनुवादकों के नए रचनात्मक कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उदाहरण के लिए, न्यू इंटरनेशनल वर्जन (NIV), जो पहली बार 1978 में प्रकाशित हुआ था, कॉपीराइट-सुरक्षित है।
- कुछ उद्देश्यों के लिए NIV पाठ का उपयोग करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी या कॉपीराइट धारक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।
- जबकि रामायण और महाभारत कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं हैं, रामानंद सागर द्वारा बनाई गई टेलीविजन श्रृंखला रामायण या B.R. चोपड़ा की महाभारत परिवर्तनकारी कार्य हैं जिन्हें संरक्षित किया जाएगा।

भारत में कॉपीराइट कानून:

- भारतीय कॉपीराइट कानून मूल कार्य, एक रचनात्मक और स्वतंत्र रूप से मूर्त माध्यम में तय की गई अभिव्यक्ति की रक्षा करता है।
- कानून काम के निर्माता/लेखक को अपने काम का उपयोग, पुनरुत्पादन, वितरण, प्रदर्शन और प्रदर्शन करने का विशेष अधिकार देता है।
- कानून परिवर्तनकारी कार्य की भी रक्षा करता है जो एक रचनात्मक/कलात्मक कार्य है जो मौजूदा सामग्री (पाठ, संगीत, कला) लेता है और कुछ नया और विशिष्ट बनाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण रूप से संशोधन, पुनर्व्याख्या या निर्माण करता है।

याचिकाकर्ता भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट का मामला

- ट्रस्ट ने कहा कि इसके संस्थापक की विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में प्रकाशित रचनाओं ने धार्मिक पुस्तकों और धर्मग्रंथों को सरल बना दिया है, जिससे आम आदमी के लिए इसे समझना आसान हो गया है।
- 1977 में उनकी मृत्यु के बाद उनके काम का कॉपीराइट ट्रस्ट के पास रहेगा।
- ट्रस्ट ने दावा किया कि कुछ वेबसाइट, मोबाइल ऐप और इंस्टाग्राम हैंडल बड़ी संख्या में ट्रस्ट के कॉपीराइट कार्यों को उसकी अनुमति के बिना अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग शब्दश: उपलब्ध करा रहे थे, जो उल्लंघन के समान था।

उच्च न्यायालय ने क्या कहा?

- अपने अंतरिम आदेश में, अदालत ने कहा कि स्पष्टीकरण, अर्थ, व्याख्या या किसी भी ऑडियो विजुअल कार्यों को बनाने सहित धर्मग्रंथों का अनुकूलन, कॉपीराइट संरक्षण का हकदार होगा।
- अदालत ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्वयं लेखकों की मूल रचनाएँ हैं।
- इस प्रकार, श्रीमद्भगवदगीता या इसी तरह अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों के पाठ के वास्तविक पुनरुत्पादन में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है।
- हालाँकि, जिस तरह से अलग-अलग गुरुओं और आध्यात्मिक शिक्षकों द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है, प्रकृति में भिन्नता होने के कारण, साहित्यिक कार्यों के मूल भागों के संबंध में कॉपीराइट निहित होगा जो धर्मग्रंथ का उपदेश, शिक्षा या व्याख्या करते हैं।
- चूँकि श्रील प्रभुपाद ने स्वयं ट्रस्ट द्वारा प्रशासित होने के लिए कॉपीराइट सौंप दिए थे, कार्यों को प्राधिकरण, लाइसेंस या ट्रस्ट की अनुमति के बिना पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
- उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रभुपाद की पुस्तकों के श्लोक, साथ ही उनके अनुवाद और तात्पर्य को प्रतिवादी संस्थाओं द्वारा पुन: प्रस्तुत किया गया था।
- अदालत इस बात पर सहमत हुई कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इस तरह की चोरी से ट्रस्ट को राजस्व का भारी नुकसान होगा।

2 राजनीति और शासन

UAPA एक्ट

खबरों में क्यों?

दिल्ली पुलिस ने चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के कार्यालय को UAPA अधिनियम लागू करके सील कर दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- UAPA एक वैकल्पिक आपराधिक कानून ढांचा प्रस्तुत करता है जहां आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत उलट जाते हैं। राज्य को आरोपपत्र दाखिल करने की समयसीमा और जमानत के लिए कड़ी शर्तों में छूट देकर, UAPA राज्य को भारतीय दंड संहिता (IPC) की तुलना में अधिक शक्तियां देता है।

- अधिनियमित: 1967
- अधिदेश: इसका उद्देश्य "आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम" है।
- ग़ैरक़ानूनी गतिविधि: ग़ैरक़ानूनी गतिविधि का अर्थ है कोई भी आचरण जो अपराध बनता है या जो किसी भी कानून का उल्लंघन करता है, चाहे ऐसा आचरण इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले हुआ हो या बाद में और चाहे ऐसा आचरण गणतंत्र में या कहीं और हुआ हो।
- आतंकवादी कृत्य: अधिनियम की धारा 15 "आतंकवादी कृत्य" को परिभाषित करती है और इसमें कम से कम पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

केंद्र सरकार को शक्ति:

- अधिनियम केंद्र सरकार को पूर्ण शक्ति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से यदि केंद्र किसी गतिविधि को गैरकानूनी मानता है तो वह आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से इसे घोषित कर सकता है।
- प्रयोज्यता: इस अधिनियम के प्रावधान इन पर भी लागू होते हैं-
  a. भारत के बाहर भारत के नागरिक;
  b. सरकार की सेवा में व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों;
  c. भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर सवार व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों।

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) संशोधन अधिनियम 2019

- यह अधिनियम सरकार को व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।
- अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार किसी संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकती है यदि वह:

(i) आतंकवादी कृत्य करता है या उसमें भाग लेता है,
(ii) आतंकवाद के लिए तैयारी करता है,
(iii) आतंकवाद को बढ़ावा देता है, या
(iv) अन्यथा आतंकवाद में शामिल है।

- NIA द्वारा संपत्ति जब्त करने की मंजूरी: अधिनियम के तहत, एक जांच अधिकारी को आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।
- अधिनियम आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित करता है, जिसमें अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी संधि के दायरे में किए गए कृत्यों को शामिल किया गया है।

1. अनुसूची में 09 संधियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें आतंकवादी बम विस्फोटों के दमन के लिए कन्वेंशन (1997), बंधकों को लेने के खिलाफ कन्वेंशन (1979) और परमाणु आतंकवाद के कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (2005) शामिल हैं।

- UAPA से जुड़े मुद्दे
- कम सजा: एक सूत्र के अनुसार, 2018-20 में, UAPA के तहत 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन केवल 3% को दोषी ठहराया गया था।

- उपयोग में तीव्र वृद्धि: यह सावधानी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में कथित अपराधों की व्यापक श्रृंखला में इस प्रावधान का उपयोग तेज हो गया है - छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ, जम्मू और कश्मीर में प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों के खिलाफ; और दूसरों के बीच में मणिपुर के पत्रकार भी शामिल हैं।
- जमानत के कड़े प्रावधान: UAPA के तहत जमानत का मानक यह है कि इसे तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि अदालत यह न मान ले कि आरोपी कथित अपराध के लिए निर्दोष है।
- इसका मतलब है कि जमानत प्राप्त करने के उद्देश्य से बेगुनाही साबित करने का दायित्व प्रभावी रूप से उलट गया है। यह आरोपी को यह दिखाने के लिए है कि वह निर्दोष है।
- अत्यधिक विवेकाधीन: यह सरकार को व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है और गुप्त गवाहों का उपयोग करने और बंद दरवाजे की सुनवाई करने की क्षमता के साथ विशेष अदालतों के निर्माण को भी अधिकृत करता है।
- मौलिक अधिकारों की अनदेखी: इसका उपयोग केवल मौलिक अधिकारों और प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों को बिना आरोप पत्र दायर किए 180 दिनों तक जेल में रखा जा सकता है।
- इस प्रकार यह सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले:

- 2019 में, SC ने प्रथम दृष्टया संकीर्ण अर्थ में परिभाषित किया कि अदालतों को साक्ष्य या परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य द्वारा प्रस्तुत "मामले की समग्रता" को देखना चाहिए।
- NIA बनाम जहूर अहमद वटाली में, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रावधानों को सख्ती से पढ़ा, यह मानते हुए कि अदालतों को केवल इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जमानत से इनकार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है, और साक्ष्य की योग्यता या स्वीकार्यता पर विचार नहीं करना चाहिए।

बिहार जाति सर्वेक्षण

खबरों में क्यों?

बिहार सरकार द्वारा किए गए नवीनतम जाति सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की सामाजिक संरचना विविध है और इसकी 63% से अधिक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) से संबंधित है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- सर्वेक्षण में व्यक्ति की जाति के अलावा उसकी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा गया, जिससे सभी वर्गों की उन्नति के लिए नई नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी।

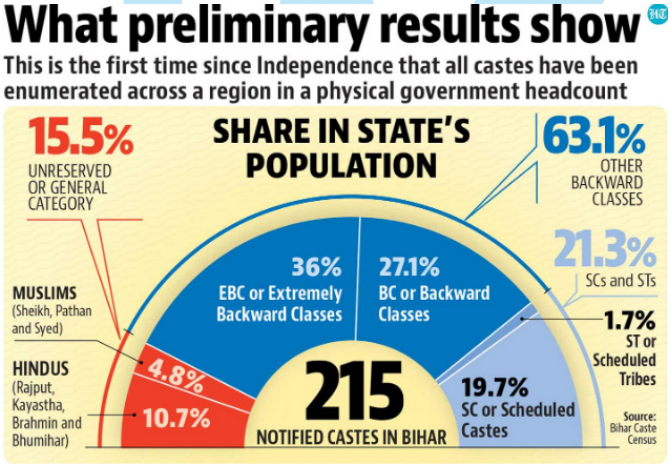

जाति जनगणना: एक विवादास्पद मुद्दा

- 1951 से 2011 तक प्रत्येक स्वतंत्र भारत की जनगणना के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर डेटा प्रकाशित किया गया था, लेकिन अन्य जातियों पर कोई जानकारी नहीं थी। इससे पहले, 1931 तक हर जनगणना में जाति की जानकारी शामिल की जाती थी।

हालाँकि, जाति-आधारित डेटा एकत्र किया गया था, लेकिन 1941 में जारी नहीं किया गया था। उस समय के जनगणना आयुक्त, MWM येट्स के अनुसार, अखिल भारतीय जाति तालिका नहीं होती।

- विवाद यह था कि इस बड़ी, महंगी टेबल को मुख्य परियोजना का हिस्सा बनने का समय बीत चुका है।
- परिणामस्वरूप, अब OBC की जनसंख्या, ओबीसी के भीतर विभिन्न समूहों और अन्य वंचित समूहों का कोई सटीक अनुमान नहीं है।

बिहार में जाति सर्वेक्षण क्या है?

- बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण के नतीजे सार्वजनिक किये गये।
- राष्ट्रीय जनगणना, जिसे 2021 में करने का इरादा था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है, इसमें केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य शामिल होने वाले थे, लेकिन नीतीश सरकार ने अपने दम पर सर्वेक्षण करने का फैसला किया वर्ष।
- बिहार विधानसभा ने जाति सर्वेक्षण के विचार को दो बार सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी, पहली बार 2019 में और एक बार 2020 में। जनता दल यूनाइटेड (JDU) पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ काम कर रहे थे। वह समय, जो अब विपक्ष में बैठता है।

- राज्य प्रशासन ने इस वर्ष सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की।
- अंतरिम में, नीतीश ने भाजपा से संबंध तोड़ दिए और राज्य पर शासन करने के लिए पूर्व दुश्मन राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और अन्य लोगों के साथ गठबंधन सरकार की स्थापना की, जिसे "महागठबंधन" के रूप में जाना जाता है।
- ब्रैंड अलायंस 28-पार्टी राष्ट्रीय विपक्षी गठबंधन, भारत का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2024 के आम चुनावों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करना है।
- जनवरी में जाति जनगणना की शुरुआत ख़राब रही और इसका विरोध करने वाली याचिकाओं के कारण पटना उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी। हालाँकि, एक बार जब अदालतों ने अगस्त में इस अभ्यास को मंजूरी दे दी और याचिकाएँ खारिज कर दीं, तो यह अभ्यास जारी रखा गया।
- इस अभ्यास को पिछले साल नीतीश सरकार द्वारा 1 अरब रुपये से वित्त पोषित किया गया था, और समय सीमा फरवरी 2023 निर्धारित की गई थी। हालांकि, अभ्यास फरवरी के बजाय जनवरी में शुरू हुआ, और परिणाम उम्मीद से नौ महीने बाद जारी किए गए।
- हालाँकि इसे आधिकारिक तौर पर "जाति सर्वेक्षण" के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में, यह एक जनगणना है क्योंकि इस अभ्यास में राज्य की जनसंख्या का मिलान किया जाता है और इसे गणना किए गए लोगों की जाति की पहचान के अनुसार दर्ज किया जाता है।

बिहार जाति सर्वेक्षण के नतीजे

- बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार, 'पिछड़े समुदाय' राज्य की आबादी का लगभग 63 प्रतिशत हिस्सा हैं।
- बिहार की अनुमानित जनसंख्या 130 मिलियन में से सबसे बड़ा समूह अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) है, जो लगभग 36 प्रतिशत है।
- लगभग 27.13 प्रतिशत के साथ, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) दूसरे स्थान पर आता है।
- जाति अध्ययन के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC), जिन्हें दलित भी कहा जाता है, राज्य की आबादी का 19.65 प्रतिशत हैं, और अनुसूचित जनजाति (ST) बिहार की आबादी का लगभग 1.68 प्रतिशत हैं।
- राज्य में लगभग 15.52 प्रतिशत लोग "अनारक्षित श्रेणी" के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें अक्सर "सामान्य" श्रेणी के रूप में जाना जाता है। इस समूह को सामान्यतः "उच्च जाति" कहा जाता है।
- बिहार जाति आधारित गणना (बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण) शीर्षक वाली सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह भी पता चला कि राज्य की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है।

जाति सर्वेक्षण का सामाजिक-राजनीतिक महत्व

- सार्वजनिक संस्थानों और राजनीति में ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग जाति सर्वेक्षण के आह्वान से जुड़ी है।
- वर्तमान में, सरकारी रोजगार और उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 7 प्रतिशत आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 22 प्रतिशत आरक्षण है।
- राजनीतिक दल चुनावों के दौरान राज्यों और लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए अपना अनुमान लगाते हैं। मंडल आयोग ने ओबीसी की आबादी 52 प्रतिशत रखी; अन्य अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित हैं।

सेंसरशिप

खबरों में क्यों?

वाशिंगटन डीसी स्थित गैर-लाभकारी संगठन फ्रीडम हाउस द्वारा 'फ्रीडम ऑन द नेट 2023: द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह ऑनलाइन मानवाधिकारों के वार्षिक अध्ययन का 13वां संस्करण है, जो जून 2022 और मई 2023 के बीच के विकास को कवर करता है।
- यह 70 देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का मूल्यांकन करता है, जो दुनिया के 88% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए जिम्मेदार है।
- रिपोर्ट पांच सेंसरशिप तरीकों पर देशों का मूल्यांकन करती है - इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रतिबंध, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ब्लॉक, वेबसाइटों पर ब्लॉक, वीपीएन पर ब्लॉक, और सामग्री को जबरन हटाना।

सेंसरशिप क्या है?

- सेंसरशिप भाषण, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन है।
- ऐसा इस आधार पर किया जा सकता है कि ऐसी सामग्री को आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील या "असुविधाजनक" माना जाता है।
- सेंसरशिप सरकारों, निजी संस्थानों और अन्य नियंत्रण निकायों द्वारा संचालित की जा सकती है।

प्रमुख तथ्य

- 29 देशों में ऑनलाइन मानवाधिकारों के लिए माहौल खराब हो गया है, केवल 20 देशों ने शुद्ध लाभ दर्ज किया है।

- इंटरनेट स्वतंत्रता में गिरावट: वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 13वें वर्ष गिरावट आई है।
- डिजिटल दमन में सबसे तेज वृद्धि ईरान में देखी गई, जहां अधिकारियों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया और निगरानी बढ़ा दी।
- चीन, लगातार नौवें वर्ष, इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए दुनिया के सबसे खराब वातावरण के रूप में स्थान पर है, जबकि म्यांमार ऑनलाइन स्वतंत्रता के लिए दुनिया का दूसरा सबसे दमनकारी वातावरण है।
- AI का उपयोग: इसने सेंसरशिप और दुष्प्रचार के प्रसार के लिए सरकारों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग पर एक लाल झंडा उठाया है।
- कानूनी नतीजे: इस साल रिकॉर्ड 55 देशों में लोगों को खुद को ऑनलाइन अभिव्यक्त करने के लिए कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ा और ऐसे देशों की संख्या जहां अधिकारी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करते हैं और ऑनलाइन गतिविधि के लिए कई साल की जेल की सजा देते हैं, पिछले दशक में तेजी से बढ़ी है, जो 2014 में 18, 2023 में 31 थी।
- चुनावों द्वारा निभाई गई भूमिका: चुनाव अवधि से पहले, कई नेताओं ने भाषण की व्यापक श्रेणियों को अपराध घोषित कर दिया, स्वतंत्र समाचार साइटों तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया, और मतदान को अपने पक्ष में करने के लिए सूचना के प्रवाह पर अन्य नियंत्रण लगा दिए।

भारतीय परिदृश्य

- 1 से 100 की सीमा पर जहां '100' उच्चतम डिजिटल स्वतंत्रता और '1' सबसे खराब दमन का प्रतिनिधित्व करता है, भारत ने 50 अंक प्राप्त किए, जबकि आइसलैंड, 94 के साथ, इंटरनेट स्वतंत्रता के सर्वोत्तम माहौल वाले देश के रूप में उभरा।
- भारत उन देशों की सूची में भी शामिल है, जिन्होंने जानबूझकर राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक सामग्री होस्ट करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक किया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के लिए बडे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को व्यापक रूप से परिभाषित प्रकार की सामग्री जैसे भाषण के लिए एआई-आधारित मॉडरेशन टूल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जो सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या देश की संप्रभुता को कमजोर कर सकती है। अखंडता और सुरक्षा, या वह सामग्री जिसे अधिकारियों ने पहले हटाने का आदेश दिया था।

गर्भपात अधिकार

खबरों में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक हालिया मामले में, दो-न्यायाधीशों की पीठ को 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने से संबंधित एक जटिल मुद्दे का सामना करना पड़ा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस मामले में एक 27 वर्षीय महिला शामिल है जिसके पहले से ही दो बच्चे हैं और वह प्रसवोत्तर अवसाद से पीड़ित है।
- छह सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने कई कारण बताते हुए 6 अक्टूबर को गर्भावस्था को समाप्त न करने की सलाह दी।

समाप्ति के विरुद्ध कारण

- प्रसवोत्तर मनोविकृति का खतरा: उन्नत चरण में समाप्ति से प्रसवोत्तर मनोविकृति हो सकती है, जो मतिभ्रम और भ्रम की विशेषता वाली एक गंभीर मानसिक स्थिति है।
- पहले सिजेरियन सेक्शन: महिला को अपनी पिछली दो गर्भावस्थाओं के दौरान सिजेरियन सेक्शन से गुजरना पड़ा था, जिससे जटिलताओं का खतरा बढ़ गया था।
- भ्रूण की व्यवहार्यता: सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा पहले से ही व्यवहार्य है और उसके जीवित रहने की उचित संभावना है।

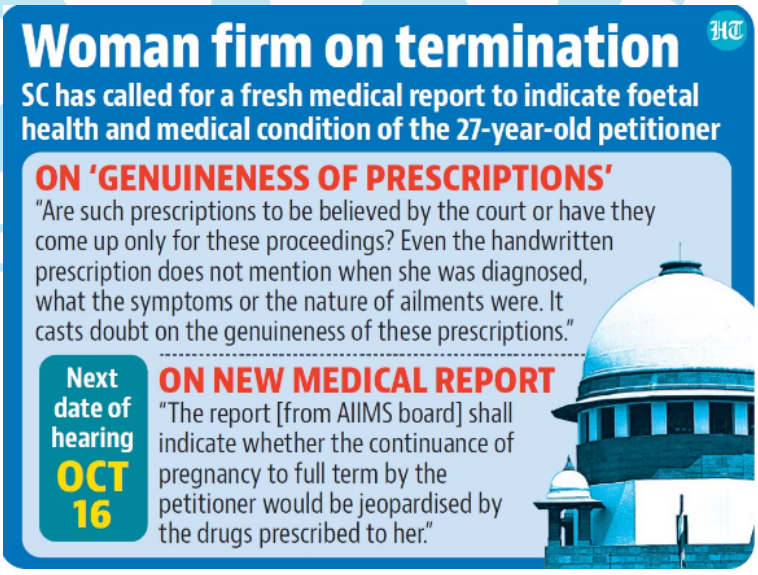

चिकित्सा संबंधी प्रश्न उठाए गए

- डॉक्टर ने अदालत से मांगे गए स्पष्टीकरण में चार प्रमुख चिकित्सा मुद्दे उठाए हैं:
  - भ्रूण की व्यवहार्यता: डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चा वर्तमान में व्यवहार्य है, जिसमें जीवन के लक्षण और जीवित रहने की प्रबल संभावना दिख रही है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या भ्रूणहत्या, भ्रूण के हृदय को रोकना, समाप्ति से पहले किया जा सकता है।
  - संभावित परिणाम: डॉक्टर इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि यदि भ्रूणहत्या नहीं की जाती है, तो समय से पहले और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे को गहन देखभाल इकाई में लंबे समय तक रहने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें तत्काल और दीर्घकालिक शारीरिक और मानसिक विकलांगता का उच्च जोखिम होता है, जिससे बच्चे की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
  - माता-पिता का निर्णय: बच्चे के जन्म की स्थिति में, बच्चे को रखने के माता-पिता के निर्णय के संबंध में एक निर्देश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं।
  - गोद लेने की प्रक्रिया: यदि माता-पिता बच्चे को गोद लेने का निर्णय लेते हैं, तो प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

भारत में वर्तमान गर्भपात कानून

- भारत में गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन कानून उन मामलों में 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है जहां महिला के जीवन को खतरा हो, उसकी शारीरिक या मानसिक भलाई प्रभावित हो, भ्रूण में असामान्यताएं हों, या गर्भनिरोधक की विफलता के कारण गर्भावस्था हुई हो।
- मेडिकल बोर्ड की सलाह के आधार पर 20 सप्ताह से अधिक के गर्भपात की भी अनुमति दी जा सकती है।
- भारत में एक केंद्रीय कानून है जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम कहा जाता है, जो लाइसेंस प्राप्त चिकित्सा पेशेवरों को कानून के तहत विशिष्ट पूर्व निर्धारित स्थितियों में गर्भपात करने की अनुमति देता है।
- 1971 में MTP अधिनियम के लागू होने से पहले, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति भारतीय दंड संहिता (IPC) द्वारा शासित होती थी।
- इनमें से अधिकांश प्रावधानों का उद्देश्य गर्भपात को अपराध बनाना है, सिवाय इसके कि जहां प्रक्रिया महिला के जीवन को बचाने के लिए अच्छे विश्वास के साथ की गई हो।
- प्रावधान वांछित और अवांछित गर्भधारण के बीच अंतर करने में विफल रहे, जिससे महिलाओं के लिए सुरक्षित गर्भपात तक पहुंच पाना बेहद कठिन हो गया।
- 1971 में, एमटीपी अधिनियम को संसद द्वारा एक "स्वास्थ्य" उपाय, "मानवीय" उपाय और "यूजेनिक" उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था, ताकि कुछ परिभाषित परिस्थितियों में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके और पंजीकृत चिकित्सा चिकित्सकों की देखरेख में।
- 1971 के कानून के तहत, गर्भावस्था को केवल धारा 3(2) के तहत समाप्त किया जा सकता है यदि यह 20 सप्ताह से अधिक न हो।
- इसमें यह प्रावधान किया गया कि यदि गर्भधारण के 12 सप्ताह के भीतर गर्भपात किया जाता है तो एक डॉक्टर की राय पर और 12 से 20 सप्ताह के बीच किया जाता है तो दो डॉक्टरों की राय पर गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों के लिए बडें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को भाषण जैसे व्यापक रूप से परिभाषित प्रकार की सामग्री के लिए एआई-आधारित मॉडरेशन टूल का उपयोग करने की आवश्यकता होती है जो सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता या देश की संप्रभुता, अखंडता को कमजोर कर सकती है। और सुरक्षा या सामग्री जिसे अधिकारियों ने पहले हटाने का आदेश दिया था।
- गौरतलब है कि 2021 के संशोधन ने "किसी भी विवाहित महिला या उसके पति द्वारा" शब्द को "किसी भी महिला या उसके साथी" शब्दों से बदल दिया, जिससे विवाह संस्थानों के बाहर गर्भधारण को कानून के दायरे में लाया गया।

मुस्लिम महिलाओं को तलाक का अधिकार

खबरों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट केरल उच्च न्यायालय के 2021 के फैसले की जांच करेगा, जिसमें एक मुस्लिम महिला को "खुला" के माध्यम से न्यायेतर तलाक देने के अधिकार की पुष्टि की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2021 में केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के एक फैसले में खुला की शर्तों पर चर्चा की गई। इसमें कहा गया है कि एक मुस्लिम महिला का खुला का अधिकार "पूर्ण" है और "पति की सहमति या असहमति पर निर्भर नहीं करता है"।
- सुप्रीम कोर्ट अब इस बात पर पुनर्विचार करेगा कि क्या मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के पारित होने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने न्यायेतर तलाक का अधिकार खो दिया है।
- न्यायेतर तलाक वे होते हैं जो अदालत के हस्तक्षेप के बिना होते हैं।

खुला क्या है?

- खुला एक मुस्लिम महिला के अपने पति को एकतरफा तलाक देने के अधिकार को संदर्भित करता है। यह शरिया कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को दिए गए तलाक के अधिकार के समान है। तलाक के एक रूप के रूप में खुला की मान्यता सीधे पवित्र कुरान से मिलती है। हालाँकि, खुला को किस तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए, इस पर विद्वानों में मतभेद है।
- इस्लामिक न्यायशास्त्र के हनफ़ी स्कूल के अनुसार, वैध ख़ुला के लिए पति की सहमति एक शर्त है।
- वर्तमान केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा है कि विवाह के अपूरणीय विघटन के प्रति आश्वस्त होने पर पत्नी का खुला का अधिकार पति के तलाक कहने के अधिकार के समान है।

मुस्लिम महिलाओं के लिए न्यायेतर तलाक के अन्य रूप उपलब्ध हैं-

- तलाक-ए-तफ़वीज़: यह अनुबंध-आधारित तलाक है। चूँकि इस्लाम विवाह को एक अनुबंध के रूप में देखता है, पक्ष अपने अनुबंध की

शर्तों को चुनने और यह तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि उनका वैवाहिक जीवन कैसे विनियमित होगा। यदि कोई पति शादी के समय तय की गई किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो पत्नी अदालत के हस्तक्षेप के बिना तलाक की हकदार होगी।

- हालाँकि, अनुबंध में शर्तें उचित होनी चाहिए, और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पति पत्नी की अनुमति के बिना दोबारा शादी करता है, या उसकी उपेक्षा करता है, आदि तलाक के लिए वैध आधार हैं।
- मुबारक: यह आपसी सहमति से अलगाव का एक रूप है। विवाह विच्छेद का प्रस्ताव किसी भी ओर से आ सकता है। एक बार जब दोनों पक्ष मुबारात में शामिल हो जाते हैं, तो पति-पत्नी के सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय तलाक के इस रूप को अपरिवर्तनीय मानते हैं।
- फ़स्ख़: यह अदालत या क़ाज़ी जैसे प्राधिकारी के हस्तक्षेप के माध्यम से तलाक है। जबकि खुला पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा दिया जाता है और मुबारअत दोनों पति-पत्नी द्वारा दिया जाता है, फस्ख का निर्णय किसी तीसरे पक्ष या मध्यस्थ, मध्यस्थ या न्यायाधीश जैसे बाहरी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937

- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937, न्यायिक और न्यायेतर तलाक दोनों को मान्यता देता है। अधिनियम की धारा 2 फस्ख को छोड़कर सभी प्रकार के न्यायेतर तलाक को मान्यता देती है।
- अधिनियम की धारा 5, जो कुछ परिस्थितियों में अदालत द्वारा विवाह को विघटित करने की अनुमति देती है, एक जिला न्यायाधीश को महिला की याचिका के आधार पर विवाह को विघटित करने की अनुमति देती है। हालाँकि, शरिया अधिनियम के अस्तित्व के बावजूद, हनफ़ी स्कूल ने महिलाओं को अपनी शादी को समाप्त करने के लिए अदालत से डिक्री प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी।
- इस स्थिति को हल करने के लिए, 1937 अधिनियम के पारित होने के दो साल बाद, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 अधिनियमित किया गया था।

मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939

- 1939 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं द्वारा विवाह विच्छेद से संबंधित कानून के प्रावधानों को स्पष्ट और समेकित करने के लिए पारित किया गया था।
- अधिनियम ने सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए न्यायेतर तलाक का अधिकार बढ़ा दिया, चाहे वे किसी भी इस्लामी न्यायशास्त्र के स्कूल का पालन करती हों।
- शरीयत अधिनियम की धारा 5 को निरस्त कर दिया गया और 1939 अधिनियम की धारा 2 के साथ प्रतिस्थापित किया गया, जिसने मुस्लिम महिलाओं को विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने के लिए नौ आधार दिए। इन आधारों में क्रूरता, परित्याग और पति को सात साल या उससे अधिक की कैद शामिल थी।
- 1939 के अधिनियम ने न्यायेतर तलाक के फस्ख मार्ग को मान्यता दी। शरीयत अधिनियम की धारा 2 के तहत न्यायेतर तलाक के अन्य सभी तरीके अछूते रहे।

चुनावी बांड योजना

खबरों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2018 चुनावी बांड योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेज दिया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- शीर्ष अदालत इस योजना को चुनौती देने वाले दो गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और एडीआर, कांग्रेस नेता जया ठाकुर और CPI (M) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
- जबकि केंद्र ने इस योजना को "चुनावी सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम" करार दिया है जो "पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा" और "जवाबदेही" है, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

चुनावी बांड योजना क्या है?

- 2017 के केंद्रीय बजट में घोषित, चुनावी बांड ब्याज मुक्त वाहक उपकरण हैं जिनका उपयोग राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने के लिए किया जाता है।
- ऐसे बांड, जो 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये के गुणकों में बेचे जाते हैं, उन्हें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकता है।
- राजनीतिक दल ऐसे बांडों को प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुनाने और अपने चुनावी खर्चों को निधि देने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि किसी पार्टी ने 15 दिनों के भीतर कोई बांड जमा नहीं किया है, तो एसबीआई इसे प्रधान मंत्री राहत कोष में जमा कर देता है।
- कोई व्यक्ति या कंपनी कितने बांड खरीद सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।
- तर्क: इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को वित्त पोषण का एक पारदर्शी तरीका स्थापित करना है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है।
- राजनीतिक दलों को अपना अधिकांश धन गुमनाम दान के माध्यम से प्राप्त होता रहता है जिसे नकद में दिखाया जाता है।

इस योजना को कानूनी चुनौती का सामना क्यों करना पड़ रहा है और इसकी बड़ी आलोचनाएँ क्या हैं?

- इस योजना को "एक अस्पष्ट फंडिंग प्रणाली जो किसी भी प्राधिकरण द्वारा अनियंत्रित है" के रूप में चुनौती दी गई है।
- इसके अलावा, चुनावी बांड योजना की घोषणा से पहले, एक कंपनी किसी राजनीतिक दल को कितना दान दे सकती है, इसकी एक सीमा थी: पिछले तीन वर्षों में किसी कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 7.5 प्रतिशत।
- हालाँकि, सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करके इस सीमा को हटा दिया, जिससे कॉरपोरेट्स द्वारा असीमित फंडिंग के दरवाजे खुल गए।
- कंपनी अधिनियम में इस संशोधन से "नीतिगत विचारों में राज्य के लोगों की जरूरतों और अधिकारों पर निजी कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता मिल सकती है"।
- योजना के तहत दानदाताओं की गुमनामी पारदर्शिता लाने के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय प्रक्रिया को अपारदर्शी बना देती है।
- यह भी दावा किया गया है कि क्योंकि ऐसे बांड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (SBI) के माध्यम से बेचे जाते हैं, इससे सरकार के लिए यह जानने का रास्ता खुला रह जाता है कि उसके विरोधियों को कौन फंडिंग कर रहा है।
- आलोचकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि 2022 में सभी चुनावी बांड का 75 प्रतिशत से अधिक केंद्र में सत्तारूढ़ दल के पास चला गया है।
- इसके अलावा, चुनावी बांड शुरू करने के पीछे एक तर्क यह था कि आम लोगों को अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को आसानी से फंड देने की अनुमति मिल सके, लेकिन 90% से अधिक बांड 2022 तक उच्चतम मूल्यवर्ग (1 करोड़ रुपये) के रहे हैं।

महत्त्व

- देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या फैसला लेता है। लेकिन, योजना जारी रखने की स्थिति में, बांड दाता की गुमनामी के सिद्धांत को समाप्त किया जाना चाहिए।
- बांड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक दलों द्वारा एकत्र किया जा रहा धन साफ-सुथरे धन के रूप में लिया जाए, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों को पूरा किया जा सके।

समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

खबरों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के खिलाफ फैसला सुनाया।

महत्वपूर्ण बिंदु

हाइलाइट

- विवाह करने का मौलिक अधिकार: न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि विवाह करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और बहुमत का विचार यह है कि विधायिका या संसद को समलैंगिक विवाह लाने पर निर्णय लेना चाहिए।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि समान-लिंग वाले जोड़ों को शादी करने या संघ में प्रवेश करने का अधिकार देने से विधायी वास्तुकला और नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला में बदलाव शामिल होंगे।
- विशेष विवाह अधिनियम की व्याख्या: फैसले में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट विशेष विवाह अधिनियम (SMA) के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता है या शब्दों को अलग तरीके से नहीं पढ़ सकता है।

- याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से विवाह शब्द की व्याख्या "पुरुष और महिला" के बजाय "पति-पत्नी" के बीच करने और SMA के उन प्रावधानों को रद्द करने के लिए कहा था जो लिंग-प्रतिबंधात्मक हैं।
- सभी न्यायाधीश सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत हुए कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करके विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में बदलाव करना संभव नहीं है।
- बच्चा गोद लेने का अधिकार: केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के विशिष्ट दिशानिर्देश समान लिंग या अविवाहित जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं देते हैं।
- फैसले में पाया गया कि यह मानना भेदभावपूर्ण है कि केवल विवाहित, विषमलैंगिक जोड़े ही बच्चों के पालन-पोषण के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान कर सकते हैं।
- अंततः, अदालत ने इसका बोझ कार्यपालिका पर डाल दिया और उसे बच्चों के सर्वोत्तम हितों और कल्याण के अनुरूप गोद लेने के कानूनों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- 'सिविल यूनियन' उस कानूनी स्थिति को संदर्भित करता है जो समान-लिंग वाले जोड़ों को विशिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करता है जो आम तौर पर विवाहित जोड़ों को प्रदान की जाती हैं।
- हालाँकि एक नागरिक संघ एक विवाह जैसा दिखता है, लेकिन पर्सनल लॉ में इसे विवाह के समान मान्यता नहीं है।

- सभी न्यायाधीशों ने केंद्र के रुख पर ध्यान दिया कि एक उच्च स्तरीय कैबिनेट समिति उन अधिकारों पर गौर करेगी जो गैर-विषमलैंगिक जोड़ों को प्रदान किए जा सकते हैं।

विशेष विवाह अधिनियम 1954

- भारत में सभी विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954, या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे किसी भी पक्ष का धर्म या आस्था कुछ भी हो।
- जोड़ों को शादी की इच्छित तारीख से 30 दिन पहले विवाह अधिकारी को संबंधित दस्तावेजों के साथ एक नोटिस देना होगा।

भारत में समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क

- विवाह के अधिकार का मतलब होगा कि LGBTQIA+ जोड़े विवाह संस्था के साथ मिलने वाले लाभों और अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं, जैसे बीमा, गोद लेना और विरासत।
- नागरिक संघ एक समान विकल्प नहीं हैं और बहिष्कार के कारण संवैधानिक विसंगतियों को संबोधित नहीं करते हैं।
- बहिष्करण यह संदेश देता है कि बाद वाले के विवाह "वास्तविक" विवाह जितने महत्वपूर्ण नहीं हैं।
- 50 से अधिक देश समान-लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने के अधिकार की अनुमति देते हैं, जो समान-लिंग विवाह की अनुमति देने वाले देशों की तुलना में अधिक है।
- समान-लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने से बाहर करने का प्रभाव समलैंगिक समुदाय द्वारा पहले से ही झेले जा रहे नुकसान को और मजबूत करना है।
- कानून व्यक्तियों की कामुकता के आधार पर अच्छे और बुरे पालन-पोषण के बारे में कोई धारणा नहीं बना सकता है।

भारत में समलैंगिक विवाह के विरुद्ध तर्क

- विवाह का मूलभूत महत्व यह है कि यह व्यक्तिगत पसंद पर आधारित होता है और सामाजिक स्थिति प्रदान करता है।
- किसी व्यक्ति के लिए किसी चीज़ का महत्व उसे मौलिक अधिकार मानने का औचित्य नहीं है, भले ही उस प्राथमिकता को लोकप्रिय स्वीकृति या समर्थन प्राप्त हो।
- जबकि लिंग की अवधारणा तरल हो सकती है, माँ और मातृत्व की अवधारणाएँ नहीं हैं।
- कानूनों की संपूर्ण संरचना उन बच्चों के हित और कल्याण की रक्षा करने के लिए है जो स्वाभाविक रूप से विषमलैंगिक व्यक्तियों से पैदा हुए हैं, और राज्य का विषमलैंगिक और समलैंगिकों के साथ अलग-अलग व्यवहार करना उचित है।
- अदालत समान-लिंग वाले जोड़ों को शामिल करने के लिए एसएमए की व्याख्या नहीं कर सकी क्योंकि कानून का उद्देश्य विवाह के दायरे में समान-लिंग वाले जोड़ों को शामिल करना नहीं है।
- अदालत ने कहा कि एक समलैंगिक व्यक्ति को एक भावनात्मक, अंतरंग और/या लिव-इन पार्टनर चुनने का अधिकार है, भले ही ऐसा रिश्ता विवाह या नागरिक मिलन के बराबर न हो।
- यह काफी हद तक 'नवतेज सिंह जौहर' में निर्धारित कानून का पुनर्कथन है, जहां अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को रद्द करके समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था।
- यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि समलैंगिक जोड़ों के लिए विवाह का विस्तार याचिकाकर्ताओं की शुरुआत की अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल मुद्दा है।
- नए कानून लिखने होंगे और मौजूदा कानूनों में थोक में संशोधन करने होंगे।
- विधायिका को अब भारतीय परिवार कानून को अधिक समावेशी, लिंग-न्यायपूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण बनाने के लिए पुनर्मूल्यांकन और सुधार करने का बीड़ा उठाना चाहिए।

SC ने कहा, 'शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं'

खबरों में क्यों?

हाल ही में कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों ने समलैंगिक विवाह को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले पर सवाल उठाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के तहत शादी करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

भारत में समलैंगिक विवाह की वैधता

- विवाह का अधिकार भारतीय संविधान के तहत मौलिक या संवैधानिक अधिकार के बजाय एक वैधानिक अधिकार है।
- यद्यपि विवाह कई विधायी कृत्यों द्वारा शासित होता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ही एकमात्र ऐसे फैसले हैं जिनके कारण विवाह को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली है।
- विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, साथ ही सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए निर्णय लेने की प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता भी है।
- सुप्रियो चक्रवर्ती मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। इस वजह से, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि समान-लिंग वाले जोड़े शादी नहीं कर सकते। जानकारों का मानना है कि ये एक गलत फैसला है।

- फिर भी, अदालत ने सर्वसम्मति से आदेश दिया कि समान-लिंग वाले जोड़ों को उत्पीड़न से बचाया जाए। कोर्ट ने इस संबंध में अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए और कई मामलों की जांच के लिए एक समिति के गठन का भी आदेश दिया।

LGBTQ+ समुदाय के सामने आने वाली समस्याएं

- भेदभाव और कलंक: जो विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है, जैसे कि रोजगार भेदभाव, आवास भेदभाव, और कुछ सामाजिक और धार्मिक समुदायों से बहिष्कार।
- हिंसा और घृणा अपराध: LGBTQ+ व्यक्तियों के खिलाफ घृणा अपराध, उत्पीड़न और शारीरिक हिंसा निरंतर चिंताएं हैं। इन घटनाओं के गंभीर शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे: LGBTQ+ व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक अलगाव, भेदभाव और पारिवारिक अस्वीकृति के कारण अवसाद, चिंता और आत्मघाती विचारों सहित मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने का अधिक खतरा होता है।
- एचआईवी/एड्स असमानताएं: LGBTQ+ व्यक्ति, विशेष रूप से समलैंगिक और उभयलिंगी पुरुष, एचआईवी/एड्स से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PREP) जैसी स्वास्थ्य देखभाल और रोकथाम के तरीकों तक पहुंच एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

मानवाधिकार घोषणा

- विशेषज्ञों का तर्क है कि न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि भारत मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) का मूल हस्ताक्षरकर्ता था, जो दुनिया के सभी मानवाधिकारों का संस्थापक दस्तावेज है।
- चूंकि भारत UDHR का एक हस्ताक्षरकर्ता है, और इस तरह, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद को UDHR का समर्थन करने वाले कानून बनाने चाहिए।
- अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय अदालतों ने UDHR और अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुसार कानूनों और संविधान की व्याख्या की है।
- सुप्रीम कोर्ट ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 16 और पुट्टास्वामी मामले का हवाला देते हुए कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के लिए मौलिक है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ (2018) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, एक व्यक्ति सभी संवैधानिक अधिकारों का हकदार है, इसी तरह, LGBTQ लोग "अन्य सभी नागरिकों की तरह, स्वतंत्रता सहित संवैधानिक अधिकारों की पूरी श्रृंखला के हकदार हैं।" "संविधान द्वारा संरक्षित" के अलावा "कानून का समान संरक्षण" भी है।
- NALSA मामले में SC ने माना कि व्यक्ति अपने स्वयं के लिंग की पहचान करने के हकदार हैं। वे पुरुष के रूप में पैदा हो सकते हैं लेकिन अगर वे महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं, तो वे ऐसा करने के हकदार हैं।
- इसके अनुसरण में, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था जो किसी के लिंग को बदलने की प्रक्रिया और विभिन्न प्रतिष्ठानों, निजी या राज्य में भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

लोकसभा में सांसद कैसे सवाल पूछते हैं

खबरों में क्यों?

तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वह अपने खिलाफ कैश फॉर क्वेरी के आरोपों से संबंधित CBI और लोकसभा आचार समिति के सवालों के जवाब देने का स्वागत करती हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इससे पहले, लोकसभा अध्यक्ष ने सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ रिश्वत के बदले की शिकायत को निचले सदन की आचार समिति को भेज दिया था।
- बीजेपी सांसद ने महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक बिजनेसमैन से पैसे लेने का आरोप लगाया था।

लोकसभा में प्रश्न उठाने की प्रक्रिया:

मौजूदा नियम

- प्रश्न उठाने की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है:
- "लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम" के नियम 32 से 54 और
- "अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा निर्देश" के निर्देश 10 से 18।

प्रक्रिया:

- प्रश्न पूछने के लिए, एक सांसद को पहले निचले सदन के महासचिव को संबोधित एक नोटिस देना होता है, जिसमें प्रश्न पूछने के अपने इरादे की जानकारी देनी होती है।

नोटिस में आमतौर पर शामिल होता है:

- लिखित में प्रश्न,
- जिस मंत्री को प्रश्न संबोधित किया गया है उसका आधिकारिक पदनाम,
- वह तारीख जिस दिन उत्तर वांछित है,
- यदि सांसद एक ही दिन के लिए प्रश्नों की एक से अधिक सूचनाएं प्रस्तुत करता है तो वरीयता क्रम।

एक सदस्य द्वारा पूछे जा सकने वाले प्रश्नों की संख्या

- एक सदस्य को किसी भी दिन मौखिक और लिखित उत्तरों के लिए, कुल मिलाकर प्रश्नों की पांच से अधिक सूचनाएं देने की अनुमति नहीं है।
- किसी सदस्य से एक दिन में पांच से अधिक प्राप्त सूचनाओं पर केवल उस सत्र की अवधि के दौरान उस मंत्री से संबंधित अगले दिन (दिनों) के लिए विचार किया जाता है।
- आमतौर पर, किसी प्रश्न की सूचना की अवधि 15 दिन से कम नहीं होती है।

2 तरीके जिनके माध्यम से सांसद अपने प्रश्नों के नोटिस जमा कर सकते हैं

- सबसे पहले, एक ऑनलाइन 'सदस्य पोर्टल' के माध्यम से, जहां उन्हें पहुंच प्राप्त करने के लिए अपनी ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- दूसरा, संसदीय सूचना कार्यालय में उपलब्ध मुद्रित प्रपत्रों के माध्यम से।

स्पीकर की भूमिका

- नोटिस जमा करने के बाद, अगला चरण वह होता है जब लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित नियमों के आलोक में प्रश्नों के नोटिस की जांच करते हैं।
- यह अध्यक्ष ही है, जो निर्णय लेता है कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग स्वीकार्य है या नहीं।

प्रश्नों की स्वीकार्यता के लिए शर्तें

- ऐसे कई नियम हैं जो एक सांसद द्वारा उठाए गए प्रश्न की स्वीकार्यता को नियंत्रित करते हैं।
- उदाहरण के लिए, प्रश्नों में सामान्यतः 150 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।
- उनमें तर्क-वितर्क, मानहानिकारक बयान नहीं होने चाहिए, उनकी आधिकारिक या सार्वजनिक क्षमता को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
- नीति के बड़े मुद्दों को उठाने वाले प्रश्नों की अनुमति नहीं है, क्योंकि किसी प्रश्न के उत्तर के सीमित दायरे में नीतियों का वर्णन करना संभव नहीं है।
- कोई प्रश्न स्वीकार्य नहीं है यदि उसका विषय किसी अदालत या किसी अन्य न्यायाधिकरण या कानून के तहत गठित निकाय के समक्ष लंबित है या संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है।
- एक प्रश्नावली उन मामलों पर भी जानकारी नहीं मांग सकती जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर सकते हैं।

तरह-तरह के सवाल

तारांकित प्रश्न

- एक तारांकित प्रश्न एक सांसद द्वारा पूछा जाता है और प्रभारी मंत्री द्वारा मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है।
- प्रत्येक सांसद को प्रतिदिन एक तारांकित प्रश्न पूछने की अनुमति है।
- तारांकित प्रश्नों को कम से कम 15 दिन पहले प्रस्तुत करना होगा (ताकि प्रभारी मंत्री के पास उत्तर तैयार करने के लिए समय हो) और एक दिन में केवल 20 प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए सूचीबद्ध किए जा सकते हैं।
- जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, तो उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
- मुद्दों पर सरकार के विचार और उसके नीतिगत झुकाव के बारे में जानने के लिए तारांकित प्रश्न अधिक उपयुक्त होते हैं।

अतारांकित प्रश्न

- अतारांकित प्रश्न को मंत्रालय से लिखित उत्तर मिलता है। इन्हें भी कम से कम 15 दिन पहले जमा करना होगा।
- एक दिन में केवल 230 प्रश्न ही लिखित उत्तर के लिए सूचीबद्ध किये जा सकते हैं।
- तारांकित प्रश्नों के विपरीत, अतारांकित प्रश्न किसी भी अनुवर्ती प्रश्न की अनुमति नहीं देते हैं।
- डेटा या सूचना से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अतारांकित प्रश्न अधिक अनुकूल होते हैं

शार्ट नोटिस प्रश्न

- शार्ट नोटिस प्रश्न वे होते हैं जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले से संबंधित होते हैं।
- उनसे 10 दिन से कम समय के नोटिस पर, कम समय के नोटिस पर कारण सहित पूछा जा सकता है।
- तारांकित प्रश्न की तरह, उनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, उसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों को संबोधित प्रश्न

- किसी निजी सदस्य से प्रश्न स्वयं सांसद को संबोधित किया जाता है।
- यह तब पूछा जाता है जब विषय किसी विधेयक, संकल्प या सदन के व्यवसाय से संबंधित किसी मामले से संबंधित होता है जिसके लिए वह सांसद जिम्मेदार होता है।

सवाल उठाने का महत्व

- प्रश्न पूछना एक सांसद का अंतर्निहित और निरंकुश संसदीय अधिकार है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य कार्यकारी कार्यों पर विधायी नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए एक संसदीय उपकरण के रूप में कार्य करना है।

इसका उपयोग इसके लिए किया जा सकता है:

- प्रशासन और सरकारी गतिविधि के पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करें,
- सरकारी नीतियों और योजनाओं की आलोचना करें,
- सरकारी खामियों पर प्रकाश डालें,
- मंत्रियों को आम भलाई के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करना।

नौकरशाही का राजनीतिकरण

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए सभी विभागों से अधिकारियों को तैनात करने को कहा है, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए नौकरशाहों को "रथप्रभारी" के रूप में नामित करने के लिए वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया है।
- संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों को रोड शो के लिए रथप्रभारी (रथ प्रभारी) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा भी इसी तरह का एक आदेश जारी किया गया था जिसमें वार्षिक अवकाश पर गए सैनिकों को "सैनिक-राजदूत" के रूप में सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया था।
- इसी तरह, रक्षा मंत्रालय 822 'सेल्फी प्वाइंट' स्थापित कर रहा है जहां नागरिक भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री की तस्वीर ले सकते हैं।

नौकरशाही के राजनीतिकरण का प्रभाव

- विपक्ष का विरोध: विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ सरकार चुनाव से पहले सरकारी प्रचार में सिविल सेवकों को शामिल करके नौकरशाही का राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन, जो निर्देश देता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।
- पक्षपात के बारे में आशंकाएँ: हालाँकि नौकरशाही और सेना दोनों ही सख्ती से राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में हैं, फिर भी वे पक्षपातपूर्ण राजनीति से अछूते हैं।
- तटस्थता का क्षरण: नौकरशाही की प्राथमिक भूमिका सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को निष्पक्ष रूप से लागू करना है। राजनीतिकरण इस तटस्थता से समझौता कर सकता है, क्योंकि सिविल सेवकों पर सार्वजनिक हित के ऊपर राजनीतिक उद्देश्यों का पक्ष लेने का दबाव हो सकता है।
- व्यावसायिकता को कमज़ोर करना: प्रभावी शासन के लिए एक पेशेवर और सक्षम सिविल सेवा आवश्यक है। राजनीतिकरण से योग्यता के बजाय राजनीतिक संबंधों के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है, जिससे व्यावसायिकता और क्षमता कम हो सकती है।
- सार्वजनिक विश्वास की हानि: जब नागरिकों को लगता है कि सिविल सेवक जनता की भलाई के बजाय राजनीतिक हितों की सेवा कर रहे हैं।

हालिया विकास के कारण

- सार्वजनिक सेवा वितरण सरकार का कर्तव्य है, और यह लोक सेवक हैं जो योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार हैं।
- नागरिक और सैन्य अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत वैचारिक झुकाव की परवाह किए बिना, नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति वफादार रहें।
- योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना, यह सुनिश्चित करना कि चुनाव अभियानों के दौरान वादा की गई नीतियों को तुरंत क्रियान्वित किया जाए।
- जनता की नज़र में सरकारी कार्यों और नीतियों की वैधता बढ़ाना।
- प्रमुख सरकारी विभागों या एजेंसियों पर नियंत्रण और प्रभाव स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय लेने में उनकी सीधी भागीदारी हो और उनकी नीतियों के प्रति नौकरशाही प्रतिरोध को रोका जा सके।
- नौकरशाही को तटस्थ और स्वतंत्र होना चाहिए, और यह महत्वपूर्ण है कि ऐसा देखा जाए, खासकर ध्रुवीकृत समय में जब तटस्थता की पारंपरिक धारणाएं तेजी से तनावपूर्ण हो रही हैं। यह सुनिश्चित करना एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि महत्वपूर्ण रेखाएँ पार न हों और गैर-राजनीतिक डोमेन के शासी सिद्धांत को उसका उचित सम्मान दिया जाए।

3 पर्यावरण और पारिस्थितिकी

अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल (ICRI)

खबरों में क्यों?

कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए, इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI) ने सार्वजनिक और निजी स्रोतों से 12 अरब डॉलर जुटाने की योजना की घोषणा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रों के गठबंधन के माध्यम से 12 बिलियन डॉलर जुटाकर मूंगा चट्टानों (कोरल रीफ) की रक्षा करने का प्रयास निश्चित रूप से इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के सामने आने वाले खतरों को संबोधित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अत्यधिक मछली पकड़ने जैसे कारकों के कारण मूंगा चट्टानें वास्तव में महत्वपूर्ण तनाव में हैं।
- ICRI का लक्ष्य 125,000 वर्ग किलोमीटर उथले पानी वाले उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टानों का "भविष्य सुरक्षित करना" और दशक के अंत तक प्रभावी संरक्षण के तहत क्षेत्रों को दोगुना करना एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

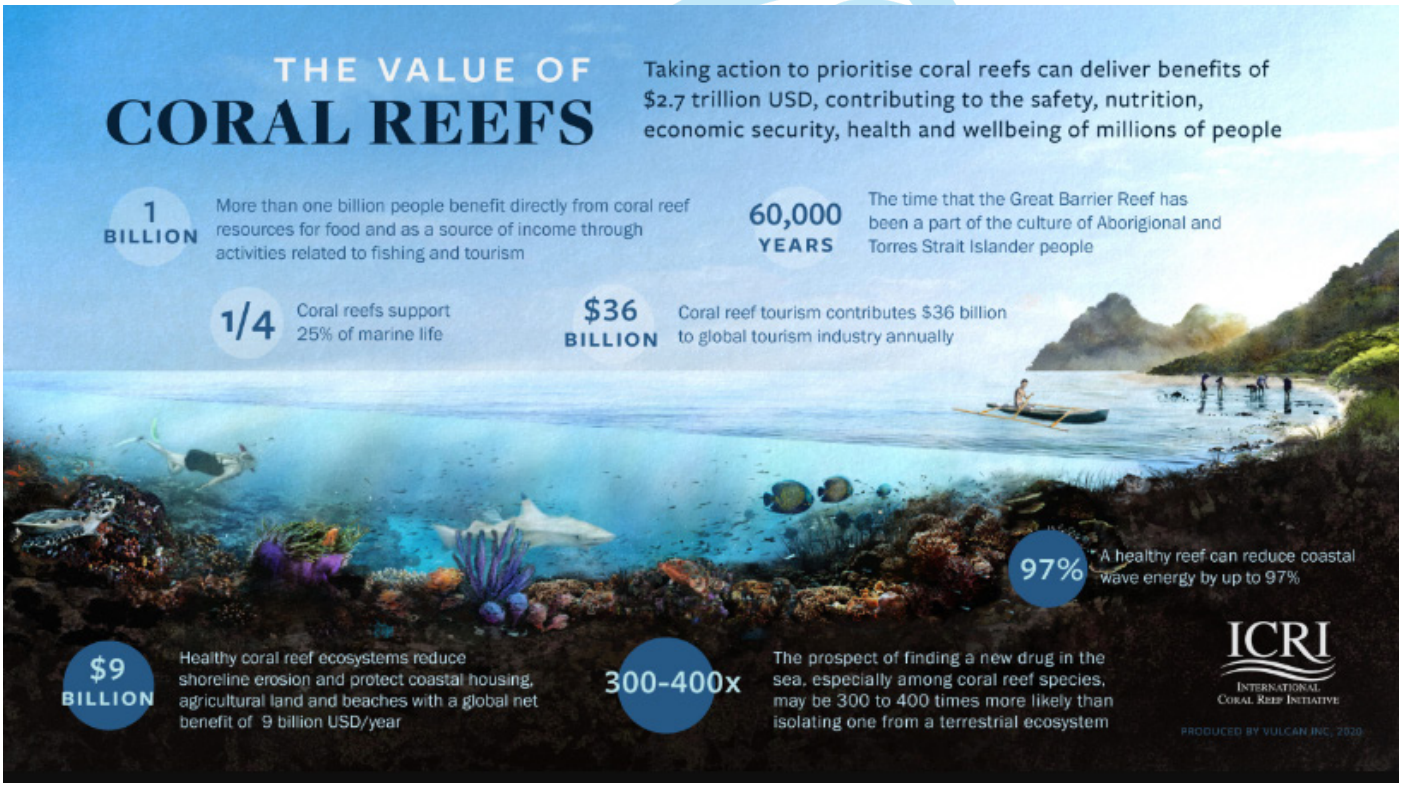

अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल (ICRI)

- इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव (ICRI) एक वैश्विक साझेदारी है जिसका प्राथमिक लक्ष्य दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों को संरक्षित करना है।
- इसकी स्थापना 1994 में आठ सरकारों द्वारा की गई थी: ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमैका, फिलीपींस, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तब से ICRI का विस्तार हो गया है और इसमें दोनों देशों और संगठनों सहित 100 से अधिक सदस्य शामिल हो गए हैं।

उद्देश्य

- ICRI का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रवाल भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्थायी प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना है। इसमें इन नाजुक वातावरणों की सुरक्षा के लिए रणनीति विकसित करना और साझा करना शामिल है। इसमें मानव-प्रेरित तनाव को कम करने के उपाय शामिल हैं जो मूंगा चट्टानों में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बन रहे हैं।
- ICRI प्रवाल भित्तियों के प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण के लिए राष्ट्रों और संगठनों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें विशेष रूप से विकासशील देशों में रीफ प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करना शामिल है।
- ICRI प्रवाल भित्तियों के महत्व और उनके सामने आने वाले खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्थानीय समुदायों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक सभी स्तरों पर संलग्न होकर, ICRI पर्यावरणीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए प्रवाल भित्तियों के महत्व को उजागर करने में मदद करता है।

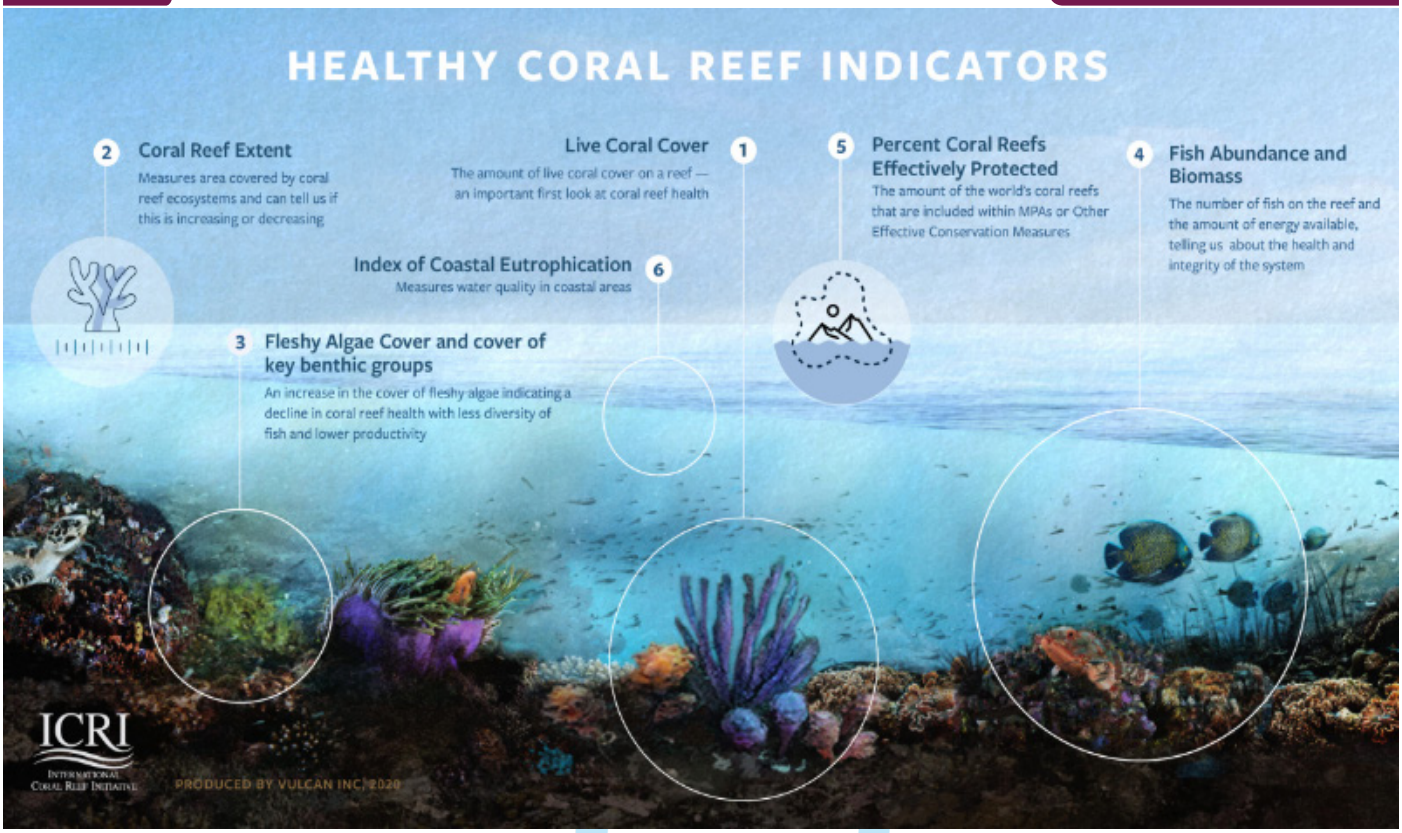

ICRI के परिचालन ढांचे में शामिल हैं

- एकीकृत प्रबंधन: ICRI रीफ प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जो पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करता है। यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि रीफ प्रबंधन निर्णय पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक हितों और स्थानीय समुदायों की भलाई के बीच परस्पर क्रिया को ध्यान में रखते हैं।
- विज्ञान: ICRI प्रवाल भित्तियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी का समर्थन करता है। यह वैज्ञानिक ज्ञान सूचित निर्णय लेने और संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है।
- क्षमता निर्माण: प्रवाल भित्तियों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और संरक्षित करने के लिए राष्ट्रों और संगठनों की क्षमता का निर्माण करना आईसीआरआई के काम की आधारशिला है। इसमें हितधारकों को आवश्यक उपकरण और ज्ञान से लैस करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करना शामिल है।
- समीक्षा: ICRI अपने प्रयासों को अनुकूलित करने और सुधारने के लिए नियमित रूप से अपनी प्रगति और परिणामों की समीक्षा करता है। यह अनुकूली प्रबंधन दृष्टिकोण पहल को बदलती परिस्थितियों और उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की अनुमति देता है।

परिचालन संरचना

- ICRI एक सचिवालय के माध्यम से संचालित होता है, जिसे सदस्य राज्यों द्वारा एक विशिष्ट अवधि (आमतौर पर लगभग दो वर्ष) के लिए आयोजित किया जाता है। सचिवालय एक विशिष्ट कार्य योजना के माध्यम से ICRI के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। यह कम से कम सालाना सदस्यों की सामान्य बैठकें भी आयोजित करता है और ICRI के काम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों और सम्मेलनों में अतिरिक्त कार्यक्रम भी आयोजित कर सकता है।
- ICRI अपने नेटवर्क और समितियों के माध्यम से जमीन पर कार्य करता है, जो मूंगा चट्टान संरक्षण से संबंधित विशिष्ट विषयों पर क्षेत्रीय बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित कर सकता है। सदस्य राज्य वैश्विक साझेदारी के लक्ष्यों के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करते हुए, राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल के माध्यम से आईसीआरआई के उद्देश्यों को लागू करना चुन सकते हैं।

माउंट कुन

खबरों में क्यों?

लद्दाख में माउंट कुन पर हिमस्खलन में भारतीय सेना के पर्वतारोहियों के एक समूह के फंस जाने से एक सैनिक की मौत हो गई और तीन लापता हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- माउंट कुन, जिसे कुनलुन के नाम से भी जाना जाता है, मध्य एशिया की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो चीन, तिब्बत और पाकिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों तक फैली हुई है।

माउंट कुन के बारे में

भौगोलिक स्थान

- माउंट कुन, बड़ी कुनलुन पर्वत श्रृंखला का हिस्सा, मध्य एशिया में स्थित है।
- यह कई देशों में फैला हुआ है, मुख्य रूप से चीन और तिब्बत में, और पामीर पर्वत से लेकर किलियन पर्वत तक फैला हुआ है।
- यह रेंज अपनी प्रभावशाली चोटियों के लिए जानी जाती है, जिनमें माउंट मुजताघ अता और माउंट कोंगुर शामिल हैं।

ऐतिहासिक महत्व

- माउंट कुन का एक समृद्ध इतिहास है, पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह प्राचीन सिल्क रोड पर एक महत्वपूर्ण मार्ग था।

सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व

- चीनी और तिब्बती परंपराओं में पर्वत श्रृंखला का गहरा सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है।
- इसे अक्सर पौराणिक प्राणियों की कहानियों से जोड़ा जाता है और कई स्वदेशी समुदायों द्वारा इसे एक पवित्र स्थान माना जाता है।

माउंट कुन की भौगोलिक विशेषताएं

गठन और भूविज्ञान

- माउंट कुन का एक विविध भूवैज्ञानिक इतिहास है, जिसमें तलछटी से लेकर कायापलट तक की चट्टानें हैं।
- इसे लाखों वर्षों में विवर्तनिक ताकतों और हिमनदी गतिविधि द्वारा आकार दिया गया है।

ग्लेशियर और नदियाँ

- कुनलुन के पहाड़ कई प्रमुख नदियों का स्रोत हैं, जिनमें चीन की यांग्त्ज़ी और पीली नदियाँ भी शामिल हैं।

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

- जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र: कठोर जलवायु और उच्च ऊंचाई के बावजूद, माउंट कुन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवन और पौधों की प्रजातियों की मेजबानी करता है, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं। यह हिम तेंदुए और तिब्बती मृग जैसी दुर्लभ प्रजातियों का घर है।
- जलवायु और जल स्रोत: पहाड़ आसपास के क्षेत्रों की जलवायु, विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। वे निचले प्रवाह में रहने वाले लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में भी काम करते हैं।

संस्कृति और धर्म में माउंट कुन

- कला और साहित्य पर प्रभाव: माउंट कुन की राजसी सुंदरता ने सदियों से कलाकारों, कवियों और लेखकों को प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई है।
- बौद्ध धर्म और ताओवाद में भूमिका: बौद्ध धर्म और ताओवाद में पहाड़ों का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, यहां मठ और मंदिर हैं। वे ध्यान और धार्मिक एकांतवास से जुड़े हुए हैं।

भूराजनीतिक महत्व

- सीमाएँ और राजनीतिक संघर्ष: माउंट कुन जटिल भू-राजनीतिक सीमाओं वाले क्षेत्रों तक फैला है, जो ऐतिहासिक और समकालीन सीमा विवादों को जन्म देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध: क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से चीन-भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में।
- सामरिक महत्व: माउंट कुन सीमावर्ती क्षेत्रों से निकटता और पानी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के स्रोत के कारण रणनीतिक महत्व रखता है।

कृषि पर आपदाओं के प्रभाव का वैश्विक आकलन

खबरों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव रिपोर्ट जारी की गई।

महत्वपूर्ण बिंदु

रिपोर्ट के बारे में

- यह फसलों और पशुधन पर केंद्रित कृषि उत्पादन पर आपदाओं के प्रभाव का पहला वैश्विक अनुमान लाता है।
- यह भी नोट करता है कि यदि मत्स्य पालन और जलीय कृषि और वानिकी उप क्षेत्रों में नुकसान पर व्यवस्थित डेटा उपलब्ध होता तो यह आंकड़ा अधिक हो सकता है।

- यह दर्शाता है कि पिछले 30 वर्षों में लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की फसलें और पशुधन उत्पादन नष्ट हो गया है
- यह हानि प्रति वर्ष औसतन $123 बिलियन या वार्षिक वैश्विक कृषि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5 प्रतिशत है।

मुख्य तथ्य

- उत्पाद समूहों द्वारा नुकसान: प्राकृतिक संसाधनों और जलवायु परिस्थितियों पर इसकी गहरी निर्भरता को देखते हुए, आपदा जोखिम के संदर्भ में कृषि सबसे अधिक जोखिम वाले और कमजोर क्षेत्रों में से एक है।
- बार-बार आने वाली आपदाओं से खाद्य सुरक्षा में लाभ कम होने और कृषि खाद्य प्रणालियों की स्थिरता को कमजोर करने की क्षमता है।
- पिछले तीन दशकों में अनाज का नुकसान औसतन 69 मिलियन टन प्रति वर्ष हुआ - जो कि 2021 में फ्रांस के संपूर्ण अनाज उत्पादन के बराबर है।
- मांस, डेयरी उत्पादों और अंडों में प्रति वर्ष औसतन 16 मिलियन टन का अनुमानित नुकसान हुआ, जो 2021 में मैक्सिको और भारत में मांस, डेयरी उत्पादों और अंडों के कुल उत्पादन के बराबर है।
- क्षेत्रीय अंतर: वैश्विक नुकसान क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और देश समूहों में महत्वपूर्ण परिवर्तनशीलता को छुपाता है।
- एशिया को कुल आर्थिक नुकसान का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा अनुभव हुआ।
- अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका ने भी परिमाण का समान क्रम प्रदर्शित किया।
- पूर्ण रूप से, उच्च आय वाले देशों, निम्न-मध्यम-आय वाले देशों और उच्च-मध्यम-आय वाले देशों में नुकसान अधिक था।
- आपदाओं के व्यापक प्रभाव: पिछले 20 वर्षों में दुनिया भर में आपदा की घटनाएं 1970 के दशक में प्रति वर्ष 100 से बढ़कर लगभग 400 घटनाएं प्रति वर्ष हो गई हैं।
- आपदा घटनाओं का प्रभाव भी बदतर होने की आशंका है, क्योंकि जलवायु-प्रेरित आपदाएँ मौजूदा सामाजिक और पारिस्थितिक कमजोरियों को बढ़ाती हैं।
- अंतर्निहित आपदा जोखिम चालकों में जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता, जनसंख्या वृद्धि, महामारी के कारण होने वाली स्वास्थ्य आपात स्थिति, अस्थिर भूमि उपयोग और प्रबंधन, सशस्त्र संघर्ष और पर्यावरणीय गिरावट जैसी प्रथाएं शामिल हैं।
- अत्यधिक मामलों में, आपदाओं के परिणामस्वरूप ग्रामीण आबादी का विस्थापन और बाहरी प्रवास होता है।
- किसान, विशेष रूप से वर्षा आधारित परिस्थितियों में खेती करने वाले छोटे किसान, कृषि खाद्य प्रणालियों में सबसे कमजोर अभिनेता हैं और आपदा प्रभावों का खामियाजा भुगतते हैं।

सुझाव एवं सिफ़ारिशें

- कृषि-स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण की अच्छी प्रथाओं को अपनाने का समर्थन करने से छोटे पैमाने के किसानों को नुकसान से बचने और उनकी लचीलापन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- कृषि-स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण में निवेश से पहले लागू की गई प्रथाओं की तुलना में अच्छी प्रथाएँ औसतन 2.2 गुना बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं।
- पूर्वानुमानित खतरों के जवाब में सक्रिय और समय पर हस्तक्षेप कृषि में जोखिमों को रोकने और कम करके लचीलापन बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- कृषि के सभी उप-क्षेत्रों - फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि और वानिकी पर आपदाओं के प्रभावों पर डेटा और जानकारी में सुधार करना;
- सभी स्तरों पर नीति और प्रोग्रामिंग में बहुक्षेत्रीय और बहु-खतरा आपदा जोखिम न्यूनीकरण दृष्टिकोण को विकसित करना और मुख्यधारा में लाना; और
- लचीलेपन में निवेश बढ़ाना जो कृषि में आपदा जोखिम को कम करने और कृषि उत्पादन और आजीविका में सुधार करने में लाभ प्रदान करता है।

व्यापार योग्य ग्रीन क्रेडिट

खबरों में क्यों?

सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जहां कोई व्यक्ति या संस्था ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकती है और इसे एक समर्पित एक्सचेंज पर व्यापार कर सकती है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम

- ग्रीन क्रेडिट: यह एक निर्दिष्ट गतिविधि के लिए प्रदान की गई प्रोत्साहन की एक इकाई को संदर्भित करता है; पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालना।
- विभिन्न हितधारकों के पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार-आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 'LiFE'- (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) की अनुवर्ती कार्रवाई है।

ग्रीन क्रेडिट कैसे प्राप्त करें?

- गतिविधि का पंजीकरण: ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदक को एक वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रशासक के साथ गतिविधि को पंजीकृत करना होगा। फिर गतिविधि को एक नामित एजेंसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रशासक आवेदक को ग्रीन का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
- हरित ऋण की गणना: शुरू की गई किसी भी गतिविधि के संबंध में गणना वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन आवश्यकता, पैमाने की समानता, दायरे, आकार और अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समानता पर आधारित होगी।

- एक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री भी शामिल की जाएगी। प्रशासक एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना और रखरखाव करेगा।

पहल के उद्देश्य

- यह पहल उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को किसी भी समय लागू कानून के तहत अपने मौजूदा या अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं को ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने या खरीदने के द्वारा स्वैच्छिक पर्यावरणीय उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- यह कार्यक्रम बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरण-सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और हरित ऋण उत्पन्न करेगा, जो व्यापार योग्य होगा और घरेलू बाजार मंच पर व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- हालाँकि, किसी भी कानून के अनुपालन में, किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उत्पन्न या खरीदा गया ग्रीन क्रेडिट, जो फिलहाल लागू है, व्यापार योग्य नहीं होगा।

बफ़-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर

खबरों में क्यों?

हाल ही में, आर्कटिक टुंड्रा का एक दुर्लभ पक्षी, बफ़-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर, केरल के कन्नूर में देखा गया था।

महत्वपूर्ण बिंदु

बफ़-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर:

- रूप: बफ़-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर को सभी समुद्री पक्षियों में सबसे नाजुक रूप से सुंदर माना जाता है।
- प्रजनन और प्रवासन: ये पक्षी उत्तरी अमेरिका के खुले आर्कटिक टुंड्रा में प्रजनन करते हैं और आमतौर पर सर्दियों के लिए दक्षिण अमेरिका में प्रवास करते हैं।
- पर्यावास: प्रवास के दौरान, वे आमतौर पर उत्तरी अमेरिकी आवासों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से सूखी, खुली जमीन जैसे घास के मैदानों और चरागाहों पर।
- संभोग व्यवहार: नर बफ़-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर प्रदर्शन क्षेत्रों में समूहों में इकट्ठा होते हैं जिन्हें लेक्स कहा जाता है। वे महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने आकर्षक अंडरविंग्स का प्रदर्शन करते हैं।
- लंबी दूरी की प्रवासी: यह प्रजाति एक चैंपियन लंबी दूरी की प्रवासी है, जो ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पैराग्वे के घास के मैदानों पर सर्दियों में अपने उच्च-आर्कटिक घोंसले के मैदानों से हजारों मील की यात्रा करती है।
- संरक्षण स्थिति: अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार बफ़-ब्रेस्टेड सैंडपाइपर को "खतरे के निकट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आर्कटिक टुंड्रा के बारे में मुख्य तथ्य:

- बायोम विवरण: आर्कटिक टुंड्रा सबसे उत्तरी बायोम है, जिसमें कुछ पेड़ों के साथ विशाल, शुष्क, चट्टानी परिदृश्य हैं।
- भौगोलिक सीमा: यह आर्कटिक सर्कल के उत्तर में ध्रुवीय बर्फ की टोपी तक की भूमि को कवर करती है और दक्षिण में कनाडा के हडसन खाड़ी क्षेत्र और आइसलैंड के उत्तरी भाग तक पहुंचती है।
- व्युत्पत्ति: शब्द "टुंड्रा" की उत्पत्ति फिनिश शब्द "टुनटुरी" से हुई है, जिसका अर्थ है 'पेड़ रहित मैदान।'
- पर्माफ्रॉस्ट: टुंड्रा की एक महत्वपूर्ण विशेषता पर्माफ्रॉस्ट है, जो

स्थायी रूप से जमी हुई जमीन को संदर्भित करता है। टुंड्रा की मिट्टी चट्टानी और पोषक तत्वों की कमी वाली है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का अपघटन धीमी गति से होता है।

- कार्बन सिंक: पेड़ों की अनुपस्थिति के बावजूद, पीट और ह्यूमस जमा में बड़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ पाए जाने के कारण टुंड्रा एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है।
- तापमान: टुंड्रा में तापमान गर्मियों में 15.5°C से सर्दियों में -60°C तक होता है। वर्ष के छह से दस महीनों तक औसत तापमान 0°C से नीचे रहता है।
- वार्षिक वर्षा: टुंड्रा में वार्षिक वर्षा लगभग 150 से 250 मिमी होती है। इस वर्षा का अधिकांश भाग कम तापमान के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है।

केंद्र ने रबी फसलों के लिए MSP बढ़ाया

खबरों में क्यों?

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ा दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है।
- MSP कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग और आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
- CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया।
- भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
- MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

MSP के तहत फसलें:

- CACP 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है।
- अनिवार्य फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।

उत्पादन लागत के तीन प्रकार:

- CACP प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है।
- 'A2': इसमें किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, किराए पर लिया गया श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर नकद और वस्तु के रूप में सीधे तौर पर की गई सभी भुगतान लागत शामिल है।
- 'A2+FL': इसमें A2 प्लस अवैतनिक पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल है।
- 'C2': यह एक अधिक व्यापक लागत है जो A2+FL के शीर्ष पर, स्वामित्व वाली भूमि और अचल पूंजी संपत्तियों के किराये और ब्याज को ध्यान में रखती है।
- CACP MSP की सिफारिश करते समय A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार करता है।
- CACP रिटर्न के लिए केवल A2+FL लागत की गणना करता है।

हालाँकि, C2 लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क संदर्भ लागत (अवसर लागत) के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा अनुशंसित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।

MSP की आवश्यकता:

- 2014 और 2015 के दोहरे सूखे ने किसानों को 2014 के बाद से कमोडिटी की कीमतों में गिरावट से पीड़ित होने के लिए मजबूर किया।
- नोटबंदी और जीएसटी के दोहरे झटके ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र को, बल्कि कृषि को भी।
- 2016-17 के बाद महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में मंदी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अधिकांश किसानों के लिए स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।
- डीजल, बिजली और उर्वरकों की ऊंची इनपुट कीमतों ने केवल दुख में योगदान दिया है।
- यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, जिससे कृषि संकट और गरीबी को कम करने में मदद मिलती है। यह उन राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।

MSP क्या होगा और कैसे होगा यह कौन तय करता है?

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक बुवाई सीजन की शुरुआत में MSP की घोषणा करती है।
- MSP की सिफारिश करते समय, CACP निम्नलिखित कारकों को देखता है:
- किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति;
- इसकी उत्पादन लागत;
- बाज़ार मूल्य रुझान (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों);
- अंतर-फसल मूल्य समता;
- कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें (अर्थात्, कृषि आदानों और कृषि उत्पादों की कीमतों का अनुपात);
- उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत;
- उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर MSP का संभावित प्रभाव।

भारत में MSP से संबंधित चिंताएँ:

सीमित प्रसार:

- MSP की आधिकारिक घोषणा 23 फसलों के लिए की जाती है, लेकिन व्यवहार में, केवल दो, चावल और गेहूं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत बड़े पैमाने पर खरीदे और वितरित किए जाते हैं।
- बाकी फसलों के लिए, MSP कार्यान्वयन तदर्थ और महत्वहीन है। इसका मतलब यह है कि गैर-लक्षित फसलें उगाने वाले अधिकांश किसानों को MSP से लाभ नहीं मिलता है।

अप्रभावी कार्यान्वयन:

- शांता कुमार समिति ने अपनी 2015 की रिपोर्ट में खुलासा किया कि वास्तव में किसानों को एमएसपी का केवल 6% ही प्राप्त हुआ था।
- इससे पता चलता है कि किसानों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 94%, MSP से लाभान्वित नहीं होता है। इसका मुख्य कारण किसानों के लिए अपर्याप्त खरीद तंत्र और बाजार पहुंच है।

तिरछी फसल का प्रभुत्व:

- चावल और गेहूं के लिए एमएसपी पर ध्यान केंद्रित करने से इन दो प्रमुख खाद्य पदार्थों के पक्ष में एक विषम फसल पैटर्न पैदा हुआ है। इन फसलों पर अत्यधिक जोर देने से पारिस्थितिक, आर्थिक और पोषण संबंधी प्रभाव पड़ सकते हैं।
- यह बाज़ार की माँगों के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिससे किसानों के लिए आय की संभावना सीमित हो जाएगी।

बिचौलियों पर निर्भरता:

- MSP-आधारित खरीद प्रणाली में अक्सर बिचौलिए, कमीशन एजेंट और कृषि उपज बाजार समितियों (APMC) के अधिकारी जैसे मध्यस्थ शामिल होते हैं।
- विशेष रूप से छोटे किसानों को इन चैनलों तक पहुंच चुनौतीपूर्ण लग सकती है, जिससे अक्षमताएं पैदा होंगी और उनके लिए लाभ कम हो जाएगा।

सरकार पर बोझ:

- सरकार MSP समर्थित फसलों के बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव में एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ उठाती है। इससे उन संसाधनों का विचलन हो जाता है जिन्हें अन्य कृषि या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया जा सकता है।

लघु हिमयुग (LIA)

खबरों में क्यों?

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत के पश्चिमी घाट में लघु हिमयुग (लिटिल आइस एज) (LIA) के दौरान नमी की स्थिति थी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह पिछले 10,000 वर्षों की सबसे ठंडी अवधियों में से एक थी, ठंडक की अवधि जो विशेष रूप से उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में स्पष्ट थी।
- यह शीत लहर, जिसकी सटीक समयरेखा पर विद्वान बहस करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह लगभग 600 साल पहले शुरू हुई थी, पूरे यूरोप में फसल की विफलता, अकाल और महामारी के लिए जिम्मेदार थी, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों को दुख और मृत्यु का सामना करना पड़ा।
- लघु हिमयुग मध्यकालीन वार्मिंग अवधि (लगभग 900-1300 ई.पू.) के बाद आया और वार्मिंग की वर्तमान अवधि से पहले आया जो 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ था।

जलवायु पर प्रभाव:

- यह यूरोप और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में अपने प्रभावों के लिए जाना जाता है।
- अल्पाइन ग्लेशियर अपनी पिछली (और वर्तमान) सीमा से बहुत नीचे बढ़ गए, जिससे स्विट्जरलैंड, फ्रांस और अन्य जगहों पर खेत, चर्च और गाँव नष्ट हो गए।
- बार-बार ठंडी सर्दियाँ और ठंडी, गीली गर्मियों के कारण उत्तरी और मध्य यूरोप के अधिकांश हिस्सों में फसलें बर्बाद हो गई और अकाल पड़ा। इसके अलावा, 17वीं शताब्दी में समुद्र के तापमान में गिरावट के कारण उत्तरी अटलांटिक कॉड मत्स्य पालन में गिरावट आई।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- इसने उस युग के दौरान वर्षा के पैटर्न में महत्वपूर्ण भिन्नताएं दिखाई, जिससे एलआईए के दौरान कम मानसूनी वर्षा के साथ समान रूप से ठंडी और शुष्क जलवायु की पारंपरिक धारणा को चुनौती मिली।
- इसने सुझाव दिया कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन (ITCZ) के उत्तर की ओर बढ़ने, सकारात्मक तापमान विसंगतियों, सनस्पॉट की संख्या में वृद्धि और उच्च सौर गतिविधि के कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है और दक्षिण पश्चिम मानसून में वृद्धि हो सकती है।
- उन्होंने एलआईए के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (ISM) के सबसे कमजोर चरण को सामान्य तौर पर आईटीसीजेड के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो ठंडे उत्तरी गोलार्ध के दौरान भूमध्य रेखा के पार उत्तर की ओर ऊर्जा प्रवाह में वृद्धि के परिणामस्वरूप हुआ।
- वर्तमान अध्ययन में उत्पन्न उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले पुराजलवायु रिकॉर्ड भविष्य की जलवायु संबंधी भविष्यवाणियों और वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ नीति योजना के लिए पुराजलवायु मॉडल विकसित करने में सहायक हो सकते हैं।
- होलोसीन के दौरान जलवायु परिवर्तन और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (ISM) परिवर्तनशीलता का ज्ञान और समझ वर्तमान ISM-प्रभावित जलवायु परिस्थितियों, साथ ही संभावित भविष्य के जलवायु रुझानों और अनुमानों की समझ को मजबूत करने के लिए अत्यधिक रुचिकर हो सकती है।

सिएना गैलेक्सी एटलस (SGA)

खबरों में क्यों?

हाल ही में, खगोलविदों ने आकाशगंगा के ब्रह्मांडीय पड़ोस में 400,000 आकाशगंगाओं का एक सुंदर एटलस बनाया है और इसे सिएना गैलेक्सी एटलस नाम दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एक डिजिटल एटलस है जिसे कई ज्ञात आकाशगंगाओं के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से जानने के लिए बनाया गया था।
- इसे 2014 और 2017 के बीच सेरो टोलोलो इंटर-अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी (CTIO) और किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी (KPNO) में एकत्र किए गए तीन खगोलीय सर्वेक्षणों के डेटा का उपयोग करके बनाया गया था। कुल मिलाकर, इन सर्वेक्षणों को DESI लिगेसी सर्वेक्षण के रूप में जाना जाता है।

यह अन्य एटलस से किस प्रकार भिन्न है?

- यह पिछले एटलस के विपरीत, उन्नत तकनीक द्वारा खींची गई अत्याधुनिक डिजिटल छवियों पर निर्भर है, जो प्राचीन उपकरणों और फोटोग्राफिक प्लेटों पर निर्भर थे।
- चूंकि यह अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों से खींची गई छवियों पर बनाया गया है, यह सबसे सटीक डेटा का दावा करता है।
- यह आकाशगंगाओं के प्रकाश प्रोफाइल को प्रदर्शित करने वाला पहला ब्रह्मांडीय एटलस भी है- एक वक्र जो बताता है कि आकाशगंगा की चमक उसके सबसे चमकीले बिंदु से सबसे कम बिंदु तक कैसे बदलती है।

महत्व

- ब्रह्मांडीय एटलस खगोलविदों को पैटर्न पहचानने में मदद करते हैं जो नई खोजों को वर्गीकृत करने में मदद करते हैं, जैसे तारे जो अचानक चमकते हैं और फिर गायब हो जाते हैं (इसलिए इन्हें 'क्षणिक' कहा जाता है)।
- ये एटलस खगोलविदों को यह पहचानने की भी अनुमति देते हैं कि कौन सी वस्तुएं विस्तृत अनुवर्ती अध्ययन के लिए दावेदार हैं।
- यह आकाशगंगाओं के जन्म और विकास से लेकर डार्क मैटर के वितरण और अंतरिक्ष के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण तरंगों के प्रसार तक हर चीज की जांच करने में मदद करता है।

इंजन रहित हवाई जहाज उड़ना

खबरों में क्यों?

हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने संचालित हैंग ग्लाइडर के संचालन के संबंध में नियमों का एक नया सेट जारी किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हैंग ग्लाइडर एक प्रकार का विमान है जो ऊपर रहने के लिए वायु धाराओं का उपयोग करता है।
- अन्य विमानों के विपरीत, हैंग ग्लाइडर में कोई इंजन या प्रोपेलर नहीं होता है।
- इसके बजाय, वे हवा में बने रहने के लिए हवा पर निर्भर रहते हैं।

यह कैसे काम करता है?

- चूंकि हैंग ग्लाइडर में शक्ति नहीं होती, इसलिए वह निचली जमीन से उड़ान नहीं भर सकता। इसे किसी ऊंचे स्थान, जैसे किसी पहाड़ी या पहाड़ से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए।
- हैंग ग्लाइडर पर गुरुत्वाकर्षण मुख्य बल है। यह पायलट और विंग का वजन है।
- वजन वह जोर पैदा करता है जो एयरोफ़ॉइल को हवा में गतिमान रखता है।
- पंख का एयरोफ़ॉइल आकार हैंग ग्लाइडर को पत्थर की तरह गिरने से रोकता है। यह लिफ्ट पैदा करता है।
- एयरोफ़ॉइल पंख के शीर्ष पर बहने वाली हवा को तेज़ी से चलने के लिए मजबूर करता है, जिससे यह कम दबाव वाले क्षेत्र का निर्माण करने के लिए 'खिंचाव' करता है।
- इस बीच, पंख की नीचे और आगे की गति पंख के नीचे बहने वाली हवा को संपीड़ित करती है।
- एयरोफ़ॉइल को फिर कम दबाव वाले क्षेत्र में खींचा जाता है, जिससे लिफ्ट उत्पन्न होती है।
- उड़ान के दौरान, दिशा बदलने और गति बदलने के लिए पायलट ट्रेपेज़ द्वारा विमान को नियंत्रित करता है।

संचालित हैंग ग्लाइडर:

- एक संचालित हैंग ग्लाइडर एक ऐसा विमान है जो पारंपरिक हैंग ग्लाइडर की विशेषताओं को एक संचालित विमान की विशेषताओं के साथ जोड़ता है।
- इनमें आम तौर पर फ्रेम से जुड़ा एक छोटा इंजन होता है, जो पायलट को थर्मल या अन्य मौसम की स्थिति पर निर्भर किए बिना उड़ान भरने और हवा में रहने की अनुमति देता है।
- यह उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए एक अच्छा विकल्प बना सकता है जिसके पास हवा में रहने के लिए हवाओं का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त अनुभव नहीं है।

संचालित हैंग ग्लाइडर पर DGCA विनियम:

- किसी भी व्यक्ति को डीजीसीए-अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक से पूर्व अनुमति के बिना संचालित हैंग ग्लाइडर संचालित करने की अनुमति नहीं है।
- योग्य परीक्षक या प्रशिक्षक के पास संचालित हैंग ग्लाइडर पर कम से कम 50 घंटे का अनुभव होना चाहिए, जिसमें दोहरी मशीन पर कम से कम 10 घंटे का अनुभव शामिल है।
- इसके अलावा, अनुमोदित परीक्षक या प्रशिक्षक पूरी तरह से जांच करने और अन्य व्यक्तियों को उड़ान भरने के लिए अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है।
- संचालित हैंग ग्लाइडर पर परीक्षण उड़ानें आयोजित करने से पहले व्यक्तियों को विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इसमें संचालित हैंग ग्लाइडर पर कम से कम 25 घंटे की उड़ान के अनुभव के साथ वैध वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (CPCL) रखना शामिल है।
- वैकल्पिक रूप से, संशोधित नियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति के पास संचालित हैंग ग्लाइडर पर 50 घंटे की उड़ान के अनुभव के साथ प्राधिकरण होना चाहिए।
- DGCA ने आदेश दिया है कि पावर्ड हैंग ग्लाइडर की बिक्री या हस्तांतरण से जुड़े किसी भी लेनदेन के साथ डीजीसीए द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना चाहिए। यह प्रमाणपत्र गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा संभावित खरीदारों की गहन पृष्ठभूमि जांच के बाद ही प्रदान किया जाएगा।
- किसी भी मालिक या ऑपरेटर को किसी व्यक्ति या इकाई को संचालित हैंग ग्लाइडर पट्टे पर देने, किराए पर देने या उधार देने की अनुमति नहीं है।
- संचालित हैंग ग्लाइडर पर किसी भी रिमोट सेंसिंग उपकरण, हथियार, या फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरणों का उपयोग MHA की स्पष्ट अनुमति के बिना सख्ती से प्रतिबंधित है, जब तक कि इसे विमान के सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक न समझा जाए या संबंधित द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए।
- मालिक या ऑपरेटर द्वारा प्रत्येक उड़ान से पहले पार्किंग स्थल के साथ-साथ संचालन स्थल पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा अनुमोदित सुरक्षा उपायों को अपनाया जाएगा।

अमेज़न वर्षावनों में सूखा

खबरों में क्यों?

अमेज़न वर्षावन भीषण सूखे से जूझ रहा है। यात्रा के लिए महत्वपूर्ण कई नदियाँ सूख गई हैं। परिणामस्वरूप, क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के गांवों में कोई पानी, भोजन या दवा नहीं है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अमेज़ॅन वर्षावन, जिसे अमेज़ॅन जंगल या अमेज़ोनिया के रूप में भी जाना जाता है, अमेज़ॅन बायोम में स्थित एक हरा-भरा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है जो दक्षिण अमेरिका में अधिकांश अमेज़ॅन बेसिन को कवर करता है।
- 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस क्षेत्र में 3,300 से अधिक औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्वदेशी क्षेत्र और नौ देशों में फैले हुए हैं।
- ब्राज़ील के पास इस जंगल का बड़ा हिस्सा है, जो इसके 60% विस्तार को कवर करता है, इसके बाद पेरू (13%) और कोलंबिया (10%) का स्थान है।

अमेज़न वर्षावनों में अभूतपूर्व सूखा:

- जुलाई 2023 और सितंबर 2023 के बीच, ब्राजील के आठ राज्यों में 40 से अधिक वर्षों में सबसे कम वर्षा स्तर दर्ज किया गया।
- अनुमान बताते हैं कि साल के अंत तक औसत से कम बारिश जारी रहने का अनुमान है।
- यह चल रहा सूखा अमेज़ॅन के बढ़ते क्षरण में एक और योगदान कारक के रूप में उभर रहा है, जिसे अक्सर 150 अरब मीट्रिक टन से अधिक कार्बन के भंडारण के कारण पृथ्वी के "फेफड़े" के रूप में जाना जाता है।

लंबे समय तक सूखे के प्रभाव:

- रियो नीग्रो, जो डिस्चार्ज वॉल्यूम के हिसाब से ग्रह की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, घटकर 13.59 मीटर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है।
- सूखे ने अमेज़ॅन की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मदीरा नदी को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिससे ऐतिहासिक रूप से कम जल स्तर के कारण ब्राजील के चौथे सबसे बड़े जलविद्युत बांध, सैंटो एंटोनियो में परिचालन को निलंबित कर दिया गया है।
- जल स्तर में कमी के कारण चिंताजनक संख्या में मछलियाँ और नदी डॉल्फ़िन, जिन्हें स्थानीय रूप से बोटो के नाम से जाना जाता है, मृत पाई गई हैं।
- इन जलीय जीवों के सड़ते शवों ने कुछ क्षेत्रों में जल स्रोतों को दूषित कर दिया है, जिससे निवासियों को खाना पकाने, स्नान और पीने के लिए इस पानी का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
- ब्राजील के अधिकारियों ने चिंता व्यक्त की है कि अक्टूबर के अंत तक लगभग 500,000 व्यक्ति सूखे से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- अमेज़ॅनस राज्य का सबसे बड़ा शहर और राजधानी मनौस, जो सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, ने पानी की गंभीर कमी के कारण 62 में से 55 नगर पालिकाओं में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है।
- असामान्य रूप से शुष्क परिस्थितियों ने अमेज़ॅन वर्षावनों में जंगल की आग की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है, जिससे इस महीने अमेज़ॅनस राज्य में 2,700 जंगल की आग की सूचना मिली है, जो पिछले 25 वर्षों में अक्टूबर के महीने में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है।
- इन जंगल की आग से उत्पन्न धुएं ने अमेज़ॅन के केंद्र में स्थित दो मिलियन निवासियों वाले शहर मनौस में हवा की गुणवत्ता को काफी कम कर दिया है, जो खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है।

अमेज़न सूखे के अंतर्निहित कारण:

ऐतिहासिक प्राथमिकता:

- जबकि अमेज़ॅन में सूखे की अवधि अभूतपूर्व नहीं है, वर्षावन ने 2021 में गंभीर सूखे का अनुभव किया, जो कम से कम नौ दशकों में सबसे खराब में से एक के रूप में चिह्नित है।
- हालाँकि, वर्तमान सूखा दो प्राकृतिक घटनाओं के एक साथ घटित होने के कारण और भी अधिक गंभीर लगता है, जिसने बादलों के निर्माण को बाधित कर दिया है, जिससे क्षेत्र में पहले से ही कम वर्षा का स्तर और अधिक बढ़ गया है।

एल-नीनो का प्रभाव:

- एल-नीनो की विशेषता भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है, जिससे वैश्विक मौसम पैटर्न बदल जाता है।
- इस मौसम की घटना को स्थलीय और समुद्री दोनों वातावरणों सहित दुनिया भर के कई क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी की घटनाओं और रिकॉर्ड-तोड़ तापमान की संभावना को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।

उच्च अटलांटिक महासागर तापमान:

- एक अन्य योगदान कारक उत्तरी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर में देखा गया असाधारण रूप से उच्च जल तापमान है।
- यह प्रक्रिया समुद्र के पानी के गर्म होने से शुरू होती है, जिससे गर्म हवा वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ती है और अंततः अमेज़ॅन वर्षावन तक पहुंचती है।
- गर्म हवा का प्रवाह बादलों के निर्माण में बाधा डालता है, जिसके परिणामस्वरूप वर्षा में उल्लेखनीय कमी आती है।

GEO IAS It's about quality

अमेज़ॅन वर्षावनों के भविष्य के लिए चौंकाने वाले शोध निष्कर्ष:

- वर्षों से किए गए शोध के एक समूह ने संकेत दिया है कि जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ेगा, अमेज़ॅन में अधिक बार और लंबे समय तक सूखे का अनुभव होगा।
- 2022 में "प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज" (PNAS) पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि यदि जीवाश्म ईंधन के दहन की वर्तमान दर जारी रहती है, तो अमेज़ॅन 2060 तक 90% वर्षों में बड़े सूखे का सामना कर सकता है।
- 2022 में "नेचर" पत्रिका में छपे एक अन्य अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया कि अमेज़ॅन वर्षावन की विस्तारित सूखे से उबरने की क्षमता पिछले दो दशकों में कम हो गई है, जो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है।
- इस महत्वपूर्ण बिंदु से परे, अमेज़ॅन एक हरे-भरे जंगल से एक सूखे, खुले सवाना में परिवर्तित हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में कार्बन भंडार निकल जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और अधिक बढ़ जाएगी।
- पिछले पांच दशकों में, अमेज़ॅन का लगभग 17% से 20% विस्तार नष्ट हो गया है।
- विशेषज्ञ अमेज़ॅन की सुरक्षा के लिए वनों की कटाई और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने की तात्कालिकता के साथ-साथ पुनर्वनीकरण प्रयासों के माध्यम से ख़राब क्षेत्रों को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

सिक्किम में जल विद्युत परियोजनाओं पर बाढ़ का असर

खबरों में क्यों?

हाल ही में तीस्ता नदी में अचानक आए उफान से सिक्किम में बस्तियां, चुंगथांग बांध, कई पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के कुछ हिस्से बह गए।

महत्वपूर्ण बिंदु

बाढ़ किस कारण आई?

- सिक्किम और पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी में बाढ़ GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) नामक घटना से उत्पन्न हुई थी।
- GLOF ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील से पानी का अचानक निकलना है जो ग्लेशियर के किनारे, सामने, भीतर, नीचे या सतह पर बनता है।
- सिक्किम में बाढ़ के मामले में, बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा ग्लेशियर से झील में गिर गया होगा, जिससे लहरें पैदा हुईं, जिससे मोराइन बांध ढह गया, जिससे GLOF बन गया और तीस्ता में नीचे की ओर गंभीर बाढ़ आ गई।

जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति:

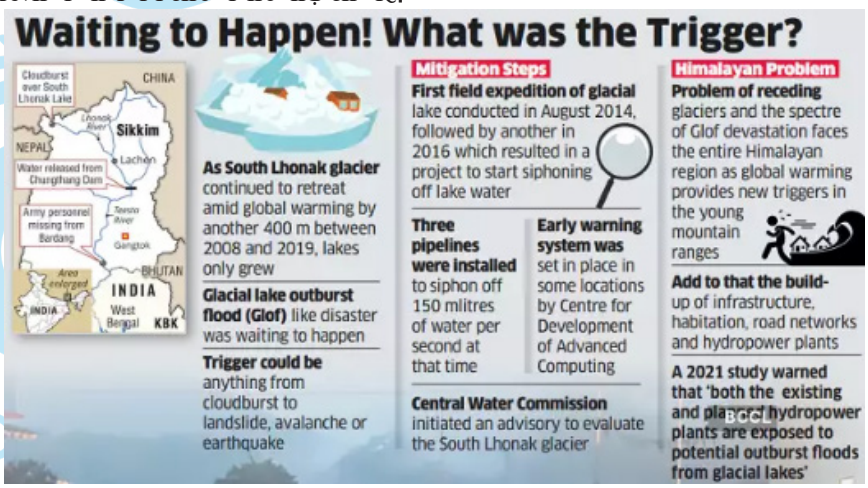

- उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग गांव में स्थित 1,200 मेगावाट की तीस्ता चरण-III जल विद्युत परियोजना ध्वस्त हो गई।
- चुंगथांग बांध, जिसमें सिक्किम ऊर्जा के तहत राज्य सरकार की बहुमत हिस्सेदारी है, ने बिजली उत्पादन बंद कर दिया है और बीमा दावा दायर किया है।
- बाढ़ के बाद, न केवल तीस्ता चरण III जल विद्युत परियोजना, बल्कि सिक्किम में तीस्ता नदी पर सभी चालू जल विद्युत परियोजनाएँ व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय हो गई हैं।
- बाढ़ के कारण सिक्किम में जल विद्युत परियोजनाओं से लगभग 1,806 मेगावाट बिजली उत्पादन रुक गया है।
- सिक्किम सरकार ने अभी तक मौद्रिक संदर्भ में क्षति की मात्रा निर्धारित नहीं की है।
- GLOF-ट्रिगर बाढ़ के कारण होने वाला नुकसान हजारों करोड़ रुपये का होगा और निश्चित रूप से सिक्किम भूकंप (2011) से अधिक होगा, जहां नुकसान का अनुमान 7,425 करोड़ रुपये था।

आउटलुक:

- कार्यकर्ता और वैज्ञानिक प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं।
- त्रासदी के बाद, सरकार को प्रस्तावित तीस्ता IV परियोजना को रद्द कर देना चाहिए और आगामी तीस्ता VI परियोजना की समीक्षा करनी चाहिए।
- सिक्किम सरकार ने राज्य की सतर्कता पुलिस को तीस्ता III बांध परियोजना के निर्माण में किसी भी आपराधिक अनियमितता की व्यापक जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

निर्माण धूल

खबरों में क्यों?

मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने मुंबई शहर को व्यापक पैमाने और मात्रा में अभूतपूर्व पैमाने पर निर्माण धूल से ढक दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5 (2.5 माइक्रोन या उससे कम व्यास वाले सूक्ष्म कण) और PM10 (10 माइक्रोन या उससे कम व्यास वाले सूक्ष्म कण) के रिकॉर्ड स्तर का पता चला है, जो मिलकर प्रदूषकों का एक घातक कॉकटेल बनाते हैं, जिन्हें सांस के जरिए अंदर लिया जा सकता है।

इसमें क्या शामिल है?

- निर्माण धूल कणिकीय पदार्थ को बाहर फेंकती है जिसकी संरचना तरल और ठोस तत्वों का मिश्रण होती है जिसमें सीमेंट, रेत, पत्थर, लकड़ी, रसायन और यहां तक कि धातु भी शामिल है।
- सीमेंट के उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOX), और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC) जैसे रासायनिक उत्तेजक पदार्थ निकलते हैं, जो श्वसन पथ को नुकसान पहुंचता हैं।
- अध्ययनों से यह भी पता चला है कि सीमेंट उत्पादन में सीसा, कैडमियम और क्रोमियम जैसी भारी धातुएँ शामिल हो सकती हैं, और उनका अंत:श्वसन तंत्रिका संबंधी विकारों, गुर्दे की क्षति और कैंसर सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के पीछे भी है।

प्रभाव:

- सीमेंट हैंडलिंग, जो सभी निर्माणों में आम है, PM2.5 और PM10 उत्पन्न करता है जो श्वसन प्रणाली में गहराई से प्रवेश कर सकता है।
- महीन PM2.5 फेफड़ों के गहरे हिस्सों में जा सकता है और उनमें समा सकता है, जबकि PM10 आमतौर पर फेफड़ों के ऊपरी क्षेत्र के बड़े वायुमार्ग पर जमा होता है।
- इन कणों के अंदर जाने से फेफड़ों में जलन, सूजन हो सकती है और अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) जैसी पहले से मौजूद स्थितियां खराब हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगातार खांसी और घरघराहट जैसे लक्षण हो सकते हैं।
- लंबे समय तक संपर्क में रहने से गले में जलन, खांसी और सांस फूलने की समस्या हो सकती है, जो संभावित रूप से श्वसन संबंधी बीमारियों में योगदान दे सकती है या बिगड़ सकती है
- PM2.5 के संपर्क में: PM2.5 के लंबे समय तक (महीनों से वर्षों तक) संपर्क को समय से पहले मौत से जोड़ा गया है, खासकर उन लोगों में जिन्हें पुरानी हृदय या फेफड़ों की बीमारियां हैं, और बच्चों में फेफड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि कम हो गई है।
- PM 10 के संपर्क में: PM 10 के लंबे समय तक संपर्क के प्रभाव कम स्पष्ट हैं, हालांकि कई अध्ययन दीर्घकालिक PM10 के संपर्क और श्वसन रोगों के बीच एक संबंध का सुझाव देते हैं।

निर्माण श्रमिकों पर प्रभाव:

- निर्माण श्रमिक विशेष रूप से निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले वायु कणों के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं।
- निर्माण धूल के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सिलिकोसिस जैसी व्यावसायिक बीमारियाँ हो सकती हैं, जो फेफड़ों को कमजोर करने वाली स्थिति है।
- धूल के महीन कण रक्तप्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे श्रमिकों में हृदय और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

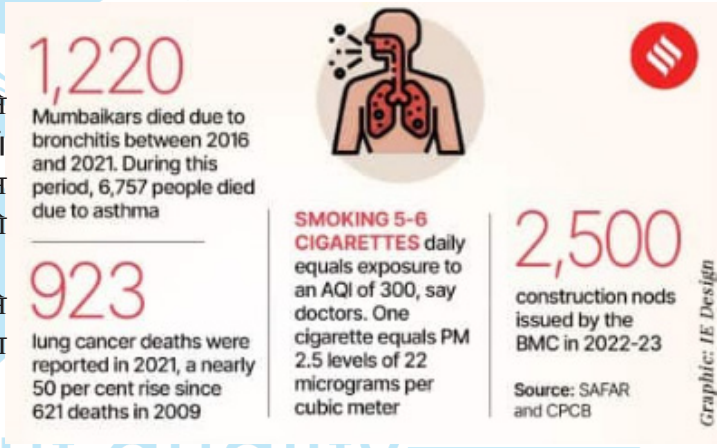

आउटलुक:

- उचित उपकरण: उत्पन्न वायु प्रदूषण को कम करते हुए निर्माण उद्योग में काम करने वालों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और धूल नियंत्रण सहित पर्याप्त कार्यस्थल सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- जागरूकता: चूंकि निर्माण धूल का प्रभाव स्वास्थ्य पर काफी महत्वपूर्ण है, विशेषज्ञ अधिक जागरूकता, निर्माण कार्य करते समय सावधान रहने और मलबे को संभालते समय सावधान रहने का आह्वान करते हैं।
- सरकार द्वारा उपाय: दिशानिर्देशों के कड़े कार्यान्वयन के अलावा, नागरिक निकायों को निर्माण स्थलों से अपशिष्ट सामग्री और मलबे को रीसाइक्लिंग करने के उपाय भी करने चाहिए और साथ ही निर्माण स्थलों पर पुनर्नवीनीकृत मलबे को फिर से उपयोग करने के उपाय भी करने चाहिए। नगर निगम को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह धूल को नियंत्रित करने और कम करने के लिए एक मजबूत नीति विकसित करे।
- कचरे का पृथक्करण: निर्माण और विध्वंस कार्य के दौरान बहुत सारा कचरा उत्पन्न होता है, जिसका निपटान सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण पहलू इस कचरे को अलग करना और उसके बाद इसे रीसाइक्लिंग संयंत्रों तक पहुंचाना है। इस पुनर्चक्रित कचरे का उपयोग दोबारा निर्माण कार्य में किया जा सकता है।

सूक्ष्म शैवाल

खबरों में क्यों?

एक नए अध्ययन के अनुसार, माइक्रोएल्गे, जो समुद्र में खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए एक अनूठी रणनीति पर भरोसा करते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

सूक्ष्म शैवाल कैसे अनुकूलन कर रहे हैं?

- चूंकि जलवायु परिवर्तन से समुद्र में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, समुद्री सूक्ष्म शैवाल या यूकेरियोटिक फाइटोप्लांकटन रोडोप्सिन नामक प्रोटीन को प्रज्वलित करते हैं।
- यह मानव आंख में प्रोटीन से संबंधित है जो कम रोशनी में दृष्टि के लिए जिम्मेदार है।
- यह प्रकाश-प्रतिक्रियाशील प्रोटीन पारंपरिक क्लोरोफिल के स्थान पर सूर्य के प्रकाश की मदद से सूक्ष्म शैवाल को पनपने में मदद कर रहा है।

माइक्रोबियल रोडोप्सिन क्या हैं?

- माइक्रोबियल रोडोप्सिन को समुद्र में प्रमुख प्रकाश संग्राहक के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
- अनुमान से पता चलता है कि वे समुद्र में क्लोरोफिल-आधारित प्रकाश संश्लेषण जितना प्रकाश अवशोषित कर सकते हैं, जो ऊर्जा और भोजन उत्पन्न करने के लिए प्रकाश भी ग्रहण करता है।

अनुकूलन की आवश्यकता:

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूमि पर सूखा बढ़ रहा है और यही बात समुद्र में भी हो रही है:
- सतही जल जितना गर्म होता है, इन सतही जल परतों में पोषक तत्व उतने ही कम होते हैं।
- महासागरों के गर्म होने के कारण सतही जल और पोषक तत्वों से भरपूर गहरे पानी के बीच मिश्रण कम हो जाता है।
- इसलिए सतह पर पोषक तत्व दुर्लभ हो जाते हैं, जिससे शीर्ष परत में मौजूद सूक्ष्म शैवाल जैसे प्राथमिक उत्पादक प्रभावित होते हैं।
- शैवाल भूखे रहते हैं और इसलिए, कम भोजन पैदा करते हैं और वातावरण से कम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- रोडोप्सिन की भूमिका को समझने के लिए, शोधकर्ताओं ने उन्हें प्रयोगशाला में क्लोन किया और पुष्टि की कि वे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रकाश को पकड़ते हैं।
- रोडोप्सिन कम अक्षांशों में अधिक केंद्रित पाए गए, जहां समुद्र के पानी का मिश्रण कम होता है और घुले हुए लोहे सहित पोषक तत्वों की कम सांद्रता होती है।
- शैवाल को भोजन का उत्पादन करने और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है।
- सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने के लिए सूक्ष्म शैवाल को बहुत अधिक मात्रा में लोहे की आवश्यकता होती है।

दक्षिणी महासागर की प्रासंगिकता:

- यह दक्षिणी महासागर के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो सबसे बड़ा लौह-सीमित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है।
- लेकिन वे क्रिल, मछली, पेंगुइन और व्हेल जैसे उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी आबादी का घर हैं, जो माइक्रोएल्गे जैसे प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर हैं।

अध्ययन का महत्व:

- इन निष्कर्षों में बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने की क्षमता है, जैसे कि समुद्र का गर्म होना और यहां तक कि फसलों की उत्पादकता में कमी।
- उसी तंत्र को उन रोगाणुओं की गतिविधि को बढ़ाने के लिए तैनात किया जा सकता है जो प्रकाश का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे कि खमीर।
- इन्हें संशोधित किया जा सकता है ताकि वे विकास के लिए प्रकाश का उपयोग कर सकें, जो जैव प्रौद्योगिकी में वांछनीय है, जैसे कि इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, एंटीवायरल और यहां तक कि जैव ईंधन का उत्पादन।

4 अर्थव्यवस्था

RBI की यथास्थिति

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी हालिया मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लगातार चौथी बार प्रमुख ब्याज दरों पर यथास्थिति बरकरार रखी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- RBI ने जून 2023 से समायोजन रुख को वापस लेना जारी रखा है, जब उसने रेपो दर को 25 आधार अंक (BPS) बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। फरवरी 2020 के बाद यह पहली दर बढ़ोतरी थी, जब रेपो दर 5.15% थी। आरबीआई ने मौद्रिक नीति को सख्त करने के कारणों के रूप में बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव, आपूर्ति पक्ष के झटके और वैश्विक अनिश्चितताओं का हवाला दिया।
- तब से, RBI ने लगातार चार बैठकों के लिए रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है, जिसमें 6 अक्टूबर, 2023 की नवीनतम बैठक भी शामिल है।
- MPS ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया और छह में से पांच सदस्यों ने आवास रुख को वापस लेने को बरकरार रखने के लिए मतदान किया। आरबीआई ने कहा कि वह मुद्रास्फीति की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगा और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकतानुसार और उपाय करेगा।

अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों के लिए निहितार्थ

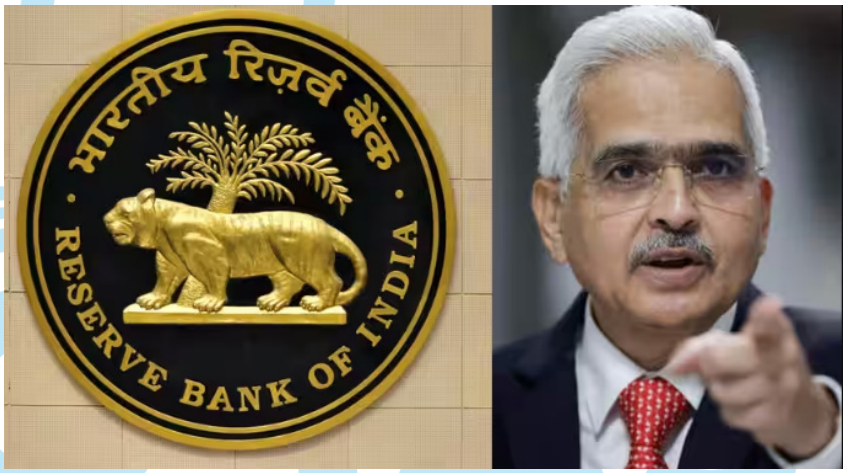

- यह संकेत देता है कि आरबीआई मुद्रास्फीति के बारे में चिंतित है और मूल्य स्थिरता के लिए कुछ विकास का त्याग करने को तैयार है। आरबीआई ने 2023-24 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को अगस्त में 5.1% से संशोधित कर अक्टूबर में 5.4% कर दिया है, जिसमें कमोडिटी की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, मांग दबाव और राजकोषीय फिसलन को उल्टा जोखिम बताया गया है। RBI का मुद्रास्फीति लक्ष्य +/- 2% के सहनशीलता बैंड के साथ 4% है।
- यह इंगित करता है कि आरबीआई मौद्रिक नीति को धीरे-धीरे सामान्य करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि अर्थव्यवस्था महामारी के झटके से उबर रही है। आरबीआई को उम्मीद है कि मजबूत खपत, निवेश, निर्यात और सरकारी खर्च द्वारा समर्थित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2020-21 में 7.3% के संकुचन से बढ़कर 2023-24 में 9.5% हो जाएगी। आरबीआई को यह भी उम्मीद है कि 2024-25 में विकास की गति लगभग 8% बनी रहेगी।
- यह बाजार में उधार लेने की लागत और बांड पैदावार को प्रभावित करता है। समायोजन रुख को वापस लेने का मतलब है कि आरबीआई द्वारा दरों में और कटौती की गुंजाइश कम है और अगर मुद्रास्फीति बनी रही तो भविष्य में दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। इससे उच्च ब्याज दरों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं और बांड की मांग कम हो जाती है, जिससे बांड पैदावार अधिक हो जाती है। उच्च बांड पैदावार से सरकार, कॉरपोरेट्स और परिवारों के लिए उधार लेने की लागत भी बढ़ जाती है।

आवास की वापसी से निपटने के लिए कदम

- सरकार ने महामारी के दौरान और उसके बाद अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए विभिन्न वित्तीय उपायों की घोषणा की है, जैसे प्रोत्साहन पैकेज, कर राहत, व्यय पुनर्प्राथमिकता, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और निजीकरण योजनाएं। सरकार ने 2023-24 के लिए अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को फरवरी में सकल घरेलू उत्पाद के 6.8% से संशोधित कर जुलाई में सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% कर दिया है, जो कुछ राजकोषीय समेकन का संकेत देता है।
- सरकार और RBI ने सुचारू बाजार कामकाज और ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यों का समन्वय किया है। सरकार ने एक लचीला और पारदर्शी उधार कैलेंडर अपनाया है और बांड जारी करने के आकार, समय और परिपक्वता पर आरबीआई की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। RBI ने बांड बाजार को समर्थन देने और उपज वक्र को कम करने के लिए विशेष OMO, ऑपरेशन ट्विस्ट और G-SAP (सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम) भी आयोजित किए हैं।
- सरकार और RBI ने मुद्रास्फीति में योगदान देने वाले संरचनात्मक मुद्दों और आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर करने के लिए भी कदम उठाए हैं। सरकार ने उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कृषि, श्रम, बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्रों में विभिन्न सुधारों की घोषणा की है। RBI ने मुद्रास्फीति की उम्मीदों और नीति दृष्टिकोण पर अपने संचार और मार्गदर्शन को भी बढ़ाया है।

चुनौतियां

- कई महीनों तक मुद्रास्फीति का आरबीआई की लक्ष्य सीमा से ऊपर बने रहना मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कम कर सकता है। यह उपभोक्ताओं, विशेषकर गरीबों और कमजोर वर्गों की वास्तविक आय और क्रय शक्ति को भी कम कर सकता है। यह बाह्य संतुलन और विनिमय दर स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है।
- वैश्विक माहौल में अनिश्चितता और अस्थिरता भारत की विकास संभावनाओं और वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का उद्भव, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच मौद्रिक नीतियों में विचलन, भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी की कीमतों और पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव कुछ ऐसे कारक हैं जो भारत के लिए झटके और प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
- जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था महामारी से उभर रही है, विकास और मुद्रास्फीति के बीच समझौता अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आरबीआई को कम ब्याज दरों के साथ विकास का समर्थन करने या उच्च ब्याज दरों के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के बीच दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आरबीआई को सिस्टम में पर्याप्त तरलता प्रदान करने या सिस्टम से अतिरिक्त तरलता निकालने के बीच भी संतुलन बनाना पड़ सकता है।

सफेद वस्तुओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना

खबरों में क्यों?

भारत में सफेद वस्तुओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश भाग लेने वाली कंपनियों के लिए अधिक निगरानी, स्पष्टता और लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण बदलावों को दर्शाते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- योजना अब चालू है। 64 चयनित लाभार्थियों में से 15 लाभार्थियों, जिन्होंने 31 मार्च, 2022 तक गर्भधारण अवधि का विकल्प चुना है, ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
- शेष लाभार्थी जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक गर्भधारण अवधि का विकल्प चुना है, वे कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- व्हाइट गुड्स के लिए PIL योजना भारत में एयर कंडीशनर और LED लाइट्स उद्योग के लिए एक संपूर्ण घटक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। घरेलू मूल्यवर्धन मौजूदा 15-20% से बढ़कर 75-80% होने की उम्मीद है।

संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य बिंदु

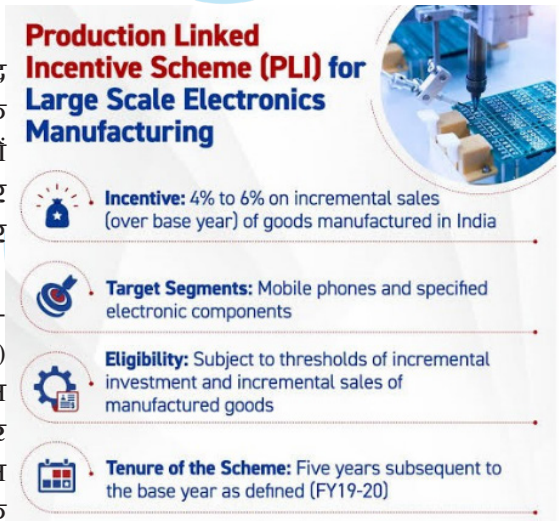

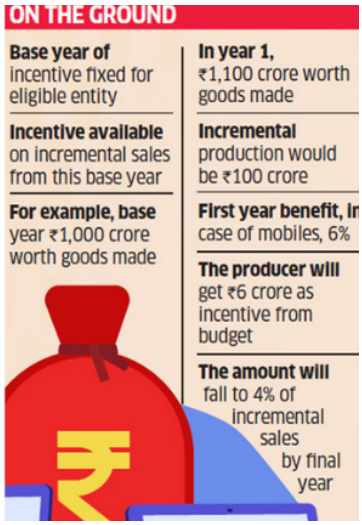

- संशोधित फॉर्मूला: सरकार ने सफेद वस्तुओं के लिए पीएलआई योजना के तहत कैप्टिव उपयोग, समूह कंपनियों और संबंधित पक्षों को बिक्री के लिए उत्पादन के मूल्य की गणना के लिए एक संशोधित फॉर्मूला पेश किया है।
- निरीक्षण और सत्यापन: परियोजना प्रबंधन एजेंसी (इस मामले में आईएफसीआई) चयनित निर्माताओं द्वारा प्रोत्साहन दावों की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) को लाभार्थियों के विनिर्माण स्थलों का दौरा करने का अधिकार दिया गया है।
- विवाद समाधान: सैमसंग जैसी कंपनियों द्वारा किए गए प्रोत्साहन दावों की मात्रा पर विवाद थे। आउटपुट नंबरों के पुन: सत्यापन के बाद, मुद्दों का समाधान हो गया है, और कंपनी को एक संशोधित प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी।
- संबंधित-पार्टी बिक्री के लिए दिशानिर्देश: दिशानिर्देश लागत लेखाकार द्वारा प्रमाणित, संबंधित पार्टियों को बिक्री के लिए हाथ की लंबाई की कीमत निर्धारित करने के लिए लागत-प्लस मानदंड के उपयोग की अनुमति देते हैं। नए निवेश के कारण अतिरिक्त आउटपुट का मूल्य प्रोत्साहन का दावा करने का आधार है।
- अतिरिक्त धन की वापसी: वैधानिक अनुपालन से मेल नहीं खाने वाले दावों के आधार पर प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त अतिरिक्त धन वापस करना होगा।
- विस्तारित दावा दायर करने की अवधि: एक वित्तीय वर्ष के लिए दावे दाखिल करने की समय सीमा अगले वर्ष की 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है, जिससे कंपनियों को अपने दावे दायर करने के लिए अधिक समय मिल गया है।
- अतिरिक्त उत्पादन स्थल: कंपनियों के पास अपने द्वारा स्थापित अतिरिक्त उत्पादन स्थलों के बारे में सरकार को सूचित करने के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से तीन साल (दो के बजाय) का समय होता है।
- निवेश की गणना: कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की मात्रा निर्धारित करने के लिए संयंत्र और मशीनरी की गणना में लंबित टूल रूम को जोड़ा जाएगा।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI):

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PIL) योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य कंपनियों को घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बढ़ती बिक्री पर प्रोत्साहन देना है।
- यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है, हालांकि, इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने या विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना और अधिक रोजगार पैदा करना और अन्य देशों से आयात पर देश की निर्भरता में कटौती करना भी है।
- इसे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था, लेकिन बाद में 2020 के अंत में 10 अन्य क्षेत्रों के लिए पेश किया गया था। यह योजना भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप शुरू की गई थी।

इस योजना ने शुरू में तीन उद्योगों को लक्षित किया:

- मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण
- विद्युत घटक विनिर्माण
- चिकित्सा उपकरण।

MPC की बैठक

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लगातार चौथी बार बेंचमार्क ब्याज दरों को अपरिवर्तित बरकरार रखा है। MPC ने पॉलिसी रेपो रेट को 6.50% पर अपरिवर्तित रखा।

महत्वपूर्ण बिंदु

सबसे हालिया MPC (मौद्रिक नीति समिति) की बैठक में, कई महत्वपूर्ण निर्णय और अंतर्दृष्टि सामने आईं:

- रेपो दर स्थिर: RBI ने आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति नियंत्रण को संतुलित करने के उपाय के रूप में नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।
- GDP और मुद्रास्फीति पूर्वानुमान: RBI ने 2023-24 के लिए अपने वास्तविक GDP विकास पूर्वानुमान को 6.5% पर और वित्त वर्ष 24 के लिए औसत CPI मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 5.4% पर बरकरार रखा है। हालाँकि, MPC ने दूसरी तिमाही के लिए अपना मुख्य मुद्रास्फीति अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य प्रतिबद्धता: RBI गवर्नर ने 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया और अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को प्रभावित करने से खाद्य और ईंधन की कीमतों के झटके को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने की तैयारी के महत्व को रेखांकित किया।
- तरलता प्रबंधन: आरबीआई मौद्रिक नीति रुख के अनुरूप सक्रिय रूप से तरलता का प्रबंधन करेगा और आवश्यकतानुसार ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO) बिक्री आयोजित कर सकता है।
- स्वर्ण ऋण सीमा में वृद्धि: आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना (BRS) के तहत स्वर्ण ऋण की ऋण सीमा को दोगुना कर 4 लाख रुपये करने की घोषणा की, जिससे उन बैंकों को लाभ होगा जिन्होंने अपने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्य पूरे कर लिए हैं।
- समायोजन पर रुख: आरबीआई ने 'आवास वापस लेने' के अपने रुख को दोहराया, जब तक मुद्रास्फीति का जोखिम बना रहता है, तब तक सतर्क दृष्टिकोण का संकेत मिलता है। इसका मतलब आगे मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए धन आपूर्ति को कम करना है।

अपरिवर्तित बेंचमार्क दरें बनाए रखने के कारण

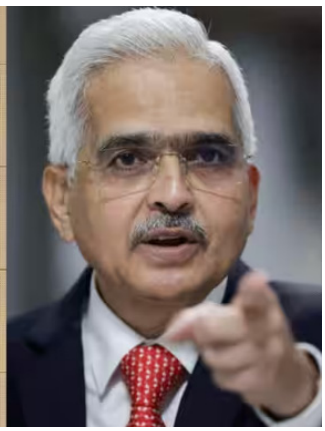

- आर्थिक लचीलापन: विभिन्न अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। संभावित झटकों को झेलने की अर्थव्यवस्था की क्षमता में इस विश्वास ने निर्णय में योगदान दिया।
- पिछली दरों में बढ़ोतरी का संचयी प्रभाव: एमपीसी ने पिछली पॉलिसी रेपो दर में 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी के संचयी प्रभाव को मान्यता दी। इन दरों में बढ़ोतरी को अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से प्रभावी होने में लगने वाले समय को देखते हुए, समिति ने वर्तमान बैठक में दरों को बनाए रखने का फैसला किया।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता: MPC स्थायी आधार पर मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए समर्पित है। तत्काल दर समायोजन के बिना इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा नीतिगत रुख को आवश्यक माना जाता है।

- खाद्य मूल्य के झटकों के बारे में चिंताएँ: समिति ने हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले खाद्य मूल्य के झटकों के संभावित पुनरुत्थान के बारे में चिंता व्यक्त की। दरों को अपरिवर्तित रखना स्थिति पर बारीकी से नजर रखने और मुद्रास्फीति दबाव बढ़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहने के लिए एक एहतियाती उपाय के रूप में काम कर सकता है।
- RBI ने अपनी MPC बैठक में चिंताएं व्यक्त कीं।

RBI ने अपनी MPC बैठक के दौरान कई चिंताएँ उठाईं:

- उच्च मुद्रास्फीति एक प्रमुख जोखिम के रूप में: आरबीआई उच्च मुद्रास्फीति को व्यापक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम मानता है। मुख्य मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन घटकों को छोड़कर) में कमी के बावजूद, समग्र मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। आवश्यक फसलों के लिए कम ख़रीफ़ बुआई, कम जलाशय स्तर और वैश्विक खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसे कारक इस अनिश्चितता में योगदान करते हैं।
- बाहरी विपरीत परिस्थितियां: आरबीआई ने भू-राजनीतिक तनाव, भू-आर्थिक विखंडन, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक मंदी सहित विभिन्न बाहरी प्रतिकूल परिस्थितियों पर प्रकाश डाला। ये बाहरी कारक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करते हैं और इन पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
- वित्तीय स्थिरता का महत्व: आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता के महत्व पर जोर दिया, इसे मूल्य स्थिरता और विकास के लिए मौलिक माना। वित्तीय क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट को स्वीकार करते हुए, आरबीआई ने सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया और आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत किया, खासकर व्यक्तिगत ऋण में वृद्धि के संबंध में।

RBI के निपटान में मौद्रिक नीति उपकरण

गुणात्मक उपकरण:

नैतिक उत्तेजना

- बैंकों के ऋण और निवेश निर्णयों को प्रभावित करने के लिए गैर-बाध्यकारी अनुनय और संचार।

प्रत्यक्ष ऋण नियंत्रण

- आरबीआई के निर्देशों या क्रेडिट सीमाओं के माध्यम से विशिष्ट क्षेत्रों या उद्योगों के लिए ऋण प्रवाह का विनियमन।

चयनात्मक क्रेडिट नियंत्रण

- लक्षित उपाय जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में मांग को प्रबंधित करने के लिए उपभोक्ता ऋण जैसे विशिष्ट प्रकार के ऋणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

मात्रात्मक उपकरण:

नकद आरक्षित अनुपात (CRR)

- किसी बैंक की जमा राशि का वह हिस्सा जो आरबीआई के पास नकदी भंडार के रूप में रखा जाता है, ऋण देने के लिए उपलब्ध धन को प्रभावित करता है।

रेपो दर

- वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है, जो उनकी उधार लेने की लागत और उधार दरों को प्रभावित करता है।

रिवर्स रेपो रेट

- वह ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई के पास अतिरिक्त धनराशि पार्क कर सकते हैं, अल्पकालिक ब्याज दरों के लिए एक मंजिल निर्धारित कर सकते हैं और तरलता का प्रबंधन कर सकते हैं।

बैंक दर

- वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों और वित्तीय संस्थानों को दीर्घकालिक धन प्रदान करता है, दीर्घकालिक मुद्रा बाजार दरों को प्रभावित करता है।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMO)

- आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री, धन आपूर्ति और बैंकिंग प्रणाली की तरलता को प्रभावित करती है।

तरलता समायोजन सुविधा (LAF)

- इसमें रेपो दर और रिवर्स रेपो दर शामिल है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा अल्पकालिक तरलता जरूरतों और दैनिक तरलता प्रबंधन के लिए किया जाता है।

सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)

- वह दर जिस पर बैंक द्वितीयक फंडिंग स्रोत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करके आरबीआई से रातोंरात धन उधार ले सकते हैं।

GEO IAS It's about quality

वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

- बैंक की शुद्ध मांग और समय देनदारियों (NDTL) का एक प्रतिशत अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखा जाना चाहिए।

विलफुल डिफॉल्टर

खबरों में क्यों?

हाल ही में RBI ने विलफुल डिफॉल्टर वर्गीकरण के लिए छह महीने की समयसीमा प्रस्तावित की है

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक हालिया मसौदे में प्रस्ताव दिया है कि उधारदाताओं को अपने खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित किए जाने के छह महीने के भीतर एक उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए।

पहचान के लिए समयरेखा:

- ऋणदाताओं को उनके खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) घोषित किए जाने के छह महीने के भीतर जानबूझकर चूक करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान करनी होगी।
- पिछली प्रणाली में पहचान के लिए कोई विशेष समय की बाध्यता नहीं थी।

मूल्यांकन के लिए सीमा:

- ऋणदाताओं को NPA बनने के छह महीने के भीतर 25 लाख रुपये से अधिक बकाया राशि वाले खातों के लिए जानबूझकर डिफ़ॉल्ट का आकलन करना होगा।

पहचान समिति:

- ऋणदाताओं द्वारा गठित एक समिति, जिसे पहचान समिति के रूप में जाना जाता है, जानबूझकर चूक के साक्ष्य की समीक्षा करती है।

दंड और प्रतिबंध:

- नीतियों में जानबूझकर चूक करने वालों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण फोटो प्रकाशन की आवश्यकता होती है।
- विलफुल डिफॉल्टर्स (LWD) की सूची से हटाए जाने के बाद एक साल तक इरादतन डिफॉल्टरों को कोई क्रेडिट की अनुमति नहीं है।
- LWD हटाने के बाद पांच साल तक नए उद्यमों के लिए कोई क्रेडिट की अनुमति नहीं है।

TOP-10 WILFUL DEFAULTER WRITE-OFFS

Mehul Choksi

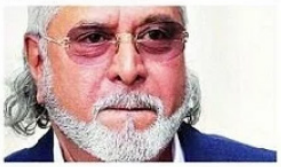

Vijay Mallya

Borrower	Written-off amount (₹ cr)
Gitanjali Gems	5,492
Rei Agro	4,314
Winsome Diamonds & Jewellery	4,076
Rotomac Global	2,850
Kudos Chemie	2,326
Ruchi Soya Industries	2,212
Zoom Developers	2,012
Forever Precious Jewellery & Diamonds	1,962
Kingfisher Airlines	1,943
Deccan Chronicle Holdings	1,915

Source: RTI

गारंटर और जांच:

- मूल देनदारों के खिलाफ कठोर उपायों के बिना गारंटरों का पीछा किया जा सकता है।
- दूसरों या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) को क्रेडिट हस्तांतरित करने से पहले जानबूझकर चूक की जांच आवश्यक है।

विलफुल डिफॉल्टर के बारे में:

- विलफुल डिफॉल्टर ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास पैसा चुकाने की क्षमता है लेकिन वे जानबूझकर ऐसा करने में विफल रहते हैं।
- 'विलफुल डिफॉल्टर' की अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अपने मास्टर सर्कुलर के माध्यम से पेश की गई थी, जिसने इस शब्द को परिभाषित किया और बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जानबूझकर डिफॉल्ट के उदाहरण निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए।

इरादतन डिफ़ॉल्ट के लिए मानदंड:

- आरबीआई के अनुसार, जानबूझकर किया गया डिफ़ॉल्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में हुआ माना जाता है:
- जब किसी इकाई (कंपनी/व्यक्ति) द्वारा पुनर्भुगतान करने की क्षमता होने के बावजूद पुनर्भुगतान दायित्वों में चूक होती है, तो यह ऋण न चुकाने के जानबूझकर किए गए इरादे को दर्शाता है।
- जब किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त धन को अन्य उपयोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है।
- जब धन का दुरुपयोग किया गया हो और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया हो, उपयोग के लिए किसी भी उचित संपत्ति के बिना।
- जब ऋणदाताओं के धन से खरीदी गई संपत्ति बैंक/ऋणदाता की जानकारी के बिना बेच दी जाती है।
- ऐसे मामलों में जहां जानबूझकर चूक करने वाली इकाइयों की समूह कंपनियां उधारदाताओं को प्रदान की गई गारंटी या सांत्वना पत्रों का सम्मान करने में विफल रहती हैं, ऐसी समूह कंपनियों को भी जानबूझकर चूक करने वाला माना जाता है।

GEO IAS It's about quality

स्टॉक विभाजन

खबरों में क्यों?

स्टॉक स्प्लिट नियमित कॉर्पोरेट क्रियाएं हैं जहां एक कंपनी अपने मौजूदा शेयरों को कई शेयरों में विभाजित करती है, जिससे बाजार पूंजीकरण में बदलाव किए बिना प्रति शेयर कीमत कम हो जाती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

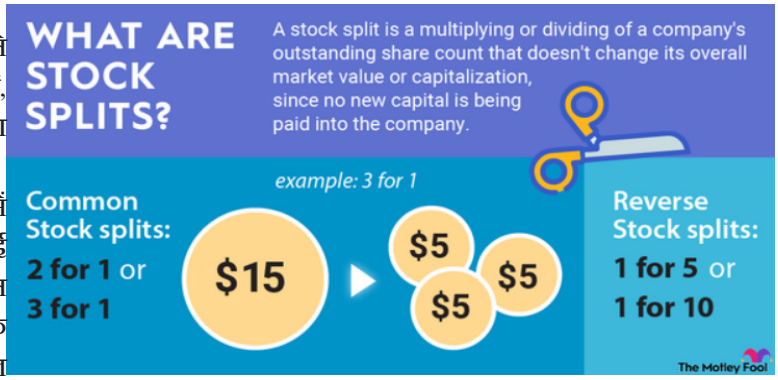

- स्टॉक विभाजन तब होता है जब कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयरों को कई शेयरों में विभाजित करती है, जिससे उसके बाजार पूंजीकरण को प्रभावित किए बिना उसके स्टॉक के नाममात्र मूल्य में परिवर्तन होता है।
- स्टॉक विभाजन को आमतौर पर अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे 2-फॉर-1, 3-फॉर-1, या कोई अन्य संयोजन। उदाहरण के लिए, 2-फॉर-1 विभाजन में, शेयरधारकों को उनके पहले स्वामित्व वाले प्रत्येक शेयर के लिए दो शेयर मिलते हैं। जबकि निवेश का कुल मूल्य वही रहता है, प्रति शेयर कीमत आनुपातिक रूप से घट जाती है।
- स्टॉक स्प्लिट का प्राथमिक लक्ष्य स्टॉक की कीमत को कम करना है, जिससे इसे निवेशकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके।

स्टॉक विभाजन के पीछे उद्देश्य

- शेयर की कीमत कम करके, स्टॉक स्प्लिट तरलता को बढ़ाता है, जिससे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। बढ़ी हुई तरलता से बाजार अधिक सक्रिय और कुशल हो सकता है।
- स्टॉक की कम कीमतें व्यक्तिगत निवेशकों के लिए शेयरों को अधिक किफायती बनाती हैं, जिससे बाजार में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। यह पहुंच अक्सर खुदरा निवेशकों को आकर्षित करती है, जिससे शेयरधारक आधार में विविधता आती है।
- स्टॉक की कम कीमतें निवेशकों पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकती हैं। व्यक्ति कम कीमत वाले स्टॉक को अधिक किफायती और आकर्षक मान सकते हैं, जिससे मांग में वृद्धि होगी।
- कंपनियां अक्सर अपने भविष्य के प्रदर्शन में विश्वास का संकेत देने के लिए स्टॉक विभाजन करती हैं। विभाजन यह संदेश दे सकता है कि कंपनी निवेशकों के विश्वास को मजबूत करते हुए निरंतर विकास की आशा करती है।
- स्टॉक विभाजन से विकल्प और डेरिवेटिव अनुबंधों में समायोजन हो सकता है, जिससे निरंतरता सुनिश्चित होती है और बाजार में व्यवधान को रोका जा सकता है।

निवेशकों के लिए निहितार्थ

- स्टॉक स्प्लिट का निवेशकों पर तत्काल कर प्रभाव नहीं पड़ता है। हालाँकि, जब विभाजन के माध्यम से प्राप्त शेयर अंततः बेचे जाते हैं, तो विभाजन अनुपात पर विचार करते हुए, समायोजित लागत के आधार पर पूंजीगत लाभ कर लागू होते हैं।
- जबकि शेयर की कीमत विभाजन के बाद घट जाती है, लाभांश उपज (शेयर मूल्य से विभाजित प्रति शेयर लाभांश) अप्रभावित रहती है। निवेशक अक्सर स्थिर या बढ़ती लाभांश उपज को सकारात्मक रूप से देखते हैं।
- स्टॉक विभाजन किसी कंपनी के मूल्य के बारे में निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर सकता है। जबकि निवेश का आंतरिक मूल्य स्थिर रहता है, कम स्टॉक कीमत अधिक निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, जो संभावित रूप से लंबे समय में स्टॉक की कीमत को बढ़ा सकती है।
- स्टॉक विभाजन से अल्पकालिक मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है। विभाजन पर बाज़ार की प्रतिक्रिया निवेशक की भावना, बाज़ार की स्थितियों और कंपनी के समग्र प्रदर्शन से प्रभावित हो सकती है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि बढ़ती मांग के कारण शेयर की कीमतों में विभाजन के बाद अक्सर अल्पकालिक उछाल का अनुभव होता है, लेकिन स्टॉक के प्रदर्शन पर दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित होता है। विभाजन के बाद निवेश संबंधी निर्णय लेते समय निवेशकों को कंपनी की बुनियादी बातों और बाजार स्थितियों पर विचार करना चाहिए।

बाज़ार की गतिशीलता और निवेशक व्यवहार

- स्टॉक विभाजन कुशल बाज़ार परिकल्पना को चुनौती देता है, क्योंकि मूल्य समायोजन कंपनी के मूल्य में किसी भी मूलभूत परिवर्तन के अनुरूप नहीं है। यह विसंगति शोधकर्ताओं को निवेशक व्यवहार और बाजार की अक्षमताओं का अध्ययन करने की अनुमति देती है।
- व्यवहारिक वित्त सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि निवेशक विभाजन की सकारात्मक खबरों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे अस्थायी मूल्य वृद्धि हो सकती है, या कम प्रतिक्रिया हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अवमूल्यन हो सकता है। ये व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रह समझदार निवेशकों के लिए व्यापारिक अवसर पैदा कर सकते हैं।
- संस्थागत निवेशक, जैसे कि म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड, अक्सर स्टॉक विभाजन के जवाब में अपने पोर्टफोलियो को समायोजित करते हैं। उनकी रणनीतियों को समझने से बाजार के रुझान और निवेशक भावना के बारे में जानकारी मिल सकती है।

- स्टॉक विभाजन एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों को ट्रिगर कर सकता है। स्वचालित एल्गोरिदम को बाजार की विसंगतियों का पता लगाने और उनका फायदा उठाने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जो विभाजन के दौरान और बाद में संभावित रूप से मूल्य आंदोलनों को बढ़ाता है।

स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स

खबरों में क्यों?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में अपने अधिकारियों को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स प्रावधानों की जांच नहीं करने का निर्देश दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- कर विभाग ने अपने फील्ड अधिकारियों से आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (Viib) से संबंधित मामलों के लिए मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के लिए सत्यापन नहीं करने के लिए कहा है, जिसे वित्त अधिनियम, 2023 में गैर-कानूनी रूप में संशोधित किया गया था। निवासी निवेशक भी एंजल टैक्स लेवी के दायरे में हैं।
- CASS (कंप्यूटर-असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन) के तहत स्टार्ट-अप कंपनियों को स्क्रूटनी नोटिस जारी करने का हवाला देते हुए, CBDT ने अपने निर्देश में कहा है कि ऐसी स्टार्टअप कंपनियों के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिन्हें DPIIT द्वारा मान्यता दी गई है। और ऐसे स्टार्ट-अप के लिए एंजेल टैक्स के संशोधित प्रावधानों से संबंधित नोटिस के लिए किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।

एंजेल टैक्स:

- एंजेल टैक्स एक आयकर है (30.6 प्रतिशत की दर से) जो तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूल्य से अधिक कीमत पर शेयर जारी करती है।
- इसे पहली बार 2012 में किसी करीबी कंपनी के शेयरों की सदस्यता के माध्यम से बेहिसाब धन के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए पेश किया गया था, जो कि फर्म के शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है।
- पहले, यह केवल एक निवासी निवेशक द्वारा किए गए निवेश पर लगाया जाता था। हालाँकि वित्त अधिनियम 2023 में अनिवासी निवेशकों के लिए भी एंजेल टैक्स का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

बजट 2023-24 में एंजेल टैक्स के लिए किए गए बदलाव:

- संशोधन के साथ, सरकार ने इस दायरे में विदेशी निवेशकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया था, जिसका अर्थ है कि जब कोई स्टार्ट-अप किसी विदेशी निवेशक से धन जुटाता है, तो उसे भी अब आय के रूप में गिना जाएगा और कर योग्य होगा।
- DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को एंजेल टैक्स लेवी से बाहर रखा गया था।
- मई 2023 में, वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों के निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध भारतीय स्टार्ट-अप में अनिवासी निवेश के लिए एंजेल टैक्स लगाने से छूट दी थी।
- हालाँकि, सूची में सिंगापुर, नीदरलैंड और मॉरीशस जैसे देशों के निवेश को शामिल नहीं किया गया है - जो पारंपरिक रूप से स्टार्ट-अप के लिए धन जुटाने के लिए प्रमुख भूगोल रहे हैं।

उदारता प्लस 'मानदंड

खबरों में क्यों?

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने संशोधित कम जुर्माना नियमों का एक मसौदा जारी किया है जो "उदारता प्लस" कार्यक्रम की शुरूआत का प्रावधान करता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह एक नया कार्टेल डिटेक्शन टूल है और यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि प्रतिस्पर्धा निगरानी संस्था इसे कैसे संचालित करना चाहती है।
- "उदारता प्लस" व्यवस्था प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम 2023 का हिस्सा थी।
- लेनिएन्सी प्लस एक सक्रिय एंटीट्रस्ट प्रवर्तन रणनीति है जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा नियामक को अज्ञात अन्य कार्टेलों की रिपोर्ट करने के लिए एक कार्टेल के लिए पहले से ही जांच के तहत कंपनियों को प्रोत्साहित करके उदारता अनुप्रयोगों को आकर्षित करना है।
- इस तरह के प्रकटीकरण से होने वाला लाभ यह होगा कि जानकारी का खुलासा करने वाले व्यक्ति को पहले कार्टेल में जुर्माने में कमी होगी, कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नए प्रकट किए गए कार्टेल के संबंध में कम जुर्माना प्राप्त होगा।
- यह "उदारता प्लस" व्यवस्था UK, US, सिंगापुर और ब्राजील जैसे न्यायक्षेत्रों में पहले से ही मान्यता प्राप्त है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

- यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना मार्च 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गई थी।
- CCI का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पैदा करना और उसे बनाए रखना है जो उत्पादकों को 'समान अवसर' प्रदान करेगा और बाज़ारों को उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए काम करेगा।
- आयोग की प्राथमिकता प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को खत्म करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
- अधिदेश: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों को लागू करना, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों और उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग पर रोक लगाता है;
- विलय और अधिग्रहण (M&A) को नियंत्रित करता है, जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार, एक निश्चित सीमा से अधिक के सौदों के लिए सीसीआई से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है।

संघटन:

- इसमें एक अर्ध-न्यायिक निकाय की संरचना होती है, जिसमें एक अध्यक्ष और छह अतिरिक्त सदस्य होते हैं।
- CCI के सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली

कार्टेलिसेशन क्या है?

- कार्टेल, जिसमें कीमतों को ऊंचा रखने के लिए मिलीभगत करने वाले व्यवसायों का एक समूह शामिल है, को अर्थशास्त्रियों ने बाजार अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में देखा है।
- जब व्यवसाय एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, तो उपभोक्ताओं के लिए कई प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE)

खबरों में क्यों?

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने हाल ही में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ा दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है।
- इसकी स्थापना 1875 में नेटिव शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में की गई थी।
- 1957 में, भारत सरकार ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन अधिनियम के तहत BSE को मान्यता दी।
- यह दलाल स्ट्रीट, मुंबई पर स्थित है, और 6000 से अधिक कंपनियों को सूचीबद्ध करता है।
- BSE इक्विटी, फिएट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव और म्यूचुअल फंड में विभिन्न प्रकार के ट्रेडिंग विकल्पों का दावा करता है।
- इसके अलावा, यह समाशोधन, निपटान, जोखिम प्रबंधन और निवेशक जागरूकता जैसी कई व्यापारिक सेवाएं प्रदान करता है।

BSE कैसे काम करता है?

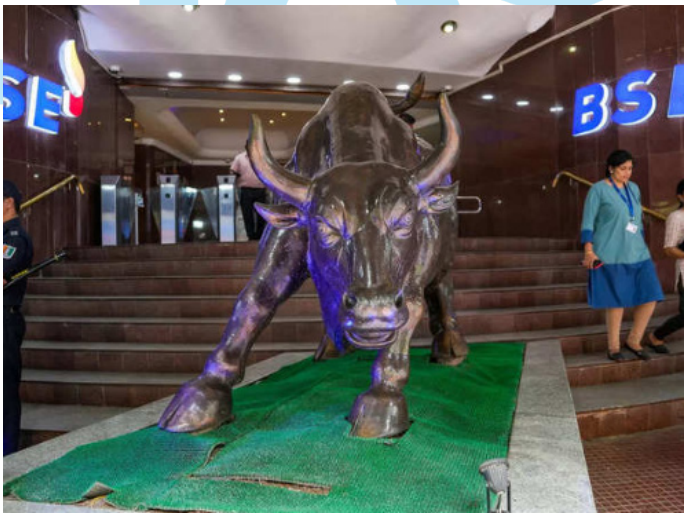

- BSE वित्तीय व्यापार की सुविधा के लिए एक उन्नत, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रबंधित ट्रेडिंग पोर्टल का उपयोग करता है।
- एक्सचेंज शेयरधारकों को उद्योग विशेषज्ञों की बाहरी मदद के बिना ऑनलाइन ऑर्डर देने की अनुमति देता है।
- यह प्रक्रिया पोर्टल द्वारा दी जाने वाली सीधी बीएसई बाजार पहुंच के माध्यम से संभव है।
- निवेशक ब्रोकरेज फ़िर के माध्यम से बीएसई शेयर बाजार में व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें ब्रोकर को पूर्व-निर्धारित कीमत का भुगतान करना होगा।
- प्रत्यक्ष निवेश विकल्प केवल उन निवेशकों के एक वर्ग के लिए है जिनके पास भारी बीएसई लेनदेन है।
- सुरक्षित ट्रेडिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए बीएसई स्टॉक एक्सचेंज के पास बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (BOLT) है।
- बीएसई सेंसेक्स स्टॉक T+2 लेनदेन निपटान योजना का पालन करते हैं जिसका अर्थ है कि एक्सचेंज पर प्रत्येक लेनदेन को प्रसंस्करण पूरा होने में दो दिन लगते हैं।
- बीएसई बाजार निवेशकों की सुरक्षा और पूंजी बाजार दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सेबी द्वारा लगाए गए नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

सेंसेक्स क्या है?

- सेंसेक्स BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है।
- इसे 1 जनवरी 1986 को BSE पर सूचीबद्ध देश की सबसे बड़ी, वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 शेयरों की एक टोकरी के रूप में लॉन्च किया गया था।
- 'सेंसेक्स' शब्द 'संवेदनशील' और 'सूचकांक' शब्दों का मिश्रण है और इसे शेयर बाजार विशेषज्ञ दीपक मोहिनी द्वारा गढ़ा गया था।
- सेंसेक्स भारतीय शेयर बाजार की गतिविधियों को दर्शाता है। इसे भारतीय शेयर बाज़ार का बेंचमार्क इंडेक्स माना जाता है।

सेंसेक्स की गणना कैसे की जाती है?

- इसकी गणना बाजार पूंजीकरण, या "पूर्ण बाजार पूंजीकरण" के आधार पर की गई थी, जब इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन 1 सितंबर, 2003 से इसे "फ्री-फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन" पद्धति में स्थानांतरित कर दिया गया।
- फ्री-फ्लोट कंपनी द्वारा जारी किए गए कुल शेयरों का अनुपात है जो आम जनता के लिए व्यापार के लिए आसानी से उपलब्ध है। यह प्रमोटरों की होल्डिंग्स, सरकारी होल्डिंग्स और अन्य शेयरों को ध्यान में नहीं रखता है जो सामान्य परिस्थितियों में व्यापार के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे।

डेरिवेटिव क्या हैं?

- डेरिवेटिव दो पक्षों के बीच एक अनुबंध है जो अंतर्निहित परिसंपत्ति से अपना मूल्य/मूल्य प्राप्त करता है।
- आमतौर पर उपयोग की जाने वाली संपत्तियां स्टॉक, बॉन्ड, मुद्राएं, कमोडिटी और बाजार सूचकांक हैं।
- ये उपकरण निवेशकों और व्यापारियों को अंतर्निहित परिसंपत्ति पर सीधे स्वामित्व के बिना उसके मूल्य आंदोलनों पर अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं।
- अंतर्निहित परिसंपत्तियों का मूल्य बाजार की स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। डेरिवेटिव अनुबंधों में प्रवेश करने के पीछे मूल सिद्धांत भविष्य में अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य पर अटकलें लगाकर मुनाफा कमाना है।
- डेरिवेटिव विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, जिनमें जोखिमों से बचाव, उत्तोलन प्रदान करना और मूल्य खोज की सुविधा शामिल है।

कर कटौती

खबरों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने हाल ही में माना कि बिना किसी स्पष्ट अधिसूचना के, कंपनियां स्वचालित रूप से 5% के कम विदहोल्डिंग टैक्स का दावा नहीं कर सकती हैं, भले ही प्रत्यक्ष कर बचाव समझौते (DTAA) में प्रावधान किया गया हो।

महत्वपूर्ण बिंदु

- विदहोल्डिंग टैक्स को कुछ प्रकार की आय, जैसे वेतन, लाभांश, ब्याज और रॉयल्टी से रोक दिया जाता है या काट लिया जाता है, जब उन्हें प्राप्तकर्ता (अनिवासी व्यक्ति) को भुगतान किया जाता है।
- इसे रिटेंशन टैक्स के नाम से भी जाना जाता है।
- भारत में विदहोल्डिंग टैक्स का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार को प्राप्तकर्ता द्वारा बकाया आयकर का एक हिस्सा प्राप्त हो।
- अनिवासी व्यक्तियों को किए गए भुगतान के मामले में विदहोल्डिंग टैक्स लागू है।
- यदि आय का भुगतान भारत में किया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 195 के अनुसार, NRI को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान के समय या NRI के खाते में राशि जमा होने पर विदहोल्डिंग टैक्स काटना होगा।
- भारत में विदहोल्डिंग टैक्स की राशि आय के प्रकार, अर्जित आय की मात्रा और उस देश के कर कानूनों पर निर्भर करती है जहां आय अर्जित की जाती है।
- कर की दर आयकर अधिनियम, 1961 या दोहरे कराधान बचाव समझौते (DTAA) में निर्धारित अनुसार, जो भी कम हो, तय की जाती है।
- भारत की केंद्र सरकार यह कर वसूलती है।
- भारत ने एक ही आय (भारत और भागीदार देश में) के लिए व्यक्तियों पर दो बार कर लगाने से बचने के लिए कई देशों के साथ DTAA पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में, भारत की दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के साथ DTAA संधियाँ हैं।

विदहोल्डिंग टैक्स के लिए कर देनदारी का निर्धारण कैसे करें?

- कर देनदारी की गणना करने के लिए, किसी भी व्यक्ति की आवासीय स्थिति जानना महत्वपूर्ण है: "निवासी भारतीय" और "अनिवासी भारतीय"।
- किसी व्यक्ति को कर उद्देश्यों के लिए भारत में निवासी माना जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करता है:
  - वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहना, या
  - वित्तीय वर्ष के दौरान 60 दिन या उससे अधिक समय के लिए और वित्तीय वर्ष से ठीक पहले के 4 वर्षों के दौरान 365 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहता है।
  - यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता है, तो उसे कर उद्देश्यों के लिए अनिवासी माना जाएगा।

भारत में अर्जित या प्राप्त आय:

- यदि कोई व्यक्ति कर उद्देश्यों के लिए भारत का निवासी है, तो उस पर उसकी वैश्विक आय पर कर लगाया जाएगा, जिसमें भारत और भारत के बाहर अर्जित या प्राप्त आय भी शामिल है।
- यदि कोई व्यक्ति कर उद्देश्यों के लिए भारत का अनिवासी है, तो उस पर केवल भारत में अर्जित या प्राप्त आय पर कर लगाया जाएगा।

नागरिकता या जन्म स्थान:

- भारत में कर उद्देश्यों के लिए नागरिकता या जन्म स्थान आवासीय स्थिति का निर्धारण कारक नहीं है।
- कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है या भारत में पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे कर उद्देश्यों के लिए अनिवासी माना जा सकता है यदि वह ऊपर उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

विदहोल्डिंग टैक्स और TDS के बीच अंतर?

- विदहोल्डिंग टैक्स: यह वह राशि है जो अग्रिम रूप से काट ली जाती है, और भुगतानकर्ता को राशि का भुगतान करने से पहले उसे सरकार के पास जमा कर दिया जाता है। यह आम तौर पर गैर-निवासियों को भुगतान पर लागू होता है, जो कि विदेशी लेनदेन हैं।
- TDS (स्रोत पर कर कटौती): एक व्यक्ति (कटौतीकर्ता) को किसी अन्य व्यक्ति (कटौतीकर्ता) को एक विशिष्ट प्रकृति का भुगतान करना होगा, उसे स्रोत पर कर काटना होगा और इसे केंद्र सरकार के खाते में भेजना होगा। यह आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट लेनदेन पर निवासी और अनिवासी दोनों पर लागू होता है।
- विदहोल्डिंग टैक्स और टीडीएस दोनों एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं: यह सुनिश्चित करना कि कर आय के स्रोत पर एकत्र किए जाएं। इनका उपयोग कर अनुपालन सुनिश्चित करने और कर चोरी को रोकने के लिए किया जाता है।

महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी

खबरों में क्यों?

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 4% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है

महत्वपूर्ण बिंदु

- केंद्र सरकार ने हाल ही में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी करके केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगी।

महंगाई भत्ता और राहत में बढ़ोतरी

- केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया।
- DA 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा।
- इस फैसले से बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा, जिनमें 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं।

महंगाई भत्ता का निर्धारण

- कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है।
- DA और DR की अतिरिक्त किस्त जारी करना 1 जुलाई 2023 से लागू होगा।

कैबिनेट की मंजूरी

- प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप DA और DR की इस अतिरिक्त किस्त को जारी करने को मंजूरी दे दी।
- इस 4% वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति की भरपाई करना है।

वित्तीय संभावनाएं

- महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण सरकार के वित्त पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12,857 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- इस बढ़ोतरी से करीब 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।

दिवाली बोनस और तदर्थ बोनस

- इसके अतिरिक्त, सरकार ने अर्धसैनिक बलों सहित ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दी।
- वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2022-2023 के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (तदर्थ बोनस) के लिए ₹7,000 की सीमा निर्धारित की है।

गैर-उत्पादकता से जुड़े कर्मचारियों के लिए बोनस

- वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने लेखांकन वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़ा बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किया।

- यह बोनस समूह 'सी' में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समूह 'बी' में सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों तक फैला हुआ है, जो किसी भी उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

Dearness Allowance (DA) के बारे में

- महंगाई भत्ता (DA) भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले मुद्रास्फीति और भत्ते की गणना है।
- लोगों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए महंगाई भत्ते की गणना भारतीय नागरिक के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है। श्रम मंत्रालय की एक शाखा, श्रम ब्यूरो, हर महीने CPI-IW डेटा प्रकाशित करता है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिए एक निर्धारित फॉर्मूला है।
- वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्रमशः 38 प्रतिशत DA और महंगाई राहत मिलती है।

Dearness Allowance (DA) संशोधन

- बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है।
- इसे आमतौर पर हर साल दो बार संशोधित किया जाता है - जनवरी और जुलाई में।
- DA में बढ़ोतरी और भुगतान की घोषणा आमतौर पर मार्च में की जाती है।

GEO IAS
It's about quality

5 विज्ञान और तकनीक

वाणिज्यिक स्पाइवेयर

खबरों में क्यों?

वाणिज्यिक स्पाइवेयर का उपयोग दुनिया भर की सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

स्पाइवेयर क्या है?

- इसे किसी डिवाइस में प्रवेश करने, संवेदनशील डेटा इकट्ठा करने और उपयोगकर्ता की सहमति के बिना इसे किसी तीसरे पक्ष को अग्रेषित करने के लिए डिज़ाइन किए गए दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इसका उपयोग विज्ञापन जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, दुर्भावनापूर्ण स्पाइवेयर का उपयोग पीड़ित के डिवाइस से चुराए गए डेटा से लाभ कमाने के लिए किया जाता है।

वाणिज्यिक स्पाइवेयर क्या है?

- यह एक सॉफ्टवेयर है जो हमलावर को पीड़ित के डिवाइस पर नज़र रखने, संभावित रूप से डेटा चुराने और वास्तविक दुनिया में नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है।
- यह मोबाइल उपकरणों से सारी जानकारी छीन सकता है, लेकिन मालिक की जानकारी के बिना कैमरा और माइक्रोफ़ोन भी चालू कर सकता है, जिससे हैंडसेट प्रभावी रूप से एक जासूसी उपकरण में बदल जाता है।

डिवाइस को कैसे लक्षित किया जाता है?

- स्पाइवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी में आए बिना वेबसाइट्स और डाउनलोड से जुड़ जाता है। ऐसे कई सॉफ़्टवेयर हैं जो आवश्यक सॉफ़्टवेयर के साथ-साथ बिना किसी चेतावनी के डाउनलोड हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक हैं।
- सिस्टम में स्पाइवेयर प्रवेश करने का दूसरा तरीका तब होता है जब उपयोगकर्ता असत्यापित लिंक पर क्लिक करता है या कंप्यूटर सिस्टम पर दुर्भावनापूर्ण सामग्री डाउनलोड करता है।
- जब स्पाइवेयर कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करता है तो यह अनैतिक रूप से उस जानकारी तक पहुंच जाता है जिसे देखने के लिए यह अधिकृत नहीं है।
- ज्यादातर मामलों में, यह तीसरे पक्ष के उपयोगकर्ताओं को यह जानकारी प्रदान करता है जिससे डेटा लीक होता है। संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड और बैंक जानकारी।
- तथ्य और आंकड़े:
  - कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अनुसार, 2011-2023 के दौरान, कम से कम 74 सरकारों ने स्पाइवेयर या डिजिटल फोरेंसिक तकनीक प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक फर्मों के साथ अनुबंध किया।
  - 2022 में, द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, अमेरिका में FBI ने पेगासस स्पाइवेयर का एक संस्करण खरीदा था और मैक्सिकन अधिकारियों ने पत्रकारों और राजनीतिक असंतुष्टों के खिलाफ NSO उत्पादों को तैनात किया था।
  - ट्रेड डेटा के अनुसार, 2023 में, एक भारतीय रक्षा एजेंसी ने एक इजरायली स्पाइवेयर फर्म से उपकरण खरीदा था जिसे संभावित पेगासस विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है।

वाणिज्यिक स्पाइवेयर द्वारा उत्पन्न खतरे और समस्याएँ

- स्पाइवेयर व्यक्तिगत जानकारी चुरा सकता है जिसका उपयोग पहचान की चोरी के लिए किया जा सकता है।
- यदि कोई ऑनलाइन बैंकिंग साइटों पर गया है, तो स्पाइवेयर बैंक खाते की जानकारी या क्रेडिट कार्ड विवरण तक पहुंच सकता है और इसे तीसरे पक्ष को बेच सकता है या सीधे उनका उपयोग कर सकता है।
- स्पाइवेयर खोज इंजन परिणामों में हेरफेर भी कर सकता है और आपके ब्राउज़र में अवांछित वेबसाइट्स पहुंचा सकता है, जिससे संभावित रूप से हानिकारक या धोखाधड़ी वाली वेबसाइट्स बन सकती हैं।

स्पाइवेयर को कैसे रोकें?

- मेटा, गूगल और ऐप्पल सहित तकनीकी दिग्गजों ने वाणिज्यिक स्पाइवेयर कंपनियों द्वारा अपने सॉफ़्टवेयर में बग का फायदा उठाने की समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
- एंटीवायरस इंस्टॉल करना: किसी सिस्टम को स्पाइवेयर से बचाने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छी गुणवत्ता वाला एंटीवायरस इंस्टॉल करना है जैसे कि मैलवेयरबाइट्स, एडवेयर, आदि।
- कुकी सेटिंग्स से सावधान रहें: कुछ वेबसाइट्स हैं जो कुकीज़ के साथ-साथ गोपनीय जानकारी भी स्थानांतरित करती हैं। यह हमेशा सलाह दी जाती है कि कुकी सेटिंग्स पर नज़र रखें और सेटिंग्स को उच्च सुरक्षा पर सेट करें।

- वेबसाइट्स पर पॉप-अप से सावधान रहें: वेबसाइट्स पर दिखाई देने वाले पॉप-अप को पढ़े बिना उन पर क्लिक करने की अनुशंसा नहीं की जाती है।
- कभी भी मुफ्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न करें: सिस्टम पर मुफ्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय हमेशा बहुत सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अधिकांश समय मुफ़्त सॉफ़्टवेयर में स्पाइवेयर जुड़ा होता है और यह सीधे उपयोगकर्ता की गोपनीय जानकारी लीक कर सकता है।
- हमेशा नियम और शर्तें पढ़ें: सिस्टम पर ऐप्स इंस्टॉल करने से पहले हमेशा नियम और शर्तें पढ़ें। गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली नीतियों को कभी भी स्वीकार न करें। मोबाइल फोन को स्पाइवेयर से बचाने के लिए Google PlayStore या Apple PlayStore से केवल विश्वसनीय और सत्यापित ऐप्स ही डाउनलोड करें।

मैट्रिक्स-मलेरिया वैक्सीन

खबरों में क्यों?

आवश्यक सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभावशीलता मानकों को पूरा करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा उपयोग के लिए R21/मैट्रिक्स-मलेरिया वैक्सीन की सिफारिश की गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- वैक्सीन को नोवावैक्स की सहायक तकनीक का लाभ उठाते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है।
- आज तक R21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है।
- R21 वैक्सीन, RTS,S/AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है, जिसे 2021 में WHO की सिफारिश प्राप्त हुई थी।
- R21 और RTS, S वैक्सीन सबसे घातक मलेरिया परजीवी और अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक प्रचलित पी फाल्सीपेरम के खिलाफ काम करते हैं।

मलेरिया क्या है?

- मलेरिया कुछ प्रकार के मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी है। यह अधिकतर उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है।
- संचरण: यह प्लास्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्लास्मोडियम परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलता है। रक्त आधान और दूषित सुइयों से भी मलेरिया फैल सकता है।
- परजीवियों के प्रकार: 5 प्लाज़मोडियम परजीवी प्रजातियाँ हैं जो मनुष्यों में मलेरिया का कारण बनती हैं और इनमें से 2 प्रजातियाँ P फाल्सीपेरम और P विवैक्स सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं। अन्य मलेरिया प्रजातियाँ जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकती हैं वे हैं पी मलेरिया, पी ओवले और पी नोलेसी।
- P. फाल्सीपेरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी है और अफ्रीकी महाद्वीप पर सबसे अधिक प्रचलित है। P. विवैक्स उप-सहारा अफ्रीका के बाहर अधिकांश देशों में प्रमुख मलेरिया परजीवी है।
- लक्षण: बुखार और फ्लू जैसी बीमारी, जिसमें ठंड लगना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल है।

रोग से प्रभावित देश

- विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में 245 मिलियन मामलों की तुलना में 2021 में मलेरिया के 247 मिलियन मामले थे। 2020 में 625,000 की तुलना में 2021 में मलेरिया से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 619,000 थी।
- दुनिया भर में मलेरिया से होने वाली आधी से अधिक मौतों के लिए चार अफ्रीकी देश जिम्मेदार हैं:
  (i) नाइजीरिया (31.3%),
  (ii) डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (12.6%),
  (iii) यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (4.1%)
  (iv) नाइजर (3.9%)

WHO द्वारा मलेरिया को नियंत्रित करने की पहल

- मलेरिया के लिए WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति 2016-2030 का लक्ष्य 2015 बेसलाइन के मुकाबले 2020 तक मलेरिया के मामलों की घटनाओं और मृत्यु दर को कम से कम 40%, 2025 तक कम से कम 75% और 2030 तक कम से कम 90% कम करना है।
- 'E-2025 पहल': WHO ने इस पहल के तहत 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है।
- उच्च बोझ से उच्च प्रभाव (HBHI) पहल: WHO ने भारत सहित 11 उच्च मलेरिया बोझ वाले देशों में पहल शुरू की है।

मलेरिया पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार की पहल:

- भारत सरकार ने 2027 तक भारत में मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है।
- भारत में, मलेरिया उन्मूलन 2016-2030 के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति (GTS) के अनुरूप 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा (NFME) विकसित और लॉन्च किया गया है।
- मलेरिया उन्मूलन अनुसंधान गठबंधन-भारत (MERA-भारत): इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों के एक समूह के रूप में की गई थी।

भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता (Geospatial Intelligence)

खबरों में क्यों?

2023 की गर्मियों के दौरान, संयुक्त राज्य अमेरिका ने असाधारण प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला का अनुभव किया, जिसमें अत्यधिक गर्मी, कनाडाई जंगल की आग, गंभीर बाढ़ और एक शक्तिशाली तूफान शामिल थे। भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग इन संकटों को कम करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता

- भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता भौगोलिक मानचित्रण और विश्लेषण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) और रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों का लाभ उठाती है।

स्थानिक डेटा संग्रह

- ये उपकरण पृथ्वी पर भौगोलिक स्थिति से जुड़ी स्थानिक जानकारी को कैप्चर करते हैं, जिसे अक्सर जियोटैगिंग के रूप में जाना जाता है।

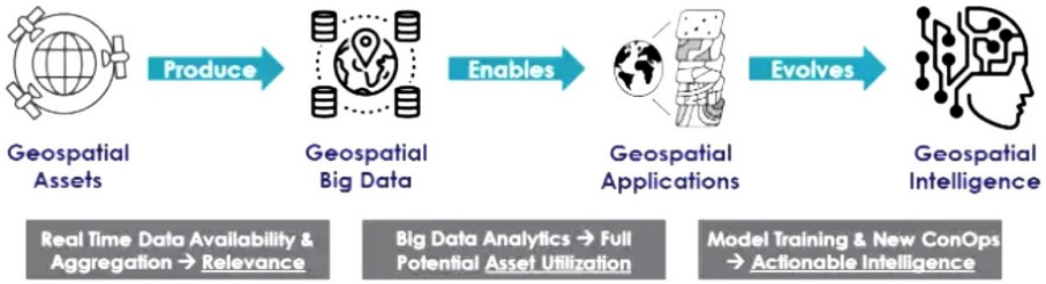

स्थान डेटा को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- स्थिर: उदाहरणों में सड़क की स्थिति, भूकंप की घटनाएं, या विशिष्ट क्षेत्रों में कुपोषण दर शामिल हैं।
- गतिशील: इस श्रेणी में चलती संस्थाओं जैसे वाहन, पैदल यात्री, या बीमारियों के प्रसार से संबंधित डेटा शामिल है।

बुद्धिमान मानचित्रण

- व्यापक डेटासेट के भीतर स्थानिक पैटर्न की पहचान में सहायता करते हुए, बुद्धिमान मानचित्र तैयार करने के लिए भू-स्थानिक तकनीक को नियोजित किया जा सकता है।

निर्णय लेने में सहायता करना

- भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता दुर्लभ संसाधनों को उनके महत्व और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता देकर और आवंटित करके निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सहायता करती है।

GEO IAS
It's about quality

भू-स्थानिक इंटेलिजेंस का महत्व

- चक्रवात निगरानी और प्रतिक्रिया
- चक्रवात के गठन, स्थान और प्रक्षेपवक्र को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय तूफान केंद्र के लिए भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता आवश्यक है।
- यह जानकारी संसाधन आवंटन, चेतावनी जारी करने और निकासी के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

आपदा प्रतिक्रिया और राहत

- तुर्की और सीरिया (फरवरी 2023) में 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद, भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता ने क्षति की पहचान की और जीवित बचे लोगों का पता लगाने में मदद की।
- इसने सहायता केंद्रों की स्थापना और आपातकालीन आपूर्ति के वितरण की सुविधा प्रदान की।

जलवायु-संबंधी घटना की भविष्यवाणी

- तापमान, वर्षा, बर्फबारी और ध्रुवीय बर्फ की निगरानी से जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम की घटनाओं की भविष्यवाणी करने और तैयारी करने में सहायता मिलती है।

सीमा प्रबंधन

- सैटेलाइट तस्वीरें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे यूक्रेनी संघर्ष में रूसी जमीनी बलों पर नज़र रखना और सीमा पर घुसपैठ की निगरानी करना।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

- GPS तकनीक और भू-स्थानिक डेटा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाते हैं, सरकारों और व्यवसायों को महत्वपूर्ण कार्गो आंदोलन की जानकारी प्रदान करते हैं।

शहरी विकास

- उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी शहर के योजनाकारों को साइकिल लेन और यातायात प्रबंधन जैसी सुविधाओं सहित सुरक्षित और अधिक कुशल समुदायों को डिजाइन करने में सहायता करती है।

स्वायत्त वाहन

- भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता विस्तृत जमीनी स्तर के डेटा प्रदान करके, सुरक्षित और स्मार्ट परिवहन प्रणालियों में योगदान देकर स्वायत्त वाहनों के विकास का समर्थन करती है।
- डिजिटल जुड़वां और मॉडलिंग: डिजिटल जुड़वाँ, वास्तविक प्रणालियों की आभासी प्रतिकृतियां, मॉडलिंग और परिणामों की भविष्यवाणी के लिए उपयोग की जाती हैं, जो संघर्ष स्थितियों में मौसम और इलाके का अनुकरण करने में प्रभावी साबित होती हैं।
- भू-स्थानिक इंटेलिजेंस की बढ़ती आवश्यकता
- जलवायु परिवर्तन और शहरीकरण
- बढ़ते तापमान और तेजी से हो रहे शहरीकरण ने भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता की मांग को बढ़ा दिया है।
- यह समुदायों की सुरक्षा करने और उभरती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में सहायता करता है।

उद्योग में आर्थिक विकास

- भू-स्थानिक खुफिया उद्योग पर्याप्त विकास के पथ पर है, पूर्वानुमान के अनुसार, यह 2020 में $61 बिलियन से बढ़कर 2030 तक $209 बिलियन से अधिक हो जाएगा।
- यह वृद्धि एक सुरक्षित और सूचित भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है।

डेटा-संचालित कृषि

- कृषि तेजी से डेटा-संचालित होती जा रही है, जिसमें भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- यह किसानों को फसल प्रबंधन, मिट्टी की गुणवत्ता, सिंचाई और कीट नियंत्रण के संबंध में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है।
- भारत जैसे देश में, जहां कृषि सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 18% योगदान देती है और 48% कार्यबल को रोजगार देती है, यह तकनीक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है।

भारत में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- भू-स्थानिक सूचना विनियमन विधेयक, 2021: सरकार ने भू-स्थानिक सूचना विनियमन विधेयक, 2021 पेश किया, जिसका उद्देश्य भारत में भू-स्थानिक जानकारी के अधिग्रहण, प्रसार और उपयोग को विनियमित करना है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर विशेष जोर देने के साथ मानचित्रण और भू-स्थानिक डेटा संग्रह के लिए दिशानिर्देश तय करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022: सरकार ने राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 लॉन्च की, जिसे भू-स्थानिक बुद्धिमत्ता के उपयोग को सुव्यवस्थित करने और देश में इसके विभिन्न अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भू-स्थानिक इंटेलिजेंस में चुनौतियाँ

- सीमित मांग जागरूकता: भारत में भू-स्थानिक सेवाओं और उत्पादों की महत्वपूर्ण मांग में कमी है, जिसका मुख्य कारण सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में संभावित उपयोगकर्ताओं के बीच अपर्याप्त जागरूकता है।
- कौशल अंतर: भू-स्थानिक उद्योग के भीतर सभी स्तरों पर कुशल जनशक्ति की कमी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
- डेटा उपलब्धता: उच्च-रिज़ॉल्यूशन फ़ाउंडेशन डेटा की अनुपलब्धता एक बाधा है। यह डेटा विभिन्न अनुप्रयोगों और सेवाओं के लिए आधार बनता है।
- डेटा साझाकरण और सहयोग: डेटा साझाकरण और सहयोग के संबंध में स्पष्टता की कमी सह-निर्माण और परिसंपत्ति अधिकतमकरण को बाधित करती है।
- अनुरूप समाधानों का अभाव: भू-स्थानिक क्षेत्र में भारत की अनूठी चुनौतियों और आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उपयोग के लिए तैयार समाधानों की कमी है।

फ़ोनोटैक्सिस

खबरों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने किसी जानवर द्वारा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप की जाने वाली हरकत को फोनोटैक्सिस कहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

फ़ोनोटैक्सिस

- यह ध्वनि स्रोत के संबंध में एक जीव की गति है।

- घटना: यह ज्यादातर झींगुर, पतंगे, मेंढक और टोड के अलावा कुछ अन्य प्राणियों में देखा गया है।
- फ़ोनोटैक्सिस दो प्रकार के होते हैं: सकारात्मक और नकारात्मक।

सकारात्मक फ़ोनोटैक्सिस

- सकारात्मक फोनोटैक्सिस का उद्देश्य आकर्षण है।
- यह आमतौर पर तब होता है जब किसी विशेष प्रजाति की मादाएं - जिनमें झींगुर और मेंढक भी शामिल हैं - नर द्वारा निकाली गई आवाज़ से आकर्षित होती हैं।

नकारात्मक फ़ोनोटैक्सिस

- नकारात्मक फ़ोनोटैक्सिस पीछे हटाने या चेतावनी देने का काम करता है, जैसे कि जब पास के किसी शिकारी की आवाज़ किसी जानवर को संकेत देती है कि उसे दूर जाने की ज़रूरत है।
- विशेष रूप से झींगुर स्वयं को चमगादड़ों से जुड़े कम तीव्रता वाले अल्ट्रासाउंड से दूर रखते हुए पाए गए हैं (जो इसका उपयोग इकोलोकेशन के लिए करते हैं)।

रिसर्च क्या कहती है?

- 1984 में, वैज्ञानिकों ने पाया कि भूमध्यसागरीय घरेलू जेकॉस अपने लाभ के लिए सकारात्मक फोनोटैक्सिस का उपयोग करते हैं।
- जिन खेतों में ये गेको रहते थे, वे नर सजे हुए झींगुरों के भी घर थे, जो अपने बिलों से मादाओं को आकर्षित करने के लिए प्रजाति-विशिष्ट ध्वनियों का उपयोग करते थे।
- छिपकली ने पहचान लिया और इस आवाज का तब तक पालन किया जब तक कि वे बिल तक नहीं पहुंच गई, जहां उन्होंने मादा झींगुर को खा लिया।

अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता चला

खबरों में क्यों?

अंटार्कटिका के ऊपर उपग्रह माप से ओजोन परत में एक विशाल छेद का पता चला है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ओजोन परत, जिसे ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है, ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किमी (9 और 22 मील) ऊपर है जिसमें ओजोन अणुओं (O3) की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता होती है।
- वायुमंडल का लगभग 90 प्रतिशत ओजोन समताप मंडल में होता है, यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह से 10-18 किमी (6-11 मील) से लेकर लगभग 50 किमी (लगभग 30 मील) तक फैला हुआ है।
- ओजोन परत 290 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य के लगभग सभी सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से प्रभावी ढंग से रोकती है, जिसमें कुछ प्रकार के पराबैंगनी (यूवी) और विकिरण के अन्य रूप शामिल हैं जो अधिकांश जीवित चीजों को घायल या मार सकते हैं।

ओजोन छिद्र क्या है?

- 'ओजोन छिद्र' वास्तव में एक छिद्र नहीं है - यह समताप मंडल में एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां कुछ महीनों में ओजोन की सांद्रता बेहद कम हो जाती है।
- 'ओजोन छिद्र' के बारे में सबसे अधिक चर्चा अंटार्कटिका के ऊपर होने वाली कमी है, जो हर साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में दक्षिणी ध्रुव पर उत्पन्न होने वाली विशेष मौसम संबंधी और रासायनिक स्थितियों के कारण बनती है और आकार लगभग 20 से 25 मिलियन वर्ग कि.मी. तक पहुंच सकती है।
- इस तरह के छिद्र उत्तरी ध्रुव पर भी देखे जाते हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में अधिक गर्म तापमान के कारण, यहां छिद्र आकार में बहुत छोटे होते हैं।

ओजोन का निर्माण और विनाश

- समताप मंडल में ओजोन का उत्पादन मुख्य रूप से उच्च-ऊर्जा सौर फोटोन द्वारा ऑक्सीजन अणुओं (O2) के भीतर रासायनिक बंधनों के टूटने से होता है। इस प्रक्रिया, जिसे फोटोडिसोसिएशन कहा जाता है, के परिणामस्वरूप एकल ऑक्सीजन परमाणु निकलते हैं, जो बाद में अक्षुण्ण ऑक्सीजन अणुओं के साथ जुड़कर ओजोन बनाते हैं।
- ओजोन अणुओं को बनाने और नष्ट करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप और ग्रह के चारों ओर ओजोन अणुओं को

ले जाने वाली हवाओं और अन्य परिवहन प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप समताप मंडल में ओजोन की मात्रा पूरे वर्ष स्वाभाविक रूप से बदलती रहती है।

- हालाँकि, कई दशकों के दौरान, मानवीय गतिविधियों ने ओजोन परत को काफी हद तक बदल दिया।
- ओजोन रिक्तीकरण, 1970 के दशक से देखी गई समतापमंडलीय ओजोन में वैश्विक कमी, ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्पष्ट है, और यह समतापमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन की वृद्धि के साथ अच्छी तरह से संबंधित है।
- वे रसायन, जो एक बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) और अन्य हेलोकार्बन (कार्बन-हैलोजन यौगिक) से यूवी विकिरण द्वारा मुक्त हो जाते हैं, ओजोन अणुओं से एकल ऑक्सीजन परमाणुओं को अलग करके ओजोन को नष्ट कर देते हैं।
- जैसे-जैसे समतापमंडलीय ओजोन की मात्रा में गिरावट आती है, अधिक यूवी विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, और वैज्ञानिकों को चिंता है कि इस तरह की वृद्धि से पारिस्थितिक तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

ओजोन छिद्र हर साल बढ़ते और सिकुड़ते हैं:

- अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का आकार हर साल बदलता है, आमतौर पर अगस्त में खुलता है और नवंबर या दिसंबर में बंद होता है।
- यह पृथ्वी के घूमने के कारण अंटार्कटिका पर विशेष हवाओं के कारण होता है, जो महाद्वीप पर एक ढाल बनाती है जो आसपास की हवा के साथ मिश्रण को रोकती है। जब हवाएँ शांत हो जाती हैं तो छेद बंद हो जाता है।

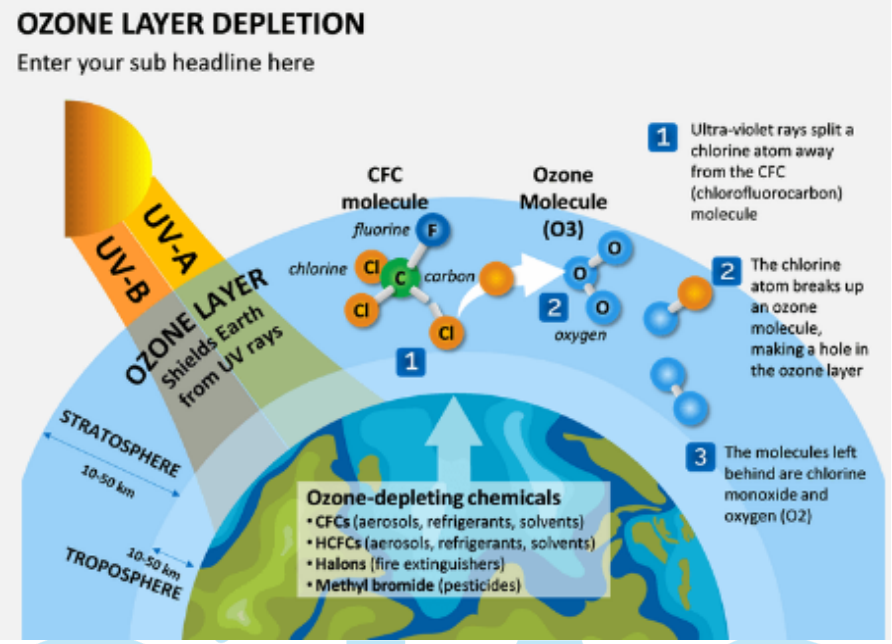

2023 में विशाल ओजोन छिद्र के कारण:

- इस वर्ष का बड़ा ओजोन छिद्र दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान टोंगा के हंगा टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा हो सकता है।
- आम तौर पर, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैस समताप मंडल के नीचे रहती है, लेकिन इसने समताप मंडल में बहुत अधिक जलवाष्प छोड़ी।
- रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जल वाष्प ने ओजोन परत को प्रभावित किया और इसकी ताप दर को बदल दिया। इसमें ब्रोमीन और आयोडीन जैसे तत्व भी शामिल थे जो ओजोन को ख़राब कर सकते हैं।
- इस ओजोन छिद्र का श्रेय मानवीय गतिविधियों को देने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है।

क्या जलवायु परिवर्तन ओजोन छिद्रों को फिर से खोल रहा है?

- ओजोन रिक्तीकरण वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्राथमिक चालक नहीं है, लेकिन बढ़ते तापमान का ओजोन छिद्रों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- ओजोन छिद्रों के शमन के प्रयास 1980 के दशक से प्रभावी थे, लेकिन 2020 और 2021 के ओजोन छिद्र असामान्य रूप से गहरे और लंबे समय तक चलने वाले थे, दक्षिणपूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग ने 2020 के छिद्र में योगदान दिया।
- पृथ्वी की जलवायु पर ओजोन छिद्रों का प्रभाव पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है; कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि वे ग्रीनहाउस गैस प्रभाव को कम करके शीतलन प्रभाव डाल सकते हैं।

रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICD)

खबरों में क्यों?

केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीडी) के 11वें संशोधन में पारंपरिक भारतीय दवाओं को शामिल करना चाहता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी में वर्गीकृत किया गया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICD) दुनिया भर में स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। यह बीमारियों का निदान और रिपोर्ट करने और स्वास्थ्य डेटा एकत्र करने में मदद करता है।
- चिकित्सा ज्ञान और प्रथाओं में बदलावों को ध्यान में रखने के लिए ICD को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।
- ICD में प्रत्येक बीमारी या स्वास्थ्य स्थिति को एक विशेष कोड दिया जाता है। इन कोड का उपयोग मेडिकल रिकॉर्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य डेटा दस्तावेज़ों में किया जाता है।

- ICD स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह बीमारियों के निदान और उपचार, बीमारी के प्रसार की निगरानी और स्वास्थ्य नीतियां बनाने में सहायता करता है।
- भारत में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ हैं, जिनका एक लंबा इतिहास है। वे देश की स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इन स्थितियों के लिए मानकीकृत नियमों और श्रेणियों की कमी के कारण पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करना कठिन रहा है।
- भारत सरकार का लक्ष्य आयुर्वेद को वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एकीकृत करना है। यह पहल दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए एक आम भाषा बनाएगी और पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान और साक्ष्य-आधारित प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगी।
- ICD-11 में, प्राचीन चीन की पारंपरिक चिकित्सा स्थितियों के लिए पहले से ही एक मॉड्यूल (मॉड्यूल-1) मौजूद था। इसने न केवल चीन में बल्कि जापान और कोरिया जैसे देशों में भी विश्व स्तर पर पारंपरिक चीनी चिकित्सा के महत्व को मान्यता दी।

ICD-11 को अद्यतन करने की भारत की खोज

- सार्वभौमिक भाषा: ICD एक सार्वभौमिक भाषा प्रदान करती है जो दुनिया भर के स्वास्थ्य पेशेवरों को मानकीकृत जानकारी साझा करने में सक्षम बनाती है।
- पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल: 11वें संशोधन में पारंपरिक चिकित्सा स्थितियों के लिए समर्पित एक मॉड्यूल शामिल है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन स्थितियों पर डेटा एकत्र करने और रिपोर्ट करने का एक मानकीकृत तरीका प्रदान करता है।
- औपचारिक मान्यता: आयुर्वेद और संबंधित भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त है और भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है, जो उनके समावेशन के लिए एक मजबूत मामला बनता है।
- चीनी चिकित्सा समावेशन: एक दशक के परामर्श के बाद, ICD-11 में मॉड्यूल-1 शामिल किया गया, जो प्राचीन चीन में उत्पन्न होने वाली पारंपरिक चिकित्सा स्थितियों को कवर करता है।

पहल की मुख्य विशेषताएं

- भारत सरकार ICD (रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण) के 11वें संशोधन में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को शामिल करने के लिए काम कर रही है।
- इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक चिकित्सा स्थितियों का वर्णन करने के लिए एक आम भाषा बनाना है। यह दुनिया भर में स्वास्थ्य पेशेवरों, शोधकर्ताओं और संस्थानों को प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद करेगा।
- पारंपरिक चिकित्सा में शब्दावली का मानकीकरण अनुसंधान और इन उपचारों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। यह आयुर्वेद और संबंधित प्रणालियों में साक्ष्य-आधारित प्रथाओं को स्थापित करने में मदद करता है।
- यह पहल स्वास्थ्य प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में पारंपरिक चिकित्सा को विनियमित करने के प्रयासों का समर्थन करती है। पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल और सूचना प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए यह एकीकरण महत्वपूर्ण है।
- ICD-11 संशोधन में डिजिटल कोडिंग में बदलाव शामिल है, जिससे आधुनिक युग में वर्गीकरण प्रणाली तक पहुंच और उपयोग करना आसान हो गया है।
- ICD-11 में लगभग 17,000 अद्वितीय कोड और 1,20,000 से अधिक कोड योग्य शब्द हैं, जो इसे बीमारियों और स्वास्थ्य देखभाल स्थितियों को वर्गीकृत करने के लिए एक व्यापक और अनुकूलनीय प्रणाली बनाते हैं।
- ICD में आयुर्वेद को शामिल करना पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक चिकित्सा मानकों से जोड़ता है। यह एकीकरण विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- पारंपरिक चिकित्सा को ICD में एकीकृत करने से प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टिंग की अनुमति मिलती है। यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए WHO के लक्ष्यों के अनुरूप, पारंपरिक चिकित्सा को बीमा कवरेज और प्रतिपूर्ति प्रणालियों में शामिल करने में सक्षम बनाता है।

पहल का महत्व

- पारंपरिक चिकित्सा में स्पष्ट संचार के लिए मानक शब्द और श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। वे अनुसंधान, साक्ष्य-आधारित प्रथाओं और वैश्विक सहयोग में सहायता करते हैं।
- यह पहल गहन अनुसंधान को सक्षम बनाती है, जिससे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के बारे में हमारी समझ बढ़ती है। यह ज्ञान इसके विकास और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं में एकीकरण में योगदान देता है।
- पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने से सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है और रोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों का विस्तार होता है, एक विनियमित और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को बढ़ावा मिलता है।

- बीमा और प्रतिपूर्ति प्रणालियों में शामिल होने से पारंपरिक चिकित्सा लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाती है।
- WHO का सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य।
- अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भारत की सांस्कृतिक और चिकित्सा विरासत को संरक्षित करती है, आयुर्वेद और संबंधित प्रणालियों की समृद्ध परंपरा को बढ़ावा देती है।
- व्यक्तियों को सदियों पुरानी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा तक पहुंच प्राप्त होती है, जो उपचार और कल्याण के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करती है, और स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों का विस्तार करती है।
- ICD में एकीकरण पारंपरिक और परंपरागत स्वास्थ्य देखभाल के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है, दुनिया भर में ज्ञान और प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।

मिस्ट्रल

खबरों में क्यों?

मिस्ट्रल AI ने मेटा के लामा 2 के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 7.3 बिलियन पैरामीटर भाषा मॉडल जारी किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- मिस्ट्रल, एक फ्रांसीसी तकनीकी स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी की स्थापना पूर्व मेटा (META.O) और Google AI शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी।
- लॉन्च के ठीक बाद, इसने अपने सीड फंडिंग राउंड में रिकॉर्ड 105 मिलियन यूरो ($113.5 मिलियन) जुटाए, और निफ्टी साइज LLM स्पेस में सबसे शक्तिशाली एलएलएम के लिए पहले स्थान का दावा किया है।
- इसने OpenAI के GPT मॉडल के विपरीत, अपाचे 2.0 लाइसेंस के तहत गिटहब पर अपना मॉडल मुफ्त और सभी के लिए जारी किया है, और दावा किया है कि इसका एलएलएम मेटा के ओपन-सोर्स भाषा मॉडल लामा 2 से अधिक सक्षम है।

मिस्ट्रल बनाम लामा 2:

- मिस्ट्रल ने दावा किया कि उसके AI ने लामा 2 के 7 बिलियन और 13 बिलियन पैरामीटर संस्करणों को कई बेंचमार्क में काफी आसानी से हरा दिया है।
- सटीकता का मामला: मिस्ट्रल के मॉडल ने मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग (एमएमएलयू) परीक्षण पर 60.1% की सटीकता दिखाई, जो गणित, इतिहास, कानून और अन्य विषयों को कवर करता है, जबकि लामा 2 मॉडल ने लगभग 44% (7 बिलियन पैरामीटर) और 55% (13 बिलियन पैरामीटर) की सटीकता दिखाई।
- सामान्य ज्ञान तर्क और पढ़ने की समझ के बेंचमार्क में, मिस्ट्रल ने लामा 2 के मॉडल से फिर से बेहतर प्रदर्शन किया।
- शून्य-शॉट ह्यूमनवेल और तीन-शॉट MBPP बेंचमार्क पर फ्रांसीसी स्टार्टअप एआई की सटीकता 30.5% और 47.5% थी। लामा 2 के 7 बिलियन मॉडल ने 31.1% और 52.5% के परिणाम दिए।
- केवल कोडिंग में मिस्ट्रल मेटा के AI मोड से पीछे था।

बड़े भाषा मॉडल (LLM):

- यह बड़े पैमाने पर गहन शिक्षण आर्किटेक्चर के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसे ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क कहा जाता है। एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल एक तंत्रिका नेटवर्क है जो इस वाक्य में शब्दों की तरह, अनुक्रमिक डेटा में संबंधों को ट्रैक करके संदर्भ और अर्थ सीखता है।
- एक ट्रांसफार्मर कई ट्रांसफार्मर ब्लॉकों से बना होता है, जिन्हें परतों के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें गहरे ट्रांसफार्मर और शक्तिशाली भाषा मॉडल बनाने के लिए स्टैक किया जा सकता है।
- ट्रांसफार्मर को पहली बार Google द्वारा 2017 के पेपर "अटेंशन इज़ ऑल यू नीड" में पेश किया गया था।

LLM का महत्व:

- ऐतिहासिक रूप से, एआई मॉडल धारणा और समझ पर केंद्रित थे। हालाँकि, एलएलएम, जिन्हें सैकड़ों अरब मापदंडों के साथ इंटरनेट-स्केल डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाता है, ने अब मानव-जैसी सामग्री उत्पन्न करने के लिए एआई मॉडल की क्षमता को अनलॉक कर दिया है।
- इन LLM के लिए आवेदन ढेर सारे उपयोग के मामलों में फैले हुए हैं। उदाहरण के लिए, एक AI प्रणाली व्यवहार्य यौगिक प्रदान करने के लिए प्रोटीन अनुक्रमों की भाषा सीख सकती है जो वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व, जीवन रक्षक टीके विकसित करने में मदद करेगी।
- जैसे-जैसे एलएलएम का आकार बढ़ा है, वैसे-वैसे उनकी क्षमताएं भी बढ़ी हैं। मोटे तौर पर, पाठ-आधारित सामग्री के लिए एलएलएम उपयोग के मामलों को निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया जा सकता है:
  1. पीढ़ी (जैसे, कहानी लेखन, विपणन सामग्री निर्माण);
  2. सारांशीकरण (उदाहरण के लिए, कानूनी व्याख्या, मीटिंग नोट्स सारांशीकरण);
  3. अनुवाद (जैसे, भाषाओं के बीच, टेक्स्ट-टू-कोड);
  4. वर्गीकरण (जैसे, विषाक्तता वर्गीकरण, भावना विश्लेषण);
  5. चैटबॉट (जैसे, ओपन-डोमेन Q+A, वर्चुअल असिस्टेंट)।
- दुनिया भर के उद्यम नई संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए LLM का लाभ उठाना शुरू कर रहे हैं।

LLM की चुनौतियाँ:

- गणना, लागत और समय गहन कार्यभार: LLM को बनाए रखने और विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण पूंजी निवेश, तकनीकी विशेषज्ञता और बड़े पैमाने पर गणना बुनियादी ढांचा आवश्यक है।
- आवश्यक डेटा का पैमाना: जैसा कि उल्लेख किया गया है, एक बड़े मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है।
- तकनीकी विशेषज्ञता: उनके पैमाने के कारण, बड़े भाषा मॉडल को प्रशिक्षित करना और तैनात करना बहुत कठिन है और इसके लिए गहन शिक्षण वर्कफ़्लो, ट्रांसफार्मर और वितरित सॉफ़्टवेयर और हार्डवेयर की मजबूत समझ के साथ-साथ हजारों जीपीयू को एक साथ प्रबंधित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है।

डीपफेक तकनीक

खबरों में क्यों?

केंद्र सरकार एक ऐसा कानून लागू करने पर विचार कर रही है जिसके तहत व्हाट्सएप को किसी संदेश के पहले प्रवर्तक के बारे में विवरण साझा करना होगा। इसका आधार व्हाट्सएप पर प्रसारित राजनेताओं के कई डीपफेक वीडियो हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

डीपफेक:

- डीपफेक गलत सूचना फैलाने और वास्तविक व्यक्ति की शक्ल, आवाज या दोनों को समान कृत्रिम समानता या आवाज से बदलने के लिए मशीन-लर्निंग एल्गोरिदम के साथ कृत्रिम छवियों और ऑडियो का एक संकलन है।
- यह ऐसे लोगों को पैदा कर सकता है जिनका अस्तित्व ही नहीं है और यह वास्तविक लोगों को ऐसी बातें कहने और करने का दिखावा कर सकता है जो उन्होंने नहीं कही या नहीं कीं।

पृष्ठभूमि:

- डीपफेक शब्द की उत्पत्ति 2017 में हुई, जब एक गुमनाम Reddit उपयोगकर्ता ने खुद को "डीपफेक" कहा।
- इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए Google की ओपन-सोर्स, डीप-लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया।
- वीडियो के साथ फेस-स्वैपिंग नामक तकनीक से छेड़छाड़ की गई थी।
- उपयोगकर्ता "डीपफेक" ने असली चेहरों को सेलिब्रिटी चेहरों से बदल दिया।

इसका उपयोग कहां किया जा सकता है?

- इसका उपयोग सेलिब्रिटी अश्लील वीडियो बनाने, फर्जी खबरें तैयार करने और अन्य गलत कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है।
- अब इसका उपयोग घोटालों और धोखाधड़ी, चुनावी हेरफेर, सोशल इंजीनियरिंग, स्वचालित दुष्प्रचार हमलों, पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे नापाक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
- पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रम्प, भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, फेसबुक प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड सेलिब्रिटी टॉम क्रूज़ का प्रतिरूपण करने के लिए डीपफेक तकनीक का उपयोग किया गया है।

डीपफेक से संबंधित खतरों से निपटने के उपाय:

- विधायी विनियमों, प्लेटफ़ॉर्म नीतियों, प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और मीडिया साक्षरता में सहयोगात्मक कार्रवाइयां और सामूहिक तकनीकें दुर्भावनापूर्ण डीपफेक के खतरे को कम करने के लिए प्रभावी और नैतिक जवाबी उपाय प्रदान कर सकती हैं।
- मीडिया साक्षरता: उपभोक्ताओं और पत्रकारों के लिए मीडिया साक्षरता दुष्प्रचार और डीपफेक से निपटने का सबसे प्रभावी उपकरण है। समझदार जनता को तैयार करने के लिए मीडिया साक्षरता प्रयासों को बढ़ाया जाना चाहिए। मीडिया के उपभोक्ताओं के रूप में, हमारे पास हमारे सामने आने वाली जानकारी को समझने, समझने, अनुवाद करने और उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। यहां तक कि मीडिया को समझने, प्रेरणाओं और संदर्भ को सीखने में एक छोटा सा हस्तक्षेप भी नुकसान को कम कर सकता है। मीडिया साक्षरता में सुधार करना डीपफेक द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का समाधान करने का एक अग्रदूत है
- विधायी नियम: प्रौद्योगिकी उद्योग, नागरिक समाज और नीति निर्माताओं के साथ सहयोगात्मक चर्चा के साथ सार्थक नियम दुर्भाव-नापूर्ण डीपफेक के निर्माण और वितरण को हतोत्साहित करने में मदद कर सकते हैं।
- तकनीकी समाधान: हमें डीपफेक का पता लगाने, मीडिया को प्रमाणित करने और आधिकारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए उपयोग में आसान और सुलभ प्रौद्योगिकी समाधानों की भी आवश्यकता है।

आउटलुक

- डीपफेक अपनी एजेंसी को बढ़ाकर सभी लोगों के लिए उनकी सीमाओं के बावजूद संभावनाएं पैदा कर सकता है। हालाँकि, जैसे-जैसे सिंथेटिक मीडिया प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ती है, वैसे-वैसे शोषण का जोखिम भी बढ़ता है।
- डीपफेक का उपयोग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, सबूत गढ़ने, जनता को धोखा देने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करने के लिए किया जा सकता है।

- डीपफेक के खतरे का मुकाबला करने के लिए, हम सभी को इंटरनेट पर मीडिया का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले सोचना और रुकना चाहिए, और इस इन्फोडेमिक के समाधान का हिस्सा बनना चाहिए।

रक्तसंबंध

खबरों में क्यों?

हाल के अध्ययनों से आनुवांशिकी और स्वास्थ्य पर रक्तसंबंध के प्रभाव का पता चलता है। यह स्पष्ट करता है कि यह व्यापक परंपरा वैश्विक आबादी के भीतर रोग की संवेदनशीलता और मानवीय लक्षणों के विकास को कैसे प्रभावित करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

अवलोकन

- सामाजिक और आनुवंशिक पहलू: रक्तसंबंध में सामाजिक और आनुवंशिक दोनों आयाम शामिल हैं। सामाजिक रूप से, इसमें चचेरे भाई-बहन जैसे रक्त संबंधियों के बीच विवाह शामिल होता है। आनुवंशिक रूप से, यह निकट संबंधी व्यक्तियों के बीच मिलन को संदर्भित करता है, जिसे अक्सर इनब्रीडिंग कहा जाता है।
- निहितार्थ: रक्तसंबंध की अवधारणा का पारिवारिक संरचनाओं और जनसंख्या आनुवंशिकी दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन से मुख्य निष्कर्ष

- वैश्विक व्यापकता: दुनिया की लगभग 15-20% आबादी रक्तसंबंध का अभ्यास करती है, जिसका प्रचलन एशिया और पश्चिम अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में अधिक है।
- ऐतिहासिक प्रथाएँ: माना जाता है कि कुछ प्राचीन मानव सभ्यताएँ, जैसे कि मिस्र और इंकास, सजातीयता का अभ्यास करती थीं।
- आनुवंशिक साक्ष्य: DNA विश्लेषण जैसे आनुवंशिक साक्ष्य बताते हैं कि मिस्र के राजा तूतनखामुन जैसी ऐतिहासिक शख्सियतों का जन्म उन माता-पिता से हुआ था जो रक्त संबंधी थे।
- भारत में अंतर्विवाही समूह: भारत 4,000 से अधिक अंतर्विवाही समूहों का घर है जहां लोग एक ही जाति, जनजाति या समूह में विवाह करते हैं। यह प्रथा भारत को सजातीयता अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाती है।
- स्वास्थ्य पर प्रभाव: अध्ययनों से पता चला है कि सजातीयता से मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है और उन आबादी में पुनरावर्ती आनुवंशिक रोगों का उच्च प्रसार हो सकता है जहां इसका अभ्यास किया जाता है। ऐसा तब होता है जब निकट संबंधी व्यक्तियों के बच्चे होते हैं तो हानिकारक अप्रभावी जीन की दो प्रतियां विरासत में मिलने की संभावना अधिक होती है।

लाभ:

- परंपरा का संरक्षण: कुछ समाजों में, सजातीय विवाह एक दीर्घकालिक परंपरा है जो सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को संरक्षित करने में मदद करती है।
- सामाजिक सुरक्षा जाल: सजातीय संबंध एक अंतर्निहित सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान कर सकते हैं। वित्तीय, भावनात्मक या चिकित्सा संकट के दौरान रिश्तेदारों द्वारा एक-दूसरे की सहायता करने की अधिक संभावना होती है, जिससे बाहरी सामाजिक सेवाओं पर बोझ कम हो जाता है।
- सांस्कृतिक अनुकूलता: कुछ मामलों में, करीबी रिश्तेदारों से शादी करने से सांस्कृतिक, धार्मिक या सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में असंगति का खतरा कम हो सकता है, जिससे संभावित रूप से अधिक स्थिर विवाह हो सकते हैं।
- नियंत्रित सेटिंग्स में चयनात्मक प्रजनन: नियंत्रित प्रजनन सेटिंग्स में, पौधों और जानवरों में हानिकारक आनुवंशिक लक्षणों को खत्म करने और वांछनीय गुणों को बढ़ाने के लिए निकट संबंधी व्यक्तियों का संभोग एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इससे कृषि उपज बेहतर हो सकती है और पशुधन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।

चुनौतियाँ:

- आनुवंशिक विकारों का बढ़ता जोखिम: रक्तसंबंध की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती सामान्य अप्रभावी जीनों के साझा होने के कारण संतानों में आनुवंशिक विकार होने का बढ़ता जोखिम है। सिस्टिक फ़ाइब्रोसिस जैसी स्थितियां करीबी रिश्तेदारों की संतानों में अधिक प्रचलित हो सकती हैं।
- सीमित आनुवंशिक विविधता: करीबी रिश्तेदारों से शादी करने से जनसंख्या में सीमित आनुवंशिक विविधता हो सकती है, जिससे संभावित रूप से बीमारियों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति समग्र लचीलापन कम हो सकता है।
- जटिल पारिवारिक गतिशीलता: सजातीय परिवारों में, जटिल पारिवारिक गतिशीलता विकसित हो सकती है क्योंकि कई भूमिकाएँ और रिश्ते एक-दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे संभावित रूप से निर्णय लेने और पारिवारिक पदानुक्रम से संबंधित संघर्ष और तनाव पैदा होते हैं।
- स्वायत्तता का क्षरण: घनिष्ठ रूप से जुड़े सजातीय समुदायों में, व्यक्तिगत स्वायत्तता का क्षरण हो सकता है, जहां विवाह, परिवार नियोजन और अन्य जीवन विकल्पों से संबंधित निर्णय परिवार या समुदाय द्वारा भारी रूप से प्रभावित होते हैं, जिससे संभावित रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।
- घरेलू हिंसा को शांत करना: सजातीय संबंधों में, पारिवारिक सम्मान को बनाए रखने के पारिवारिक और सांस्कृतिक दबाव के कारण महिलाओं को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने से हतोत्साहित किया जा सकता है। यह चुप्पी दुर्व्यवहार के चक्र को कायम रख सकती है, जिससे घरेलू हिंसा के मामलों में मदद लेना या हस्तक्षेप करना मुश्किल हो जाता है।

दृष्टिकोण

सजातीयता, संस्कृति और परंपरा में गहराई से निहित एक प्रथा होने के कारण, एक विचारशील और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। संबंधित चुनौतियों का समाधान करने का एक तरीका यहां दिया गया है:

- सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान: सजातीयता से संबंधित सांस्कृतिक मूल्यों और प्रथाओं का सम्मान करना और उन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। पहचानें कि ये प्रथाएँ कई समाजों का अभिन्न अंग हैं।
- शिक्षा और जागरूकता: सजातीयता के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। सुनिश्चित करें कि व्यक्तियों और समुदायों को ऐसे विवाहों के निहितार्थों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो।
- कानूनी सुरक्षा उपाय: कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करें जो सजातीय विवाह में शामिल व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करते हैं। इन सुरक्षा उपायों में सहमति सुनिश्चित करना, न्यूनतम आयु की आवश्यकताएं, और विरासत और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित संभावित मुद्दों को संबोधित करना शामिल हो सकता है।
- सहायता सेवाएँ: वैयक्तिकृत चिकित्सा और आनुवंशिक परामर्श जैसी सहायता सेवाओं तक पहुँच प्रदान करें। ये सेवाएँ व्यक्तियों को सजातीयता से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को समझने और प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं।
- सशक्तिकरण: व्यक्तियों को उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए अपने रिश्तों के बारे में सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना। ऐसे विकल्प चुनने के लिए परिवारों और समुदायों के बीच खुले संवाद को प्रोत्साहित करें जो सांस्कृतिक और चिकित्सीय दोनों दृष्टि से सही हों।
- अनुसंधान और डेटा संग्रह: विभिन्न क्षेत्रों में रक्तसंबंध की व्यापकता और प्रभाव पर अनुसंधान और डेटा संग्रह को प्रोत्साहित करें। इससे हस्तक्षेप और सहायता सेवाओं को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद मिल सकती है।
- सहयोग: रक्तसंबंध से संबंधित बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, शिक्षकों, नीति निर्माताओं और समुदाय के नेताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

दिल्ली में पराली जलाने के लिए बायो-डीकंपोजर

खबरों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली सरकार ने पराली जलाने से निपटने के लिए बायो-डीकंपोजर का छिड़काव शुरू किया है। हालाँकि, किसानों के अनुसार, माइक्रोबियल समाधान की प्रभावशीलता काफी हद तक इसके उपयोग के समय पर निर्भर करती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

पराली जलाना

- धान, गेहूं आदि जैसे अनाजों की कटाई के बाद बचे हुए भूसे के ठूंठ में जानबूझ कर आग लगाना पराली जलाना है। यह प्रथा 1990 के दशक तक व्यापक थी, जब सरकारों ने इसके उपयोग को तेजी से प्रतिबंधित कर दिया।
- पराली जलाने, पराली को वापस जमीन में जोतने या उसे औद्योगिक उपयोग के लिए इकट्ठा करने जैसे विकल्पों के विपरीत, पर्यावरण पर कई परिणाम और प्रभाव डालता है।

पराली जलाने के प्रभाव:

सहायक प्रभाव

- स्लग और अन्य कीटों को मारता है
- नाइट्रोजन बंधन को कम कर सकता है

हानिकारक प्रभाव

- पोषक तत्वों की हानि
- धुएँ से प्रदूषण
- प्रवाहकीय अपशिष्ट के तैरते धागों से बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान
- आग के नियंत्रण से बाहर फैलने का ख़तरा
- फसल अवशेष जलाने के मुख्य प्रतिकूल प्रभावों में ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन शामिल है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, पार्टिकुलेट मैटर (PM) के बढ़े हुए स्तर और स्मॉग जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं, कृषि भूमि की उर्वरता जैव विविधता की हानि और गिरावट शामिल है।

पराली जलाने के विकल्प:

- पराली का इन-सीटू उपचार: उदाहरण के लिए, जीरो-टिलर मशीन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन और बायो-डीकंपोजर का उपयोग।
- एक्स-सीटू (ऑफ-साइट) उपचार: उदाहरण के लिए, पशु चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग- उदाहरण के लिए टर्बो हैप्पी सीडर (THS) मशीन, जो पराली को उखाड़ सकती है और साफ किए गए क्षेत्र में बीज भी बो सकती है। फिर पराली को खेत में गीली घास के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

पराली जलाने से निपटने के लिए बायो-डीकंपोजर

- फसल अवशेषों के प्राकृतिक अपघटन में तेजी लाने के लिए एक जैव-डीकंपोजर विकसित किया गया है।

- आमतौर पर, इसमें विभिन्न सूक्ष्मजीवों का मिश्रण शामिल होता है, जिसमें कवक, बैक्टीरिया और एंजाइम शामिल होते हैं जो पौधों की सामग्री को तोड़कर मिट्टी के लिए समृद्ध कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं।

सूक्ष्मजीवों के उदाहरण:

- बैक्टीरिया: बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ई कोली, साल्मोनेला
- कवक: मशरूम, फफूंद, यीस्ट
- अन्य जीव: केंचुए, कीड़े (बीटल, मक्खियाँ, चींटियाँ, मैगॉट्स), आर्थ्रोपोड (मिलीपेड, वुडलाइस)

पूसा-बायोडकंपोजर:

- पूसा-बायोडकंपोजर एक कवक-आधारित तरल समाधान है जिसे कठोर फसल अवशेषों को नरम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वे खाद के रूप में कार्य करने के लिए मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं।
- कवक लगभग 30-32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पनपते हैं, जो धान की कटाई और गेहूं की बुआई के दौरान की स्थितियों से मेल खाता है।
- यह एंजाइम पैदा करता है जो धान के भूसे में सेलूलोज़, लिग्निन और पेक्टिन को तोड़ता है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित और दिल्ली में ICAR के पूसा परिसर के नाम पर रखा गया।
- फसल अवशेषों के अलावा, यह जानवरों के अपशिष्ट, गोबर और अन्य कचरे को तेजी से जैविक खाद में परिवर्तित करता है।

लाभ:

- पराली को खाद में बदलकर और भविष्य में उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता को कम करके मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता को बढ़ाता है।
- पराली जलाने से निपटने के लिए एक कुशल, लागत प्रभावी और व्यावहारिक समाधान।
- पर्यावरण के अनुकूल, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप।

प्रभावकारिता और विचार:

- माइक्रोबियल घोल के प्रयोग का उद्देश्य कटाई के बाद खेत में बचे धान के भूसे को विघटित करना है।
- प्रभावी अपघटन के लिए कटाई के बाद छिड़काव, मिट्टी में जुताई और 20-25 दिनों तक हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है।
- इसकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए फसल के साथ समय पर आवेदन करना महत्वपूर्ण है।
- फसल चक्र, श्रम उपलब्धता और फसल के प्रकार जैसे विभिन्न कारक किसानों के लिए इसकी प्रासंगिकता को प्रभावित करते हैं।
- मौसम की स्थिति, विशेष रूप से सितंबर और अक्टूबर के दौरान बारिश, इसके अनुप्रयोग और प्रभावशीलता में भूमिका निभाती है।

डेंगू

खबरों में क्यों?

2023 में सितंबर तक भारत में डेंगू के करीब 95,000 मामले दर्ज किए गए, जिससे 90 से अधिक मौतें हुईं।

महत्वपूर्ण बिंदु

डेंगू:

- डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस (DENV) के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिक आम है।
- DENV चार सीरोटाइप (DENV-1 से 4) वाला फ्लेविविरिडे परिवार का एक RNA वायरस है। एक सीरोटाइप के साथ संक्रमण उस प्रकार के लिए आजीवन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, लेकिन बाद में विभिन्न सीरोटाइप के साथ संक्रमण से बीमारी के गंभीर, जीवन--घातक रूप हो सकते हैं।
- लक्षण: जिन लोगों को डेंगू होता है उनमें से अधिकांश लोगों में लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, उनके लिए सबसे आम लक्षण हैं तेज बुखार (40°C/104°F), गंभीर सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, मतली, उल्टी, सूजी हुई ग्रंथियां, दाने।

हस्तांतरण

- वेक्टर: यह वायरस संक्रमित मादा मच्छरों, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर, के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
- मानव-से-मच्छर संचरण: DENV-संक्रमित व्यक्ति को खाने के बाद, वायरस लार ग्रंथियों सहित माध्यमिक ऊतकों में फैलने से पहले मच्छर के मध्य आंत में दोहराता है।
- बाह्य ऊष्मायन अवधि (EIP): वायरस के प्रवेश से लेकर नए मेजबान तक वास्तविक संचरण तक लगने वाले समय को बाह्य ऊष्मायन अवधि (EIP) कहा जाता है। EIP में लगभग 8-12 दिन लगते हैं जब परिवेश का तापमान 25-28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। एक बार संक्रामक होने पर, मच्छर अपने पूरे जीवन के लिए वायरस प्रसारित कर सकता है।
- अन्य संचरण तरीके: डेंगू के मातृ संचरण (गर्भवती मां से उसके बच्चे तक), रक्त उत्पादों, अंग दान और आधान के माध्यम से संचरण की संभावना है।

डेंगू का ख़तरा

- वैश्विक परिदृश्य: दुनिया की लगभग आधी आबादी को डेंगू का खतरा है और हर साल अनुमानित 100-400 मिलियन संक्रमण होते हैं। डेंगू का प्रकोप अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व, एशिया और प्रशांत द्वीप समूह सहित दुनिया के कई देशों में होता है।
- भारतीय परिदृश्य: भारत में 2008 और 2022 के बीच 15 साल की अवधि में पश्चिम बंगाल में भारत के कुल मामलों में सबसे अधिक 11% हिस्सेदारी दर्ज की गई। इसके बाद पंजाब (8.9%) और उत्तर प्रदेश (7.1%) का स्थान रहा।

रोकथाम

- डेंगू के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है, इसलिए रोकथाम मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने पर निर्भर करती है।
- डेंगू फैलाने वाले मच्छर दिन के समय सक्रिय रहते हैं। बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को मच्छर के काटने से बचाएं।
- डेंगवैक्सिया: अब तक एक वैक्सीन, डेंगवैक्सिया को कुछ देशों में मंजूरी और लाइसेंस मिल चुका है। हालाँकि, केवल पूर्व डेंगू संक्रमण के साक्ष्य वाले व्यक्तियों को ही इस टीके से बचाया जा सकता है।

नया विकासवादी कानून

खबरों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने एक नया विकासवादी कानून प्रस्तावित किया है जो खनिजों से लेकर सितारों तक जीवित और निर्जीव संस्थाओं के विकास की व्याख्या कर सकता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अध्ययन के अनुसार, प्राकृतिक प्रणालियाँ, जीवित और निर्जीव इकाइयाँ, अधिक पैटर्निंग, विविधता और जटिलता की स्थिति में विकसित होती हैं।
- जैसे-जैसे जीवन एकल-कोशिका वाले जीवों से बहु-कोशिका वाले जीवों में विकसित हुआ, उदाहरण के लिए, पृथ्वी के खनिज अधिक जटिल हो गए, जिससे विविधता पैदा हुई। इसने, बदले में, जैविक विकास को गति दी।
- जैव विविधता खनिज विविधता की ओर ले जाती है और इसके विपरीत भी। शोधकर्ताओं ने बताया कि दो प्रणालियों, जैविक और खनिज, ने जीवन बनाने के लिए परस्पर क्रिया की, जैसा कि हम आज जानते हैं।

अध्ययन के बारे में:

- शोधकर्ताओं ने प्रस्तावित किया कि विकास तब होता है जब एक नया विन्यास या परमाणुओं और अणुओं की एक नई व्यवस्था अच्छी तरह से काम करती है और कार्यों में सुधार होता है।
- फ़ंक्शन का चयन, उन्होंने समझाया, विकास की कुंजी है। डार्विन ने कार्य को मुख्य रूप से अस्तित्व के साथ परिभाषित किया लेकिन नया अध्ययन प्रकृति में होने वाले कम से कम तीन प्रकार के कार्यों पर प्रकाश डालता है।
- पहला कार्य स्थिरता है, जिसका अर्थ है कि परमाणुओं या अणुओं की स्थिर व्यवस्था से बनी प्रणालियाँ जीवित रहेंगी।
- दूसरे में ऊर्जा आपूर्ति के साथ गतिशील प्रणालियाँ शामिल हैं।
- तीसरा है "नवीनता" - नए कॉन्फ़िगरेशन या व्यवस्था का पता लगाने के लिए विकसित प्रणालियों की प्रवृत्ति जो नए व्यवहार या विशेषताओं को जन्म दे सकती है।
- नवीनता का एक उदाहरण तब है जब एकल-कोशिका वाले जीव भोजन बनाने के लिए प्रकाश का उपयोग करने के लिए विकसित हुए। अन्य उदाहरणों में बहुकोशिकीय प्रजातियों के बीच नए व्यवहार जैसे तैरना, चलना, उड़ना और सोचना शामिल हैं।
- इसी तरह, पृथ्वी पर शुरुआती खनिजों में परमाणुओं की एक स्थिर व्यवस्था थी, जो खनिजों की अगली पीढ़ियों के विकास के लिए नींव के रूप में काम करती थी। फिर इन खनिजों को जीवन में शामिल कर लिया गया। उदाहरण के लिए, खनिज जीवित जीवों के खोल, दाँत और हड्डियों में मौजूद होते हैं।
- उदाहरण के लिए, सौर मंडल के शुरुआती वर्षों में, पृथ्वी 20 खनिजों का घर थी, जो 4.5 अरब वर्षों में और अधिक जटिल भौतिक, रासायनिक और अंततः जैविक प्रक्रियाओं के कारण आज लगभग 6,000 ज्ञात खनिजों में विकसित हो गई है।
- जहाँ तक तारों की बात है, बिग बैंग के बाद बनने वाले पहले तारों में दो मुख्य तत्व थे: हाइड्रोजन और हीलियम। उन शुरुआती सितारों ने इन सामग्रियों का उपयोग लगभग 20 भारी रासायनिक तत्व बनाने के लिए किया था। परिणामस्वरूप तारों की अगली पीढ़ी ने लगभग 100 से अधिक तत्वों का उत्पादन किया।
- ब्रह्मांड परमाणुओं, अणुओं, कोशिकाओं आदि के नए संयोजन उत्पन्न करता है। वे संयोजन जो स्थिर हैं और और भी अधिक नवीनता उत्पन्न कर सकते हैं, उनका विकास जारी रहेगा।
- इस कानून का जटिल विकसित हो रही प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर प्रभाव है। यह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों पर लागू हो सकता है, जिसमें खगोल भौतिकी से लेकर पारिस्थितिकी से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक शामिल है।

सफेद फास्फोरस

खबरों में क्यों?

एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने इज़राइल रक्षा बलों (IDF) पर गाजा और लेबनान में सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

सफेद फास्फोरस क्या है?

- सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है, जिससे गाढ़ा, हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी पैदा होती है। सफेद फास्फोरस एक अलग लहसुन जैसी गंध उत्सर्जित करता है।
- पायरोफोरिक पदार्थ वे होते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर स्वतः या बहुत तेजी से प्रज्वलित हो जाते हैं।

सफेद फास्फोरस का सैन्य उपयोग

- सफेद फास्फोरस को तोपखाने के गोले, बम और रॉकेट में फैलाया जाता है। अधिक संकेंद्रित धुएं के लिए युद्ध सामग्री को या तो जमीन पर विस्फोट किया जा सकता है, या बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए हवा में विस्फोट किया जा सकता है।
- इसका उपयोग जमीन पर सेना की गतिविधियों को छिपाने के लिए स्मोकस्क्रीन के रूप में किया जाता है। धुआं दृश्य अस्पष्टता का काम करता है। सफेद फॉस्फोरस को इन्फ्रारेड ऑप्टिक्स और हथियार ट्रैकिंग सिस्टम के साथ गड़बड़ी करने के लिए भी जाना जाता है, इस प्रकार यह निर्देशित मिसाइलों से बलों की रक्षा करता है।
- सफेद फास्फोरस का उपयोग आग लगाने वाले हथियार के रूप में भी किया जा सकता है।

सफेद फास्फोरस कितना हानिकारक है?

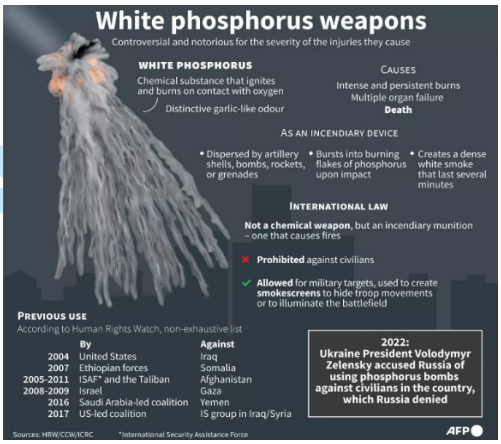

- संपर्क में आने पर, सफेद फास्फोरस गंभीर जलन पैदा कर सकता है, अक्सर हड्डी तक। जले को ठीक करना मुश्किल होता है और संक्रमण होने का खतरा होता है। सफेद फास्फोरस के कण जो शरीर में फंसे रहते हैं, हवा के संपर्क में आने पर फिर से सक्रिय हो सकते हैं।
- सफेद फास्फोरस के कण या धुआं अंदर लेने से श्वसन क्षति और आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है।
- सफेद फास्फोरस बुनियादी ढांचे और संपत्ति को भी नष्ट कर सकता है, फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है और पशुधन को मार सकता है, विशेषकर हवा की स्थिति में, भीषण आग के साथ।

श्वेत फास्फोरस युद्ध सामग्री का प्रथम प्रयोग

- 19वीं सदी के अंत में आयरिश राष्ट्रवादियों ने पहली बार सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री का इस्तेमाल किया, जिसे "फेनियन फायर" प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है।
- 2004 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण और नागोर्नो-कराबाख संघर्ष में भी सफेद फास्फोरस का उपयोग देखा गया है।

सफेद फास्फोरस युद्ध सामग्री की कानूनी स्थिति

- सफेद फास्फोरस का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) के तहत विनियमित है। हालाँकि सफ़ेद फ़ॉस्फ़ोरस युद्ध सामग्री पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इसे रासायनिक हथियार नहीं माना जाता है क्योंकि इसकी परिचालन उपयोगिता मुख्य रूप से विषाक्तता के बजाय गर्मी और धुएं के कारण होती है।
- सफेद फास्फोरस का उपयोग पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन (CCW) द्वारा नियंत्रित किया जाता है, विशेष रूप से प्रोटोकॉल III, जो आग लगाने वाले हथियारों से संबंधित है। फ़िलिस्तीन और लेबनान प्रोटोकॉल III में शामिल हो गए हैं, जबकि इज़राइल ने प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है।
- CCW का प्रोटोकॉल III, "नागरिकों की सघनता" में हवा से गिराए गए आग लगाने वाले हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। एचआरडब्ल्यू के अनुसार, इसमें दो महत्वपूर्ण खामियां हैं।
- सबसे पहले, यह उन जगहों पर जमीन से लॉन्च किए जाने वाले आग लगाने वाले हथियारों के कुछ नहीं बल्कि सभी उपयोग को प्रतिबंधित करता है जहां नागरिकों की संख्या अधिक होती है।
- दूसरा, प्रोटोकॉल की आग लगाने वाले हथियारों की परिभाषा में वे हथियार शामिल हैं जो "मुख्य रूप से आग लगाने और लोगों को जलाने के लिए डिज़ाइन किए गए" हैं, और इस प्रकार यकीनन बहुउद्देशीय हथियार जैसे कि सफेद फास्फोरस युक्त हथियार शामिल नहीं हैं, जिन्हें मुख्य रूप से "धूम्रपान" एजेंट माना जाता है।

लद्दाख में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना

खबरों में क्यों?

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) चरण- II - अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) पर परियोजना को मंजूरी दे दी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्रधान मंत्री ने 2020 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लद्दाख में 7.5 गीगावॉट सौर पार्क की स्थापना की घोषणा की।
- व्यापक क्षेत्र सर्वेक्षण के बाद, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने पंग, लद्दाख में 12 गीगावॉट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के साथ 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (RE) उत्पादन क्षमता स्थापित करने की योजना तैयार की।
- बिजली की भारी मात्रा की निकासी के लिए एक अंतर-राज्यीय पारेषण बुनियादी ढांचा तैयार करना आवश्यक होगा।

परियोजना के बारे में

- परियोजना को परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के साथ वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित करने का लक्ष्य है।

- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
- इस बिजली को निकालने के लिए ट्रांसमिशन लाइन हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर हरियाणा के कैथल तक जाएगी, जहां इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- यह परियोजना इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण- II (InSTS GEC-II) के अतिरिक्त है, जो पहले से ही गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वयन के अधीन है।

महत्व

- यह परियोजना वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी।
- यह परियोजना देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा विकसित करने और कार्बन पदचिह्न को कम करके पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने में भी मदद करेगी।
- यह विशेष रूप से लद्दाख क्षेत्र में बिजली और अन्य संबंधित क्षेत्रों में कुशल और अकुशल दोनों कर्मियों के लिए बड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा।

लसीका फाइलेरिया

खबरों में क्यों?

लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 2023 में बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने वाला दूसरा देश बन गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

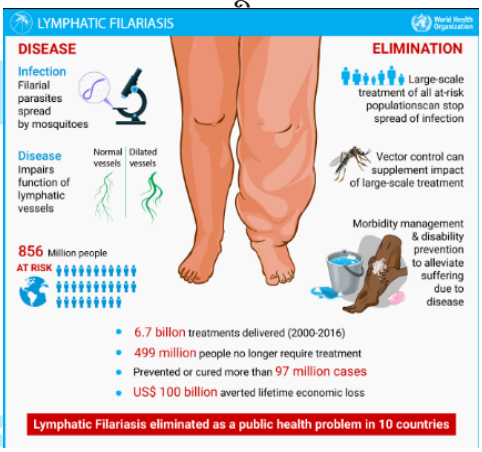

- लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (LF) को खत्म कर दिया है, यह एक ऐसी बीमारी है जो अपंग कर देती है और प्रभावित समुदायों पर महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालती है।
- 2017 में सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन के बाद, छह वर्षों में समाप्त होने वाली यह देश की दूसरी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी (NTD) है।
- लाओ PDR अब 2023 में लिम्फैटिक फाइलेरियासिस (LF) को खत्म करने वाला बांग्लादेश के बाद दूसरा देश है।
- उन्नीस देश एलएफ को ख़त्म करने में सफल रहे हैं।
- 19 देशों में से 11 देश WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र (WPR) के हैं।

WHO के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के चार देशों ने भी LF को समाप्त कर दिया है:

- बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और थाईलैंड।
- WHO अफ्रीका क्षेत्र में दो देशों, मलावी और टोगो ने इस बीमारी को ख़त्म कर दिया है।
- WHO पूर्वी भूमध्य सागर के यमन में भी इस बीमारी को ख़त्म कर दिया गया है।

LF से निपटना

- LF-स्थानिक क्षेत्रों के सभी प्रभावित निवासियों के इलाज और भविष्य में संचरण को रोकने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) है।
- WHO LF के खिलाफ MDA के लिए आइवरमेक्टिन (I), डायथाइलकार्बामाज़िन (D) और एल्बेंडाजोल (A) के ट्रिपल थेरेपी संयोजन की सिफारिश करता है।
- LF, जिसे एलिफेंटियासिस के रूप में भी जाना जाता है, एक रोकथाम योग्य मच्छर जनित संक्रामक रोग है जिसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वैश्विक उन्मूलन के लिए लक्षित किया गया है।
- यह तब होता है जब फाइलेरिया परजीवी वुचेरेरिया बैन्क्रॉफ्टी, ब्रुगिया मलाई और बी टिमोरी में से एक मच्छर के काटने के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है।
- परजीवी लसीका वाहिकाओं में घोंसला बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं।
- इससे हाइड्रोसील, लिम्फेडेमा और एलिफेंटियासिस हो जाता है।

LF के बारे में:

- लिम्फैटिक फाइलेरियासिस एक बीमारी है जो परजीवी कृमियों के कारण होती है जिन्हें फाइलेरिया कृमि के नाम से जाना जाता है।
- यह दुनिया भर में स्थायी विकलांगता का एक प्रमुख कारण है।
- जबकि अधिकांश मामलों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, कुछ लोगों में एलिफेंटियासिस नामक एक सिंड्रोम विकसित होता है, जो हाथ, पैर, स्तन या जननांगों में गंभीर सूजन से चिह्नित होता है।
- यह मच्छर जनित बीमारियों में से पहली बीमारी है जिसकी पहचान की गई है।
- कीड़े संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलते हैं।

तीन प्रकार के कीड़े इस बीमारी का कारण माने जाते हैं:

(i) वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी,
(ii) ब्रुगिया मलाई,
(iii) ब्रुगिया तिमोरी

- वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी सबसे आम है।

6 सामाजिक मुद्दे

भारत की जेलों में मौतें

खबरों में क्यों?

हाल ही में, जेल सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने भारत की जेलों में 'अप्राकृतिक' मौतों का प्रमुख कारण आत्महत्या पाया।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट की समिति के अनुसार भारतीय कैदियों के बीच हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या में 2019 के बाद से लगातार वृद्धि देखी गई है और 2021 में अब तक की सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं।
- उत्तर प्रदेश में समग्र मौतों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई, 2021 में 481 कैदियों की मौत हुई। राजस्थान वह राज्य था जहां मौतों के 52 अज्ञात कारण थे।

जेल में होने वाली मौतों का वर्गीकरण

- हर साल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा प्रकाशित प्रिज़न स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट में जेल में होने वाली मौतों को 'प्राकृतिक' या 'अप्राकृतिक' करार दिया जाता है।
- 'प्राकृतिक' मौतें उम्र बढ़ने और बीमारी के कारण होती हैं। बीमारी को हृदय रोग, HIV, तपेदिक और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों में उप-वर्गीकृत किया गया है। 2021 में, न्यायिक हिरासत में कुल 2,116 कैदियों की मृत्यु हो गई, जिनमें से लगभग 90% मामले प्राकृतिक मृत्यु के रूप में दर्ज किए गए।
- अप्राकृतिक मौतें उम्र बढ़ने या बीमारियों के अलावा अन्य मौतें हैं। इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है;
  - आत्महत्या (फांसी, जहर, बिक्री से लगी चोट, नशीली दवाओं की अधिक मात्रा, बिजली का झटका आदि के कारण),
  - कैदियों की मृत्यु, बाहरी तत्वों द्वारा हमला,
  - लापरवाही या गोलीबारी से मौत,
  - आकस्मिक मौतें (प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, सर्पदंश, डूबना, दुर्घटनावश गिरना, जलने से चोट, दवा/शराब का सेवन, आदि)

2021 में जेलों में कैदियों की अप्राकृतिक मौतें

- कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार कैदियों के बीच आत्महत्या की दर सामान्य आबादी की तुलना में दोगुनी से अधिक पाई गई।
- आत्महत्या के बाद, अधिकांश अप्राकृतिक मौतें "अन्य" कारणों या कैदियों द्वारा हत्या के कारण होती हैं।

वर्गीकरण से संबंधित मुद्दे

- एक 'अस्पष्ट' अंतर: सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौतों के बीच NCRB का अंतर "अस्पष्ट" है।
- कम रिपोर्ट की गई मौतें: जेल में होने वाली मौतों की कम रिपोर्ट की जाती है और शायद ही कभी उनकी जांच की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश मौतों को 'प्राकृतिक' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- महामारी चुनौती: PSI रिपोर्ट ने COVID-19 के कारण होने वाली मौतों को 'प्राकृतिक' मौतों के रूप में वर्गीकृत किया है - उस समय जब जेलों की अधिभोग दर उनकी क्षमता का 118% थी, और लगभग 40,000 से अधिक विचाराधीन कैदी जेलों में बंद थे।

जेल की स्थितियों के संबंध में चिंताएँ

- स्टाफ की कमी: 3,497 लोगों का एक स्वीकृत स्टाफ (जिसमें से केवल 2,000 भूमिकाएँ भरी हुई थीं), 2021 में 2,25,609 कैदियों की देखभाल के लिए जिम्मेदार था (राष्ट्रीय जेल सूचना पोर्टल के अनुसार, सितंबर 2023 तक यह संख्या बढ़कर 5,75,347 हो गई है)
- असमान रूप से वितरित रिक्तियाँ: बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 60% से अधिक पद खाली पड़े थे। इसके अलावा, कर्मचारियों की कुल संख्या में चिकित्सा, कार्यकारी, सुधारात्मक, मंत्रिस्तरीय और अन्य कर्तव्यों के प्रभारी कर्मी शामिल हैं; हर किसी को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता है।
- मानसिक बीमारियाँ: सीएचआरआई रिपोर्ट के अनुसार, जेल की लगभग 1.5% आबादी मानसिक बीमारियों से पीड़ित है। यह मनोवैज्ञानिकों

सहित सुधारात्मक कर्मचारियों की कमी, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों तक सीमित पहुंच, कैदियों में मानसिक बीमारियों की अपर्याप्त पहचान के साथ-साथ बढ़ी हुई भेद्यता और कलंक को इंगित करता है। PSI 2021 रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सा सुविधाओं पर केवल 5% खर्च किया जाता है।

- निधि का कम उपयोग: 2016 और 2021 के बीच, कैदियों पर खर्च करने के लिए निर्धारित धन का कम उपयोग किया गया। 2021 में स्वीकृत 7,619.2 करोड़ रुपये के मुकाबले 6,727.30 करोड़ रुपये औसत राष्ट्रीय व्यय था।
- भीड़भाड़ वाली जेलें: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, पूरे भारत की जेलों में 5,54,034 लोग थे, जबकि क्षमता 4,25,609 थी।
- बुनियादी ढाँचे की कमियाँ: बुनियादी ढाँचे की कमियाँ जेल हिरासत में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का कारण और प्रभाव दोनों हैं।

कैदियों के कल्याण के लिए सिफारिशें

- सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के एक फैसले में कैदियों के स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक दायित्व को स्पष्ट किया, यह देखते हुए कि वे "दोहरी बाधा" से पीड़ित हैं:
- सबसे पहले, कैदियों को चिकित्सा विशेषज्ञता तक पहुंच का लाभ नहीं मिलता है जो स्वतंत्र नागरिकों को प्राप्त है। उनकी कैद ऐसी पहुंच पर सीमाएं लगाती है; कोई पसंद का चिकित्सक नहीं, कोई दूसरी राय नहीं, और यदि कोई विशेषज्ञ है तो बहुत कम।
- दूसरे, उनकी कैद की स्थितियों के कारण, कैदियों को स्वतंत्र नागरिकों की तुलना में अधिक स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।
- 2016 का मॉडल जेल मैनुअल और 2017 का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, कैदियों के स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को रेखांकित करता है।
- इसमें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पर्याप्त निवेश, मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना, बुनियादी और आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और ऐसी घटनाओं को विफल करने के लिए आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम तैयार करना शामिल है।
- जून 2023 में NHRC राज्यों को एक विस्तृत सलाह जारी की, जिसमें बताया गया कि आत्महत्याएं चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य दोनों मुद्दों से उत्पन्न होती हैं। NHRC की सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं;
  - कैदियों के बिस्तरों की चादरों और कंबलों की नियमित जांच और निगरानी की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनका उपयोग आत्महत्या का प्रयास करने के लिए रस्सियां आदि बनाने में न किया जाए।
  - गेटकीपर मॉडल: (विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO द्वारा तैयार), जेलों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने के लिए आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान करने के लिए सावधानीपूर्वक चयनित कैदियों के प्रशिक्षण को लागू किया जाना चाहिए।
  - कैदियों के बीच नशे की समस्या से निपटने के उपाय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और नशामुक्ति विशेषज्ञों की नियमित यात्राओं द्वारा किए जाते हैं।
  - प्रासंगिक नियमों के अनुसार कैदी के दोस्तों या परिवार के साथ संपर्क के लिए पर्याप्त संख्या में टेलीफोन सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
  - जेल कर्मचारियों की मौजूदा रिक्तियों को विशेष रूप से जेल कल्याण अधिकारियों, परिवीक्षा अधिकारियों, मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा कर्मचारियों की रिक्तियों को भरा जाना चाहिए, और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने के लिए शक्ति को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

GEO IAS
It's about quality

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM)

खबरों में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यूट्यूब, टेलीग्राम और एक्स (ट्विटर) को "भारतीय इंटरनेट पर" बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) को सक्रिय रूप से फ़िल्टर करने के लिए कहा गया है।

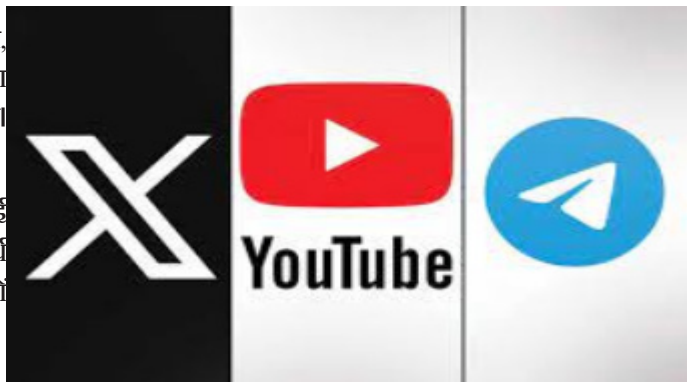

महत्वपूर्ण बिंदु

- प्लेटफ़ॉर्म को दिए गए नोटिस में कहा गया है, यदि वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे मध्यस्थ दायित्व सुरक्षा खो देंगे, जिसका अर्थ है कि कंपनियां स्वयं सीएसएएम पोस्ट करने वाले उपयोगकर्ताओं के साथ कानूनी कार्रवाई के लिए खुली होंगी।

बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM):

- बाल यौन शोषण सामग्री (बाल अश्लीलता) किसी भी ऐसी सामग्री को संदर्भित करती है जो किसी बच्चे से जुड़ी स्पष्ट यौन गतिविधियों को दर्शाती है।
- तेजी से तकनीकी परिवर्तनों के कारण, ऑनलाइन बाल यौन शोषण अपराध पैमाने और जटिलता में बढ़ रहे हैं।

- आधुनिक स्मार्टफोन अपराधियों के लिए आदर्श बाल शोषण उपकरण हैं, क्योंकि उनका उपयोग बाल यौन शोषण की तस्वीर लेने, रिकॉर्ड करने या लाइव देखने के लिए किया जा सकता है; दूर से संग्रहीत सीएसएएम को स्टोर या एक्सेस करें; पीड़ितों और अन्य अपराधियों से जुड़ें; और CSAM वितरित करें और प्राप्त करें।
- बच्चों में यौन रुचि रखने वाले व्यक्तियों के बीच सीएसएएम का बाज़ार नई और अधिक गंभीर छवियों और वीडियो की मांग को बढ़ाता है।
- CSAM का उत्पादन बच्चे के उत्पीड़न का एक स्थायी रिकॉर्ड बनाता है।

बाल यौन शोषण सामग्री के प्रभाव:

- CSAM में दिखाए गए बच्चों को दो बार पीड़ित किया जाता है: पहले यौन शोषण करने वाले व्यक्ति द्वारा, और फिर इसे देखने वाले लोगों द्वारा। यह अलग-अलग बच्चों पर अलग-अलग प्रभाव डालता है।
- अपराधबोध, शर्म और दोष: बचे हुए लोग दुर्व्यवहार को रोकने में सक्षम नहीं होने के बारे में दोषी महसूस कर सकते हैं, या यहां तक कि अगर उन्होंने शारीरिक सुख का अनुभव किया है तो वे खुद को दोषी मान सकते हैं।
- अंतरंगता और रिश्ते: यह संभव है कि सेक्स का पहला अनुभव यौन शोषण के परिणामस्वरूप हुआ हो। एक वयस्क के रूप में, अंतरंगता कभी-कभी संघर्षपूर्ण हो सकती है। कुछ बचे लोगों को यौन गतिविधियों में शामिल होने के दौरान फ्लैशबैक या दर्दनाक यादों का अनुभव होता है।
- आत्म-सम्मान: बचे हुए लोग कम आत्म-सम्मान के साथ संघर्ष कर सकते हैं, जो दुर्व्यवहार करने वालों से प्राप्त नकारात्मक संदेशों और व्यक्तिगत सुरक्षा का उल्लंघन या अनदेखी करने का परिणाम हो सकता है।
- कम आत्मसम्मान किसी उत्तरजीवी के जीवन के कई अलग-अलग क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है जैसे रिश्तों में, करियर में, और यहां तक कि उत्तरजीवी के समग्र स्वास्थ्य में भी।
- अभिघातजन्य तनाव विकार: यौन हिंसा से बचे लोगों के लिए चिंता, तनाव या भय की भावनाओं का अनुभव करना सामान्य है। यदि ये भावनाएँ गंभीर हो जाती हैं, तो यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है जिसे पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के रूप में जाना जाता है।
- मादक द्रव्यों और शराब का दुरुपयोग: जीवित बचे लोगों के लिए यह संभव है कि वे बड़े हों और इससे निपटने के लिए शराब और मादक पदार्थों पर निर्भर रहें और यह किशोरावस्था के शुरुआती वर्षों में शुरू हो सकता है और पूरे वयस्कता तक बना रह सकता है।

बच्चों को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना:

- पहचान की बचाव करें: सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से अपने और प्रियजनों के बारे में व्यक्तिगत पहचान वाली जानकारी साझा करने से बचें। ऐसा करने से अवांछित ध्यान और उत्पीड़न हो सकता है।
- अनुपयुक्त छवियों की रिपोर्ट करें: यदि आप टेक्स्ट संदेश या ऑनलाइन के माध्यम से अनुचित या यौन चित्र प्राप्त करते हैं या देखते हैं, तो इसकी रिपोर्ट पुलिस को करें या सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करें।
- गोपनीयता सेटिंग्स का ध्यान रखें: सोशल मीडिया का उपयोग करते समय गोपनीयता सेटिंग्स, जैसे स्थान सेवाएँ और संपर्क जानकारी की जाँच करें। ध्यान रखें कि डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने का मतलब है कि कोई भी इसे देख सकता है।
- शारीरिक, व्यवहारिक और भावनात्मक संकेतों पर नज़र रखें: व्यवहार में अचानक होने वाले बदलावों पर नज़र रखना। यदि कोई बच्चा आपसे कहता है कि कोई उसे असहज कर देता है, भले ही वह कुछ खास न कह सके, तो उसकी बात ध्यान से सुनें।
- बच्चों से बात करें: बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने में मदद करें। खुले संचार के लिए आधार तैयार करने से आपका बच्चा किसी भी असामान्य ऑनलाइन बातचीत या गतिविधियों के बारे में साझा करने के लिए प्रोत्साहित हो सकता है।

भारत का मधुमेह संकट

खबरों में क्यों?

जून 2023 में, ICMR और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन में भारत के मधुमेह संकट के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- अध्ययन के अनुसार, भारत की 11.4% आबादी, लगभग 10.13 करोड़ लोग, मधुमेह के साथ जी रहे हैं।
- WHO के अनुसार, इसका एक बड़ा कारण अस्वास्थ्यकर, अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों का सेवन है। ये आँकड़े इस सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के मूल कारणों पर तत्काल ध्यान देने और ठोस कार्रवाई की माँग करते हैं।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

- मधुमेह के साथ जी रहे हैं: भारत की 4% आबादी, या 10.13 करोड़ लोग, मधुमेह के साथ जी रहे हैं।
- प्री-डायबिटिक: आबादी का 3%, या अतिरिक्त 13.6 करोड़ लोग, प्री-डायबिटिक हैं।
- मोटापे से ग्रस्त जनसंख्या: बीएमआई माप के अनुसार 6% आबादी को मोटापे से ग्रस्त माना जाएगा।
- अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत: एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की सामग्री:

- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें कार्बोनेटेड पेय, तत्काल अनाज, चिप्स, फल-स्वाद वाले पेय, इंस्टेंट नूडल्स, कुकीज़, आइसक्रीम, बेकरी आइटम, ऊर्जा बार, मीठा दही, पिज्जा, प्रसंस्कृत मांस उत्पाद, और पाउडरडाइनफैंट फॉर्मूला शामिल हैं।
- इन वस्तुओं की विशेषता अक्सर उनकी सुविधा और लंबी शेल्फ लाइफ होती है।

वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ मधुमेह का बढ़ता जोखिम:

- एक चिंताजनक आंकड़े से पता चलता है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन की दैनिक खपत में केवल 10% की वृद्धि वयस्कों में टाइप -2 मधुमेह के 15% अधिक जोखिम से जुड़ी है।
- इन खाद्य पदार्थों में अक्सर चीनी, वसा और नमक की मात्रा अधिक होती है, जो सभी इंसुलिन प्रतिरोध और ऊंचे रक्त शर्करा के स्तर में योगदान करते हैं।

Following are the key findings of the study conducted by the Madras Diabetes Research Foundation in collaboration with the ICMR and Union Health Ministry:

- The highest prevalence of diabetes was found in Goa (26.4%), Puducherry and Kerala (nearly 25%)
- The study notes a national prevalence of 11.4% diabetes, 15.3% pre-diabetes, 35.5% hypertension, 28.6% generalised obesity, 39.5% abdominal obesity and 24% hypercholesterolemia in India

- In numbers, there were 101 million people in the country with diabetes, 136 million with pre-diabetes, while 315 million people had high blood pressure, 254 million had generalised obesity, and 351 million had abdominal obesity

वज़न बढ़ने पर प्रभाव:

- अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को अति-स्वादिष्ट बनाने के लिए इंजीनियर किया जाता है। उनमें अक्सर शर्करा, वसा और कृत्रिम योजकों का संयोजन होता है जो भूख को उत्तेजित करते हैं और अत्यधिक उपभोग की ओर ले जाते हैं।
- इस अत्यधिक कैलोरी सेवन के परिणामस्वरूप वजन बढ़ सकता है, जो टाइप 2 मधुमेह के लिए एक ज्ञात जोखिम कारक है।

संरचनात्मक परिवर्तन:

- जब भोजन व्यापक प्रसंस्करण से गुजरता है, तो इसकी मूल संरचना अक्सर नष्ट हो जाती है। स्वाद और आकर्षण बढ़ाने के लिए कॉस्मेटिक एडिटिव्स, रंग और फ्लेवर मिलाए जाते हैं।
- यह परिवर्तित संरचना और अत्यधिक प्रसंस्करण शरीर के भूख और तृप्ति के प्राकृतिक नियमन को बाधित कर सकता है, जिससे व्यक्ति अधिक खा सकते हैं और वजन बढ़ सकता है।

हृदय संबंधी जोखिमों से संबंध:

- अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का नकारात्मक प्रभाव मधुमेह से भी आगे तक फैला हुआ है। मोटापा और मधुमेह हृदय रोग और समय से पहले मृत्यु दर के प्रमुख जोखिम कारक हैं।
- शोध से पता चलता है कि जो लोग प्रति दिन अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की चार से अधिक सर्विंग का सेवन करते हैं, उन्हें उन लोगों की तुलना में हृदय संबंधी मृत्यु दर का काफी अधिक जोखिम होता है, जो प्रति दिन दो से कम सर्विंग का सेवन करते हैं।
- सर्व-कारण मृत्यु दर के लिए एक समान प्रवृत्ति देखी गई है।
- शोषणकारी विपणन प्रथाएँ

निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करना:

- कई उच्च आय वाले देशों में, चीनी-मीठे पेय पदार्थों के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण पिछले दो दशकों में उनकी बिक्री में गिरावट आई है।
- बिक्री के इस नुकसान की भरपाई के लिए, खाद्य कंपनियों ने अपना ध्यान निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर केंद्रित कर दिया है, जहां कम कड़े नियम और बढ़ते उपभोक्ता आधार हो सकते हैं।

आक्रामक विपणन और विज्ञापन:

- ये कंपनियां भारत जैसे देशों में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य और पेय पदार्थों के विपणन और विज्ञापन में पर्याप्त मात्रा में पैसा निवेश करती हैं।
- ये आक्रामक विपणन अभियान अक्सर बच्चों और उभरते मध्यम वर्ग सहित कमजोर आबादी को लक्षित करते हैं।
- इन उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए कार्टून चरित्रों का उपयोग, प्रोत्साहन, उपहार और सेलिब्रिटी समर्थन जैसी तकनीकों को नियोजित किया जाता है।

व्यक्तियों को दोष देना बनाम प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करना:

- खाद्य उद्योग व्यक्तियों पर दोष मढ़ता है, यह सुझाव देता है कि अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतों के लिए व्यक्तिगत पसंद जिम्मेदार हैं।
- हालाँकि, आक्रामक विपणन द्वारा निर्मित वातावरण और अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की आसान पहुंच इन विकल्पों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- इन मार्केटिंग रणनीतियों के परिणाम गंभीर हैं। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को गहराने में योगदान करते हैं, जिसमें मधुमेह एक टिकता हुआ टाइम बम है।

GEO IAS It's about quality

- विशेष रूप से चीनी-मीठे पेय पदार्थों को आहार में अतिरिक्त चीनी के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उजागर किया जाता है, जिससे लोगों को टाइप 2 मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का अधिक खतरा होता है।

नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता

- उद्योग विरोध: खाद्य उद्योग आर्थिक चिंताओं का हवाला देते हुए और खुद को हितधारकों के रूप में चित्रित करते हुए विपणन प्रतिबंधों का विरोध करता है।
- झूठे वादे: कुछ उद्योग पहल, जैसे 'सही खाओ', स्वास्थ्य-केंद्रित दिखाई दे सकती हैं, लेकिन अस्वास्थ्यकर उत्पाद प्रभावों से ध्यान भटका सकती हैं।
- विनियमन पर प्रभाव: उद्योग भागीदारी अल्ट्रा-प्रसंस्कृत खाद्य खपत को कम करने के उद्देश्य से मजबूत नियामक नीतियों में बाधा बन सकती है।
- नियामक प्राधिकरणों की भूमिका: कमज़ोर प्रतिक्रियाएँ और नियामक निकायों में उद्योग का प्रभुत्व प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- पूरक प्रयास: हालांकि व्यायाम आवश्यक है, इसे अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर विपणन और चेतावनी लेबल को संबोधित करने वाली नियामक नीतियों का पूरक होना चाहिए।
- हितों को संतुलित करना: साक्ष्य-आधारित, पारदर्शी नियमों को लागू करते समय सरकारों को उद्योग के हितों और सार्वजनिक कल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सुरक्षा की रणनीति: अनिवार्य प्रावधान

- जनता को खाद्य उद्योग की चालाकीपूर्ण रणनीतियों से बचाने के लिए, सरकार को संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत एक कानूनी ढांचा या यहां तक कि एक अध्यादेश भी स्थापित करना चाहिए।
- इस ढांचे में अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत को कम करने या रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इसमें शामिल हो सकते हैं:
  - 'स्वस्थ भोजन' को परिभाषित करना;
  - अस्वास्थ्यकर भोजन पर चेतावनी लेबल लागू करना;
  - अस्वास्थ्यकर भोजन और पेय पदार्थों के प्रचार और विपणन रणनीति पर प्रतिबंध लगाना
  - ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से जुड़े जोखिमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना

वैश्विक उदाहरण

- दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे और मैक्सिको सहित कई देशों ने हाल ही में खाद्य लेबलिंग और विपणन को विनियमित करने के लिए समान कार्रवाई की है।
- भारत सरकार के पास इसी तरह के कानून बनाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने का अवसर है।
- शिशु दूध के विकल्प, दूध पिलाने की बोतलें और शिशु आहार अधिनियम की तरह, जो वाणिज्यिक शिशु आहार को सफलतापूर्वक विनियमित करता है, यह प्रस्तावित कानून अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की खपत को रोकने में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।

सूचना आयोगों में 3.21 लाख लंबित अपीलें

खबरों में क्यों?

रिपोर्ट में ऐसे समय में सूचना आयुक्तों की कम होती क्षमता पर चिंता जताई गई है, जब अपील और शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- तीन राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय हैं, केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) सहित छह नेतृत्वहीन हैं और 3.21 लाख शिकायतें और अपीलें लंबित हैं - यह देश में पारदर्शिता शासन की स्थिति है जिसने अपने अस्तित्व के 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं।
- 'भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड, 2022-23' में कहा गया है कि 2019 के आकलन में पाया गया कि उस वर्ष 31 मार्च तक, 26 सूचना आयोगों में कुल 2,18,347 अपील/शिकायतें लंबित थीं, जिनसे डेटा प्राप्त किया गया था, जो 30 जून, 2021 तक बढ़कर 2,86,325 हो गई और फिर 30 जून, 2022 तक तीन लाख को पार कर गई।
- चार सूचना आयोग निष्क्रिय हैं- झारखंड, तेलंगाना, मिजोरम और त्रिपुरा, क्योंकि पद छोड़ने के बाद कोई नया सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया।
- छह सूचना आयोग वर्तमान में नेतृत्वहीन हैं - केंद्रीय सूचना आयोग, और मणिपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब के राज्य सूचना आयोग।
- 11,871 लंबित मामलों वाले पश्चिम बंगाल में औसत मासिक निपटान दर को ध्यान में रखते हुए आयोगों को अपील का निपटान करने में लगने वाले समय की गणना करने पर इस वर्ष दायर अपील का निपटान करने में लगभग 24 साल और एक महीने का समय लगेगा। यह पिछले साल की दर से दो महीने थोड़ा बेहतर है।
- इसकी तुलना में, उत्तर प्रदेश, जिसमें 27,163 लंबित मामले हैं, को अपील निपटाने में सात महीने लग सकते हैं और 41,047 लंबित

मामलों वाले कर्नाटक को एक वर्ष और 11 महीने लग सकते हैं। सबसे अधिक 1.11 लाख लंबित मामलों वाले महाराष्ट्र में इस साल दर्ज की गई शिकायत से निपटने में चार साल लग सकते हैं।

- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सूचना आयोगों ने 91 प्रतिशत मामलों में जुर्माना नहीं लगाया, जहां जुर्माना लगाया जाना संभावित था। जुर्माना लगाने के संदर्भ में, प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने वाले 23 आयोगों में से कुल 8,074 मामलों में जुर्माना लगाया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान 23 आयोगों द्वारा 15.37 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- यूपी SIC ने सबसे अधिक मामलों (48,607) का निपटारा किया, इसके बाद CIC (27,452) और कर्नाटक (21,516) का स्थान रहा। महाराष्ट्र के एसआईसी ने सबसे अधिक संख्या में अपील और शिकायतें (30,479) दर्ज कीं, हालांकि यह डेटा केवल 6 महीने से संबंधित है, समीक्षाधीन पूरी अवधि का नहीं क्योंकि जनवरी से जून 2023 तक का डेटा एसआईसी द्वारा प्रदान नहीं किया गया था।
- कर्नाटक के SIC ने 30,207 अपीलें और शिकायतें दर्ज कीं, जबकि उत्तर प्रदेश ने 29,637 और सीआईसी ने 20,083 अपीलें/शिकायतें दर्ज कीं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005:

- RTI अधिनियम 2005 "शौरी समिति" की रिपोर्ट और 1990 के दशक में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा आरटीआई आंदोलन के आधार पर पारित किया गया था...
- सभी स्तरों पर सरकार पर लागू: केंद्र, राज्य, स्थानीय और सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय, जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं।
- स्वत: संज्ञान घोषणा: प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को नियमित अंतराल पर जनता को यथासंभव स्वत: संज्ञान संबंधी जानकारी प्रदान करनी चाहिए।
- सूचना प्राप्त करने के लिए तीन स्तर: सार्वजनिक सूचना अधिकारी (PIO), उसके बाद प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, उसके बाद राज्य सूचना आयोग (SIC) और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में अपील।

Case backlog

The time taken to dispose a complaint filed was computed using the average monthly disposal rate and the pendency

Information Commission	Estimated time for disposal
West Bengal	24 years and 1 month
Chhattisgarh	4 years and 4 months
Maharashtra	4 years
Arunachal Pradesh	2 years and 11 months
Odisha	2 years and 7 months
Madhya Pradesh	1 year and 11 months
Karnataka	1 year and 11 months
Telangana	1 year and 7 months
Kerala	1 year
Himachal Pradesh	1 year

जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समयसीमा तय:

1. पीआईओ को सामान्य मामलों में 30 दिनों के भीतर जानकारी देनी होती है, अगर यह किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का मामला हो तो 48 घंटे के भीतर जानकारी देनी होती है।
2. अपील दायर करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर (असाधारण मामलों में 45 दिन) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी।
3. SIC/CIC - निपटान के लिए कोई समय सीमा नहीं।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023

खबरों में क्यों?

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, जिसे सरकार ने "गलत और दुर्भावनापूर्ण इरादे वाला" करार दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) के बारे में:

- 2006 में बनाया गया, GHI को शुरुआत में अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) और जर्मनी स्थित वेल्थुंगरहिल्फ़ द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- 2007 में, आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्डवाइड भी सह-प्रकाशक बन गया।
- 2018 में, IFPRI ने परियोजना में अपनी भागीदारी से किनारा कर लिया और GHI वेल्थुंगरहिल्फे और कंसर्न वर्ल्डवाइड की एक संयुक्त परियोजना बन गई।

GHI क्या दर्शाता है?

- वैश्विक भूख सूचकांक यह निगरानी करने का एक साधन है कि क्या देश भूख से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त कर रहे हैं। इसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया जा सकता है।
- SDG के लक्ष्य 2 का लक्ष्य 2030 तक भूख और सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त करना है।
- यह वर्ष के हर समय सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए भी प्रतिबद्ध है।

GHI को कैसे परिभाषित किया जाता है?

GHI भूख के तीन आयामों को दर्शाता है:

1. भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता,
2. बच्चों के पोषण स्तर में कमी और
3. बाल मृत्यु दर
   - तदनुसार, सूचकांक में निम्नलिखित चार समान रूप से भारित संकेतक शामिल हैं।
   - देशों को 100-बिंदु पैमाने पर रैंक किया जाता है, जिसमें 0 और 100 क्रमशः सर्वोत्तम और सबसे खराब संभावित स्कोर होते हैं।

परिणाम और निहितार्थ:

- भूख दुनिया की प्रमुख समस्याओं में से एक है और इसलिए, इसकी सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है।
- भूख और अल्पपोषण एक दुष्चक्र का निर्माण करते हैं, जो अक्सर पीढ़ी-दर-पीढ़ी "हस्तांतरित" होता रहता है।
- गरीब माता-पिता के बच्चे अक्सर कम वजन वाले पैदा होते हैं और उनमें बीमारी के प्रति कम प्रतिरोधक क्षमता होती है; वे ऐसी परिस्थितियों में बड़े होते हैं जो जीवन भर उनकी बौद्धिक क्षमता को क्षीण कर देती हैं।

उच्च वैश्विक भूख सूचकांक में योगदान देने वाले कारकों की पहचान इस प्रकार की गई है:

- कम आय और गरीबी,
- युद्ध और हिंसक संघर्ष,
- स्वतंत्रता की सामान्य कमी,
- महिलाओं की निम्न स्थिति, एवं
- खराब लक्षित और वितरित स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम।

भारत की स्थिति:

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है और देश में बच्चों में वेस्टिंग दर 18.7 प्रतिशत सबसे अधिक है।
- भारत 2022 में 121 देशों में से 107वें स्थान पर रहा।
- सूचकांक पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2023 में 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है।
- दुनिया के लिए 2023 GHI स्कोर 18.3 है, जिसे मध्यम माना जाता है और यह दुनिया के 2015 के जीएचआई स्कोर 19.1 से एक अंक कम है।
- भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान (102वें), बांग्लादेश (81वें), नेपाल (69वें) और श्रीलंका (60वें) ने सूचकांक में उससे बेहतर प्रदर्शन किया है।
- दक्षिण एशिया और सहारा के दक्षिण में अफ्रीका दुनिया के सबसे अधिक भूख स्तर वाले क्षेत्र हैं, प्रत्येक का जीएचआई स्कोर 27 है, जो गंभीर भूख का संकेत देता है।

केंद्र सरकार द्वारा रिपोर्ट की आलोचना:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने एक बार फिर जीएचआई पर सवाल उठाया और इसे "भूख का त्रुटिपूर्ण माप जो भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता" कहा।
- इसमें कहा गया है कि इसके पोषण ट्रैकर पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से पता चला है कि पांच साल से कम उम्र के कुल 7.24 करोड़ बच्चों में चाइल्ड वेस्टिंग की व्यापकता 7.2% है, जिसका डेटा कैप्चर किया गया है, जबकि GHI ने चाइल्ड वेस्टिंग के लिए 18.7% के मान का उपयोग किया है।
- मंत्रालय ने आगे कहा कि दो अन्य संकेतक, अर्थात् स्टंटिंग और वेस्टिंग, भूख के अलावा स्वच्छता, आनुवंशिकी, पर्यावरण और भोजन सेवन के उपयोग जैसे विभिन्न अन्य कारकों की जटिल बातचीत के परिणाम हैं, जिन्हें जीएचआई में स्टंटिंग और वेस्टिंग के लिए प्रेरक/परिणाम कारक के रूप में लिया जाता है।
- MoWCD द्वारा दोहराई गई दूसरी आपत्ति अल्पपोषण की गणना के लिए टेलीफोन-आधारित जनमत सर्वेक्षण का कथित उपयोग था, जो GHI में उपयोग किए जाने वाले संकेतकों में से एक है।
- GHI ने कहा है कि वह सर्वेक्षण का उपयोग नहीं करता है, बल्कि अल्पपोषण की गणना के लिए भारत की खाद्य बैलेंस शीट के आंकड़ों पर निर्भर करता है।
- मंत्रालय ने तर्क दिया कि सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले चार संकेतकों में से तीन बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।

7 अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

ऑकस (AUKUS)

खबरों में क्यों?

यूके ने SSN-AUKUS के नाम से जानी जाने वाली परमाणु-संचालित हमलावर पनडुब्बियों को डिजाइन और निर्माण करने के लिए बीएई सिस्टम्स, रोल्स-रॉयस और बेबकॉक को £ 4 बिलियन ($ 4.9 बिलियन) का अनुबंध दिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- उम्मीद है कि ये पनडुब्बियां रॉयल नेवी द्वारा संचालित अब तक की सबसे बड़ी, सबसे उन्नत और सबसे शक्तिशाली हमलावर पनडुब्बियां होंगी। इनमें अत्याधुनिक सेंसर, डिज़ाइन और हथियार शामिल होंगे।
- पहली SSN-AUKUS पनडुब्बी को 2030 के दशक के अंत में UK में सेवा में लाने की तैयारी है, 2040 के दशक की शुरुआत में पहली ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बियों को शामिल किया जाएगा।
- यह कार्यक्रम पहली बार दर्शाता है कि अमेरिका ने UK के अलावा किसी अन्य देश के साथ परमाणु-प्रणोदन तकनीक साझा की है, जो AUKUS देशों के बीच विश्वास और सहयोग के एक महत्वपूर्ण स्तर का संकेत देता है।
- SSN-AUKUS पनडुब्बियों के अलावा, AUKUS कार्यक्रम में 2030 के दशक की शुरुआत में अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को पांच वर्जीनिया श्रेणी की परमाणु-संचालित पनडुब्बियों की संभावित बिक्री शामिल है। इसमें ऑस्ट्रेलियाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में सहायता के लिए 2027 तक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका और ब्रिटेन की पनडुब्बियों को तैनात करने की योजना भी शामिल है।

AUKUS समूह

- AUKUS ग्रुप इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, जिसकी घोषणा 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई थी।
- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य चीन और क्षेत्र के अन्य अभिनेताओं से बढ़ती चुनौतियों के सामने तीनों देशों की सामूहिक सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाना है।
- समझौते का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, समुद्र के नीचे की क्षमताओं और हाइपरसोनिक हथियारों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को बढ़ावा देना भी है।

पृष्ठभूमि

- AUKUS समूह कोई नया गठबंधन नहीं है, बल्कि यह तीन देशों के बीच मौजूदा संबंधों को गहरा कर रहा है, जो पहले से ही फाइव आईज गठबंधन के माध्यम से व्यापक खुफिया जानकारी साझा करते हैं जिसमें कनाडा और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं।
- AUKUS समूह को क्वाड के पूरक के रूप में भी देखा जाता है, जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है जो समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आपदा राहत और वैक्सीन कूटनीति जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।

AUKUS समूह का महत्व कई प्रमुख पहलुओं में निहित है:

बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य पर प्रतिक्रिया

- AUKUS समूह भारत-प्रशांत क्षेत्र में बदलती गतिशीलता के लिए एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है, विशेष रूप से चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के जवाब में। यह इन चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करता है।

नियम-आधारित आदेश को कायम रखना

- AUKUS नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और नेविगेशन की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। एक साथ काम करके, सदस्य देशों का लक्ष्य क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना है, यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का सम्मान किया जाए।

एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक का साझा दृष्टिकोण

- समूह एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के महत्व पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण संप्रभुता, मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे सिद्धांतों के अनुरूप है, एक ऐसे स्थान को बढ़ावा देता है जहां देश शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकें और आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकें।

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों पर सहयोग

- AUKUS उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों पर सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, विशेष रूप से परमाणु पनडुब्बियों के क्षेत्र में। ऐसी संवेदनशील प्रौद्योगिकी को साझा करना सदस्य देशों के बीच उच्च स्तर के विश्वास और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त, यह साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, समुद्र के नीचे की क्षमताओं और हाइपरसोनिक हथियारों जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते खोलता है। ये प्रौद्योगिकियाँ उभरते खतरों के सामने सैन्य और रणनीतिक श्रेष्ठता बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं।

परंपराओं को तोड़ना और गठबंधनों को मजबूत करना

- उन्नत प्रौद्योगिकियों, विशेषकर परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी को केवल अपने निकटतम सहयोगियों तक सीमित रखने की परंपरा को तोड़कर, अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने गठबंधन को गहरा करने का संकेत दे रहे हैं। यह कदम मौजूदा गठबंधनों को मजबूत करता है और नई साझेदारियां बनाता है, आपसी सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रों के नेटवर्क को बढ़ावा देता है।

निवारण और सामरिक लाभ

- AUKUS सदस्य देशों की सैन्य क्षमताओं और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाता है। यह न केवल संभावित विरोधियों के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करता है बल्कि भू-राजनीतिक क्षेत्र में रणनीतिक लाभ भी प्रदान करता है। साझा तकनीकी प्रगति एक दुर्जेय शक्ति का निर्माण करती है, आक्रामक कार्रवाइयों को रोकती है और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करती है।

AUKUS समूह के गठन पर भारत की प्रतिक्रिया

- AUKUS समूह के प्रति भारत का दृष्टिकोण और भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसकी व्यापक भागीदारी जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के इसके रणनीतिक उद्देश्यों और प्रयासों को दर्शाती है।
- AUKUS समूह के प्रति भारत का स्वागत योग्य रुख क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में समूह के संभावित योगदान की मान्यता को दर्शाता है। AUKUS के साथ मिलकर काम करने में रुचि व्यक्त करके, भारत का लक्ष्य ऐसी साझेदारियाँ बनाना है जो आम चुनौतियों का समाधान कर सकें और भारत-प्रशांत में सुरक्षा बढ़ा सकें।
- बहुध्रुवीयता पर भारत का जोर किसी एक शक्ति के प्रभुत्व वाली एकध्रुवीय या द्विध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था से बचने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समावेशिता भारत की सहकारी सुरक्षा और खुली बातचीत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
- क्षेत्रीय भू-राजनीति के प्रति भारत के दृष्टिकोण में अपने पड़ोसियों और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखने की आवश्यकता के साथ चीन के प्रभाव का मुकाबला करने में अपने हितों को संतुलित करना शामिल है। इसका लक्ष्य अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करना है।
- समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आपदा राहत और वैक्सीन कूटनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की भागीदारी, भारत-प्रशांत में चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण क्षेत्र में इसकी प्रासंगिकता और प्रभाव को बढ़ाता है।

इज़राइल का आयरन डोम और योम किप्पुर युद्ध

खबरों में क्यों?

हमास आतंकवादी समूह ने 1948 के बाद से यहूदी राज्य के क्षेत्र के अंदर अपना सबसे खराब हमला किया, जिसमें कम से कम 250 इजरायली मारे गए और कई अन्य का अपहरण कर लिया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इस आश्चर्यजनक हमले ने योम किप्पुर युद्ध की यादें ताजा कर दी हैं। पत्रकारों ने इज़राइल की वायु रक्षा प्रणाली, आयरन डोम के एक्स पर एक अदिनांकित वीडियो साझा किया है, जो गाजा से आने वाले रॉकेटों को रोकता है।

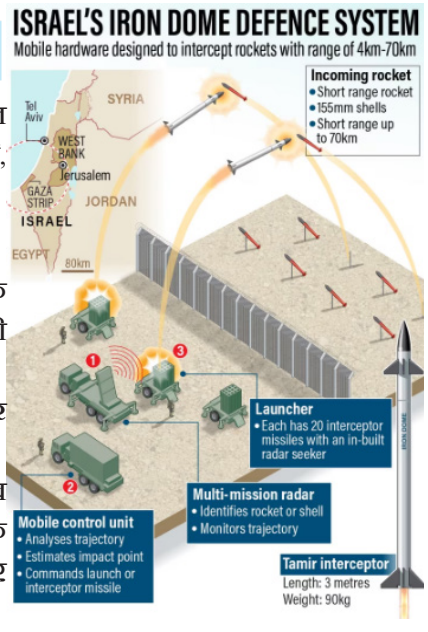

आयरन डोम

- यह एक छोटी दूरी की, जमीन से हवा में मार करने वाली, वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें एक रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं जो इजरायली लक्ष्यों पर लक्षित किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक और बेअसर करती हैं।
- इसका उपयोग रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार (सी-रैम) के साथ-साथ विमान, हेलीकॉप्टर और मानव रहित हवाई वाहनों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है।
- उत्पत्ति: आयरन डोम की उत्पत्ति 2006 के इजरायल-लेबनान युद्ध से होती है, जब हिजबुल्लाह ने इजरायल में हजारों रॉकेट दागे थे। अगले वर्ष, इज़राइल ने घोषणा की कि उसका राज्य संचालित राफेल एडवांस सिस्टम अपने शहरों और लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई वायु रक्षा प्रणाली लेकर आएगा।
- सफलता दर: आयरन डोम को 2011 में तैनात किया गया था। जबकि राफेल 2,000 से अधिक अवरोधन के साथ 90% से अधिक की सफलता दर का दावा करता है, विशेषज्ञ सहमत हैं कि सफलता दर 80% से अधिक है।

आयरन डोम कैसे काम करता है?

आयरन डोम तैनात क्षेत्र को खतरों से बचाने के लिए समन्वय में काम करने वाली तीन प्राथमिक प्रणालियों के माध्यम से संचालित होता है:

- डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार: यह रडार आने वाले खतरों की पहचान करता है।
- युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली (BMC): BMC रडार और इंटरसेप्टर मिसाइल के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।
- मिसाइल फायरिंग यूनिट: यह यूनिट इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च करती है।

- आयरन डोम दिन और रात सहित सभी मौसम स्थितियों में चालू रहता है।
- प्रत्येक मिसाइल में एक निकटता फ्यूज होता है, जो एक लेजर-नियंत्रित फ्यूज होता है जो लक्ष्य के दस मीटर के भीतर होने पर सक्रिय हो जाता है, और इसे नष्ट करने के लिए छर्रे छोड़ता है।
- प्रभावी अवरोधन के लिए मिसाइल और लक्ष्य वेग से मेल खाने के लिए वारहेड में विस्फोट किया जाता है।
- आयरन डोम इज़राइल के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न खतरों, विशेष रूप से शत्रुतापूर्ण संस्थाओं के रॉकेट हमलों से बचाता है।

योम किप्पुर युद्ध

- योम किप्पुर युद्ध, जिसे अक्टूबर युद्ध या रमज़ान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 6 से 25 अक्टूबर, 1973 तक हुआ था।
- यह एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ मिस्र और सीरिया के बीच संघर्ष था।

योम किप्पुर का महत्व:

- योम किप्पुर यहूदी धर्म और सामरीवाद में सबसे पवित्र दिन है, जो तिश्री के चंद्र महीने के 10 वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर की शुरुआत में पड़ता है।
- इसे प्रायश्चित्त के दिन के रूप में जाना जाता है।

पृष्ठभूमि:

- 1967 के छह दिवसीय युद्ध में अपनी निर्णायक जीत के बाद, इज़राइल ने अपराजेय होने की प्रतिष्ठा प्राप्त की थी।
- इज़राइल ने युद्ध के दौरान अपने पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पर भी कब्ज़ा कर लिया, जिसमें सीरिया से गोलान हाइट्स और मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप शामिल थे।
- छह साल बाद, 1973 में, मिस्र और सीरिया ने इज़राइल पर एक समन्वित हमला किया।
- इज़राइल सतर्क हो गया क्योंकि उसे रमज़ान के पवित्र इस्लामी महीने के दौरान हमले की उम्मीद नहीं थी।
- कई इज़रायली सैनिक योम किप्पुर के लिए छुट्टी पर थे, जिससे उनकी प्रतिक्रिया में और देरी हुई।
- प्रारंभ में, सीरिया और मिस्र दोनों ने क्षेत्रीय लाभ कमाया।

परिणाम:

- इज़राइल ने अंततः तीन दिनों के बाद सीरियाई और मिस्र की सेनाओं की प्रगति को रोक दिया और जवाबी हमले शुरू कर दिए।

वर्तमान हिंसा से तुलना:

इज़राइल पर हाल के हमलों की तुलना कई कारणों से योम किप्पुर युद्ध से की गई है:

- योम किप्पुर युद्ध के बाद से सबसे घातक हमला: वर्तमान हिंसा योम किप्पुर युद्ध के बाद से इजरायल पर सबसे घातक हमले का प्रतीक है, जिसमें योम किप्पुर संघर्ष के दौरान 2,500 से अधिक इजरायली सैनिक मारे गए थे।
- तैयारी की कमी के लिए आलोचना: योम किप्पुर युद्ध के समान, इज़राइल की उन्नत खुफिया और अवरोधन प्रणालियों के बावजूद, इज़राइल पर हाल के हमलों ने राज्य को आश्चर्यचकित कर दिया।
- समय: हमले सिमचैट टोरा के पालन के दौरान हुए, जो एक महत्वपूर्ण यहूदी अवकाश है जो टोरा पढ़ने के वार्षिक चक्र के अंत और एक नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक है।

योम किप्पुर युद्ध का महत्व:

इज़राइल की भेद्यता:

- योम किप्पुर युद्ध ने इज़राइल की अजेयता की धारणा को तोड़ दिया। संघर्ष के दौरान हुई भारी क्षति से पता चला कि युद्ध में अगर इजरायल को हराया नहीं गया तो उसे गंभीर नुकसान हो सकता है।
- इस अहसास का इज़राइल की सैन्य और रणनीतिक सोच पर स्थायी प्रभाव पड़ा।

मिस्र की रणनीति:

- योम किप्पुर युद्ध शुरू करने में मिस्र की रणनीति इजरायल की बेहतर सैन्य क्षमताओं को देखते हुए, इजरायल को सैन्य रूप से हराना जरूरी नहीं था। इसके बजाय, इसका उद्देश्य इज़राइल को महत्वपूर्ण नुकसान पहुँचाना था, जिससे वह बातचीत के लिए अधिक उत्तरदायी बन सके।
- युद्ध ने इज़राइल को घायल करके और उसे वार्ता की मेज की ओर धकेल कर अपना उद्देश्य प्राप्त किया।

मिस्र के लिए:

- संघर्ष के परिणामस्वरूप, इज़राइल ने 1978 कैंप डेविड समझौते के तहत सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस कर दिया।
- युद्ध के बाद हुई 1979 की मिस्र-इजरायल शांति संधि ने एक ऐतिहासिक क्षण चिह्नित किया क्योंकि यह किसी अरब देश द्वारा आधिकारिक तौर पर इज़राइल को एक राज्य के रूप में मान्यता देने और राजनयिक संबंध स्थापित करने का पहला उदाहरण था।
- योम किप्पुर युद्ध ने क्षेत्रीय गतिशीलता को नया आकार देते हुए, मिस्र और इज़राइल के बीच शांति का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सीरिया के लिए:

- योम किप्पुर युद्ध सीरिया के लिए अनुकूल परिणाम नहीं लाया। इज़राइल ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और उपजाऊ गोलान हाइट्स पठार के अधिक हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, जिस क्षेत्र पर उसका आज भी कब्ज़ा है।
- युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स पर नियंत्रण हासिल करने का सीरिया का प्रयास असफल रहा, जिससे इज़राइल के साथ संघर्ष और क्षेत्रीय विवाद की स्थिति बनी रही।

भारत और तंजानिया द्विपक्षीय संबंध

खबरों में क्यों?

संयुक्त गणराज्य तंजानिया के राष्ट्रपति ने भारत गणराज्य की राजकीय यात्रा की।

महत्वपूर्ण बिंदु

तंजानिया और भारत

- अवलोकन: तंजानिया और भारत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध रहे हैं। तंजानिया अफ्रीका में भारत का सबसे बड़ा और निकटतम विकास भागीदार है।
- राजनीतिक: 1960 से 1980 के दशक तक, राजनीतिक संबंधों में उपनिवेशवाद-विरोधी, गुट-निरपेक्षता के साथ-साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग की साझा प्रतिबद्धताएँ शामिल थीं।
  - दोनों पक्ष विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग तंत्र और नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठकों के माध्यम से उच्च स्तरीय राजनीतिक बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।
- आर्थिक: भारत और तंजानिया द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के मामले में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
  - भारत तंजानिया के लिए शीर्ष पांच निवेश स्रोतों में से एक है, जहां 3.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 630 निवेश परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं और इस प्रकार 60,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं।
  - दोनों देशों ने स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने की इच्छा व्यक्त की। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में अधिकृत बैंकों को तंजानिया के संवाददाता बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVA) खोलने की अनुमति देकर स्थानीय मुद्राओं यानी भारतीय रुपया (INR) और तंजानिया शिलिंग का उपयोग करके व्यापार का रास्ता साफ कर दिया है।

- रक्षा: भारत और तंजानिया दोनों का सर्वसम्मत विचार है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है।
  - रक्षा क्षेत्र में, वे पांच साल के रोडमैप पर सहमत हुए।
  - यह सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जोड़ेगा।
  - दोनों पक्ष हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
  - उन्होंने जुलाई 2023 में आयोजित पहले भारत-तंजानिया संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) निगरानी अभ्यास पर संतोष व्यक्त किया जब भारतीय नौसेना जहाज त्रिशूल ने ज़ांज़ीबार और दार एस सलाम का दौरा किया।
  - भारत और तंजानिया ने अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना जहाज तरकश की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया।
- ऊर्जा एवं पर्यावरण: भारत और तंजानिया के बीच ऊर्जा क्षेत्र में भी घनिष्ठ सहयोग है।
  - तंजानिया ने G20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है।
  - अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस में शामिल होने के तंजानिया के निर्णय से बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के वैश्विक प्रयासों में वृद्धि होगी।
  - अंतर्राष्ट्रीय मंच: दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सक्रिय भागीदारी की है और क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों में योगदान दिया है।
  - वे सदस्यता की दोनों श्रेणियों में विस्तार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर सहमत हुए।
  - भारत और तंजानिया एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORS) के ढांचे के तहत सहयोग करने पर सहमत हुए।

शिक्षा, कौशल विकास और ICT का विकास:

- भारत ने ICT केंद्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रक्षा प्रशिक्षण, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति के माध्यम से तंजानिया के कौशल विकास और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- भारतीय पक्ष ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और डिजिटल यूनिक आइडेंटिटी (आधार) सहित इंडिया स्टैक के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सहयोग की पेशकश की।
- स्वास्थ्य: दोनों पक्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के लिए काम करने पर सहमत हुए।
- योम किप्पुर युद्ध ने इज़राइल की अजेयता की धारणा को तोड़ दिया। संघर्ष के दौरान हुई भारी क्षति से पता चला कि युद्ध में अगर इजरायल को हराया नहीं गया तो उसे गंभीर नुकसान हो सकता है।
- दोनों पक्षों ने विकिरण चिकित्सा मशीनों, "भाभाट्रॉन II", आवश्यक दवाओं के दान सहित अनुदान परियोजनाओं के कार्यान्वयन में द्विपक्षीय सहयोग के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर भी प्रकाश डाला।
- लोगों से लोगों के बीच संबंध और सांस्कृतिक आदान-प्रदान: दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत लोगों से लोगों के संपर्कों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शैक्षणिक संबंधों और पर्यटन के महत्व को रेखांकित किया।

भविष्य का दृष्टिकोण

- भारत और तंजानिया व्यापार और लोगों के बीच संबंधों के लंबे इतिहास के साथ समुद्री पड़ोसी हैं, इसलिए भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण में तंजानिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
- प्रौद्योगिकी दोनों देशों की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनती है।
- डिजिटल सार्वजनिक सामान साझाकरण पर समझौता हमारी साझेदारी को मजबूत करेगा।
- दोनों पक्षों को व्यापार मात्रा डेटा में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं, व्यापार प्रदर्शनियों और व्यापारिक समुदायों के साथ बातचीत का आयोजन करके द्विपक्षीय व्यापार मात्रा को और बढ़ाने के लिए पहल करनी चाहिए।
- दोनों नेताओं ने अपने सशस्त्र बलों के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ाने की आशा व्यक्त की।

म्यांमार सीमा पर स्मार्ट बाड़ लगाना

खबरों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत-म्यांमार सीमा पर 100 किमी की एक उन्नत स्मार्ट बाड़ प्रणाली पाइपलाइन में है।

स्मार्ट फेंसिंग (बाड़) क्या है?

- स्मार्ट फेंसिंग लगाने में सीमाओं के साथ कमजोर अंतराल को पाटने के लिए लेजर-सक्रिय फेंसिंग और प्रौद्योगिकी-सक्षम बाधाओं को तैनात करना शामिल है
- स्मार्ट फेंसिंग निगरानी, संचार और डेटा भंडारण के लिए कई उपकरणों का उपयोग करती है। स्मार्ट फेंसिंग के हिस्से के रूप में थर्मल इमेजर, भूमिगत सेंसर, फाइबर ऑप्टिकल सेंसर, रडार और सोनार जैसे सेंसर एयरोस्टेट, टॉवर और पोल जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर लगाए जाएंगे।
- CIBMS परियोजना के तहत भारत का पहला 'स्मार्ट फेंसिंग' पायलट प्रोजेक्ट भारत-पाक सीमा पर 5 किमी के दो पैच में लॉन्च किया गया था।

स्मार्ट फेंसिंग की आवश्यकता

- यह प्रणाली सीमा पर और विभिन्न मौसम स्थितियों में, चाहे धूल भरी आंधी, कोहरा या बारिश हो, चौबीसों घंटे निगरानी प्रदान करेगी।
- बिना फेंसिंग वाली सीमा और म्यांमार से अनियमित प्रवासन को मणिपुर में जातीय हिंसा के लिए जिम्मेदार कुछ कारकों के रूप में जिम्मेदार ठहराया गया है
- खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि पूर्वोत्तर स्थित कई विद्रोही समूह जिनके शिविर म्यांमार में हैं, वे मणिपुर की पहले से ही खराब स्थिति को और बढ़ाने के लिए सीमा के इस तरफ आते रहते हैं।
- मणिपुर मैतेई, नागा, कुकी, ज़ोमी और हमार विद्रोही समूहों की गतिविधियों से प्रभावित है।
- भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने दिसंबर 2022 में मणिपुर के ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (ZUF) समूह के साथ ऑपरेशन समाप्ति (COO) समझौता किया।

IMB पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था

- भारत म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी सीमा साझा करता है जो अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिजोरम (510 किमी) राज्यों से होकर गुजरती है।
- FMR दोनों देशों के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के दूसरे देश के अंदर 16 किमी तक यात्रा करने की अनुमति देती है।
- FMR को 2018 में एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में लागू किया गया था। FMR को स्थानीय व्यापार और व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करना था। इस क्षेत्र में सीमा शुल्क और सीमा हाटों के माध्यम से सीमा पार वाणिज्य का एक लंबा इतिहास रहा है।

GEO IAS It's about quality

FMR पर आलोचनात्मक चर्चा क्यों हो रही है?

- अवैध आप्रवासन, मादक पदार्थों की तस्करी और बंदूक चलाने में अनजाने में सहायता करने के लिए FMR की आलोचना की गई है।

भारत की सीमाएँ

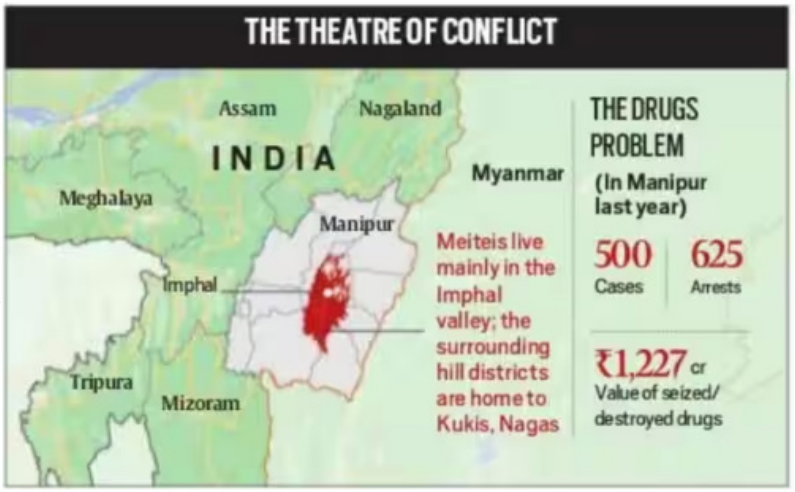

- भारत की जमीनी सीमा चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगती है।
- भारत की सीमाएँ विभिन्न प्रकार के भूभागों के कारण अद्वितीय हैं जिनसे ये सीमाएँ गुजरती हैं, अर्थात् रेगिस्तान, पहाड़, ग्लेशियर और जंगल।
- यह स्पष्ट है कि विविध भूभागीय परिस्थितियों में इतनी बड़ी सीमाओं का प्रबंधन करना असंख्य चुनौतियाँ पेश करता है।

अपनी सीमाओं की रक्षा करने की भारत की रणनीति

- निर्माण गतिविधियाँ: सीमाओं को सुरक्षित करने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा बनाने की रणनीति के हिस्से के रूप में, सीमा प्रबंधन प्रभाग द्वारा कई पहल की गई हैं।
- इनमें शामिल हैं: फेंसिंग, फ्लडलाइटिंग, सड़कों, सीमा चौकियों (BOP), कंपनी संचालन अड्डों (COB) का निर्माण और
- भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं पर तकनीकी समाधानों की तैनाती।
- सैनिकों की तैनाती और निगरानी: घुसपैठ रोधी ग्रिड बनाने के लिए भारतीय सेना और BSF को कई परतों में तैनात किया गया है। सीमा पर बाड़ लगाने और अन्य निगरानी उपकरणों की तैनाती से घुसपैठ को कम करने में मदद मिली है।
- बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार सीमाओं के साथ: इन देशों के साथ हमारी सीमाओं की सुरक्षा मुख्य रूप से अर्धसैनिक बलों द्वारा की जाती है, और उन्हें मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियारों, अवैध प्रवास और संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही से निपटना पड़ता है।
- बांग्लादेश और म्यांमार के साथ खुली सीमाएँ और नेपाल के साथ खुली सीमाएँ इन नापाक गतिविधियों से निपटने में चुनौतियाँ पेश करती हैं।
- ड्रग्स चुनौती: सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी में ड्रोन एक प्रभावी उपकरण साबित हुए हैं।
  1. इस खतरे से निपटने के लिए सीमा पर महज चौकसी से ज्यादा कुछ करना होगा।
  2. सीमा के हमारी तरफ ड्रग डीलरों को पकड़ने के लिए राज्य के भीतर खुफिया नेटवर्क में सुधार करना हमारे सुरक्षा बलों की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए।

एशियाई खेल

खबरों में क्यों?

19वें एशियाई खेल हाल ही में चीन के हांगझू में संपन्न हुए।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि:

- एशियाई खेलों से पहले सुदूर पूर्वी चैम्पियनशिप खेल आयोजित किये गये थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, कई एशियाई देशों को स्वतंत्रता मिली और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य गुरु दत्त सोंधी ने एशियाई खेलों का विचार प्रस्तावित किया।
- एशियाई खेल, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित आयोजन है, जिसे 1951 से 1978 तक एशियाई खेल महासंघ द्वारा नियंत्रित किया जाता है और 1982 से, एशिया की ओलंपिक परिषद एशियाई खेलों को नियंत्रित करती है।
- प्रतीक: परस्पर जुड़े छल्लों के साथ उगता सूरज
- इस आयोजन में भाग लेने के लिए सभी एशियाई देशों के एथलीटों का स्वागत किया जाता है और थाईलैंड ने इस शानदार खेल आयोजन को चार बार - 1966, 1970, 1978 और 1998 में आयोजित करने का एक प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है।
- एशियाई खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह ओलंपिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा बहु-खेल आयोजन है। ओलंपिक खेलों की तरह ये हर चार साल में आयोजित किये जाते हैं।
- ये खेल ओलंपिक के खेल कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं, जिसमें एथलेटिक्स और तैराकी मुख्य खेल हैं, साथ ही इसमें ऐसे अनुशासन शामिल हैं जो महाद्वीप की विविध खेल संस्कृति को दर्शाते हैं जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया का सेपक टकराव, दक्षिण एशिया की कबड्डी और पूर्वी एशिया का वुशु।
- एशियाई खेलों का पहला संस्करण मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एशियाई खेलों का नौवां संस्करण भी नवंबर और दिसंबर 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- भारत एशियाई खेलों के सभी संस्करणों में भाग लेने वाले सात देशों में से एक है।

2023 संस्करण (मूल रूप से 2022 के लिए निर्धारित)

- स्थान: हांग्जो, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक।
- अगला संस्करण: 2026 नागोया, जापान में
- थीम: 'एशिया में ज्वार-भाटा बढ़ रहा है'।
- शुभंकर: "मेमोरीज़ ऑफ़ जियांगन", जो चेन्चेन, कांगकॉन्ग और लियानलियन से बना है, तीन रोबोट हैं जिन्हें "द थ्री लिटिल ओन्स" के नाम से जाना जाता है, जो हांग्जो शहर और झेजियांग प्रांत की इंटरनेट कौशल को दर्शाते हैं।
- टॉपर्स: चीन 383 - 201 स्वर्ण पदक, 111 रजत पदक और 71 कांस्य के साथ सूची में शीर्ष पर है।
- एशिया ओलंपिक परिषद के सभी 45 सदस्यों के 12,000 से अधिक एथलीटों ने 19वें एशियाई खेलों में भाग लिया।
- भारत का प्रदर्शन: 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक। यह महाद्वीपीय आयोजन में भारतीय दल का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

श्रीलंका और बांग्लादेश RCEP सदस्यता की तलाश में

खबरों में क्यों?

2019 में भारत के व्यापार समझौते से हटने के बाद श्रीलंका और बांग्लादेश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

RCEP समझौता

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) 16 देशों के बीच बातचीत के तहत एक व्यापार समझौता है जिसमें 10 आसियान सदस्य और 6 देश शामिल हैं जिनके साथ आसियान के मुक्त व्यापार समझौते हैं (ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया)।
- दुनिया भर के लगभग 25% निर्यात, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% और दुनिया की लगभग आधी आबादी को कवर करने के साथ, इस समझौते को "सबसे बड़ा" क्षेत्रीय व्यापार समझौता माना जाता है।

भारत ने RCEP छोड़ने का फैसला क्यों किया?

- प्रतिकूल व्यापार संतुलन: भारत आरसीईपी के अधिकांश सदस्यों के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन को लेकर चिंतित था, क्योंकि आयात निर्यात से अधिक हो रहा था।
- चीनी सामानों की डंपिंग: जब भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल हुआ, तो उसे चिंता थी कि कम कीमत वाले चीनी सामान भारतीय बाजार में भर जाएंगे, जिससे देशी उद्योगों को नुकसान होगा।
- ऑटो-ट्रिगर तंत्र को अस्वीकार करना: भारत ने एक ऑटो-ट्रिगर तंत्र का प्रस्ताव रखा जो आयात के लिए पूर्व निर्धारित सीमा तक पहुंचने पर उत्पाद शुल्क बढ़ा देता। हालाँकि, अन्य आरसीईपी देशों ने इस विचार का विरोध किया।
- घरेलू उद्योग की सुरक्षा: भारत स्टील और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ कम या समाप्त किये जाने को लेकर चिंतित था। इससे घरेलू उद्योग भयंकर प्रतिद्वंद्विता के प्रति संवेदनशील हो सकता है।
- उत्पत्ति के नियमों पर समझौते का अभाव: भारत मूल उल्लंघन के संभावित नियमों के बारे में चिंतित था जो माल को अन्य देशों के माध्यम से भेजने की अनुमति देगा और भारत के उच्च टैरिफ से बच जाएगा।

भारत के RCEP छोड़ने के क्या निहितार्थ थे?

- चीनी वस्तुओं पर नियंत्रण: भले ही चीनी वस्तुएं पहले से ही भारतीय बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, भारत की वापसी से चीनी वस्तुओं की आमद पर कुछ नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है।
- घरेलू उद्योग की सुरक्षा: RCEP से बचकर, भारत के घरेलू उद्योगों को कम कीमत वाले आयात से बचाया जाता है।
- चीन की आर्थिक शक्ति को मजबूत करना: चीन क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) का समर्थन करता है, और भारत की वापसी से क्षेत्र में चीन का आर्थिक दबदबा बढ़ सकता है।

- घटी हुई व्यापार संभावनाएं: क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) में शामिल होने से इनकार करके भारत उन देशों के साथ व्यापार की संभावनाओं को खो देता है जो विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क: आधुनिक विनिर्माण दुनिया में, वैश्विक आपूर्ति नेटवर्क में एकीकृत होना अक्सर आवश्यक होता है। आरसीईपी के जरिए इस एकीकरण को आसान बनाया जा सकता है।
- मुक्त व्यापार की स्वीकृति: आरसीईपी पर हस्ताक्षर करके, भारत ने मुक्त व्यापार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की होगी, जिसने चीन से दूर जाने के इच्छुक व्यवसायों को आकर्षित किया होगा।
- भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर प्रभाव: भारत की एक्ट ईस्ट नीति, जो भारत-प्रशांत क्षेत्र में देशों के साथ संबंधों को गहरा करने का प्रयास करती है, इसके हटने से प्रभावित हो सकती है।
- सुधार के अवसर चूक गए: भारत के पास आवश्यक सुधारों को आगे बढ़ाने का मौका था जिससे आरसीईपी के तहत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता।

नोट: यदि श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी देश RCEP में शामिल होते हैं तो इसके क्या निहितार्थ होंगे?

व्यापार संभावनाएँ:

- बांग्लादेश और श्रीलंका को आरसीईपी सदस्यों के साथ व्यापार के अधिक अवसर मिलेंगे, जो विश्व अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं यदि वे समूह में शामिल होते हैं।
- इससे इन देशों का निर्यात बढ़ सकता है, जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा।

आर्थिक एकीकरण:

- RCEP के माध्यम से, बांग्लादेश और श्रीलंका को व्यापक बाजार तक अधिक पहुंच और एशिया-प्रशांत आर्थिक परिदृश्य में अधिक एकीकरण प्राप्त होगा।
- विदेशी पूंजी को आकर्षित करने वाले इस एकीकरण के परिणामस्वरूप इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं फल-फूल सकती हैं।

प्रतिस्पर्धा

- RCEP में शामिल होने पर बांग्लादेश और श्रीलंका को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
- अन्य RCEP सदस्य देशों के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, उन्हें अपने उद्योगों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है।

व्यापार फोकस शिफ्ट:

- RCEP में शामिल होने से, बांग्लादेश और श्रीलंका संभावित रूप से अपनी व्यापार प्राथमिकताओं को अपने उपमहाद्वीपीय व्यापारिक साझेदारों से अधिक विविध राष्ट्रों के समूह में स्थानांतरित करके किसी एक बाजार पर कम निर्भर हो सकते हैं।

भारत पर प्रभाव:

- जैसे ही उन्हें RCEP बाजार तक पहुंच मिलेगी, बांग्लादेश और श्रीलंका कई क्षेत्रों में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- भारतीय कंपनियों को इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ तालमेल बिठाना पड़ सकता है।
- RCEP में शामिल होने के लिए पड़ोसी देशों की प्रेरणा क्या है?
- RCEP और अन्य मुक्त व्यापार समझौतों को अपने बाजार का विस्तार करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साधन के रूप में देखते हुए, श्रीलंका एक वित्तीय संकट से जूझ रहा देश है।

केन्या के नेतृत्व वाला सुरक्षा मिशन

खबरों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने हैती में सुरक्षा बहाल करने, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और बढ़ती हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केन्या के नेतृत्व में विदेशी सुरक्षा मिशन को मंजूरी दे दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- हाईटियन सरकार ने 2022 में राष्ट्रीय पुलिस की सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगा, जब देश एक संकट में फंस गया जब "G9 एंड फैमिली" नामक गिरोह के एक समूह ने सरकार के विरोध में राजधानी में मुख्य ईंधन बंदरगाह वैरेक्स के प्रवेश पर नियंत्रण कर लिया। ईंधन सब्सिडी में कटौती का फैसला।
- इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर लोगों की हत्याएं हुई हैं। बड़े पैमाने पर लूटपाट और घरों को जलाने के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए, लगभग 2,00,000 लोग अपने घर छोड़कर भाग गए। अनुमान के मुताबिक, लगभग आधी आबादी को मानवीय सहायता की जरूरत है।

हैती की ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि

- हैती कैरेबियन सागर में एक देश है जिसमें हिस्पानियोला द्वीप का पश्चिमी तीसरा भाग और गोनावे, टोर्ट्यू (टोर्टुगा), ग्रांडे केई और वाचे जैसे छोटे द्वीप शामिल हैं। इसकी राजधानी पोर्ट-ऑ-प्रिंस है।

- हैती की सीमा पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य से लगती है, जो हिस्पानियोला के बाकी हिस्से को कवर करती है, दक्षिण और पश्चिम में कैरेबियन से और उत्तर में अटलांटिक महासागर से लगती है।
- दो शताब्दियों तक फ्रांसीसी शासन के अधीन रहने के बाद, हैती 1804 में पहला उत्तर-औपनिवेशिक अश्वेत गणराज्य बन गया। यह 1915 से 1934 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के कब्जे में भी रहा।
- एक समय फ्रांसीसी उपनिवेशों में सबसे अमीर, हैती अब पश्चिमी गोलार्द्ध का सबसे गरीब देश है, जो राष्ट्रीय आपदाओं और राजनीतिक अस्थिरता से ग्रस्त है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना

- यह एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के संयुक्त प्रयास में महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, सेना और पुलिस योगदानकर्ताओं और मेजबान सरकारों को एक साथ लाती है।
- पृष्ठभूमि: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना 1948 में शुरू हुई जब सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत किया। 1948 में इजरायल-अरब युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पहले सैन्य पर्यवेक्षक भेजे गए थे।
- भूमिकाएँ: संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षक देशों को संघर्ष से शांति की ओर कठिन, शीघ्र परिवर्तन करने में मदद करने के लिए सुरक्षा और राजनीतिक और शांति निर्माण सहायता प्रदान करते हैं।
- शांतिरक्षक संघर्ष को रोकने, नागरिकों की रक्षा करने, राजनीतिक समाधानों को आगे बढ़ाने, मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करने में मदद करते हैं।
- वे राज्य संस्थानों और सेवाओं की क्षमता बनाने में भी मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं और युवा शांति प्रक्रियाओं में भाग ले सकें और उनका नेतृत्व कर सकें।
- वर्तमान में तीन महाद्वीपों पर संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियान तैनात हैं।
- संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों का मार्गदर्शन करने वाले तीन बुनियादी सिद्धांत हैं: पार्टियों की सहमति; निष्पक्षता; आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल का प्रयोग न करना।

भारत के योगदान का इतिहास

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान 1950 के दशक में कोरिया में संयुक्त राष्ट्र अभियान में भागीदारी के साथ शुरू हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय सशस्त्र बलों को मध्य पूर्व, साइप्रस और कांगो में बाद के शांति अभियानों की जिम्मेदारी सौंपी।
- भारत ने भारत-चीन पर 1954 के जिनेवा समझौते द्वारा स्थापित वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए तीन अंतरराष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।
- वर्तमान में भारत से लगभग 5,500 सैनिक और पुलिस हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में तैनात किया गया है, जो सेना योगदान देने वाले देशों में पांचवां सबसे बड़ा है।

ब्लू हेलमेट

- ब्लू हेलमेट संयुक्त राष्ट्र के सैन्य कर्मी हैं जो स्थिरता, सुरक्षा और शांति प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुलिस और नागरिक सहयोगियों के साथ काम करते हैं।
- कर्मियों को यह नाम उनके द्वारा पहने जाने वाले प्रतिष्ठित नीले हेलमेट या बेरेट से मिलता है।

भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा

खबरों में क्यों?

तमिलनाडु के पूर्वी तट पर नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत कांकेसंथुराई के बीच एक अंतरराष्ट्रीय, उच्च गति यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हो गई है।

महत्वपूर्ण बिंदु

पृष्ठभूमि

- यह पहल 1900 के दशक की शुरुआत से चले आ रहे समुद्री संबंधों का पुनरुद्धार है।
- थूथुकुडी बंदरगाह के माध्यम से चेन्नई और कोलंबो के बीच चलने वाली इंडो-सीलोन एक्सप्रेस या बोर्ड मेल को 1982 में श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण रोक दिया गया था।
- नौका सेवाओं की बहाली समुद्र के द्वारा यात्री परिवहन पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद हुई है, जिस पर 2011 में दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
- इस योजना पर पहली बार 2011 में युद्ध के बाद विचार किया गया था, उस अवधि के दौरान जब श्रीलंका "शरणार्थी-उत्पादक" देश के रूप में अपनी छवि को बदलने का ईमानदारी से प्रयास कर रहा था।

वर्तमान विकास

- हाई-स्पीड नौका का संचालन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है और इसकी क्षमता 150 यात्रियों की है।
- समुद्री परिस्थितियों के आधार पर नागापट्टिनम और कांकेसंथुराई के बीच लगभग 60 समुद्री मील (110 किमी) की दूरी लगभग 3.5 घंटे में तय की जाएगी।
- नौका के रूप में उपयोग किये जाने वाले जहाज को चेरियापानी कहा जाता है।
- नौका सेवा शुरू करने के भारत सरकार के प्रयास पड़ोसियों और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप हैं।
- नागापट्टिनम बंदरगाह तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड के रखरखाव के तहत गैर-प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और बंगाल की खाड़ी के तट पर कडुवैयार नदी के मुहाने पर स्थित है जो अक्करईपेट्टई और कीचनकुप्पम मछुआरों के बीच शहर के दक्षिण में बहती है।
- केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए ₹8 करोड़ मंजूर किए थे।

महत्त्व

- श्रीलंका और भारत के बीच एक सीधी यात्री नौका दोनों देशों के लोगों के लिए यात्रा का एक कुशल और लागत प्रभावी साधन प्रदान करेगी, पर्यटन और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करेगी।
- नौका दो बंदरगाहों के आसपास आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करेगी।
- नौका सेवा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और सभ्यतागत संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी।
- लॉन्च ने भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति की पुष्टि की। इसके अलावा, यह दोनों देशों के बीच आपदा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा और व्यापार को आसान बनाने में सहयोग को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

भविष्य का दृष्टिकोण

- भारत और श्रीलंका की सरकारें रामेश्वरम- तलाईमन्नार के बीच पारंपरिक मार्ग सहित अन्य बंदरगाहों के बीच नौका सेवाएं शुरू करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगी।

2036 ओलंपिक के लिए भारत की दावेदारी

खबरों में क्यों?

प्रधान मंत्री मोदी ने हाल ही में 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत की औपचारिक बोली की पुष्टि की, इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी के वित्तीय निहितार्थ और लाभों पर सवाल उठाए।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा। पीएम मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) सत्र के उद्घाटन के दौरान यह घोषणा की।
- भारत लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है।
- IOC का 86वाँ सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- चयन नीति के अनुसार, IOC सबसे पहले इच्छुक मेजबान देशों के साथ अनौपचारिक बातचीत करती है। यदि विश्व निकाय उम्मीदवार की योजना और क्षमता से संतुष्ट है, तो यह एक "लक्षित संवाद" में प्रवेश करता है जब IOC का कार्यकारी बोर्ड "पसंदीदा मेजबान" को अपने प्रस्ताव को परिष्कृत करने और प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है। मेजबानों के चुनाव के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है।

ओलंपिक मेजबान शहर का चयन

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) का निर्णय: मेजबान शहर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से चुना जाता है, जिसमें बहुमत वोट विजेता का निर्धारण करता है।
- प्रतिस्पर्धा और कूटनीति: ओलंपिक की मेजबानी के अवसर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन और राजनयिक प्रयास शामिल हैं। आमतौर पर, विजेताओं की घोषणा घटना से 7-8 साल पहले की जाती है।

ओलंपिक की मेजबानी की लागत

- महंगा प्रयास: ओलंपिक के लिए बोली लगाना एक महंगा प्रस्ताव है, असफल बोली के लिए भी देश 50-100 मिलियन डॉलर खर्च करते हैं। सफल बोली की स्थिति में, खर्च अरबों डॉलर तक बढ़ सकता है।
- व्यय के उदाहरण: टोक्यो ने अपनी असफल 2016 बोली के लिए $150 मिलियन खर्च किए और 2020 की सफल बोली के लिए इससे भी अधिक खर्च किया। 2024 की बोली के लिए 60 मिलियन डॉलर की लागत के कारण टोरंटो ने बोली लगाने से परहेज किया।

- बुनियादी ढांचे में निवेश: ओलंपिक की मेजबानी में स्टेडियमों का निर्माण और एथलीटों और पर्यटकों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाना शामिल है।

ओलंपिक खर्चों का वित्तपोषण

- लागत वृद्धि के लिए उधार लेना: देश अक्सर लागत वृद्धि को कवर करने के लिए उधार का सहारा लेते हैं। आईओसी मेजबान देश को कुछ राजस्व का योगदान देता है, लेकिन यह अपेक्षाकृत छोटी राशि है, उदाहरण के लिए, 2016 में रियो डी जनेरियो के लिए $1.5 बिलियन।
- ओलंपिक की मेजबानी के महत्व का आकलन करना
- मेजबानी के लाभ: ओलंपिक की मेजबानी से देश की वैश्विक स्थिति बढ़ती है, इसे निवेश और पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा मिलता है।
- अधिक खर्च करने पर सावधानियां: अत्यधिक खर्च के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि 1976 के मॉन्ट्रियल खेलों से कनाडा के 30 साल के कर्ज, 2004 एथेंस ओलंपिक के बाद ग्रीस के वित्तीय संकट पर प्रभाव और ब्राजील सरकार से रियो के 900 मिलियन डॉलर के बेलआउट अनुरोध के साथ देखा गया है।
- सकारात्मक परिणाम: कुछ मामलों में, जैसे कि बीजिंग में, ओलंपिक की मेजबानी से KBC वृद्धि में कम से कम 0.8% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

भारत की संभावनाएँ

- अनुकूल समय: भारत की बोली दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है।
- पिछला अनुभव: पहले 1982 के एशियाई खेलों और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के बाद, भारत के पास एक अनुकूल ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसे IOC ध्यान में रखता है।
- गुजरात की बोली: गुजरात 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बोली लगाने पर विचार कर रहा है, जो भारत की मेजबानी क्षमताओं को और प्रदर्शित कर सकता है।
- आर्थिक शक्ति: एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की उन्नति अन्य देशों के लिए इसकी उम्मीदवारी की अपील को बढ़ाती है।

मध्य पूर्व संकट में भारत की भूमिका

खबरों में क्यों?

जैसे-जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है, कूटनीतिक प्रयासों में तेजी आई है। इजरायली योजनाओं का आकलन करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का इजरायल जाने का निर्णय एक महत्वपूर्ण विकास है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- दुनिया इस मुद्दे पर खुद को तेजी से विभाजित पाती है, उभरती भूराजनीतिक खामियां तेजी से मजबूत होती जा रही हैं। ये विभाजन केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि राष्ट्रों के भीतर भी प्रतिबिंबित हो रहे हैं। मध्य पूर्व में भारत के बढ़ते हितों को देखते हुए, वह अपने विस्तारित पड़ोस से होने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रति उदासीन नहीं रह सकता।

मध्य पूर्व में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी

- उल्लेखनीय विदेश नीति उपलब्धि: प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य पूर्व में भारत की भागीदारी, एक उल्लेखनीय विदेश नीति उपलब्धि के रूप में खड़ी है। यह सफलता अक्सर होने वाली बहस से परे है।
- मजबूत संबंधों का निर्माण: प्रधान मंत्री के प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत मध्य पूर्व में प्रमुख हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बना रहा है। इन रिश्तों ने भारत को इस क्षेत्र में एक विशिष्ट और प्रभावशाली भूमिका दी है।
- विचारधारा से परे: जबकि भारत-इज़राइल संबंध 1990 के दशक से लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने धार्मिक विरासत से ध्यान हटाकर, 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने वाले संबंध बनाने के लिए भारत के अरब साझेदारों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

भारत का संतुलित दृष्टिकोण

- कूटनीति में व्यावहारिकता: मध्य पूर्व के प्रति भारत का दृष्टिकोण व्यावहारिकता और संतुलन द्वारा चिह्नित है। यह क्षेत्र की जटिल गतिशीलता को स्थिर हाथ से नेविगेट करना चाहता है।
- इज़राइल के साथ एकजुटता: आतंकवादी हमले के मद्देनजर इज़राइल के साथ भारत की एकजुटता की अभिव्यक्ति को नीति में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि संकट के समय में एक मित्र राष्ट्र का समर्थन करने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए।
- दो-राज्य समाधान के लिए समर्थन: भारत का विदेश मंत्रालय इजरायल के साथ शांति से रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से बातचीत के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करता है। यह रुख शांतिपूर्ण समाधान के प्रति भारत की दीर्घकालिक स्थिति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत की परिवर्तनकारी भूमिका

- क्षेत्रीय बदलावों को पहचानना: मध्य पूर्व के साथ भारत का जुड़ाव अरब दुनिया में हो रहे परिवर्तनकारी परिवर्तनों की गहरी मान्यता से आकार लेता है। यह इन बदलावों को स्वीकार करने और अपनाने वाले पहले लोगों में से एक था।

- व्यावहारिक जुड़ाव: मध्य पूर्व में भारत की विदेश नीति अब केवल धार्मिक विचारों से प्रेरित नहीं है। इसके बजाय, यह क्षेत्रीय हितधारकों के साथ व्यावहारिक जुड़ाव पर जोर देता है।
- महत्वपूर्ण खिलाड़ी: यह परिवर्तनकारी भूमिका भारत को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। यह भारत को तेजी से बदलते मध्य पूर्व में उभरती चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की अनुमति देता है।
- जैसे-जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है, भारतीय कूटनीति अनिवार्य रूप से जांच के दायरे में होगी। हालाँकि इस क्षेत्र में चुनौतियाँ नई दिल्ली के लिए नई नहीं हैं, लेकिन बदलती रणनीतिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उसकी महत्वाकांक्षा विकसित हुई है।

मॉन्ट्रो कन्वेंशन

खबरों में क्यों?

तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि वह मॉन्ट्रो कन्वेंशन के ढांचे के भीतर काला सागर की सीमा से बाहर के देशों से संबंधित युद्धपोतों के मार्ग पर प्रतिबंध लगाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह डार्डानेल्स जलडमरूमध्य और बोस्पोरस जलडमरूमध्य से संबंधित एक समझौता है, जिसे तुर्की जलडमरूमध्य या काला सागर जलडमरूमध्य के रूप में भी जाना जाता है।
- तुर्की जलडमरूमध्य काला सागर और भूमध्य सागर के बीच एकमात्र समुद्री मार्ग है।
- जलडमरूमध्य के शासन के संबंध में 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अनुसार, जिसे अक्सर मॉन्ट्रो कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, तुर्की का तुर्की जलडमरूमध्य पर नियंत्रण है।
- युद्ध की स्थिति में, यह समझौता तुर्की को नौसैनिक युद्धपोतों के पारगमन को विनियमित करने और संघर्ष में शामिल देशों से संबंधित युद्धपोतों के लिए रास्ते को अवरुद्ध करने का अधिकार देता है।
- व्यापारिक जहाजों को तुर्की जलडमरूमध्य से गुजरने की आजादी मिलती है, जबकि युद्ध के जहाजों के मार्ग पर कुछ प्रतिबंध होते हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये जहाज काला सागर तटीय राज्यों से संबंधित हैं या नहीं।
- सभी पर लागू कुछ सामान्य प्रतिबंधों के अलावा, गैर-तटवर्ती राज्यों से संबंधित युद्ध के जहाज विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन हैं, जैसे कि अधिकतम कुल टन भार और काला सागर में रहने की अवधि के संबंध में।

युद्ध के जहाजों के मार्ग पर निर्णय देने वाले कन्वेंशन के प्रमुख प्रावधान हैं:

- विमान वाहक, चाहे वे तटीय राज्यों से संबंधित हों या नहीं, किसी भी तरह से तुर्की जलडमरूमध्य से नहीं गुजर सकते।
- केवल तटीय राज्यों से संबंधित पनडुब्बियां अपने निर्माण या खरीद के बाद पहली बार काला सागर में अपने बेस में शामिल होने के उद्देश्य से, या काला सागर के बाहर गोदी में मरम्मत के उद्देश्य से तुर्की जलडमरूमध्य से गुजर सकती हैं।
- सभी विदेशी नौसैनिक बलों की कुल संख्या और अधिकतम कुल टन भार, जो तुर्की जलडमरूमध्य से गुजरने के दौरान हो सकते हैं, क्रमशः 9 और 15,000 टन तक सीमित हैं।
- काला सागर में गैर-तटीय राज्यों का अधिकतम कुल टन भार 45,000 टन हो सकता है।
- इस संबंध में, काला सागर में एक गैर-तटीय राज्य के पास युद्ध के जहाजों का अधिकतम कुल टन भार 30,000 टन हो सकता है।
- गैर-तटीय राज्यों से संबंधित युद्ध के जहाज काला सागर में 21 दिनों से अधिक नहीं रह सकते हैं।
- तुर्की जलडमरूमध्य से गुजरने वाले मार्गों को इच्छित मार्गों से पहले राजनयिक चैनलों के माध्यम से तुर्किये को सूचित किया जाता है।
- तटीय राज्यों से संबंधित युद्ध जहाजों के लिए अधिसूचना का समय 8 दिन है, और गैर-तटीय राज्यों के लिए 15 दिन है।

कन्वेंशन का अनुच्छेद 19:

- युद्धरत शक्तियों से संबंधित युद्ध के जहाज, चाहे वे काला सागर शक्तियां हों या नहीं, जो अपने ठिकानों से अलग हो गए हैं, वहां वापस आ सकते हैं।
- इसका मतलब है कि युद्धपोत मार्ग के माध्यम से अपने मूल ठिकानों पर लौट सकते हैं, और तुर्की इसे रोक नहीं सकता है।
- उदाहरण के लिए, काला सागर में पंजीकृत लेकिन वर्तमान में भूमध्य सागर में स्थित एक रूसी बेड़े को बोस्पोरस और डार्डानेल्स जलडमरूमध्य से गुजरने और अपने बेस पर लौटने की अनुमति है।

भारत और कनाडा द्वारा वियना कन्वेंशन का आह्वान

खबरों में क्यों?

भारत और कनाडा के बीच चल रहे गतिरोध के बीच, कनाडाई सरकार ने घोषणा की कि उसने भारत में तैनात 41 राजनयिकों और उनके परिवार के सदस्यों को वापस बुला लिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन:

- राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (1961) एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जो कुछ सामान्य सिद्धांत और शर्तें निर्धारित करती है कि देशों को एक-दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।
- इस पर 1961 में 61 देशों ने हस्ताक्षर किये थे।
- यह स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच राजनयिक बातचीत के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है और इसका उद्देश्य 'राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास' को सुनिश्चित करना है।
- उद्देश्य: देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध सुनिश्चित करना और उचित संचार चैनल बनाए रखना।

राजनयिक उन्मुक्ति का सिद्धांत:

- ऐसे सिद्धांतों का एक प्रमुख उदाहरण राजनयिक प्रतिरक्षा है।
- यह राजनयिकों को उस देश द्वारा दी गई कुछ कानूनों और करों से छूट का विशेषाधिकार है जिसमें वे तैनात हैं।
- इसे इसलिए तैयार किया गया था ताकि राजनयिक मेज़बान देश से डर, धमकी या धमकी के बिना काम कर सकें।
- राजनयिक प्रतिरक्षा दो सम्मेलनों से आती है, जिन्हें लोकप्रिय रूप से वियना सम्मेलन कहा जाता है:
- वियना कन्वेंशन 1961,
- कांसुलर संबंधों पर कन्वेंशन, 1963।
- आज, 193 देशों ने इस सम्मेलन को मंजूरी दे दी है, जिसका अर्थ है कि वे सहमत हैं कि यह उन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए।
- अनुसमर्थन का अर्थ है कि किसी देश को घरेलू स्तर पर संधि के लिए मंजूरी लेनी चाहिए और इसे प्रभावी बनाने के लिए अपने देश में एक कानून बनाना चाहिए।
- भारत ने राजनयिक संबंध (वियना कन्वेंशन) अधिनियम 1972 के माध्यम से इसकी पुष्टि की।

1961 वियना कन्वेंशन और राजनयिकों को वापस बुलाना

- कन्वेंशन के अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि प्राप्तकर्ता राज्य, किसी भी समय और अपने निर्णय की व्याख्या किए बिना, भेजने वाले राज्य को सूचित कर सकता है कि मिशन का प्रमुख या मिशन के राजनयिक स्टाफ का कोई भी सदस्य अवांछित या अवांछित है।
- ऐसे किसी भी मामले में, भेजने वाला राज्य या तो संबंधित व्यक्ति को वापस बुला लेगा या मिशन के साथ उसके कार्यों को समाप्त कर देगा।
- यदि भेजने वाला राज्य यहां अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित अवधि के भीतर इनकार करता है या विफल रहता है, अर्थात यदि वे अपने राजनयिकों को वापस बुलाने से इनकार करते हैं, तो प्राप्तकर्ता राज्य संबंधित व्यक्ति को मिशन के सदस्य के रूप में मान्यता देने से इनकार कर सकता है।

GEO IAS
It's about quality

8 सरकारी योजना

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS)

खबरों में क्यों?

शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह मई, 2008 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- उद्देश्य: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

फ़ायदे:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में नौवीं से बारहवीं कक्षा तक अध्ययन के लिए हर साल चयनित छात्रों को एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- छात्रवृत्ति की राशि प्रति छात्र 12000/- रुपये प्रति वर्ष (1000/- रुपये प्रति माह) है।
- NMMSS छात्रवृत्ति डीबीटी मोड के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है।

NATIONAL SCHOLARSHIP PORTAL
Ministry of Electronics & Infromation Technology, Government of India

NMMS Scheme -National Means cum Merit Scholarship Scheme (NMMSS)

पात्रता मापदंड:

- जिन छात्रों के माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 3,50,000/- रुपये से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पात्र हैं।
- छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के पास सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट)।
- छात्रों को सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूल में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करना चाहिए।
- नवोदय विद्यालय समिति (NVS), केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र NMMSS के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
- राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण है।
- चयन परीक्षा: प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन करने के लिए अपनी स्वयं की परीक्षा आयोजित करता है।
- NMMSS को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर शामिल किया गया है - जो छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है।

भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF) योजना

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना को दो साल के लिए बढ़ा दिया है और इसमें PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इसे पहली बार RBI द्वारा जनवरी 2021 में तीन साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था।
- उद्देश्य: देश में भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या को कई गुना बढ़ाना।
- PIDF भारत के टियर-3 से टियर-6 शहरों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे के विकास की सुविधा के लिए प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क के परामर्श से आरबीआई द्वारा स्थापित एक फंड है।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- टियर-1 और 2 केंद्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को बाद में अगस्त 2021 में शामिल किया गया।

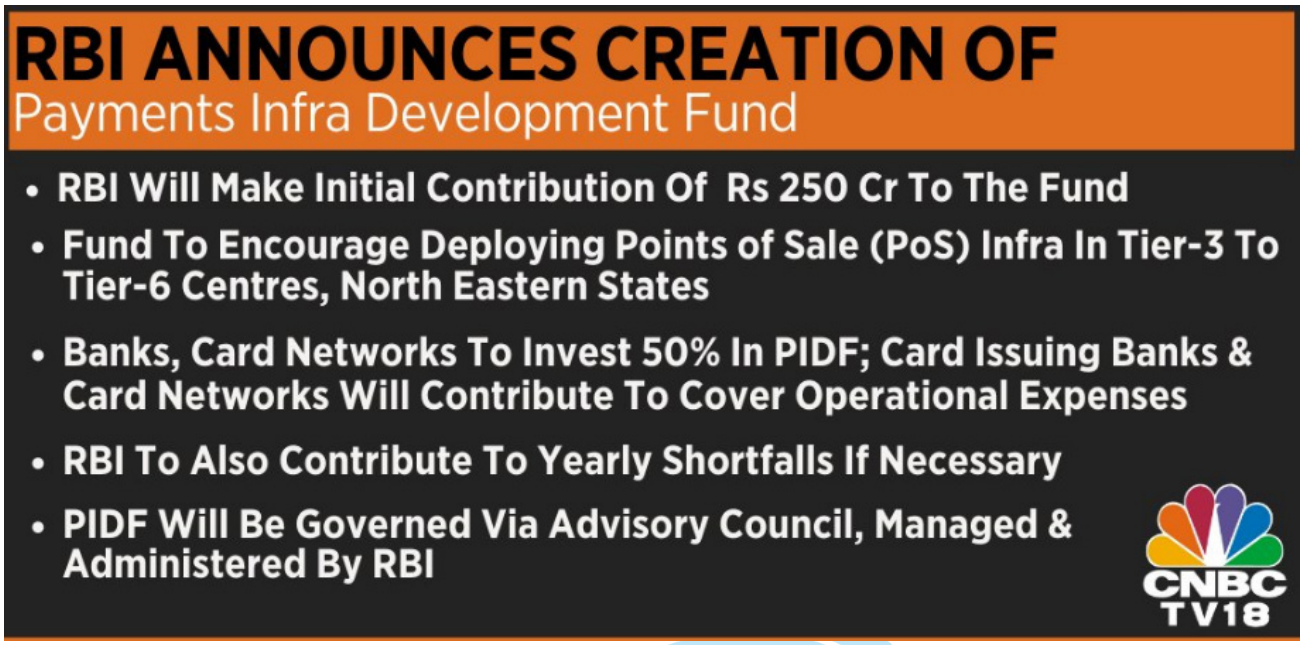

फंडिंग:

- PIDF को RBI और भारत में प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
- यह योजना पात्र क्षेत्रों में POS टर्मिनलों और अन्य भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की तैनाती के लिए बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों (NBFC) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आवंटन:

- निधि आवंटन के लिए मानदंड स्थापित करते समय, प्राथमिक उद्देश्य उन व्यापारियों की पहचान करना और उनकी सहायता करना होगा जिन्होंने अभी तक भुगतान स्वीकृति तकनीक नहीं अपनाई है, विशेष रूप से जिनके पास किसी भी भुगतान स्वीकृति उपकरण की कमी है।
- ये व्यापारी कार्यक्रम के माध्यम से एक भौतिक और एक डिजिटल स्वीकृति उपकरण प्राप्त करने के पात्र हो सकते हैं।
- विशेष रूप से लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं (परिवहन, आतिथ्य, आदि), सरकारी भुगतान, ईंधन पंप, PDS दुकानें, स्वास्थ्य देखभाल, किराना दुकानें, सड़क विक्रेता आदि प्रदान करने वाले व्यापारियों को कवर किया जा सकता है।

शासन:

- PIDF को एक सलाहकार परिषद के माध्यम से शासित किया जाएगा और आरबीआई द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाएगा।
- लक्ष्यों के कार्यान्वयन की निगरानी कार्ड नेटवर्क, भारतीय बैंक संघ (IBA) और भारतीय भुगतान परिषद (PCI) की सहायता से आरबीआई द्वारा की जाएगी।

GEO IAS
It's about quality

क्या है PM विश्वकर्मा योजना?

- यह 17 सितंबर, 2023 को 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- समयावधि: पांच वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2027-28 तक)।

उद्देश्य:

- यह पहल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे व्यवसायों का समर्थन करती है।
- यह छोटे श्रमिकों और कारीगरों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बेहतर तरीके और कौशल सलाह प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना भी है।
- इस योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की क्रेडिट सहायता प्रदान की जाएगी।

पीएम स्वनिधि योजना के बारे में मुख्य तथ्य:

- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना भारत सरकार द्वारा जून, 2020 मंण शुरू की गई थी।
- उद्देश्य: रेहड़ी-पटरी वालों को न केवल ऋण देकर सशक्त बनाना, बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान भी करना।
- इस योजना का उद्देश्य लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- नोडल मंत्रालय: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।

आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन प्रणाली

खबरों में क्यों?

आंध्र प्रदेश की गारंटीकृत पेंशन प्रणाली (GPS) पुरानी और नई दोनों पेंशन योजनाओं के तत्वों को मिश्रित करती है, जो राज्य के वित्त पर अत्यधिक दबाव न डालते हुए गारंटीकृत पेंशन का लाभ प्रदान करती है। यह नवोन्मेषी प्रणाली भारत के कठिन परिश्रम से प्राप्त पेंशन सुधारों को संरक्षित करने की क्षमता रखती है।

महत्वपूर्ण बिंदु

आंध्र पेंशन प्रणाली क्या है?

- एक हाइब्रिड दृष्टिकोण: आंध्र प्रदेश गारंटीकृत पेंशन प्रणाली विधेयक, 2023, जिसे हाल ही में राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया है, 2004 में लागू की गई पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) का एक अनूठा मिश्रण पेश करता है।
- अंशदायी गारंटी: यह प्रणाली सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता राहत सहित उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है।
- परिचय का कारण: आंध्र प्रदेश ने एनपीएस के खिलाफ प्रतिरोध की प्रतिक्रिया के रूप में जीपीएस की शुरुआत की, जिसे कई लोगों ने पिछली योजना से कमतर माना। ओपीएस में वापसी को वित्तीय रूप से अस्थिर माना गया, जिससे 2050 तक राज्य का राजकोषीय घाटा 8% तक पहुंचने की संभावना थी।

निर्णायक बनाना

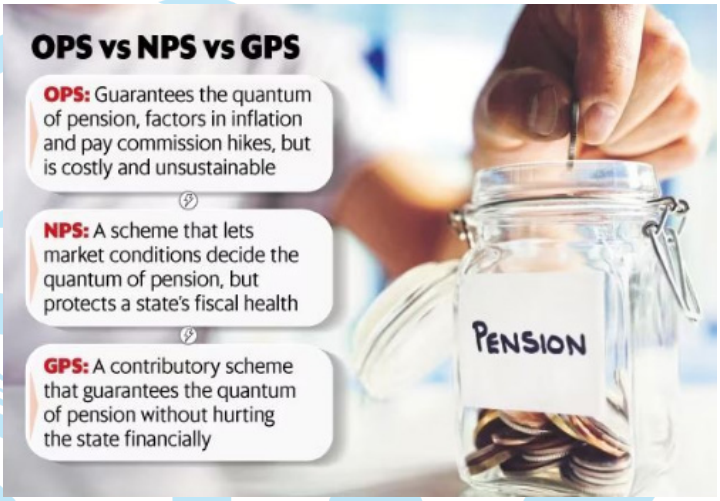

- लंबे समय से चले आ रहे पेंशन सुधार: भारत ने पेंशन सुधारों को लागू करने के लिए एक दशक से अधिक समय तक संघर्ष किया जिसके परिणामस्वरूप 2004 में एनपीएस की शुरुआत हुई।
- बढ़ता असंतोष: समय के साथ, सार्वजनिक भावना ने पुरानी योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वालों का पक्ष लिया, जिससे असंतोष पैदा हुआ।
- राजनीतिक वादे: राजनीतिक दलों ने इस असंतोष का फायदा उठाया और निर्वाचित होने पर पुरानी योजना पर लौटने का वादा किया।
- आंध्र का मध्य मार्ग: आंध्र प्रदेश का जीपीएस एक मध्य मार्ग प्रदान करता है, जो NPS के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए पुरानी योजना में प्रतिगामी वापसी को रोकता है।

आंध्र प्रणाली कैसे काम करती है?

- आकर्षण बढ़ाना: अंशदायी प्रणाली अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर पेंशन की गारंटी देती है।
- वित्तीय बोझ को संतुलित करना: NPS रिटर्न में कोई भी कमी सरकार द्वारा कवर की जाती है।
- वर्तमान NPS पेंशन: वर्तमान में, एनपीएस पेंशन किसी कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन का लगभग 40% है। इसलिए, सरकार को केवल शेष राशि का वित्तपोषण करना होगा।

NPS का विकल्प

- अंशदायी प्रकृति: NPS एक अंशदायी योजना है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों रिटर्न के लिए निवेश किए गए कोष में योगदान करते हैं।
- अनिश्चितता: NPS में, पेंशन राशि की गारंटी नहीं है, क्योंकि यह बाजार की स्थितियों से प्रभावित कॉर्पस रिटर्न पर निर्भर करता है।
- मुद्रास्फीति की अनदेखी: NPS मुद्रास्फीति या वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है।
- बाजार पर निर्भरता: प्रतिकूल बाजार स्थितियों के कारण पेंशन में और कटौती की आशंकाओं के कारण NPS का विरोध बढ़ रहा है।

पुरानी पेंशन योजना पर वापसी क्यों नहीं?

- बजटीय बाधाएँ: OPS के तहत, पेंशन को बजट के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता था।
- अस्थिर विकास: सभी राज्यों के लिए पेंशन देनदारियों में 2021-22 में समाप्त होने वाली 12 साल की अवधि के लिए 34% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखी गई।
- बजटीय प्रभाव: 2020-21 में, पेंशन व्यय राज्यों के राजस्व का 29.7% था।
- विकास चुनौतियाँ: OPS में वापसी से सरकारी धन पर दबाव पड़ेगा, विकास प्रयासों और परिचालन वित्तपोषण में बाधा आएगी।
- प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी चिंताएँ: इस तरह का बदलाव भारत की व्यापार करने में आसानी और समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है

GEO IAS It's about quality

श्रेष्ठ योजना

खबरों में क्यों?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ)" शुरू की है।

महत्वपूर्ण बिंदु

योजना के बारे में:

- उद्देश्य: मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में सीटें प्रदान करना।
- कार्यान्वयन: इसे दो मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- CBSE/राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी आवासीय विद्यालयों के तहत स्कूली शिक्षा:
- इस मोड के तहत, मेधावी छात्रों को सीबीएसई और राज्य बोर्डों के चयनित निजी स्कूलों में प्रवेश मिलेगा।
- इन छात्रों का चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा श्रेष्ठा (NETS) के माध्यम से किया जाएगा।
- चयनित छात्रों को 9वीं और 11वीं कक्षा में निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जिससे वे 12वीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे।
- पात्रता: इस योजना के तहत, माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख तक वाले लगभग 3000 एससी छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर सालाना चुना जाता है।

NGO संचालित स्कूलों में प्रवेश:

- शिक्षा के इस मोड के तहत, स्वैच्छिक संगठनों (VO) और गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित स्कूल और छात्रावास, 12वीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करेंगे।
- अनुदान सहायता प्राप्त करने वाले और संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले स्कूलों और छात्रावासों को इस मोड के तहत लाभ मिलता रहेगा।

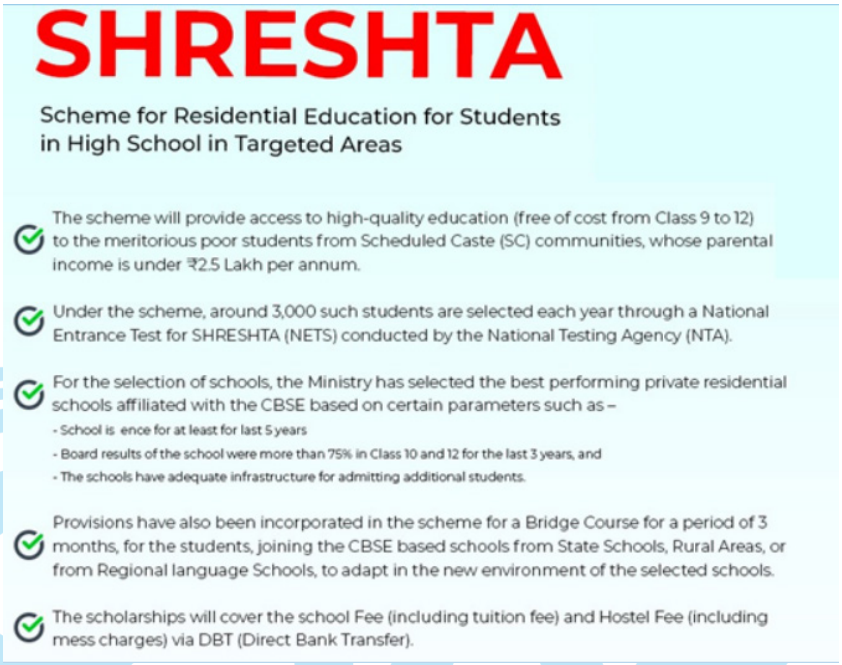

लाभ:

- इसके तहत एडमिशन लेने वाले छात्रों की स्कूल फीस (ट्यूशन फीस) और हॉस्टल फीस (मेस चार्ज) समेत पूरी फीस माफ कर दी जाएगी।
- प्रत्येक कक्षा के लिए स्वीकार्य फीस इस प्रकार निर्दिष्ट है- 9वीं: 1,00,000 रुपये, 10वीं: 1,10,000 रुपये, 11वीं: 1,25,000 रुपये, 12वीं: 1,35,000 रुपये।
- छात्र चयनित स्कूलों के भीतर एक ब्रिज कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, जो छात्रों की व्यक्तिगत शैक्षणिक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है और स्कूल के माहौल में उनके समायोजन में सहायता करता है।
- वार्षिक शुल्क के 10% के बराबर ब्रिज कोर्स की लागत भी इस योजना के अंतर्गत शामिल है और इन छात्रों की प्रगति की निगरानी शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

ज्ञान सहायक योजना

खबरों में क्यों?

गुजरात राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ज्ञान सहायक योजना ने विवाद खड़ा कर दिया है और इसे समाज के विभिन्न वर्गों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- यह योजना नियमित नियुक्तियों को अंतिम रूप दिए जाने तक संविदा नियुक्तियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षक रिक्तियों को संबोधित करना चाहती है।
- भारत में कई राज्यों ने 2014 में शासन परिवर्तन के बाद से सरकारी नौकरी की रिक्तियों को संविदा के आधार पर भरने का विकल्प चुना है।

ज्ञान सहायक योजना को समझना

- अंतरिम समाधान: इस योजना का लक्ष्य नियमित नियुक्ति होने तक प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों में शिक्षण पदों को अस्थायी रूप से भरना है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में आधार: यह योजना NEP 2020 से प्रेरणा लेती है, जो पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, अंत: विषय कौशल वाले शिक्षकों की आवश्यकता पर जोर देती है।

योजना का दायरा:

- प्रयोज्यता: ज्ञान सहायक योजना सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों, विशेषकर मिशन पर लागू है

उत्कृष्टता विद्यालय:

- रिक्ति सांख्यिकी: सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए 15,000 और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 11,500 ज्ञान सहायकों की नियुक्ति की घोषणा की।
- वेतन संरचना: ज्ञान सहायकों को उनके स्कूल स्तर के आधार पर अलग-अलग मासिक वेतन मिलता है: प्राथमिक के लिए 21,000 रुपये, माध्यमिक के लिए 24,000 रुपये और उच्चतर माध्यमिक के लिए 26,000 रुपये।
- रिक्ति संदर्भ: गुजरात में सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में अनुमानित 32,000 शिक्षण रिक्तियों की रिपोर्ट है, जो मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को प्रभावित करती हैं। कुछ माध्यमिक विद्यालय स्टाफ की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रवासी शिक्षकों पर निर्भर हैं।

पात्रता मापदंड

- प्राथमिक ज्ञान सहायक: उम्मीदवारों को गुजरात परीक्षा बोर्ड की शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET)-2 उत्तीर्ण होना चाहिए।
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक ज्ञान सहायक: उम्मीदवारों को शिक्षक योग्यता परीक्षा (TAT) उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आयु सीमा: प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय दोनों के ज्ञान सहायकों की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, जबकि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ज्ञान सहायकों की आयु 42 वर्ष तक हो सकती है।
- योग्यता-आधारित चयन: चयन में TET-2 परिणामों से प्रतिशत रैंक के आधार पर एक योग्यता सूची तैयार करना शामिल है, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) को ज्ञान सहायक पदों का आवंटन किया जाता है।

नियुक्ति की शर्तें, वेतन, आयु, अनुबंध अवधि क्या हैं?

- ज्ञान सहायकों का 11 माह का अनुबंध पूर्ण होने पर स्वतः निरस्त हो जायेगा। स्कूल प्रबंधन समितियों के पास ऐसे अनुबंध करने की शक्ति है।
- अनुबंध अवधि के अंत में, कार्य की समीक्षा की जाएगी जिसके आधार पर एक नया अनुबंध तैयार किया जा सकता है।

भारतीय सेना का प्रोजेक्ट उद्भव

खबरों में क्यों?

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान 'प्रोजेक्ट उद्भव' का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण बिंदु

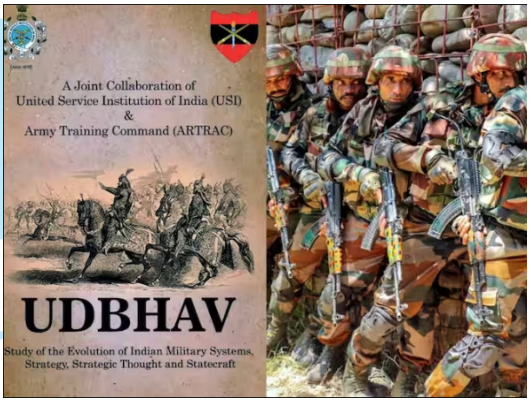

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया और दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया।
- IMHF का उद्देश्य भारत की रणनीतिक संस्कृति, सैन्य विरासत, शिक्षा, सुरक्षा बलों के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत पर विशेष जोर देने के साथ व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा की गतिशीलता से भावी विचारकों को परिचित कराना है।
- विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं और पैनल चर्चाओं के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट और पेपर व्यापक प्रसार और आगे के संदर्भों के लिए मूल्यवान प्रकाशन बनाने के आधार के रूप में काम करेंगे।
- आगे बढ़ते हुए, कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला, हमारी रणनीतिक संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी और जनवरी 2024 में एक प्रकाशन के साथ समाप्त होगी, ताकि इस तरह के ज्ञान का दस्तावेजीकरण और संस्थागतकरण किया जा सके।

प्रोजेक्ट उद्भव:

- प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI), एक रक्षा सेवा थिंक टैंक के बीच एक सहयोग है।
- 'उद्भव' नाम की यह परियोजना, 'उत्पत्ति' या 'उत्पत्ति' का अनुवाद करती है, जो हमारे देश के सदियों से चले आ रहे ऐतिहासिक ग्रंथों में निहित गहन ज्ञान को पहचानती है।
- अपने मूल में, यह परियोजना आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन अंतर्दृष्टि को समाहित करने का प्रयास करती है, जिससे वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया जा सके।
- इस पहल का उद्देश्य सदियों पुराने ज्ञान और समकालीन सैन्य शिक्षा के बीच अंतर को पाटना है।
- भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली, जो 5000 साल पुरानी सभ्यतागत विरासत में निहित है, बौद्धिक ग्रंथों और पांडुलिपियों के भंडार का दावा करती है।

- MoD के अनुसार, प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य इन प्रणालियों की गहन समझ और आधुनिक युग में उनकी स्थायी प्रासंगिकता को सुविधाजनक बनाना है।

प्रोजेक्ट उद्भव के पीछे प्रेरणा:

- यह पहल सेना प्रशिक्षण कमान के पहले के शोध पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर आधारित '75 रणनीतियों का संग्रह' संकलित किया गया है।
- यह परियोजना चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसे श्रद्धेय ग्रंथों से प्रेरणा लेती है जो समकालीन प्रथाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी और कूटनीति के महत्व पर जोर देती है।
- इसी तरह, शास्त्रीय तमिल पाठ, थिरुक्कुरल, युद्ध सहित सभी प्रयासों में नैतिक आचरण का समर्थन करता है, आधुनिक आचार संहिता और जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों के साथ संरेखित होता है।
- इतिहास के अभिलेख प्रमुख सैन्य अभियानों और नेताओं से भी अमूल्य सबक प्रदान करते हैं।
- चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और चोलों के साम्राज्य अपने समय के दौरान समृद्ध प्रभाव के उदाहरण हैं।
- अहोम साम्राज्य का 600 साल का शासन उल्लेखनीय है, जिसमें मुगलों की बार-बार हार हुई।

एकल बालिका के लिए CBSE मेरिट छात्रवृत्ति योजना

खबरों में क्यों?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने हाल ही में सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए CBSE मेरिट छात्रवृत्ति योजना, 2023 के लिए पंजीकरण तिथि बढ़ा दी है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
- इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में माता-पिता के प्रयासों को मान्यता देना है।
- योजना का उद्देश्य उन मेधावी एकल छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं, जिन्होंने CBSE दसवीं कक्षा की परीक्षा 60% या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, और ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में अपनी आगे की स्कूली शिक्षा जारी रख रही हैं।
- यह चयनित छात्रों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ताकि वे अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकें।

पात्रता मापदंड:

- आवेदक अपने परिवार की अकेली लड़की होनी चाहिए।
- आवेदक को CBSE कक्षा 10वीं परीक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए और स्कूल (CBSE से संबद्ध) में कक्षा 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करनी चाहिए।
- शैक्षणिक वर्ष के दौरान ट्यूशन फीस ₹1,500/- प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगले दो वर्षों में, ऐसे स्कूल में ट्यूशन फीस में कुल वृद्धि ली जाने वाली ट्यूशन फीस के 10% से अधिक नहीं होगी।
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- छात्र को 11वीं और 12वीं कक्षा में अपनी स्कूली पढ़ाई जारी रखनी होगी।
- जिन आवेदकों के पास अनिवासी भारतीय (NRI) का दर्जा है वे भी आवेदन करने के पात्र हैं। NRI के लिए ट्यूशन फीस अधिकतम 6,000/- रुपये प्रति माह तय की गई है।

लाभ:

- छात्रवृत्ति प्रति माह अधिकतम 500 रुपये प्रदान करती है।
- राशि अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए देय है, भुगतान ECS/NEFT के माध्यम से किया जाएगा।
- छात्रवृत्ति ग्यारहवीं कक्षा के सफल समापन पर सालाना नवीनीकरण के लिए पात्र है, जो अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्धारण करने वाली परीक्षा में विद्वान की 50% या अधिक कुल अंकों की उपलब्धि पर निर्भर है।
- यदि विद्वान अध्ययन के वर्तमान पाठ्यक्रम को बंद कर देता है या स्कूल बदल देता है तो छात्रवृत्ति के नवीनीकरण या निरंतरता के लिए बोर्ड की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- छात्रवृत्ति बनाए रखने के लिए संतोषजनक आचरण और नियमित उपस्थिति आवश्यक है।

GEO IAS It's about quality

9 विविध

नोबेल शांति पुरस्कार 2023

खबरों में क्यों?

ईरानी कार्यकर्ता नरगिस सफ़ी मोहम्मदी को 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए उनकी निरंतर वकालत के प्रति उनके समर्पण को मान्यता दी।
- यह प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने, स्थायी सेनाओं को कम करने और शांति के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

पृष्ठभूमि

- नरगिस सफ़ी मोहम्मदी का जन्म 1972 में ईरान में हुआ था। उनके परिवार का इतिहास राजनीतिक सक्रियता में गहराई से निहित है, जिसकी शुरुआत 1979 की ईरानी क्रांति में उनकी भागीदारी से हुई, जिसके कारण अंततः राजशाही के पतन के बाद एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई।
- मोहम्मदी की सक्रियता की यात्रा बचपन के दो महत्वपूर्ण अनुभवों से गहराई से प्रभावित थी। उसकी माँ की अपने कैद भाई से नियमित मुलाक़ात ने एक अमिट छाप छोड़ी, साथ ही उसे फाँसी पर लटकाए गए कैदियों की दैनिक टेलीविजन घोषणाओं के बारे में भी पता चला।

सक्रियता की ओर संक्रमण

- नरगिस सफ़ी मोहम्मदी छोटी उम्र से ही विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हुई थीं, जिनमें ईरान में महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना और राजनीतिक प्रदर्शनकारियों के लिए मौत की सजा और कठोर सजा का विरोध करना शामिल था।
- उन्होंने तेहरान में एक इंजीनियर के रूप में काम किया लेकिन अंततः सरकारी निर्देशों के कारण उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।

मानवाधिकार संगठनों में भागीदारी

- 2000 के दशक में, वह ईरान में मानवाधिकार रक्षकों के केंद्र का हिस्सा बन गई, जिसकी स्थापना प्रसिद्ध ईरानी वकील शिरीन एबादी ने मृत्युदंड को खत्म करने के मिशन के साथ की थी।
- शिरीन एबादी को ईरान में मानवाधिकारों की रक्षा में उनके प्रयासों के लिए 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

गिरफ़्तारियाँ और कारावास

- नरगिस सफ़ी मोहम्मदी को 2011 में अपनी पहली गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा और ईरानी न्यायपालिका के साथ उनका कई बार सामना हुआ।
- उसे पांच बार दोषी ठहराया गया, 13 बार गिरफ्तार किया गया, कुल 31 साल जेल की सजा सुनाई गई और 154 कोड़े मारे गए। 2023 में उसके खिलाफ अतिरिक्त न्यायिक मामले खोले गए, जिससे संभावित रूप से अधिक सजाएँ हुईं।
- जेल में रहते हुए भी, उन्होंने साथी महिला कैदियों के साथ ईरानी सरकार के खिलाफ खड़े होकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया।
- 2022 में, उन्होंने 'व्हाइट टॉर्चर' नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें एकान्त कारावास में अपने अनुभवों को याद किया गया और इसमें अन्य ईरानी महिलाओं के साक्षात्कार भी शामिल थे, जिन्होंने भी ऐसी सजा झेली थी।

पिछले पुरस्कार और मान्यता

- नरगिस सफ़ी मोहम्मदी को उनकी सक्रियता के लिए पश्चिम में प्रमुख पुरस्कार मिले, जिनमें 2023 PEN/बार्बी फ्रीडम टू राइट अवार्ड और 2023 यूनेस्को/गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार शामिल हैं।
- 2022 में, उन्हें BBC की दुनिया भर की 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया था।

ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं की विरासत

- नरगिस सफ़ी मोहम्मदी ईरानी नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में शामिल हो गई, शिरीन एबादी लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के लिए 2003 में पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थीं।
- दोनों महिलाओं को महिलाओं, बच्चों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा में अपने काम के लिए उत्पीड़न और कारावास का सामना करना पड़ा है।

GEO IAS It's about quality

पुरस्कार के बारे में

- स्वीडिश उद्योगपति, आविष्कारक और हथियार निर्माता अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा से स्थापित नोबेल शांति पुरस्कार, रसायन विज्ञान, भौतिकी, शरीर विज्ञान या चिकित्सा और साहित्य के साथ-साथ पांच प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों में से एक है।
- मार्च 1901 में अपनी स्थापना के बाद से, नोबेल शांति पुरस्कार, कुछ अपवादों के साथ, हर साल उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने शांति को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच भाईचारे और स्थायी सेनाओं को कम करने या समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

चयन प्रक्रिया

- नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा किया जाता है, जो नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय समिति है। 2020 से, यह पुरस्कार ओस्लो विश्वविद्यालय के एट्रियम में प्रदान किया गया है।
- अतीत में, पुरस्कार समारोह ओस्लो सिटी हॉल (1990-2019), नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट (1905-1946), और संसद (1901-1904) सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया था।

विवाद

- अपनी स्वाभाविक राजनीतिक प्रकृति के कारण, नोबेल शांति पुरस्कार अपने पूरे इतिहास में कई विवादों का विषय रहा है।
- नॉर्वेजियन नोबेल समिति योग्य व्यक्तियों को सालाना नामांकन जमा करने के लिए आमंत्रित करती है। नामांकनकर्ताओं में राष्ट्रीय विधानसभाओं और सरकारों के सदस्य, अंतरराष्ट्रीय अदालतों के सदस्य, शिक्षाविद, पिछले प्राप्तकर्ता और स्वयं नॉर्वेजियन नोबेल समिति के सदस्य शामिल हैं।

नामांकन और गोपनीयता

- नामांकन पुरस्कार वर्ष में फरवरी की शुरुआत तक जमा किए जाते हैं, और समिति के सदस्य इस समय सीमा के बाद पहली समिति बैठक तक नामांकन जमा कर सकते हैं।
- नोबेल फाउंडेशन के क़ानून पुरस्कार दिए जाने के बाद कम से कम 50 वर्षों तक पुरस्कार देने से संबंधित नामांकन, विचार या जांच के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक लगाते हैं। यह गोपनीयता नोबेल शांति पुरस्कार प्रक्रिया की एक पहचान है।

चयन एवं घोषणा

- नामांकन पर शुरुआत में नोबेल समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिससे उम्मीदवारों की एक छोटी सूची बनाई जाती है। इसके बाद इस शॉर्टलिस्ट की समीक्षा नोबेल संस्थान के स्थायी सलाहकारों द्वारा की जाती है, जिसमें इसके निदेशक और अनुसंधान निदेशक के साथ-साथ प्रासंगिक विषय क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले नॉर्वेजियन शिक्षाविद् भी शामिल होते हैं।
- समिति सर्वसम्मत निर्णय चाहती है, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं है। आमतौर पर, अंतिम निर्णय सितंबर के मध्य में आता है और घोषणा अक्टूबर की शुरुआत में की जाती है।

पुरस्कार समारोह एवं पदक

- नोबेल शांति पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह के अवसर पर नॉर्वे के राजा और नॉर्वेजियन शाही परिवार की उपस्थिति में प्रदान किया जाता है।
- नोबेल पुरस्कार विजेता को एक डिप्लोमा, एक पदक और पुरस्कार राशि की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज़ प्राप्त होता है, जिसकी कीमत 2019 तक 9 मिलियन SEK थी।
- पिछले कुछ वर्षों में समारोह का स्थान बदल गया है लेकिन 1990 से ओस्लो सिटी हॉल में आयोजित किया जाता रहा है।

नोबेल शांति पुरस्कार पदक का डिज़ाइन

- शांति पुरस्कार के लिए पदक 1901 में नॉर्वेजियन मूर्तिकार गुस्ताव विगलैंड द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें अल्फ्रेड नोबेल की एक अनूठी प्रोफ़ाइल मूर्तिकला है।
- पदक के पीछे की ओर तीन पुरुषों को 'भाईचारे के बंधन' में चित्रित किया गया है, साथ ही शिलालेख 'प्रो पेस एट फ्रैटरनिटेट जेंटियम' ("पुरुषों की शांति और भाईचारे के लिए") लिखा हुआ है।
- पदक के किनारे पर पुरस्कार देने का वर्ष, प्राप्तकर्ता का नाम और "प्रिक्स नोबेल डे ला पैक्स" अंकित होता है।

ड्रोन (संशोधन) नियम, 2023

खबरों में क्यों?

हाल ही में, विमानन मंत्रालय ने ड्रोन पायलटों के लिए ड्रोन (संशोधन) नियम, 2023 को अधिसूचित किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- नए नियम 1934 के विमान अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकार के तहत पेश किए गए हैं।

उद्देश्य:

- पूरे भारत में ड्रोन संचालन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना।

- 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाना।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र में अधिक व्यक्तियों को ड्रोन प्रौद्योगिकी और इसके लाभों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

नये नियमों की आवश्यकता:

- पहले रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट का होना कई व्यक्तियों के लिए कठिनाइयों का कारण बनता था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में।
- समस्या का समाधान करने और ड्रोन संचालन को उदार बनाने के लिए, पासपोर्ट के बजाय सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, या ड्राइविंग लाइसेंस और पते के प्रमाण का उपयोग किया जा सकता है।

रिमोट पायलट प्रमाणपत्र के लिए पात्रता:

- व्यक्ति की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उन्हें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
- उन्हें किसी भी अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन से डीजीसीए द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए।
- प्रमाणपत्र दस वर्षों के लिए वैध होगा।
- अपवाद: गैर-व्यावसायिक ड्रोन उपयोग के लिए जब ड्रोन का आकार 2 किलोग्राम तक हो तो किसी रिमोट पायलट प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

ड्रोन श्रेणियाँ

1. नैनो : 250 ग्राम से कम
2. माइक्रो : 250 ग्राम से 2 किलो तक
3. स्माल : 2 किलो से 25 किलो तक
4. मीडियम : 25 किलो से 150 किलो तक
5. लार्ज :150 किलो से अधिक

भारत में ड्रोन बाज़ार

- भारत की क्षमता: ड्रोन और संबद्ध घटक उद्योग 2030 तक भारत की विनिर्माण क्षमता को लगभग 23 बिलियन डॉलर तक बढ़ा सकते हैं।
- बाजार का आकार: भारत के ड्रोन निर्माण उद्योग ने वित्त वर्ष 2021 में 60 करोड़ रुपये की वार्षिक बिक्री को पार कर लिया और वित्त वर्ष 2024 तक इसके बढ़कर 900 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

भारत में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी
- तमिलनाडु ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA), डी ड्रोन वर्ल्ड सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य प्रति वर्ष 2,500 ड्रोन पायलट तैयार करना है।
- सरकारी विमानन प्रशिक्षण संस्थान
- बॉम्बे फ्लाइंग क्लब
- संगम सिटी की नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड (NAeL) प्रयागराज में
- NAeL ने प्रयागराज के स्टार्ट-अप एम्पायरियन रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया

ट्राई OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं कर सकता

खबरों में क्यों?

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) ने एक अंतरिम आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि हॉटस्टार जैसे ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) ने याचिका शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्टार इंडिया द्वारा डिज्नी+हॉटस्टार के माध्यम से मोबाइल उपकरणों पर ICC क्रिकेट विश्व कप मैचों की मुफ्त स्ट्रीमिंग ट्राई नियमों के तहत भेदभावपूर्ण है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्शक केवल सदस्यता लेने और मासिक भुगतान करके स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर मैचों तक पहुंच सकते हैं।

OTT विनियमन पर अलग-अलग राय

- IT मंत्रालय बनाम DOT: आईटी मंत्रालय का तर्क है कि व्यापार नियमों के आवंटन का हवाला देते हुए, ओटीटी प्लेटफार्मों सहित इंटरनेट-आधारित संचार सेवाएं, DoT के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं।
- DoT का मसौदा दूरसंचार विधेयक: DoT ने एक मसौदा दूरसंचार विधेयक का प्रस्ताव रखा जो OTT प्लेटफार्मों को दूरसंचार सेवाओं

के रूप में वर्गीकृत करता है और उन्हें दूरसंचार ऑपरेटरों के रूप में विनियमित करने का प्रयास करता है। इस कदम को MeitY की आपत्तियों का सामना करना पड़ा है।

- OTT विनियमन पर ट्राई का प्रयास
- बदलता रुख: ट्राई ने तीन साल तक यह बनाए रखने के बाद कि OTT संचार सेवाओं के लिए किसी विशिष्ट नियामक ढांचे की आवश्यकता नहीं है, इन सेवाओं को विनियमित करने पर परामर्श शुरू किया।
- परामर्श पत्र: जून में, ट्राई ने एक परामर्श पत्र जारी किया, जिसमें ओटीटी सेवाओं को विनियमित करने पर इनपुट मांगा गया और यह पता लगाया गया कि क्या ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध को पूर्ण इंटरनेट शटडाउन के विकल्प के रूप में माना जा सकता है।
- टेलीकॉम ऑपरेटरों की मांग: टेलीकॉम ऑपरेटरों ने लंबे समय से "समान सेवा, समान नियम" की वकालत की है और ओटीटी प्लेटफार्मों के लिए नियामक हस्तक्षेप पर जोर दिया है।

TDSAT के आदेश का महत्व

- OTT सेवाओं के विनियमन पर चल रही बहस के कारण TDSAT का निर्णय महत्वपूर्ण है।
- ट्राई और दूरसंचार विभाग (DoT) OTT प्लेटफार्मों को विनियमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन प्रयासों का विरोध करता है।

सिफ़ारिशें और निगरानी

- सितंबर 2020 में, ट्राई ने OTT प्लेटफार्मों के लिए नियामक हस्तक्षेप के खिलाफ सिफारिश की, यह सुझाव देते हुए कि बाजार ताकतों को इस क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहिए।
- हालाँकि, इसने "उचित समय" पर निगरानी और हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म क्षेत्राधिकार पर TDSAT का हालिया फैसला भारत में इन सेवाओं के विनियमन पर चल रही बहस में जटिलता जोड़ता है।
- जबकि ट्राई और DOT नियामक उपायों की मांग करते हैं, IT मंत्रालय का तर्क है कि ऐसी सेवाएं दूरसंचार विनियमन के दायरे से बाहर हैं।
- उभरता परिदृश्य दूरसंचार ऑपरेटरों, सरकारी अधिकारियों और व्यापक जनता सहित विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

लखपति दीदी

खबरों में क्यों?

लखपति दीदी पहल भारत सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2023 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधान मंत्री द्वारा घोषित इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने गांवों के भीतर सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके सशक्त बनाना है।

लखपति दीदी पहल के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं

- पहल का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। महिलाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे वे प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की स्थायी आय अर्जित कर सकें।
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) में महिलाओं को प्लंबिंग, एलईडी बल्ब बनाने, ड्रोन संचालन और मरम्मत, सिलाई और बुनाई जैसे विविध कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण उन्हें आय उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कौशल से सुसज्जित करता है।
- सरकार की योजना इस पहल के तहत दो करोड़ (20 मिलियन) महिलाओं को प्रशिक्षित करने की है। ये महिलाएं अपने-अपने समुदायों में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्य होंगी।
- प्रशिक्षण पूरा होने पर, महिलाओं को आय सृजन के लिए अपने अर्जित कौशल का उपयोग करने का अवसर दिया जाता है। यह पहलू सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण प्रतिभागियों के लिए ठोस आर्थिक लाभ में तब्दील हो।
- यह पहल दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) द्वारा कार्यान्वित की गई है, जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व वाला एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।

- ग्रामीण विकास मंत्रालय लखपति दीदी पहल के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रहा है। इस दृष्टिकोण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने और पहल की सफलता को सक्षम करने के लिए अभिसरण प्रयास शामिल हैं।
- लखपति दीदी पहल एक मांग-संचालित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को स्वरोजगार और कुशल-मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करके गरीबी को कम करना है। यह मिशन ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और अधिकारों तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिशीलता, वित्तीय समावेशन, स्थायी आजीविका और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इन प्रयासों के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य ग्रामीण गरीबों के लिए टिकाऊ और विविध आजीविका विकल्प तैयार करना है, जिससे जमीनी स्तर पर गरीबी में कमी और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दिया जा सके।

मेरा युवा भारत

खबरों में क्यों?

केंद्र 'राष्ट्र निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग' करने के लिए स्वायत्त संस्था "मेरा युवा भारत" बनाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पिछले महीने महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद, सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले 40 करोड़ युवा आबादी वाले एक बड़े निर्वाचन क्षेत्र को अपने पक्ष में करने की पहल शुरू की है।
- सरकार ने "युवा नेतृत्व वाले विकास और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करने" के लिए मेरा युवा भारत (MY भारत) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी।

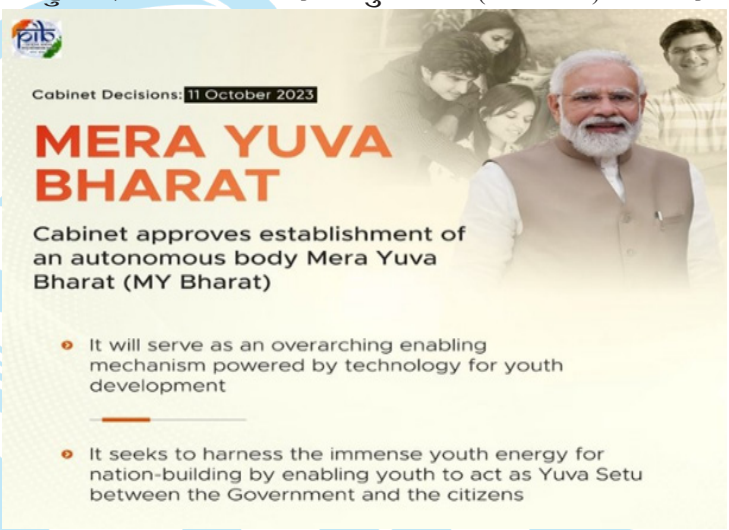

प्रमुख विशेषताएँ:

- राष्ट्रीय युवा नीति के अनुरूप, 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को लाभ।
- किशोरों के लिए, लाभार्थियों की आयु 10-19 वर्ष है।
- युवाओं के लिए संसाधनों और अवसरों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे वे सामुदायिक परिवर्तन एजेंट और राष्ट्र निर्माता बन पाते हैं।
- युवाओं को सरकार और नागरिकों के बीच एक पुल (युवा सेतु) के रूप में बढ़ावा देता है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं की अपार ऊर्जा का उपयोग करना है।

MY भारत की स्थापना का परिणाम होगा:

- युवाओं में नेतृत्व विकास।
- अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल को बढ़ाना।
- युवाओं को सामाजिक नवप्रवर्तक और सामुदायिक नेता बनाने पर ध्यान।
- सक्रिय भागीदारी के लिए युवा नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता देना।
- सामुदायिक आवश्यकताओं के साथ युवा आकांक्षाओं का बेहतर संरेखण।
- मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से दक्षता में सुधार।
- युवा लोगों और सरकारी मंत्रालयों के लिए वन-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।
- एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस स्थापित करता है।
- सरकारी पहलों और गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी के लिए दोतरफा संचार को बढ़ाता है।
- एक भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर पहुंच सुनिश्चित करता है।

आवश्यकता:

- भारत के युवा देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर जब देश विजन 2047 के तहत आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है।
- विजन 2047 के लिए एक ऐसे ढांचे की आवश्यकता है जो ग्रामीण, शहरी और शहरी युवाओं को एक मंच पर एक साथ लाए।
- पिछले 50 वर्षों में विकसित मौजूदा विभागीय योजनाएं, उस समय प्रचलित समझ के आधार पर ग्रामीण युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं।
- तेजी से हो रहे शहरीकरण और बदलते परिदृश्यों के लिए इन दृष्टिकोणों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- ग्रामीण, शहरी और शहरी युवाओं के लिए एक एकीकृत ढांचा बनाना अत्यावश्यक है और MY भारत का लक्ष्य इस आवश्यकता को पूरा करना है।
- सरकार को आज के युवाओं के साथ जुड़ने के लिए एक समसामयिक, प्रौद्योगिकी-संचालित मंच की सख्त आवश्यकता है।

- तेज़ गति वाली, डिजिटल रूप से जुड़ी हुई दुनिया में, प्रौद्योगिकी युवाओं को उनके कौशल को बढ़ाने और सामुदायिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए कार्यक्रमों से प्रभावी ढंग से जोड़ सकती है।
- MY भारत युवा मामले विभाग के आउटरीच प्रयासों का विस्तार करेगा।
- यह मंच सामुदायिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए भौतिक और डिजिटल तत्वों को मिलाकर एक "फिजिटल" पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना चाहता है।
- विशेष रूप से, हाल ही में yuva.gov.in पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम, "मेरी माटी मेरा देश" में 50 मिलियन युवा प्रतिभागी शामिल थे, जिन्होंने पूरे भारत में अमृत वाटिका बनाने के लिए 23 मिलियन पौधे लगाए।

2023 में वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता

खबरों में क्यों?

2023 में वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति पर फ्रीडम हाउस (वाशिंगटन DC स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था) की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगातार 13वें वर्ष मानवाधिकार ऑनलाइन इंटरनेट स्वतंत्रता में गिरावट की चिंताजनक प्रवृत्ति है और 29 देशों में पर्यावरण में गिरावट का अनुभव हो रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

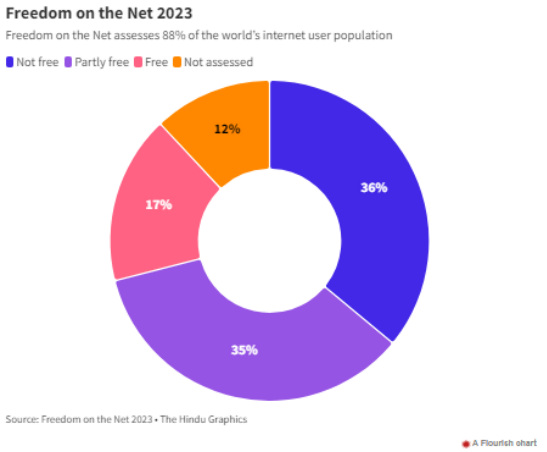

- 'फ्रीडम ऑन द नेट 2023: द रिप्रेसिव पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शीर्षक वाली रिपोर्ट ने सेंसरशिप और दुष्प्रचार के प्रसार के लिए सरकारों द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग पर एक लाल झंडा उठाया है।
- रिपोर्ट, ऑनलाइन मानवाधिकारों के वार्षिक अध्ययन का 13वां संस्करण, जून 2022 और मई 2023 के बीच के विकास को कवर करता है। यह 70 देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का मूल्यांकन करता है, जो दुनिया के 88% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए जिम्मेदार है।
- रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल दमन में सबसे तेज वृद्धि ईरान में देखी गई, जहां अधिकारियों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया और निगरानी बढ़ा दी।
- चीन, लगातार नौवें वर्ष, इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए दुनिया के सबसे खराब वातावरण के रूप में स्थान पर है, जबकि म्यांमार ऑनलाइन स्वतंत्रता के लिए दुनिया का दूसरा सबसे दमनकारी वातावरण है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) डिजिटल दमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। AI-आधारित उपकरण तेजी से परिष्कृत और सुलभ हैं, जिनका उपयोग कम से कम 16 देशों में गलत सूचना फैलाने के लिए किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, AI राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक कारणों से अस्वीकार्य समझी जाने वाली सामग्री को स्वचालित रूप से हटाकर 22 देशों में सामग्री सेंसरशिप दक्षता को बढ़ाता है।
- मूल्यांकन किए गए 70 देशों में से 55 देशों में रिकॉर्ड उच्च स्तर पर ऑनलाइन अभिव्यक्ति के लिए कानूनी नतीजे देखे गए।
- इसके अलावा, 41 देशों में, व्यक्तियों पर उनके ऑनलाइन बयानों के कारण हमला किया गया या उनकी हत्या कर दी गई।
- इंटरनेट शटडाउन, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने और सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए निगरानी बढ़ाने के कारण ईरान में डिजिटल दमन में तेज वृद्धि देखी गई।
- चीन लगातार नौवें वर्ष इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब देश बना रहा, इसके बाद म्यांमार ऑनलाइन स्वतंत्रता के मामले में दूसरा सबसे दमनकारी देश रहा।
- भारत ने अपने कानूनी ढांचे में एआई-आधारित सेंसरशिप को शामिल किया है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सत्तारूढ़ दल की आलोचना प्रभावित हो रही है।
- रिपोर्ट में बढ़ती सेंसरशिप व्यवस्था के कारण भारतीय लोकतंत्र पर प्रतिकूल असर के बारे में चेतावनी दी गई है, जिससे देश में 2024 में आम चुनावों की तैयारी के बीच एक असमान खेल का मैदान तैयार हो रहा है।

देश-विशिष्ट टिप्पणियाँ:

- ईरान ने डिजिटल दमन में वृद्धि का अनुभव किया, जिसमें इंटरनेट शटडाउन, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ब्लॉक और सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई।
- चीन ने लगातार नौवें वर्ष इंटरनेट स्वतंत्रता के मामले में सबसे खराब देश के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा।
- म्यांमार ऑनलाइन स्वतंत्रता के मामले में दूसरा सबसे दमनकारी देश है।
- भारत ने अपने कानूनी ढांचे में एआई-आधारित सेंसरशिप को शामिल किया, जिससे सत्तारूढ़ दल की अभिव्यक्ति और आलोचना की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
- रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र के लिए प्रतिकूल परिणामों के बारे में चिंता जताती है, खासकर जब देश 2024 में आम चुनावों की तैयारी कर रहा है। सेंसरशिप शासन का यह विस्तार एक असमान खेल का मैदान बनाता है।

भारत में सेंसरशिप:

- भारत में, सेंसरशिप कानून सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करने वाली सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करते हैं, जिसमें विज्ञापन, थिएटर, फिल्में, श्रृंखला, संगीत, भाषण, रिपोर्ट, बहस, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, कला रूप, साहित्य, वृत्तचित्र और मौखिक कार्य शामिल हैं।

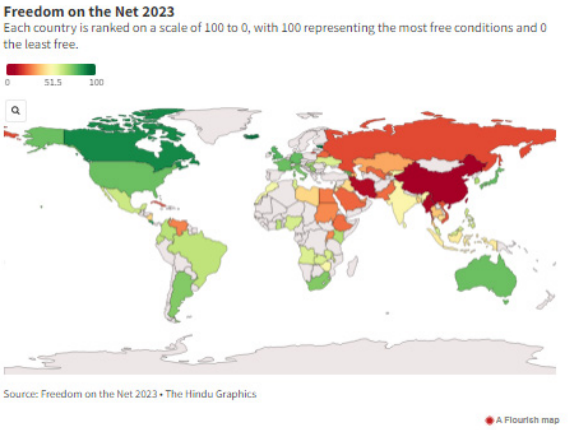

भारत में सेंसरशिप के तंत्र:

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC):

- CrPC की धारा 95 विशिष्ट सामग्री या प्रकाशनों को जब्त करने की अनुमति देती है।
- यदि समाचार पत्रों, पुस्तकों या दस्तावेजों की सामग्री को राज्य के लिए हानिकारक माना जाता है तो राज्य सरकारें कानूनी कार्रवाई करने के लिए इस अनुभाग का उपयोग कर सकती हैं।

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो (CBFC):

- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत संचालित CBFC, जनता के लिए उपलब्ध कराई गई फिल्मों की सामग्री को नियंत्रित करता है।
- यह फिल्मों के लिए पूर्व प्रमाणन की एक प्रणाली को नियोजित करता है, और प्रसारकों को 'प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड' में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

भारतीय प्रेस परिषद:

- प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित, यह वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय प्रेस के लिए एक स्व-नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- यह प्रेस नैतिकता और सार्वजनिक हित का पालन सुनिश्चित करने के लिए मीडिया सामग्री की निगरानी करता है।

केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995:

- यह अधिनियम केबल टेलीविजन पर प्रसारित की जा सकने वाली सामग्री को नियंत्रित करता है।
- केबल ऑपरेटरों को निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अनुसार पंजीकरण कराना होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नए IT नियम, 2021:

- भारत में सोशल मीडिया के तेजी से विस्तार के साथ सेंसरशिप की चिंताएं बढ़ीं।
- सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, विशेष रूप से धारा 67A, 67B, 67C और 69A में सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के प्रावधान शामिल हैं।

IT (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:

- आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 'व्यावसायिक आवंटन नियमों' में संशोधन के साथ पेश किए गए इन नियमों ने डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और OTT (ओवर द टॉप) सेवाओं को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ला दिया।

आपातकालीन खरीद

खबरों में क्यों?

सेना ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये की 70 से अधिक योजनाओं के साथ आपातकालीन खरीद (EP) का चौथा चरण पूरा कर लिया है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 2016 के उरी आतंकी हमले के बाद पहली बार रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों को आपातकालीन वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई, इसके बाद 2019 बालाकोट हवाई हमले और 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध हुआ।
- इसके तहत, सेवाएं खरीद चक्र को छोटा करने के लिए बिना किसी और मंजूरी के तत्काल आधार पर ₹300 करोड़ तक की हथियार प्रणालियां खरीद सकती हैं।

आपातकालीन खरीद तंत्र

- यह एक रणनीतिक कदम है जो रक्षा बलों के लिए आवश्यक उपकरणों और प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण में तेजी लाता है।
- EP तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से उत्तरी सीमाओं पर महत्वपूर्ण परिचालन अंतराल को भरना था।

EP तंत्र की दक्षता

- EP तंत्र ने चार चरणों (EP I से IV) में विभाजित लगभग 140 योजनाओं के माध्यम से पूंजी खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शुरुआती तीन चरणों में भारतीय सेना ने 68 अनुबंधों के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये आवंटित किए:
- EP-IV, जो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक चला, ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये की 70 से अधिक योजनाओं की सुविधा प्रदान की, जो इस प्रकार हैं:

- 6-7 योजनाओं के माध्यम से हथियार प्रणालियों पर लगभग 1300 करोड़ रुपये खर्च किये गये।
- इंटेलिजेंस, टोही और निगरानी के लिए 9 से 10 योजनाओं को लगभग 1500 करोड़ रुपये मिले।
- ड्रोन और काउंटर-ड्रोन पर केंद्रित लगभग 10 परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये आरक्षित किए गए थे।
- संचार और गैर-संचार उपकरण में लगभग एक दर्जन से अधिक परियोजनाएं शामिल थीं, जिसमें लगभग 1800 करोड़ रुपये खर्च हुए।
- अंत में, 3100 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण राशि का उपयोग उत्तरजीविता और प्रशिक्षण से संबंधित लगभग 25 परियोजनाओं के लिए किया गया था।

EP तंत्र का महत्व

- स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा: ईपी तंत्र 'आत्मनिर्भरता' या आत्मनिर्भरता पर जोर देता है। पहले तीन चरणों में 50% ठेके घरेलू उद्योगों को दिए गए। ईपी-IV ने 70 से अधिक योजनाएं पूरी कीं और सभी का भारतीय विक्रेताओं के साथ अनुबंध किया गया।
- आर्थिक विवेक: ईपी की पहली तीन किश्तों के परिणामस्वरूप लगभग 550 करोड़ रुपये की बचत हुई। अकेले चौथे चरण में लगभग 1500 करोड़ रुपये की बचत हुई।
- उभरती सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में, एक मजबूत रक्षा ढांचे के लिए भारत की प्रतिबद्धता आवश्यक है, और ईपी जैसे तंत्र इस संकल्प का उदाहरण हैं।
- कुशल और रणनीतिक खरीद के माध्यम से, भारत न केवल अपनी रक्षा को मजबूत करता है बल्कि अपने घरेलू रक्षा उद्योग के विकास और आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देता है।

साल में दो बार बोर्ड परीक्षा

खबरों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि साल में दो बार कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा और इस अवधारणा को छात्रों के तनाव को कम करने के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 (NCF 2023) ने 2024 से शुरू होने वाली भारत में सीबीएसई और राज्य बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इनमें शामिल हैं:
  - बोर्ड परीक्षा वर्ष में एक बार के बजाय दो बार आयोजित करना,
  - पारंपरिक विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी धाराओं को ख़त्म करना, और
  - यह निर्दिष्ट करना कि अगले 10 वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं को कैसे विकसित किया जाना चाहिए, उन्हें अधिक योग्यता-आधारित बनाने और रटने पर कम ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - शिक्षा मंत्रालय ने अगस्त में घोषणा की थी कि बोर्ड परीक्षाएं साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों के पास अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर हो। उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्कोर बरकरार रखने का विकल्प भी मिलेगा।

कारण

- तनाव और चिंता को कम करें: एक वर्ष में दो बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का एनसीएफ का प्रस्ताव सभी छात्रों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक कदम है। इससे बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा तनाव और चिंता भी कम होगी।
- रुचि का विषय चुनें: पारंपरिक धाराओं को छोड़कर, छात्र उन विषयों को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे जिनमें उनकी रुचि है और जो उनके भविष्य के लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक हैं।
- प्रासंगिक कौशल सीखना: योग्यता-आधारित मूल्यांकन पर ध्यान देने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि छात्र जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान सीख रहे हैं।

PLFS वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023

खबरों में क्यों?

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आधार पर छठी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जा रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- रोजगार और बेरोजगारी के सभी महत्वपूर्ण मापदंडों का अनुमान देने वाली ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाली पांच वार्षिक रिपोर्ट अब तक जारी की गई हैं।

- ये पांच वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2017-जून 2018, जुलाई 2018-जून 2019, जुलाई 2019-जून 2020, जुलाई 2020-जून 2021 और जुलाई 2021-जून 2022 के दौरान पीएलएफएस में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर लाई गई हैं।
- छठी वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2022-जून 2023 के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर लाई गई है।

PLFS के मुख्य निष्कर्ष, वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 सामान्य स्थिति में (PS+SS)

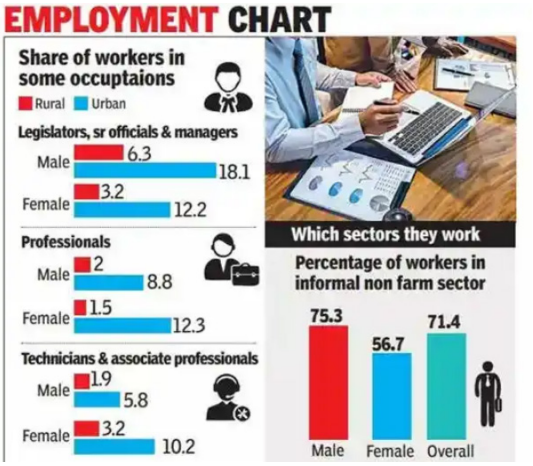

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में बढ़ती प्रवृत्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में, LFPR 2017-18 में 50.7% से बढ़कर 2022-23 में 60.8% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 47.6% से बढ़कर 50.4% हो गया। भारत में पुरुषों के लिए LFPR 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2022-23 में 78.5% हो गया और महिलाओं के लिए LFPR में वृद्धि 23.3% से बढ़कर 37.0% हो गई।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में बढ़ती प्रवृत्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में, WPR 2017-18 में 48.1% से बढ़कर 2022-23 में 59.4% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43.9% से बढ़कर 47.7% हो गया। भारत में पुरुषों के लिए WPR 2017-18 में 71.2% से बढ़कर 2022-23 में 76.0% हो गया और महिलाओं के लिए WPR में वृद्धि 22.0% से बढ़कर 35.9% हो गई।
- बेरोजगारी दर (UR) में घटती प्रवृत्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में, यूआर 2017-18 में 5.3% से घटकर 2022-23 में 2.4% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 7.7% से घटकर 5.4% हो गया। भारत में पुरुषों के लिए UR 2017-18 में 6.1% से घटकर 2022-23 में 3.3% हो गया और महिलाओं के लिए यूआर में कमी 5.6% से 2.9% हो गई।

वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में PLFS, वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 के मुख्य निष्कर्ष

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में बढ़ती प्रवृत्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में, LFPR 2017-18 में 48.9% से बढ़कर 2022-23 में 56.7% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 47.1% से बढ़कर 49.4% हो गया। भारत में पुरुषों के लिए LFPR 2017-18 में 75.1% से बढ़कर 2022-23 में 77.4% हो गया और महिलाओं के लिए LFPR में वृद्धि 21.1% से बढ़कर 31.6% हो गई।
- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में बढ़ती प्रवृत्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में, WPR 2017-18 में 44.8% से बढ़कर 2022-23 में 54.2% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 42.6% से बढ़कर 46.0% हो गया। भारत में पुरुषों के लिए WPR 2017-18 में 68.6% से बढ़कर 2022-23 में 73.5% हो गया और महिलाओं के लिए WPR में इसी वृद्धि 19.2% से 30.0% हो गई।
- बेरोजगारी दर (UR) में घटती प्रवृत्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में, यूआर 2017-18 में 8.4% से घटकर 2022-23 में 4.4% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 9.5% से घटकर 7.0% हो गया। भारत में पुरुषों के लिए यूआर 2017-18 में 8.7% से घटकर 2022-23 में 5.1% हो गया और महिलाओं के लिए यूआर में कमी 9.0% से घटकर 5.1% हो गई।

भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS)

खबरों में क्यों?

पीएम मोदी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित भारत का पहला मास रैपिड सिस्टम है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- पहले खंड पर ट्रेनें अंततः दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को एक घंटे से भी कम कर देंगी।
- सेमी हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी के मूल में, आरआरटीएस एक एकीकृत, जन पारगमन नेटवर्क है।
- इसका लक्ष्य पूरे NCR में बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास सुनिश्चित करना है।
- ऐसे नेटवर्क का विचार एक अध्ययन में निहित है जिसे भारतीय रेलवे को वर्ष 1998-99 में पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था।
- अध्ययन ने NCR में विभिन्न स्थानों को तेज यात्री ट्रेनों के माध्यम से जोड़ने के लिए RRTS नेटवर्क की संभावना की पहचान की।
- वर्ष 2006 में गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद जैसे कुछ NCR शहरों तक दिल्ली मेट्रो लाइनों के विस्तार के साथ प्रस्ताव की फिर से जांच की गई।
- NCR-2032 के लिए परिवहन पर अपनी कार्यात्मक योजना विकसित करते समय इसे जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) द्वारा लिया गया।
- NCRPB ने NCR शहरों को हाई स्पीड रेल-आधारित कम्यूटर ट्रांजिट सेवाओं से जोड़ने के लिए आठ RRTS कॉरिडोर की पहचान की और सिफारिश की।

उद्देश्य

- यह मौजूदा परिवहन केंद्रों पर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के अलावा विभिन्न तरीकों से NCR की संपूर्ण क्षमता को अनलॉक करना चाहता है।

- परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन की ओर प्रेरित करना है।
- इसलिए, इसका सड़क/राजमार्गों के साथ-साथ मौजूदा मेट्रो और रेलवे नेटवर्क दोनों पर भीड़ से राहत देने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- परियोजना का लक्ष्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और एनसीआर की वर्तमान रूपरेखा के साथ नए वाणिज्यिक केंद्र खोलना है।
- कम यात्रा समय से क्षेत्र की समग्र आर्थिक उत्पादकता बढ़ने की उम्मीद है।

विशेषताएँ

- RRTS ट्रेनें मेट्रो ट्रेनों की तुलना में काफी तेज गति से यात्रा करेंगी।
- ये 160 किमी/घंटा की गति से चलेंगे लेकिन इन्हें 180 किमी/घंटा तक की गति से चलने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- RRTS को पेरिस में RER, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में क्षेत्रीय-एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में SEPTA क्षेत्रीय रेल जैसी प्रणालियों पर आधारित किया गया है।

RRTS मौजूदा मेट्रो या रेलवे प्रणालियों से किस प्रकार भिन्न है?

- महानगरों से तुलना करने पर RRTS नेटवर्क तेज़ है।
- भारतीय रेलवे की तुलना में, हालांकि आरआरटीएस ट्रेन अपेक्षाकृत कम दूरी तय करेगी। यह उच्च आवृत्ति पर ऐसा करेगा और औसत रेलवे कोच की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक आराम प्रदान करेगा।

नमो भारत ट्रेन

- दिल्ली और मेरठ के बीच भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन का नाम "नमो भारत" रखा गया है।
- प्रधानमंत्री का दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन करने और साहिबाबाद और दुहाई डिपो को जोड़ने वाली "रैपिडएक्स ट्रेन" को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है।

RRTS का निर्माण

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) ने RRTS का निर्माण किया है जिसे नमो भारत के नाम से भी जाना जाता है।
- NCRTC केंद्र सरकार और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत NCRTC को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में RRTS परियोजना को लागू करने का अधिकार है।

चाणक्य रक्षा संवाद

खबरों में क्यों?

भारतीय सेना महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए एक मंच, चाणक्य रक्षा संवाद शुरू करने की योजना बना रही है।

महत्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय सेना "चाणक्य रक्षा संवाद" की शुरुआत के साथ रणनीतिक ज्ञान की यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
- यह पहल महत्वपूर्ण सुरक्षा मामलों पर अंतर्दृष्टि के आदान-प्रदान और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगी, जिससे देश की रणनीतिक जागरूकता को और बढ़ावा मिलेगा।
- चाणक्य रक्षा संवाद का उद्घाटन 25 या 26 अक्टूबर, 2023 की शुभ तारीखों पर होने वाला है और यह भारतीय सेना स्टाफ के प्रतिष्ठित प्रमुख के अलावा किसी अन्य द्वारा दिए गए ज्ञानवर्धक मुख्य भाषण के साथ शुरू होगा।
- इसके बाद, इस विचारोत्तेजक श्रृंखला का पहला संस्करण नवंबर महीने में आयोजित करने की योजना है।
- यह रोमांचक पहल भारत की उन्नत रणनीतिक जागरूकता की खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने के लिए तैयार है।

चाणक्य रक्षा संवाद

- अंतरराष्ट्रीय रक्षा और रणनीतिक बिरादरी के प्रमुख विशेषज्ञों को एकजुट करने के उद्देश्य से चाणक्य रक्षा संवाद एक नियमित मंच होगा।
- इसका उद्देश्य इन प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के बीच संबंध विकसित करना और विचारों और दर्शन के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करना है।
- हालाँकि सभी सुरक्षा चुनौतियों को पूरी तरह से संबोधित किया जाएगा, चर्चा का मुख्य फोकस दक्षिण एशिया और इंडो-पैसिफिक होगा।
- चाणक्य रक्षा संवाद में विचारोत्तेजक विषय होंगे जिनमें "पड़ोसी बलों" की गतिशीलता शामिल होगी, जो उभरते क्षेत्रीय प्रभावों की जांच करेगी; "इंडो-पैसिफिक फ्रंटियर," वैश्विक महत्व का एक रणनीतिक केंद्र बिंदु; और, "रक्षा और सुरक्षा पर उभरती प्रौद्योगिकियों का विकसित होता प्रभाव", यह पता लगाना कि कैसे अत्याधुनिक नवाचार राष्ट्रीय रक्षा के परिदृश्य को आकार दे रहे हैं।
    - भारतीय सेना इस उल्लेखनीय आयोजन की सफल मेजबानी के लिए प्रख्यात थिंक टैंक, सेंटर फॉर लैंड एंड वारफेयर स्टडीज (CLAWS) के साथ सहयोग करेगी।
    - संवाद में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी देखी जाएगी।
    - दो व्यावहारिक दिनों की अवधि में, चाणक्य रक्षा संवाद प्रमुख वक्ताओं, सैन्य रणनीतिकारों, राजनयिकों और रक्षा और रणनीतिक मामलों में विशेषज्ञता वाले प्रभावशाली विचारकों की एक मंडली को इकट्ठा करेगा।
    - बातचीत दक्षिण एशिया और भारत-प्रशांत के अस्थिर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुरक्षा चुनौतियों और रणनीतियों के इर्द-गिर्द घूमेगी।

10 योजना नवम्बर 2023

1. रेल अवसंरचना

- भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से थाणे तक 34 किमी की दूरी तय की थी। तब से, 167 से अधिक वर्षों में, भारतीय रेलवे (IR) का काफी विस्तार हुआ है।
- रेलवे योजना का मुख्य उद्देश्य यातायात की अनुमानित मात्रा को ले जाने और भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
- भारतीय रेलवे द्वारा 1950-51 से कुछ वार्षिक योजनाओं के अलावा नौ पंचवर्षीय योजनाएँ (FYP) लागू की गई हैं।

केंद्रीय रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 12 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) हैं।

1. RITES लिमिटेड
2. IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड
3. भारतीय रेलवे वित्त निगम (IRFC) लिमिटेड
4. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR)
5. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL)
6. मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड (MRVC)
7. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (IRCTC)
8. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (RCIL)
9. रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)
10. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL)
11. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KMRCL)
12. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड (BCL)

- भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास (R&D) विंग लखनऊ में अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) है।
- यह भारतीय रेलवे और रेलवे विनिर्माण और डिजाइन से जुड़े अन्य संगठनों के लिए तकनीकी मामलों में सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- रेलवे वित्त: 1924 के पृथक्करण सम्मेलन के कारण, 1924-25 तक एक अलग रेलवे बजट पेश किया गया था, भले ही यह भारत सरकार के समग्र बजट का हिस्सा था।

Zonal Railways	Headquarters
Central	Mumbai
Eastern	Kolkata
East Coast	Bhubaneswar
East Central	Hajipur
Northern	New Delhi
North Central	Allahabad (Prayagraj)
North Eastern	Gorakhpur
Northeast Frontier	Maligaon (Guwahati)
North Western	Jaipur
Southern	Chennai
South Central	Secunderabad
South Eastern	Kolkata
South East Central Railway	Bilaspur
South Western Railway	Huballi
Western	Mumbai
West Central Railway	Jabalpur
Metro Railway	Kolkata

राष्ट्रीय रेल योजना विजन-2030

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) - 2030 तैयार की है। योजना 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे प्रणाली बनाने की है। NRP का उद्देश्य मॉडल को बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना है। माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 45 फीसदी तक. योजना का उद्देश्य मांग से पहले क्षमता बनाना है, जो बदले में 2050 तक मांग में भविष्य की वृद्धि को भी पूरा करेगा और माल ढुलाई में रेलवे की मॉडल हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाएगा और इसे बनाए रखना जारी रखेगा।

राष्ट्रीय रेल योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:-

- माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करें।
- मालगाड़ियों की औसत गति 50 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाकर माल ढुलाई के समय को काफी हद तक कम करें।

- राष्ट्रीय रेल योजना के हिस्से के रूप में, 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विज़न 2024 लॉन्च किया गया है, जैसे 100% विद्युतीकरण, भीड़भाड़ वाले मार्गों की मल्टी-ट्रैकिंग, दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर 160 किमी प्रति घंटे की गति का उन्नयन। अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज-स्वर्ण विकर्ण (जीक्यू/जीडी) मार्गों पर गति को 130 किमी प्रति घंटे तक उन्नत करना और सभी जीक्यू/जीडी मार्गों पर सभी लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करना।
- नए समर्पित माल ढुलाई गलियारों की पहचान करें।
- नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की पहचान करें।
- यात्री यातायात के लिए रोलिंग स्टॉक की आवश्यकता के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए वैगन की आवश्यकता का आकलन करें।
- 100% विद्युतीकरण (हरित ऊर्जा) और माल ढुलाई मॉडल हिस्सेदारी बढ़ाने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोकोमोटिव आवश्यकता का आकलन करें।
- समय-समय पर ब्रेक-अप के साथ आवश्यक पूंजी में कुल निवेश का आकलन करें।
- रोलिंग स्टॉक के संचालन और स्वामित्व, माल और यात्री टर्मिनलों के विकास, ट्रैक बुनियादी ढांचे के विकास/संचालन आदि जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की निरंतर भागीदारी।
- 39,663 करोड़ रुपये की लागत वाली 3750 किलोमीटर की कुल लंबाई की 58 सुपर क्रिटिकल परियोजनाएं और 75,736 करोड़ रुपये की लागत वाली 6913 किलोमीटर की कुल लंबाई की 68 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को 2024 तक पूरा करने के लिए पहचाना गया है।

NATIONAL RAIL PLAN

Indian Railways has prepared a National Rail Plan (NRP) for India – 2030. The plan is to create a 'future-ready' railway system by 2030. The NRP is aimed at formulating strategies based on both operational capacities and commercial policy initiatives to increase the modal share of the railways in freight to 45%. The objective of the plan is to create capacity ahead of demand, which in turn would also cater to future growth in demand right up to 2050, increase the modal share of railways to 45% in freight traffic, and continue to sustain it.

Vision: To develop capacity and infrastructure and enhance rail freight share ahead of demand. Develop capacity by 2030 that will cater to growing demand up to 2050. The key objectives of the National Rail Plan are:

- Formulate strategies based on both operational capacities and commercial policy initiatives to increase the modal share of the railways in freight to 45%.
- Reduce transit time of freight substantially by increasing the average speed of freight trains to 50 kmph.
- As part of the National Rail Plan, Vision 2024 has been launched for the accelerated implementation of certain critical projects by 2024, such as 100% electrification, multi-tracking of congested routes, upgradation of speed to 160 kmph on Delhi-Howrah and Delhi-Mumbai routes, upgradation of speed to 130 kmph on all other Golden Quadrilateral-Golden Diagonal (GQ/GD) routes, and elimination of all Level Crossings on all GQ/GD route.
- Identify new Dedicated Freight Corridors.
- Identify new High Speed Rail Corridors.
- Assess the rolling stock requirement for passenger traffic as well as wagon requirement for freight.
- Assess the locomotive requirement to meet twin objectives of 100% electrification (Green Energy) and increasing freight modal share.
- Assess the total investment in capital that would be required, along with a periodical breakup.
- Sustained involvement of the Private Sector in areas like operations and ownership of rolling stock, development of freight and passenger terminals, development and operations of track infrastructure, etc.

Source: PIB

बजट वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है:

- सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करना।
- राजमार्गों, रेलवे और जलमार्गों के बीच मल्टीमॉडल परिवहन योजना को सुविधाजनक बनाना।
- अनुदान की 16 मांगों के बजाय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के लिए अनुदान की एक मांग पेश की है।
- रेलवे विद्युतीकरण: रेल मंत्रालय की मिशन 100% विद्युतीकरण नीति के तहत रेलवे विद्युतीकरण बढ़ाने से न केवल देश के कच्चे तेल के आयात को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि पर्यावरणीय लाभ भी होंगे।
- यह माल ढुलाई और यात्रियों दोनों के लिए औसत गति और लोडिंग बढ़ाता है, जिससे आधुनिकीकरण का अवसर मिलता है।
- रेल पर्यटन: भारतीय रेलवे (IR) ने पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों और अन्य सेवा प्रदाताओं की मदद से घरेलू और विदेशी दोनों दर्शकों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए भारत गौरव ट्रेन नीति पेश की है।
- IRCTC और राज्यों के सहयोग से समय-समय पर विशेष पर्यटन उत्पाद भी पेश किए जाते हैं।

2. सड़क अवसंरचना

- भारत के सड़क बुनियादी ढांचे को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से प्रत्येक श्रेणी में सड़क की लंबाई किलोमीटर में और 1991 की तुलना में प्रतिशत में इसकी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), हाल ही में 31 मार्च 2019 तक उपलब्ध है।

National Highways (NH)	State Highways (SH)	District Roads	Rural Roads	Urban Roads	Project Roads	Total
1,32,499	1,79,535	6,12,778	45,22,228	5,41,544	3,43,163	63,31,757
5.02	1.24	0.66	4.67	3.87	1.77	3.64

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY): 2001 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
- भारत में कुल सड़क लंबाई का 70% हिस्सा ग्रामीण सड़कों का है।
- PMGSY

Year (as on 31 March)	NH length (kms)	Year (as on 31 March)	NH length (kms)
2011	70,934	2017	1,14,158
2012	76,818	2018	1,26,350
2013	79,116	2019	1,32,500
2014	91,287	2020	1,32,500
2015	97,991	2021	1,38,376
2016	1,01,011	2022	1,41,345
		2023	1,44,955

- सड़कों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के महत्वपूर्ण चालक हैं। हाल के दशकों में, विभिन्न सक्षम कारकों के साथ गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया गया है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।
- भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद सड़क विकास और प्रत्यक्ष रोजगार सृजन को अलग करना।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का 1995 में संचालन हुआ।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)

- राज्य स्तरीय सड़क विकास निगम: ऐसा पहला निगम, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (MSRDCL) की स्थापना 1996 में हुई थी। इसने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (2002 में खोला गया) विकसित किया है।
- कई अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे-मानक सड़कें विकसित करने में अग्रणी है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP): इसे 1998 में NHAI द्वारा शुरू किया गया था।
- चरण I: चार मेट्रो शहरों को जोड़ने वाला चार लेन का स्वर्णिम चतुर्भुज (GQ)।
- चरण II: उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों को जोड़ने वाला चार लेन, भारत के चरम बिंदुओं को जोड़ता है।
- व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) प्रावधान ने परियोजनाओं के प्रति बोलीदाताओं के बीच रुचि को फिर से जीवंत कर दिया।
- मॉडल रियायत समझौता (MCA): सड़क क्षेत्र में पहला MCA 2000 में हुआ था।
- नए अनुबंध मॉडल और परिसंपत्ति मुद्रीकरण: इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) और निर्माण, संचालन और स्थानांतरण (BoT) के माध्यम से PPP जैसे शास्त्रीय मॉडल के साथ, हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM), और टोलऑपरेटएंडट्रांसफर जैसे अन्य मॉडल उभरे हैं।
- निर्मित सड़क संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InVITs) का संचालन किया गया है।
- अन्य संगठन: एनएचएआई के अलावा विशिष्ट अधिदेश वाले अन्य संगठन स्थापित किए गए।
- सड़क बनाने की तकनीकें: खुले सामान्य लाइसेंस के तहत सड़क बनाने वाले उपकरणों के आसान आयात, घरेलू विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बेहतर सीखने के लिए विदेशी हितधारकों के साथ भारतीय बोलीदाताओं के संघ और बहुत कुछ के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है।

सड़क अवसंरचना विकास में चुनौतियाँ:

- बेहतर सड़क सुरक्षा की आवश्यकता है।
- शहरी सड़कों के मुद्दे जैसे कि ग्रामीण सड़कों की ओर ध्यान देने की कमी, कम गति के कारण समय और धन की हानि, खराब अंतिम-मील कनेक्टिविटी, खराब शहरी माल की आवाजाही, पार्किंग के मुद्दे, शहरी सार्वजनिक परिवहन के साथ समन्वय के मुद्दे।
- सड़क किलोमीटर के बजाय लेन किलोमीटर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिससे पहुंच के साथ-साथ क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। उपयोगकर्ताओं द्वारा बेहतर सड़क विकल्प के लिए मानचित्रों में गलियों की संख्या निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।
- उत्पत्ति से गंतव्य तक (OD) डेटा का उचित संग्रह।
- PPP हितधारकों के साथ समन्वय में सुधार।

3. अंतरिक्ष अवसंरचना

- भारतीय अंतरिक्ष गतिविधियाँ 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) की स्थापना के साथ शुरू हुईं। 1969 में, INCOSPAR को हटाकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का गठन किया गया। इसके बाद, 1972 में, विभिन्न राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोग की देखरेख के लिए अंतरिक्ष विभाग (DoS) बनाया गया था।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)

- मुख्यालय: बेंगलुरु
- इसरो का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। इसरो ने संचार, टेलीविजन प्रसारण, मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन निगरानी और बहुत कुछ के लिए कई अंतरिक्ष प्रणालियाँ स्थापित की हैं।
- PSLV और GSLV इसरो द्वारा विकसित दो विश्वसनीय प्रक्षेपण यान हैं।

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र:

- स्थान: तिरुवनंतपुरम
- प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार।
- प्रमुख कार्यक्रमों में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV), जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (GSLV), प्रक्षेपण यान मार्क-3 (LVM3), रोहिणी साउंडिंग रॉकेट, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान और मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।

U R राव सैटेलाइट सेंटर (URSC)

- स्थान: बेंगलुरु
- संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग और वैज्ञानिक उपग्रह मिशनों के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में शामिल।
- इसरो उपग्रह एकीकरण और परीक्षण प्रतिष्ठान उड़ान योग्यता के लिए अंतरिक्ष यान के संयोजन और परीक्षण के लिए सुसज्जित है।

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) - SHAR

- स्थान: आंध्र प्रदेश
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए लॉन्च बेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है।

तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC)

- स्थान: कैंपस-1: LPSC, वलियामाला, तिरुवनंतपुरम, और कैंपस-2 LPSC बेंगलुरु
- प्रक्षेपण वाहनों और अंतरिक्ष यान के लिए उच्च प्रदर्शन वाले उन्नत प्रणोदन प्रणालियों के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में लगे हुए हैं।

अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC)

- स्थान: अहमदाबाद
- राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष-जनित और वायु-जनित उपकरणों और पेलोड के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उपग्रहों के लिए ऑप्टिकल और माइक्रोवेव सेंसर, सिग्नल और इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रमों के लिए GIS सॉफ्टवेयर को डिजाइन और विकसित करता है।

मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र (HSFC)

- स्थान: बेंगलुरु
- 2019 में स्थापित, यह मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों से संबंधित सभी विकासों का समन्वय करता है।

राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC)

- स्थान: हैदराबाद
- इसमें उपग्रह डेटा प्राप्त करने, डेटा उत्पादों की पीढ़ी, उपयोगकर्ताओं के लिए प्रसार, आपदा प्रबंधन समर्थन, सुशासन और क्षमता निर्माण के लिए भू-स्थानिक सेवाओं सहित रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों के लिए तकनीकों के विकास के लिए ग्राउंड स्टेशनों की स्थापना का जनादेश है।

इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स

- स्थान: महेंद्रगिरि
- प्रक्षेपण वाहनों के लिए तरल प्रणोदन प्रणाली के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण के लिए जिम्मेदार। यह अंतरग्रहीय मिशनों के लिए सिमुलेशन परीक्षणों के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (ISTRAC)

- स्थान: बेंगलुरु
- प्रमुख लॉन्च वाहनों, इसरो के इंटरप्लेनेटरी अंतरिक्ष यान मिशन और NaVIC उपग्रह प्रणाली के ग्राउंड सेगमेंट को टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड और मिशन नियंत्रण सेवाएं प्रदान करता है।

मुख्य नियंत्रण सुविधा (MCF)

- स्थान: हसन, कर्नाटक और भोपाल
- इसरो के जियोस्टेशनरी/जियोसिंक्रोनस और आईआरएनएसएस वर्ग के अंतरिक्ष यान के ऑन-ऑर्बिट ऑपरेशंस (OOP) और लॉन्च & अर्ली ऑर्बिट चरण (LEOP) संचालन के लिए जिम्मेदार। यह इसरो के सभी भूस्थैतिक उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण करता है।

इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई (IISU)

- स्थान: तिरुवनंतपुरम
- प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों के लिए जड़त्वीय प्रणालियों के डिजाइन और विकास में लगे हुए हैं।

इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम के लिए प्रयोगशाला (LEOS)

- स्थान: बेंगलुरु
- रवैया सेंसर, उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवि प्रकाशिकी और विशेष प्रयोजन विज्ञान उपकरणों के डिजाइन, विकास और उत्पादन में शामिल।

भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान (IIRS)

- स्थान: देहरादून
- स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से रिमोट सेंसिंग और भू-सूचना विज्ञान में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

विकास एवं शैक्षिक संचार इकाई (DEUC)

- स्थान: अहमदाबाद
- देश में उपग्रह संचार-आधारित सामाजिक अनुप्रयोगों का कार्यान्वयन। यह उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ काम करता है और उन लोगों तक पहुंचने के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के प्रसार की सुविधा प्रदान करता है जिनकी पहुंच नहीं है।

GEO IAS It's about quality

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL)

- स्थान: अहमदाबाद
- खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी, सौर भौतिकी, ग्रह विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान में लगा एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान।
- PRL के पास माउंट आबू में एक अवरक्त वेधशाला, उदयपुर में एक सौर वेधशाला और अहमदाबाद में एक ग्रह अन्वेषण (PLANEX) कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (NARL)

- स्थान: गंडकी, तिरूपति
- पृथ्वी के वायुमंडल के व्यवहार की भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित करने की दृष्टि से वायुमंडलीय और अंतरिक्ष विज्ञान में लगे हुए हैं।

उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (NE-SAC)

- स्थान: शिलांग, मेघालय
- उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास प्रक्रिया का समर्थन करने के उद्देश्य से विज्ञान विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन।

भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (IIST)

- पहली बार 2007 में तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया।
- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की मांगों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है।

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ACL)

- कॉर्पोरेट कार्यालय: बेंगलुरु
- विश्व स्तर पर ग्राहकों को अंतरिक्ष क्षेत्र के उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने में संलग्न।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)

- मुख्यालय: बेंगलुरु
- भारत सरकार का एक पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम, जो वैश्विक ग्राहकों को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से अंतरिक्ष-संबंधित उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है और भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देता है।

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe)

- मुख्यालय: अहमदाबाद
- अंतरिक्ष विभाग (DoS) के तहत एक स्वायत्त एजेंसी, जो प्रक्षेपण वाहनों और उपग्रहों के निर्माण और अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करने सहित गैर-सरकारी संस्थाओं की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, सक्षम करने, अधिकृत करने और पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

4. यूनिटी मॉल

- यूनिटी मॉल, भारत सरकार की एक पहल, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, मनोरंजक स्थान प्रदान करने, पर्यटन को बढ़ाने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
- यह एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय वस्तुओं के प्रचार और बिक्री के लिए राज्यों के भीतर एक व्यापक बाज़ार के रूप में काम करेगा।
- यूनिटी मॉल प्रत्येक राज्य में स्थापित किए जाएंगे, अधिमानतः संबंधित राज्य की राजधानी या राज्य द्वारा चुने गए किसी अन्य स्थान पर।
- यूनिटी मॉल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पाद बेचने, रोजगार के अवसर पैदा करने, कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने और समग्र आर्थिक विकास में योगदान करने के अवसर प्रदान करके मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल में प्रगति करना है।
- प्रत्येक यूनिटी मॉल में अपने GI-टैग उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद की पेशकश को प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक दुकान आवंटित की जाएगी।

पूंजीगत व्यय हेतु राज्यों को विशेष सहायता हेतु योजना:

- यूनिटी मॉल को पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत वित्त पोषित किया जाता है।
- इस योजना का उद्देश्य पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करना और उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसे व्यय के महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव का उपयोग करना है।
- योजना के तहत राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है, जिसे राज्य की वार्षिक उधार सीमा में नहीं गिना जाता है।
- इस योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए रखे गए हैं।
- राज्य सरकार को मुफ्त में भूमि उपलब्ध कराने के साथ-साथ परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि भी आवंटित करने की जरूरत है।

S. N.	Name of State	Allocation (Rs in crores)
1	Andhra Pradesh	172
2	Arunachal Pradesh	188
3	Assam	226
4	Bihar	223
5	Chhattisgarh	202
6	Goa	100
7	Gujarat	202
8	Haryana	155
9	Himachal Pradesh	132
10	Jharkhand	163
11	Karnataka	193
12	Kerala	120
13	Madhya Pradesh	284
14	Maharashtra	215
15	Manipur	149
16	Meghalaya	132
17	Mizoram	127
18	Nagaland	145
19	Odisha	189
20	Punjab	159
21	Rajasthan	202
22	Sikkim	106
23	Tamil Nadu	223
24	Telangana	202
25	Tripura	114
26	Uttar Pradesh	382
27	Uttarakhand	136
28	West Bengal	159
	Total	**5000**

यूनिटी मॉल का डिज़ाइन और सुविधाएं

- मानकीकृत डिजाइन: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार, यूनिटी मॉल का डिजाइन और सुविधाएं देश की एकता और भव्यता का प्रतीक होनी चाहिए।
- एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए, भारत भर के सभी यूनिटी मॉल को उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade - DPIIT) द्वारा निर्धारित मानकीकृत डिजाइन का पालन करना आवश्यक है।

S.No.	State	Estimated Cost	Financial Support by Government of India	
			Amount allocated	Amount Approved
1.	Assam	226.99	226.00	226.00
2.	Chhattisgarh	200.77	202.00	200.77
3.	Gujarat	339.30	202.00	202.00
4.	Madhya Pradesh	285.67	284.00	284.00
5.	Maharashtra	227.08	215.00	
6.	Meghalaya	431.18	132.00	132.00
7.	Nagaland	145.75	145.00	145.00
8.	Sikkim	110.56	106.00	Proposal under examination
9.	Tripura	140.00	114.00	114.00
Total		**2106.25**	**1626.00**	**1303.77**

- एक जिला एक उत्पाद और मेक इन इंडिया की बहुभाषी भाषाओं और लोगो को मॉल डिजाइन में एकीकृत किया जाना चाहिए।

प्रस्तावित यूनिटी मॉल

- लेआउट और वाणिज्यिक स्थान: प्रत्येक यूनिटी मॉल में कम से कम 36 वाणिज्यिक स्थान शामिल होने चाहिए, जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान फर्श स्थान और सामान्य किराया आवंटित हो।
- सुविधाएं: प्रत्येक यूनिटी मॉल में एक अत्याधुनिक फूड कोर्ट, पार्किंग सुविधाएं और मनोरंजक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान शामिल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मॉल को आभासी वास्तविकता, संवर्धित वास्तविकता डिजिटल डिस्प्ले और इंटरैक्टिव कियोस्क जैसे प्रौद्योगिकी-संचालित अनुभव प्रदान करना चाहिए।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP): यूनिटी मॉल का संचालन और रखरखाव सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत संरचित किया जाएगा। मॉल का स्वामित्व राज्य सरकार के पास रहेगा जबकि संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एक निजी पार्टी को सौंपी जाएगी।
- प्रस्ताव और अनुमोदन प्रक्रिया: राज्य सरकारों को यूनिटी मॉल के लिए प्रस्ताव डीपीआईआईटी को प्रस्तुत करना होगा, जो उन्हें अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को अनुशंसा करता है।
- वित्त मंत्रालय ने आठ राज्यों, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, महाराष्ट्र और त्रिपुरा में यूनिटी मॉल के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

स्वीकृत यूनिटी मॉल की मुख्य विशेषताएं

- असम: गुवाहाटी में योजना बनाई गई, इसमें एक पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, जातीय उत्पादों को समर्पित संग्रहालय, विविध खाद्य न्यायालय और योग और ध्यान हॉल शामिल हैं।

- छत्तीसगढ़: रायपुर में योजनाबद्ध, मॉल को राज्य की कृषि बहुतायत का प्रतीक चावल के बीज जैसा अंडाकार आकार में डिजाइन किया गया है।
- नागालैंड: चुमुकेदिमा में नियोजित इस मॉल में थीम रेस्तरां, सम्मेलन कक्ष, वाणिज्यिक स्थान और गेमिंग क्षेत्र हैं।
- मध्य प्रदेश: उज्जैन में योजनाबद्ध इस मॉल में एक प्रतिष्ठित महाकाल-लोक एलिवेशन डिज़ाइन है। मॉल की वास्तुकला में विभिन्न अलग-अलग क्षेत्र शामिल हैं जैसे कि मिलेट लोक फूड कोर्ट और रेस्तरां के लिए आरक्षित है, एकम लोक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, और उत्सव लोक खुली कार्यशालाओं और प्रदर्शनों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- मेघालय: न्यू शिलांग में नियोजित, मॉल मेघालय की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने वाले एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- गुजरात: जेवडिया में योजनाबद्ध, मॉल का डिज़ाइन अशोक चक्र के आकार के आसपास केंद्रित है। मॉल के अंदर हवेली वास्तुकला का डिज़ाइन होगा, जो गुजरात के ऐतिहासिक शहरों में प्रमुख था।
- त्रिपुरा: अगरतला में योजना बनाई गई, मॉल की छत को राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से सजाया जाएगा।
- महाराष्ट्र: नवी मुंबई में स्थापित इस मॉल में बच्चों के खेलने के क्षेत्र, बहुउद्देशीय हॉल जैसी कई तरह की सुविधाएं शामिल होंगी।

GEO IAS
It's about quality

1. समावेशी विकास के लिए एकीकृत सौर ग्राम योजना

- भारत ने 2070 तक नेट ज़ीरो के लक्ष्य को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इसका उद्देश्य नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाकर इसे हासिल करना है और साथ ही सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को भी हासिल करना है।
- ग्रामीण भारत छत पर सौर पैनलों और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों दोनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के संबंध में जबरदस्त अवसर प्रदान करता है।
- सौर गाँव: सौर गाँवों की अवधारणा को इस तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता है जिसमें आजीविका के तत्वों को शामिल करके और सामाजिक सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक आर्थिक विकास को शामिल किया जाए।
  - यह डिस्कॉम के लिए भी व्यवहार्य है क्योंकि यह सब्सिडी के बोझ को कम कर सकता है क्योंकि यह ग्रामीण एचएच की सेवा की लागत को कम करता है।
  - यह डिस्कॉम के लिए भी व्यवहार्य है क्योंकि यह सब्सिडी के बोझ को कम कर सकता है क्योंकि यह ग्रामीण एचएच की सेवा की लागत को कम करता है।
  - इस अवधारणा का प्रयास कुछ राज्यों द्वारा गुजरात के मोढेरा, बिहार के धरनई और ओडिशा के बारापीठा जैसे क्षेत्रों में किया गया है।
- वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRI): ग्रामीण क्षेत्रों में, डीआरई एक बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति तक पहुंच को सक्षम बनाता है, और समुदायों को नवीकरणीय ऊर्जा जैसे बायोमास और सौर ऊर्जा के 'प्रोज्यूमर' ('निर्माता' और 'उपभोक्ता दोनों) में परिवर्तित करके ऊर्जा संक्रमण में शामिल करता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में, DRI शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, इंटरनेट पहुंच, आजीविका के अवसरों और चरम जलवायु घटनाओं के खिलाफ ग्रिड लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
- DRI की स्थापना आजीविका के अवसर भी पैदा कर सकती है क्योंकि यह उपयोगिता-पैमाने की सौर परियोजनाओं की तुलना में एक श्रम-केंद्रित अभ्यास है।

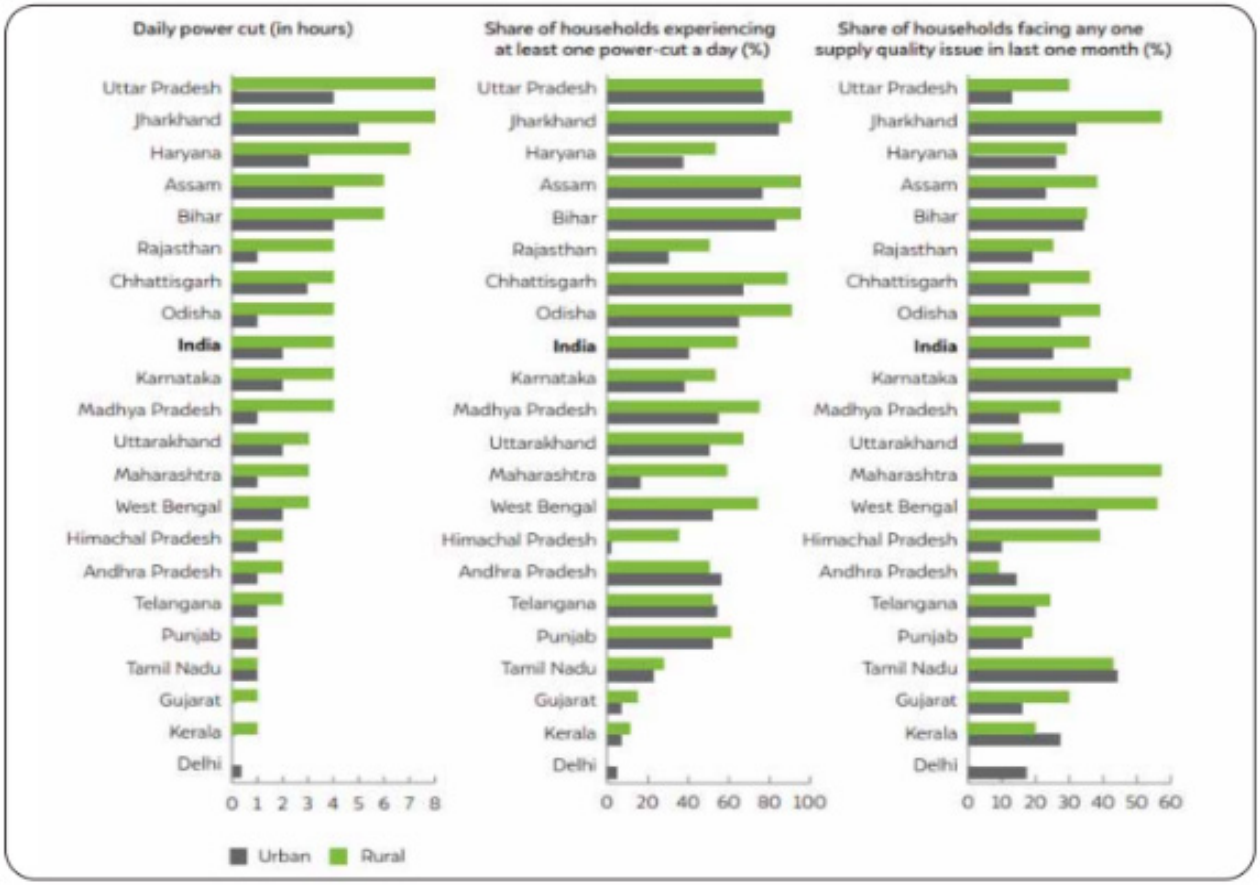

- छत पर सौर ऊर्जा और विकेन्द्रीकृत आजीविका अनुप्रयोगों को केंद्र और राज्य दोनों द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम (2019 में लॉन्च) के चरण II के तहत, रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRI) द्वारा पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की गई है।

- MNRI द्वारा SPIN पोर्टल के माध्यम से रूफटॉप सोलर के लिए सब्सिडी लागू करने और सुरक्षित करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।
- DRI आजीविका अनुप्रयोगों के एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा।
- नवीकरणीय या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्यों द्वारा पहल।
- मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के 'एनर्जी प्लस' ढांचे के अनुसार, ग्रामीण आजीविका विकास के लिए बिजली तक पहुंच एक आवश्यक लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं है।
- इस संबंध में, भारत ने HH का लगभग 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, इसे विश्वसनीय बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण बनाम शहरी: ग्रामीण भारत (प्रति दिन औसतन 20 घंटे आपूर्ति के साथ) में शहरी भारत की तुलना में अधिक बिजली कटौती होती है। वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण बिजली की गुणवत्ता की समस्याएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आम हैं।

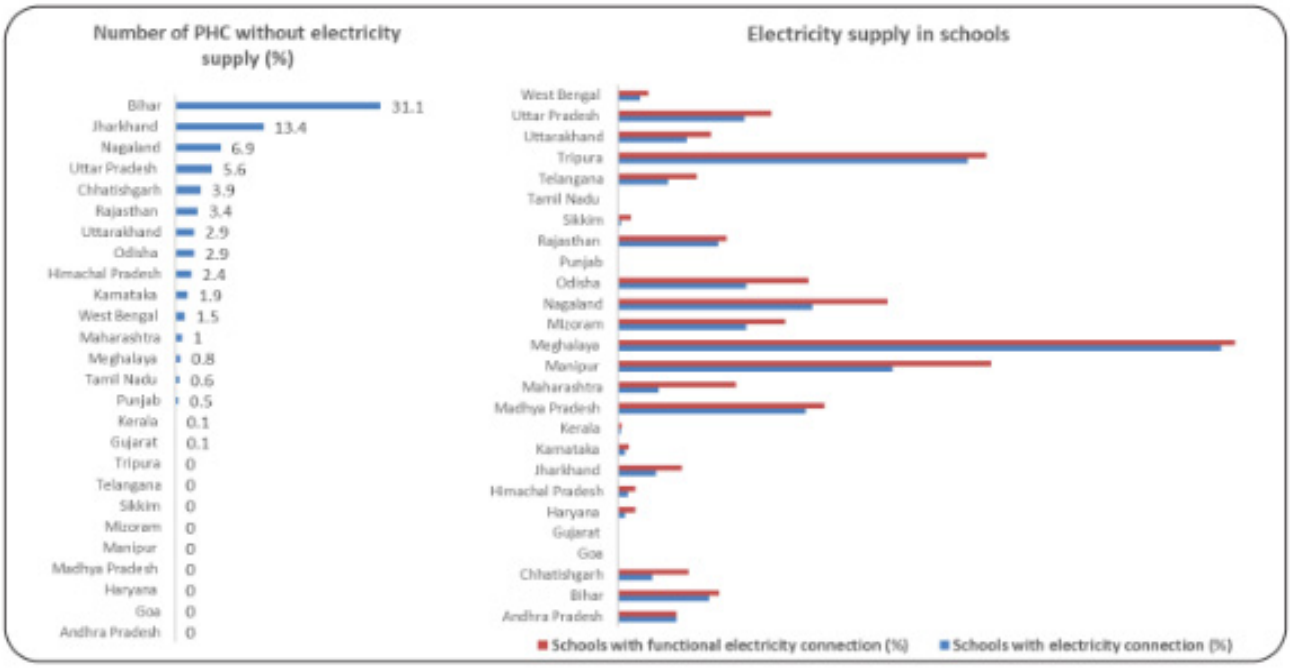

- स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक संस्थानों को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और मात्रा उनकी सेवा वितरण को प्रभावित करती है।
- एक एकीकृत सौर ग्राम विकास योजना होनी चाहिए।
- बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए।
- ग्रामीण आय को बढ़ावा देना चाहिए।
- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक सेवाओं को मजबूत करना चाहिए।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सौर ऊर्जा को एकीकृत करके रोजगार सृजित करना चाहिए।

2. फसल अवशेष प्रबंधन: चुनौतियाँ और अवसर

- फसल अवशेष पौधों के गैर-आर्थिक भागों को संदर्भित करते हैं जो कटाई के बाद खेत में रह जाते हैं, जिनमें पुआल, डंठल, स्टोवर, भूसी, चोकर, खोई और गुड़ शामिल हैं।
- इन फसल अवशेषों के कई व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं, जैसे पशुधन के लिए बिस्तर सामग्री के रूप में काम करना, पशु चारा प्रदान करना, मिट्टी की मल्चिंग में सहायता करना और बायोगैस उत्पादन की सुविधा प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, उनका उपयोग कागज और बोर्ड सहित विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।

फसल अवशेष जलाने से जुड़ी चुनौतियाँ

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: फसल अवशेषों को जलाना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। इन उत्सर्जनों के प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणाम होते हैं।
- वायु प्रदूषण: फसल अवशेष जलाने से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन मोटर वाहन, अपशिष्ट भस्मीकरण और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे अन्य स्रोतों से उत्सर्जन की तुलना में लगभग 17 गुना अधिक है। ये उत्सर्जन मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।
- मिट्टी की उर्वरता: फसल अवशेष जलाने से कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक मिट्टी के पोषक तत्व खराब हो जाते हैं। जलने के दौरान उत्पन्न उच्च तापमान के कारण लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्मजीव भी नष्ट हो जाते हैं। इससे, बदले में, कृषि उत्पादकता कम हो जाती है और कृषि स्थिरता में बाधा आती है।

GEO IAS It's about quality

फसल अवशेष क्यों जलाये जाते हैं?

- किसान अक्सर मुख्य रूप से तीन कारकों के कारण पराली जलाने का सहारा लेते हैं।
- खेतिहर मजदूरों की कमी।
- चावल की फसल के बाद अगली गेहूं की फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करने के लिए किसानों के पास बहुत कम समय होता है, आमतौर पर 10-20 दिन।
- कंबाइन हार्वेस्टर का बड़े पैमाने पर उपयोग जो काफी मात्रा में फसल अवशेष, आमतौर पर जमीन पर 20-30 सेमी ठूंठ छोड़ देता है।

फसल अवशेष प्रबंधन के लिए नियम और समाधान

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश: 2015 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक आदेश जारी किया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कृषि अवशेष जलाने पर रोक लगा दी गई।
- इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन योजना के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना: यह केंद्रीय योजना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, एवं बीज, और फसल काटने वाले फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को 50% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों के मामले में 80% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC): ये ऐसे केंद्र हैं जो छोटे और सीमांत किसानों को किराये पर मामूली दरों पर कृषि उपकरणों की आपूर्ति करते हैं।
- ऑफ-साइट धान के भूसे प्रबंधन के लिए अद्यतन दिशानिर्देश: केंद्र सरकार ने हाल ही में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में धान के भूसे के कुशल पूर्व-स्थान प्रबंधन की सुविधा के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।
- इन नए दिशानिर्देशों के तहत, धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक पायलट परियोजनाएं लाभार्थियों (किसानों, ग्रामीण उद्यमियों, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और पंचायतों) और धान के भूसे का उपयोग करने वाले उद्योगों के बीच द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से स्थापित की जाएंगी।
- केंद्र और राज्य सरकार परियोजना लागत के लिए 65% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जबकि उद्योग 25% का योगदान देगा और एकत्रित फीडस्टॉक के प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में काम करेगा।
- पूसा डीकंपोजर: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने "पूसा डीकंपोजर" तकनीक विकसित की है, जिसे कृषि क्षेत्रों में धान की पराली को जैविक रूप से विघटित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

धान के भूसे का वैकल्पिक अनुप्रयोग:

- मशरूम की खेती के लिए सब्सट्रेट: धान का भूसा मशरूम की खेती के लिए एक उत्कृष्ट सब्सट्रेट के रूप में कार्य करता है। इसमें उपयोग किए गए प्रत्येक टन सूखे चावल के भूसे के लिए 50 से 100 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन हो सकता है।
- बायोचार उत्पादन: धान के भूसे का उपयोग बायोचार बनाने के लिए किया जा सकता है, जो मिट्टी में संशोधन के रूप में प्रयुक्त कार्बन युक्त सामग्री है। यह मिट्टी की उर्वरता में सुधार, कार्बन भंडारण बढ़ाने और जल निस्पंदन क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करता है।
- फसल विविधीकरण: बाजरा की खेती को अपनाने से फसल अवशेषों के उत्पादन को काफी हद तक कम किया जा सकता है और इस तरह टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है और पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सकता है।

- शिक्षा और जागरूकता अभियान: भारत में फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन में सुधार के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता के अलावा, गहन शैक्षिक और जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।

3. हरित गांवों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करना

भारत ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और हरित गांवों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है। इसके मद्देनजर, सरकारी विभाग, एजेंसियां और गैर-लाभकारी संस्थाएं स्थायी प्रथाओं का प्रसार कर रहे हैं, जिससे हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

ग्रामीण भारत के समक्ष पर्यावरणीय चुनौतियाँ:

- स्वच्छता में सुधार के विभिन्न सरकारी प्रयासों के बावजूद, अपर्याप्त अपशिष्ट निपटान प्रणालियाँ जल और वायु प्रदूषण में योगदान करती हैं।
- बढ़ती खाद्य मांग ने वनों की कटाई को बढ़ावा दिया क्योंकि खेती के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, जिससे वन क्षेत्र कम हो जाता है। बढ़ती जनसंख्या अत्यधिक खेती को बढ़ावा देती है।
- फसल अवशेष जलाने और कृषि गतिविधियों से वायु प्रदूषण प्रमुख योगदानकर्ता है।
- खराब स्वच्छता और सीवरेज योजना की सीमाओं से उत्पन्न होने वाला जल प्रदूषण। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा का क्षरण।

डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- बढ़ती चुनौतियों के सामने इन चिंताओं को दूर करने में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण घटक हो सकती है क्योंकि यह पर्यावरण कानून प्रवर्तन और कार्यान्वयन में सुधार के साथ-साथ संबंधित मुद्दों के बारे में सार्वजनिक ज्ञान बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है।
  - डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग टिकाऊ खेती के तरीकों और समय पर मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी के लिए किया जा सकता है।
  - प्रौद्योगिकी का उपयोग हवा और पानी की गुणवत्ता की दूर से निगरानी करने, वनों की कटाई को ट्रैक करने और पारिस्थितिक लाल झंडों को इंगित करने के लिए किया जा सकता है।
  - सोशल मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे गांवों को हरा-भरा बनाने के लिए संदेश और जानकारी प्रसारित करने और वितरित करने के लिए किया जा सकता है।
  - स्वच्छ भारत मिशन प्रगति को ट्रैक करने और समुदायों को स्वच्छता प्रयासों में शामिल करने के लिए जियोटैगिंग और मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल टूल का उपयोग करता है।
  - डिजिटल इंडिया पहल ने लाखों गांवों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा है, डिजिटल विभाजन को पाट दिया है और ग्रामीण समुदायों को सूचना और अवसरों तक पहुंच प्रदान की है।

सरकार का दृष्टिकोण और पहल:

- सरकार पर्यावरण नीतियों और पहलों को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करती है।
- सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में नागरिकों को शामिल करने, एक सूचित, टिकाऊ समाज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है।

ग्रामीण समाज के ताने-बाने को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं:

- जागरूकता की कमी: भारत में अभी भी कई लोगों के बीच पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता की कमी है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता प्रयासों में लोगों को शामिल करना मुश्किल हो गया है।
- डिजिटल विभाजन: डिजिटल उपकरणों तक पहुंच की कमी, कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति की सीमाएं, और डिजिटल साक्षरता की कमी डिजिटल पहल की सफलता के लिए चुनौतियां खड़ी करती है।
- संसाधनों की कमी: संसाधनों (मानव संसाधन, और अन्य) की सीमाएं जिन्हें सरकार की सभी पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता पहलों को लागू करने के लिए तैनात किया जा सकता है।
- समन्वय की कमी: केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, गैर-लाभकारी संस्थाओं, ग्रामीण निकायों, समुदायों और निजी क्षेत्र सहित प्रक्रियाओं में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी हो सकती है।

4. स्वच्छ और हरित पहल के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना

भारत का प्राकृतिक पर्यावरण एक अनमोल विरासत है, और भावी पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक स्वच्छ और हरित पहल की आवश्यकता है। विश्व बैंक की 2019 'बियॉन्ड द गैप' रिपोर्ट हरित विकास पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, क्योंकि ग्रह की एक चौथाई से अधिक आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए जंगलों और प्रकृति पर निर्भर है।

हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता

- समग्र मानव विकास सूचकांक में सुधार और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ और हरित पहल की आवश्यकता है।
- खराब स्वच्छता, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वैश्विक आबादी का लगभग आधा हिस्सा, 3.6 बिलियन लोगों तक, सुरक्षित स्वच्छता (WHO/यूनिसेफ 2021) का अभाव है।
- WHO का अनुमान है कि सुरक्षित पेयजल प्रबंधन से डायरिया से होने वाली 400,000 मौतों और 14 मिलियन विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALY) को रोका जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 100 अरब डॉलर तक की लागत बचत होगी।
- उदाहरण के लिए, WHO ने भारत में हर घर जल कार्यक्रम के पर्याप्त लाभों पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण नल जल कनेक्शन में 2019 में 16.64% से बढ़कर 2023 में 62.84% हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप 13.8 मिलियन DALY को रोका गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता - विज़न और मिशन

- राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने देश की सौर क्षमता लगभग 748 गीगावॉट आंकी है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना में प्रमुख मिशनों में से एक है, जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था।
- मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, और जुलाई 2023 तक भारत की संचयी स्थापित नवीकरणीय क्षमता 179.322 गीगावॉट तक पहुंच गई। नवीकरणीय स्रोतों में, जबकि सौर ऊर्जा ने 67.07 गीगावॉट का योगदान देकर अपना प्रभुत्व बनाए रखा, पवन ऊर्जा ने 42.8 गीगावॉट का योगदान दिया।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और पांच मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का लक्ष्य है।

सरकारी नीतियां और पहल

- भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ आवास और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले आठ मिशन शामिल हैं।
- भारत 'मेक इन इंडिया' पहल पर प्रमुख जोर के साथ, 2047 तक स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने ऊर्जा स्वतंत्रता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है।
- सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देकर एक नीतिगत निर्णय भी लिया है।
- PM PRANAM (धरती माता की पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम- Prime Minister Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth) कार्यक्रम का उद्देश्य जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना और साथ ही रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है।

ग्रीन डेवेल पहल के साथ उभरते अवसर

- भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों के माध्यम से मशीनीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार अवसर प्रस्तुत करती है, जिसमें कीटनाशक छिड़काव, चावल की रोपाई और अनाज की फसल की कटाई के संभावित उपयोग शामिल हैं।
- सरकार ने उत्पादन लागत और समग्र लाभ को कम करने के लक्ष्य के साथ विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने के लिए 20 ग्रामीण आजीविका उपकरणों को प्रोत्साहित किया है।

हरित प्रौद्योगिकियों में बदलाव के लिए चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

- प्रौद्योगिकी परिवर्तन और अपनाने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है; 2030 तक, दुनिया भर में नवीकरणीय ऊर्जा में सालाना कम से कम 4 ट्रिलियन डॉलर का निवेश किया जाना चाहिए, जिसमें बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी खरीद भी शामिल है जो हमें 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
- निम्न-कार्बन पथ पर संक्रमण के लिए, औद्योगिक देशों और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन महत्वपूर्ण है।

GEOIAS

SCHOLARSHIP CUM ADMISSION TEST

FOR UPSC ASPIRANTS

UP TO

100% SCHOLARSHIPS

ONLINE & OFFLINE

For Upcoming Batches

REGISTER NOW

*Limited Seats Available

Visit: www.geoias.com

GEOIAS App

SCAN ME